वशाम माला I

7 मार्च, 1994

फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय - सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994 / 1915 (शक)

अंक 10, सोमवार, 7 मार्च 1994 / फाल्गुन 16 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
+ तारांकित प्रश्न संख्या :	161-163 एवं 165	1 - 21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	164 एवं 166-180	21 - 39
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1758 - 1988	39 - 222
सभा पटल पर रखे गए पत्र		228 - 230
लोक लेखा समिति		
इकसठवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत		230
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1993-94 — प्रस्तुत		231
जम्मू-कश्मीर बजट - 1994-95 — प्रस्तुत		231
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर) 1993-94 — प्रस्तुत		231
मणिपुर बजट 1994-95		231
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के संबंध में — प्रस्तुत		231 - 237
नियम 377 के अधीन मामले		238 - 240
(एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केरल में ड्रिलिंग कार्य शुरु करने की आवश्यकता	श्री रमेश चेन्नितला	238

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) दूरदर्शन के प्रसारण में सुधार करने के लिए केरल में क्विलोन जिले में एक उच्च शक्ति/कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री कोडाकुन्नील सुरेश 238

(तीन) उड़ीसा में ओरियंट पेपर मिल्स, ब्रजराज नगर और उर्वरक तथा विद्युत संयंत्र तालचेर द्वारा ब्राह्मणी और ईब नदी में होने वाले निःस्त्राव से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 239

(चार) राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनेक उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 239

(पांच) टी०टी०सी०आई० के प्रबंध के अंतर्गत आने वाले चाय बागान लुकसन टी एस्टेट, जलपाइगुड़ी को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए उसकी दशा में सुधार हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास 239

(छः) मुख्य भूभाग (मेन लैंड) तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच यात्रा करने के लिए रियायती किराए का लाभ उठाने हेतु यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम 240

(सात) उत्तर प्रदेश के रामपुर कस्बे में द्रुतगामी डाक सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 240

(आठ) कानपुर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा मिल के कामगारों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल 240

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 241

श्री किरिप चालिहा 241

मेजर डी०डी० खनोरिया 244

श्री ए० चार्ल्स 247

श्री चन्द्रजीत यादव 252

श्री बी०एन० रेड्डी 259

डा० आर० मल्लू 263

डा० रमेश चन्द्र तोमर 271

श्री शरद यादव 273

श्री हाराधन राय 279

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 284

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 285

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 292

श्री सूरज मण्डल 299

श्री द्वारका नाथ दास 303

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 305

श्री बीर सिंह महतो 310

श्री सनत कुमार मण्डल 311

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक 314

श्री एम०वी०पी०एस० मूर्ति 316

श्री मोहन रावले 318

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 321

श्री भोगेन्द्र झा 322

श्रीमती सुमित्रा महाजन 324

श्री शिवाजी पटनायक 325

श्री वी० धनंजय कुमार 327

श्री ब्रह्मानंद मण्डल 329

श्री ओस्कार फर्नान्डीज़ 330

श्री संतोष कुमार गंगवार 330

प्रो० प्रेम धूमल 332

श्री राम प्रसाद सिंह 334

श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्मो चौधरी 335

लोक सभा

सोमवार, 7 मार्च 1994 / फाल्गुन 16 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र का विकास

***161. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खान और खनन (विनिमय और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे कि खनन क्षेत्र में कार्य कुशलता और आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) खनन उद्योग के सरकारी और गैर-सरकारी एककों के कुशल संचालन तथा उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए अन्य क्या उपाय किये जायेंगे ?

[हिन्दी]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) से (ग). समय-समय पर प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर दिनांक 25.1.94 को खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994 जारी किया गया। इस अध्यादेश की एक प्रति 21.2.1994

को सभा के पटल पर रखी गई थी। अध्यादेश के प्रमुख प्रतिधानों का विवरण नीचे दिया गया है। हर खनन यूनिट के लाभ और दक्षता को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का गमन और उनके संबंध में कार्यवाही ऐसी यूनिटों को स्वयं ही करना होगा।

(1) धारा 4 क (2) में इस प्रकार संशोधन किया गया है जिससे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ परामर्श किए बिना ही गौण खनिजों के लिए खनन पट्टों को समाप्त कर सकेगी।

(2) धारा 4 क (4) में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि उन मामलों में जहां खनन पट्टाधारी खनन कार्य शुरु नहीं करता या खनन कार्य बंद कर देता है तो खनन पट्टा तभी समाप्त होगा जबकि इस प्रकार के कार्य शुरु न होने या बंद रखने की अवधि दो वर्ष या अधिक हो।

(3) धारा 5(1) में इस प्रकार संशोधन किया गया है, जिससे खनन कम्पनियों में विदेशी होल्डिंग इक्विटी पर लगे प्रतिबंध में छूट दी गई है। यह धारा अब भारत में पंजीकृत किसी भी कम्पनी को पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की अनुमति देती है।

(4) धारा 7 में इस प्रकार संशोधन किया है जिससे पूर्वेक्षण लाइसेंस मंजूर करने को अधिकतम अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है। राज्य सरकारों को आगे नवीकरण मंजूर करने का अधिकार है परन्तु कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) धारा 16 को इस प्रकार संशोधित किया गया है जिससे केन्द्र सरकार को दो वर्षों की अवधि के भीतर या आगे की अवधि में पुराने पट्टों में संशोधन करने का अधिकार होगा जो अधिनियम के अनुरुप नहीं थे।

(6) धारा 8 में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि खनन पट्टों की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष हो और अधिकतम अवधि बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, प्रत्येक नवीकरण अधिकतम 20 वर्ष के लिए होगा।

(7) धारा 17 क में इस प्रकार संशोधन किया गया है जिससे केन्द्र सरकार के नियंत्राधीन सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा ही विदोहन हेतु किसी क्षेत्र के आरक्षण का अधिकार केन्द्र सरकार को होगा।

(8) एक नई धारा 23 ख जोड़ी गई है जो अधिनियम और इसके अंर्तगत बने नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में किसी राजपत्रित अधिकारी को खनिजों की अभिवृद्धि हेतु किसी स्थान को खोजने का अधिकार देती है।

(9) धारा 28 में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और जारी की गई अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

(10) धारा 30 में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि गौण खनिजों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पारित किसी आदेश को केन्द्र सरकार के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(11) सूची में 15 खनिजों को हटा कर पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है।

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : महोदय, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में भारतीय खनिज उद्योगों की कई सिफारिशों को सम्मिलित किया गया है। अब खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, जिस विषय पर मैं बोल रहा हूं , विषय का जिक्र करते हुए सातवीं अनुसूची, सूची 1, प्रविष्टि 54 में दिए गए संवैधानिक उपबंधों के साथ अधिनियमित किया जा रहा है,इसमें यह कहा गया है, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं।

''अगर संसद का ऐसा विचार हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, संसद खान और खनिज विषय पर कानून बना सकती है। ''

उच्चतम न्यायालय ने इंडिया सीमेंट केस के सम्बन्ध में 1989 में यह निर्णय दिया भी। इस निर्णय के परिणामस्वरुप विभिन्न राज्यों में अनेक करारोपण करने वाले अधिनियमों को विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिया गया। त्तपश्चात्, 1992 में संसद ने खनिज अधिकार कर विधिमान्यीकरण अधिनियम पारित किया। इसके बल पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के बाद भी राज्यों द्वारा कर एकत्रित किए जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार संसद द्वारा एकत्रित किए गये सारे राजस्व भारत की संचित निधि में जाने चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1992 के इस कर विधिमान्यीकरण अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, विभिन्न राज्यों में लिए जा रहे इन करों को किस निधि में जमा किया जा रहा है — भारत की संचित निधि में अथवा राज्यों की संचित निधि में।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस केस का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे सारे मैटर री-वेलीडेट कर दिए गए हैं। जहां तक टैक्सेज की रियलाईजेशन का सवाल है, यह राज्य सरकार का विषय होता है और राज्य सरकार इसको रियलाईज करती है और राज्य सरकार के फंड्स में यह जाता है।

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : अनुच्छेद 266 के अनुसार संसद द्वारा एकत्रित किया गया सारा राजस्व भारत की संचित निधि में जाना चाहिए। इसलिए, मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में जांच करें और इसके बाद ही किसी उपयुक्त निर्णय पर पहुंचे। अब मैं दूसरे अनुपूरक प्रश्न पर आता हूं। क्रमांक 7 पर दिए गए उत्तर में कहा गया है :

''धारा 17 (क) में इस प्रकार संशोधन किया गया है जिससे केन्द्र सरकार के नियंत्राधीन सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रमों द्वारा ही विदोहन हेतु किसी क्षेत्र के आरक्षण का अधिकार केन्द्र सरकार को होगा।''

यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या क्षेत्र के आरक्षण के पश्चात्, इस कानून के अन्तर्गत जो राशियां एकत्रित की जा रही हैं, क्या वे राज्य सरकारों को मिल रही हैं अथवा केन्द्र सरकार को। मंत्री महोदय को यह भी स्पष्ट करना होगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, पब्लिक सैक्टर की अंडरटेकिंग्स के लिए एरिया रिजर्व करने का अधिकार भारत सरकार ले रही है। उसमें जो भी टैक्सेज, सेल और रायल्टी होगी वह प्रदेश सरकारों को जायेगी। रिजर्व करने का उद्देश्य इसलिए है कि जितने भी मिनरल्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए रिजर्व थे वे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिये गये हैं। इसलिए पी०एस०यू० के प्रोट्क्शन के लिए अगर आवश्यकता हो तो राज्य सरकार से वह एरिया रिजर्व कराया जा सकता है। इस प्रावधान को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : भारत सरकार द्वारा एम०एम०आर०डी० एक्ट के तहत खनिज सम्पदा को दोहन करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। इसमें तय कर दिया है कि इन-इन सम्पदाओं का दोहन वे कर सकेंगे। क्या सरकार अन्य सम्पदाओं का दोहन बढ़ाने के लिए भी विचार करने जा रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि वर्तमान में विदेशी खनिज सम्पदा का दोहन नहीं कर सकते थे, आप जो नया प्रस्तावित संशोधन लाने जा रहे हैं उसके तहत विदेशियों को आमंत्रित करने की बात है और वे 51 प्रतिशत सम्पदा का दोहन कर सकेंगे तथा अपना लाभ बाहर ले जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव : पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि अभी तक जो मुख्य खनिज प्रथम अनुसूची में हैं उनमें 38 आइटम्स शामिल हैं। मेजर मिनरल्स राज्य सरकारों को देने जा रहे हैं। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा यह मांग और शिकायत रहती है कि भारत सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। ऐसा नहीं है, भारत सरकार जब उपयुक्त समझती है सही समय पर निर्णय लेती है। जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दे इसलिए 15 मिनरल्स को प्रथम अनुसूची से निकालकर राज्य सरकारों को दे रहे हैं। आपकी जो दूसरी आशंका है कि एम०एम०आर०डी० एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं जिसके तहत विदेशी और देशी कम्पनीज़ इसमें आयेंगी, तो इसमें हमारा यह कहना है कि वे भारत के कम्पनी कानून के तहत काम करेंगी ओर विदेश से कोई पूंजी या तकनीकी लाना चाहते हैं या देश के उद्योगपति उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे तमाम लोगों को हमने जो डिरिजर्व मिनरल्स का किया है वे उसमें आकर तकनीकी ला सकते हैं और पूंजी लगा सकते हैं। इसलिए माननीय सदस्य की जो आशंका है कि बाहर से लोग आकर कब्जा कर लेंगे, यह निराधार है। जो भी विदेशी कम्पनी यहां आयेगी हमारे कम्पनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी ओर हमारे कानून उन पर लागू होंगे, न कि उनके कानून हम पर लागू होंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जाइए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसको आधे घंटे की चर्चा के लिए समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप नोटिस दे दीजिए।

श्री करिया मुंडा : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 22 प्रदेश हैं उनमें से कौन-कौन से प्रदेश में माइन्स मिलती हैं और उनको कितनी रायल्टी मिलती है तथा वह रायल्टी कहां-कहां खर्च होती है विशेषकर उड़ीसा राज्य के संबंध में बताएं ?

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, यह बात सही है कि उड़ीसा राज्य मिनरल के क्षेत्र में बहुत ही रिच है और जहां तक आपने रायल्टी की बात कही है, इसको स्टेट गवर्नमेंट वसूल करती है और उसके पास ही रहती है और भारत सरकार को यह रायल्टी नहीं मिलती है।

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि खनन की वजह से अभी तक कितनी भूमि बंजर हुई है ओर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए और उन बंजर भूमियों को पुनः उपजाऊ करने के लिए सरकार क्या करती है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न इससे जुड़ता नहीं है। लगता है आपने प्रश्न पढ़ा नहीं है ? कम से कम आपकी बात से इतना आभास तो मिलना चाहिए कि आपने प्रश्न पढ़ा है।

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आंकड़े देना तो मुश्किल है क्योंकि हमारे पास नहीं है। जहां तक पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न है, जितने भी फारेस्ट प्रोटैक्शन एक्ट या एनवायरनमेंट प्रोटैक्शन एक्ट हैं, इन तमाम चीजों को राज्य सरकार और भारत सरकार पूरा ध्यान रखकर ही क्लीयरेंस देती है।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को किस सीमा तक और अधिकार ओर शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि खनन के क्षेत्र में कुशलता तथा आर्थिक सक्षमता लाई जा सके। उसके लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। किसी सीमा तक राज्य सरकार खनन के क्षेत्र में कुशलता तथा आर्थिक सक्षमता लायेगी अथवा क्या कुछ शक्तियां देने की आवश्यकता है ?

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा इशारा किया था राज्य सरकार की हमेशा से यह मांग रहती है कि उनके कुछ अधिकार बढ़ाए जाएं, तो जो संशोधन एम०एम०आर०डी० एक्ट में लाया गया है, उसके अन्तर्गत इस बात को हम लोगों ने देखा है, सरकार ने तय किया है कि जो आवश्यक अधिकार राज्य सरकारों को देने हैं वे उनको दिए जाएं और इसी के तहत मान्यवर जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो 38 मिनरल ऐसे हैं जो प्रथम अनुसूची में केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनमें से 15 मिनरल्स को हमने राज्य सरकारों को दिया है और इसी तरह से जैसे कोई माइनर मिनरल है उसके पट्टे को कैंसिल करने का काम पहले राज्य सरकार अगर करना चाहती थी, तो नहीं कर सकती थी, केन्द्र सरकार की अनुमति के बाद ही वह पट्टे कैन्सल कर सकती थी। इस अधिकार को भी हमने राज्य सरकारों को दिया है।

इसका उद्देश्य यह है कि मान लीजिए कोई उद्योग इलीगॅल माइनिंग करता है, पर्यावरण की देखभाल नहीं करता या स्वास्थ्य हैज़ार्डस वगैरह की कुछ ऐसी ऐक्टीविटीज़ करता है तो ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार स्वतः ही उसमें निर्णय लेकर उसकी लीज़ को टर्मीनेट कर सकती है।

इसी तरह से पूर्वेक्षण लाइसेंस की पी०एल० की अवधि को हमने दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया है। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती है तो तीन वर्ष के बाद स्वतः ही निर्णय लेकर पी०एल० की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसी तरह से माइनर मिनरेल्स के लिए जो अपील्स हैं, वह भारत सरकार में हमारे

ट्राईबुनल के पास आती थी। माइनर मिनेरल क्योंकि स्टेट का विषय है इसलिए हमने इस अधिकार को भी स्टेट गवर्नमैंट को दिया है कि यदि कोई अपील आती है, कोई डिस्प्यूट होता है तो स्वतः निर्णय करे, भारत सरकार में आने की जरूरत नहीं है।

इसी तरह से अभी तक एम०एम०आर०डी० एक्ट में चोरी पकड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इसमें एक प्रोवीजन डाला गया है और इसमें राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह कोई भी राजपत्रित अधिकारी डिप्यूट कर सकती है और इलीगॅल माइनिंग से संबंधित कोई भी मिनेरल यदि कहीं पकड़ा जाता है तो उसकी जांच करने का उसे पूरा अधिकार है, सीज़ करने का पूरा अधिकार है।

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास

***162. श्री जी०एम०सी० बाल योगी : क्या जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान समूचे देश में प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए क़ोई धनराशि आबंटित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो पत्तन वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में छोटे पत्तनों के विकास के लिए धनराशि प्रदान की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : जी हां। देश में महापत्तनों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराया गया परिव्यय इस प्रकार है :-

क्रम सं०	पत्तन का नाम	परिव्यय (करोड़ रू०)		
		1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	(क) कलकत्ता	27.58	70.90	45.00
	(ख) हल्दिया	34.87	37.00	85.58
2.	बम्बई	19.08	40.00	70.43
3.	जवाहर लाल नेहरू	45.00	65.00	57.30

1	2	3	4	5
4.	मद्रास	39.81	55.00	34.89
5.	कोचीन	33.30	37.03	42.17
6.	विशाखपत्तनम	37.05	59.79	65.57
7.	कांडला	23.92	55.00	40.00
8.	मुरगांव	5.76	7.10	11.76
9.	पारादीप	9.61	39.65	67.00
10.	नव मंगलूर	7.17	8.56	4.91
11.	टूटीकरोरिन	6.10	8.95	17.05
	कुल महापत्तन	289.25	483.98	541.66

(ग) और (घ) : जी हां। एशियाई विकास बैंक ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पत्तन के विकास के लिए 77.90* मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता उपलब्ध कराई है। तथापि, इस राज्य में लघु पत्तनों के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कोई परियोजना नहीं है।

	करोड़ रू0	विनिमय दर
*बराबर है :	120.75	15.50 रू० = 1 अमरीकी डालर (एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण समझौता करने के समय लागू)
	244.61	31.40 रू० =-1 अमरीकी डालर (वर्तमान दर)

श्री जी०एम०सी० बालयोगी : सर्वप्रथम, मैं माननीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं, विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि 'बैंक बैंचर' होने के बावजूद सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिला है। कृपया मुझे प्रश्न पूछने का समय भी दीजिए।

मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि देश में 133 छोटे पत्तन हैं और विशेष रुप से आन्ध्र प्रदेश में 8 से 9 तक छोटे पत्तन हैं। मुख्य पत्तनों पर भीड़ को कम करने के लिए यह सरकार का व्यवहारिक कर्तव्य है कि छोटे पत्तनों की स्थिति में सुधार किये जाएं।

काकीनाडा को एक छोटा पत्तन कहा जाता है यद्यपि यहां से जितना आयात निर्यात होता है, वह किसी मुख्य पत्तन से भी अधिक है। हॉल ही में एशियन विकास बैंक ने भी काकीनाडा पत्तन के विकास के लिए 120.75 करोड़ रुपए दिए हैं।

इस सम्बन्ध में मैं आपके अध्यक्ष से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एशियन विकास बैंक द्वारा दी गई राशि को खर्च करने के बाद भी काकीनाडा पत्तन छोटा पत्तन ही रहेगा अथवा इसे मुख्य पत्तन घोषित कर दिया जायेगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि काकीनाडा पत्तन को कब मुख्य पत्तन घोषित किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश में आधुनिक तटीय रेखा क्षेत्र की विशालता को समक्ष रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार कोई मत्स्य बन्दरगाह परियोजना आन्ध्र प्रदेश में विकसित करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न पूछिए। अगर आप अलग-अलग प्रश्न पूछेंगे तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पायेगा।

श्री जी०एम०सी० बालयोगी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार काकीनाडा में कोई मत्स्य बन्दरगाह परियोजना आरम्भ करने जा रही है तथा क्या काकीनाडा पत्तन को प्रमुख पत्तन घोषित किया जायेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि काकीनाडा पत्तन एक छोटा पत्तन है जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। कोई भी छोटा पत्तन केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

क्योंकि निर्यात तेजी से कई गुणा बढ़ रहा है, यहां तक कि वर्तमान 11 प्रमुख पत्तनों पर भी वहां से और अधिक निर्यात के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होगा। वहां बहुत भीड़ हो जायेगी।

ऐसा विचार चल रहा है, यद्यपि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि पूर्वी तट पर एक छोटे पत्तन को तथा पश्चिमी तट पर एक छोटे पत्तन को बड़े पत्तन का रुप देने के काम को हाथ में लिया जाये, परन्तु यह वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ राशि उपलब्ध करवाने पर निर्भर करता है।

श्री जी०एम०सी० बालयोगी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि आजकल रेल, सड़क तथा हवाई रास्ते की अपेक्षा जलमार्गों से आयात तथा निर्यात बहुत सस्ता है। इस सम्बन्ध में विशेष तौर पर एक अन्तर्देशीय जल सेवा मद्रास तथा काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) के बीच उपलब्ध है। देश में एक बकिंघम कैनाल सिस्टम है। तीन वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने जलमार्ग से माल को लाने ले जाने के लिए अन्तर्देशीय जल सेवा के लिए सर्वेक्षण हेतु राजामुंदरी में नींव पत्थर रखा था। उस सर्वेक्षण रिपोर्ट का क्या हुआ ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मद्रास तथा काकीनाडा के बीच बकिंघम कैनाल सिस्टम पुनः आरम्भ करना चाहती है ताकि जलमार्ग से निर्यात किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ है ? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : इसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैं यह जानना चाहता हूं कि मारमगोआ बन्दरगाह से निर्यात वस्तुओं के अविलंबित पोत लदान को सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। कंटेनर ट्रैफिक की वर्तमान स्थिति कैसी है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कंटेनर पोत लदान के सम्बन्ध में आपकी

क्या योजनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सब प्रश्न वास्तव में मूल प्रश्न से जुड़े हुए नहीं हैं।

श्री हरीश नारायाण प्रभु झांट्ये : यह अति महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। परन्तु मैं इसे अस्वीकृत कर रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न सुसंगत नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : वर्ष 1992-93 के लिए कुल योजना परिव्यय 441 करोड़ रुपए हैं बाकी वर्ष 1991-92 के लिए। वर्ष 1991-92 में आबंटित कुल राशि 483.98 करोड़ में से कितनी राशि खर्च की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष चल रही परियोजनाओं के लिए भी आबंटन किया गया है अथवा नई परियोजनाओं के लिए। कितनी नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं तथा चल रही परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ? इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पारादीप पत्तन के लिए आबंटित 67 करोड़ रुपए के सम्बन्ध में विभिन्न मदों पर खर्च का ब्यौरा क्या है ?

श्री जगदीश टाईटलर : आठवीं योजना के लिए कुल योजना परिव्यय 2984 करोड़ रुपए है जिसमें से 945 करोड़ रुपए बाह्य स्त्रोतों से तथा 1426 करोड़ रुपए आन्तरिक स्त्रोतों से खर्च किया जायेगा; आन्तरिक नियमित ऋण 314 करोड़ रुपए मिलेगा तथा बजट सहायता बाह्य सहायता का 299 करोड़ रुपए कम करके 1244 करोड़ रुपए होगी।

जहां तक पारादीप पत्तन का संबंध है, इसके लिए कुल योजना परिव्यय 486 करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें से 330 करोड़ रुपए पारादीप कोयला व्यवस्था परियोजना के लिए है; जिसमें माननीय सदस्य ने काफी रूचि ली है। इसमें से 156 करोड़ रुपए आन्तरिक राजस्व से जुटाए जायेंगे तथा अन्तर्निगमित ऋण से कोई राशि नहीं मिलेगी। इस प्रकार कुल बजट सहायता 330 करोड़ रुपए प्राप्त होगी, इस प्रकार यह परियोजना शत प्रतिशत बाह्य सहायता पर आधारित है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहले यह बताया है कि प्रमुख पत्तनों पर पहले ही काफी भीड़ है। विशाखपत्तनम प्रमुख पत्तनों में से एक है। हम यह भी देखते हैं कि यह अधिक लाभ कमाने वाले पत्तनों में से एक है। इस वर्ष यहां माल व्यवस्था की मात्रा 25 मिलियन टन को छूने वाली है तथा इसके 30 मिलियन टन तक पहुंचने की आशा है। माननीय मंत्री महोदय यह बात जानते हैं कि इस कारण शहर की उपेक्षा हो रही है। इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन दिए गये हैं कि गंदा माल यहां पर्यावरण प्रदूषण की समस्यायें पैदा कर रहा है। ऐसा प्रस्ताव है कि गंगावरम् स्थित उपगृह पत्तन पर उस गंदे माल तथा सामग्री की व्यवस्था की सुविधाएं दी जायें जिसका उत्पादन विशाखपत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा आयात तथा निर्यात के लिए किया जाता है। कुछ डेक भी जोकि बाह्य पत्तन पर पैट्रोलियम उत्पादों की अतिरिक्त मात्रा को संभालने के लिए अपर्याप्त हैं, क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? इस वर्ष के लिए जो योजना परिव्यय राशि उन्होंने दिखाई है, वह केवल 65 करोड़ रुपए है। इसमें से गंगावरम् उपगृह पत्तन के लिए भी क्या कोई योजना परिव्यय रखा गया है ?

क्या शायिका सुविधाओं में सुधार किये जाने की कोई संभावना है ?

श्री जगदीश टाईटलर : ऐसी कोई रुपरेखा नहीं बनाई गई है क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नहीं आएगा।

डा० वसंत पवार : प्रश्न बन्दरगाहों के विकास से संबंधित है। भारत में बन्दरगाहों का और अधिक तीव्र विकास किये जाने के लिए हमें मजदूरों के साथ शान्तिपूर्ण सामन्जस्य स्थापित करना होगा और उनके कल्याण पर भी ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जल भूतल परिवहन मंत्रालय ने मजदूरों के साथ कोई समझौता किया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

डा० वसंत पवार : महोदय, चूंकि यह बन्दरगाहों के विकास के लिये किया जाना है इसलिए मजदूरों का कल्याण सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय को इसकी अच्छी खासी जानकारी है। इसलिये मैं उन्हें उत्तर देने की अनुमति देता हूं।

श्री जगदीश टाईटलर : आपके माध्यम से मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि देश में पहली बार एक ऐतिहासिक मजदूर समझौता किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा में वक्तव्य देना चाहिये था।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं अभी यही कह रहा था कि यह श्रमिकों से संबंधित है। मैंने सोचा कि हर कोई श्रमिकों के बारे में इतना चिंत्ति रहा है और चूंकि पहली बार इन्होंने कोई आश्चर्यजनक बात की है ....

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा में वक्तव्य देने का अधिकार है।

श्री जगदीश टाईटलर : हमने 25 जनवरी को मुम्बई पत्तन न्यास में एक समझौता किया था जिसमें इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि गोदी मजदूर बोर्ड को विघटित कर दिया जाये और बन्दरगाह का मुम्बई पत्तन न्यास में विलय कर दिया जाये। यह विलय मजदूरों के सहयोग से हमने इसलिये किया जिससे कि न्यूनतम उत्पादकता मानदण्डों को 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 300 प्रतिशत तक कर दिया जाये। हमनें प्रबन्ध नियोजन में भी 70 प्रतिशत तक की कमी की है। हमने बन्दरगाह कर्मचारियों में अन्तरपरिवर्तनीयता को भी लागू किया है। पहली बार ऐसा समझौता किया गया है।

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट में भी हमने यही किया है। हमने नवम्बर में कर्मचारियों के साथ एक समझौता किया जिसमें कन्टेनरों के वहन की प्रति घन्टा न्यूनतम क्षमता वर्तमान स्तर से दो गुने से भी अधिक बढ़ गई। कोचीन पत्तन न्यास में भी ऐसा ही किया गया था। इससे प्रति कन्टेनर मजदूरों की तैनाती लगभग 30 प्रतिशत कम हो गयी। हमने कन्टेनरों को भरने और खाली करने के लिये मजदूर संघों के साथ समझौता किया है। यह समझौता पहली बार किया गया है। कांडला में हमने निजी क्षेत्र मजदूर दल प्रणाली लागू की है।

मैं सोचता हूं कि सभा को इन बातों को ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के चैनल

*163. **श्री रमेश चेन्नितला :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 में दूरदर्शन/आकाशवाणी के नये चैनल आरंभ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई के दर्शकों को केबल के बिना ही दूरदर्शन के चैनलों के कार्यक्रम देखने की सुविधा दी जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या चैनलों के संचालन का काम गैर-सरकारी हाथों में देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ड.) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप इन चैनलों से होने वाली आय का ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। ऐसे अनेक प्रस्ताव हैं जिनपर आकाशवाणी और दूरदर्शन इनसैट 2 बी के 5 ट्रांसपोण्डर्स पर तजुर्बे कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.) मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री रमेश चेन्नितला : यह दावा किया गया था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास बहुत से चैनल शुरु करने की एक महत्वकांक्षी योजना है। वर्तमान समय में दूरदर्शन के छः चैनल हैं। अभी-अभी यह कहा गया है इन चैनलों से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, वे घटिया स्तर के हैं, भले ही कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने के लिये कोई भी प्रयास किये जा रहे हों, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इन चैनलों पर कार्यक्रमों को बेहतर बनाने की दिशा में किसी व्यापक योजना को बनाये जाने के लिए कोई गंभीर प्रयास किये गये हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है।

श्री के०पी० सिंह देव : जहां तक कार्यक्रमों का संबंध है, 15 अगस्त को पहली बार पांच चैनलों की शुरुआत हुई है। कार्यक्रमों की समीक्षा तीन माह बाद की जानी थी क्योंकि यह प्रायोगिक तौर पर किया गया था। इन्सैट 2-बी 13 अगस्त को भू-स्थैतिकी कक्ष में आया। एक निर्णय के अनुसार, 18 नवम्बर को इसकी समीक्षा की गई और चैनल प्रबन्धन की एक नयी प्रणाली प्रथम फरवरी 1994 से लागू की गई है। प्रथम चैनल राष्ट्रीय चैनल है जिसे टौस्टोरियल डी०डी०-1 कहा जाता है। दूसरा तथा कथित मैट्रो चैनल है जोकि चार महानगर दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता तक ही सीमित रखा गया था जोकि मैट्रो चैनल के नाम से प्रसिद्ध है। यह आंशिक रुप से टौस्टोरियल और आंशिक रुप से उपग्रह चैनल है। तीसरा चैनल डी०डी०-3 है जोकि पूर्णतया उपग्रह चैनल है तथा 4, 5 और 6 नये प्रादेशिक चैनल हैं।

हर तीन अथवा चार माह के अन्तराल पर इनकी समीक्षा की जाती है और कार्यक्रमों को देखने वालों की दृष्टि से, कार्यक्रमों में संशोधन किया जाता है अथवा इन्हें बिना संशोधन के दिखाया जाता है। चूंकि यह प्रायोगिक आधार पर किया गया है इसलिये हम समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे और दर्शक अनुसंधान तथा दर्शकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसमें सुधार करेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला : आम तौर पर यह माना जाता है कि विदेशी टेलीविजन देखने वालों का प्रतिशत दूरदर्शन टेलीविजन देखने वालों से अधिक है। यदि यह सत्य है तो क्या मैं यह मान सकता हूं कि क्या सरकार भारतीय संस्कृति और विरासत से संबंधित कार्यक्रमों को वरीयता देते हुए दूरदर्शन के कार्यकरण को सुधारने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ?

श्री के०पी० सिंह देव : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने यह कहा है कि 'आम धारणा है' क्योंकि विदेशी टेलीविजन के बावजूद दूरदर्शन की आय में लगातार धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। दूसरी बात यह है कि 2 अक्तूबर, 1993 से 11 प्रादेशिक चैनलों के प्रसारण की अनुमति दी जा रही है। जोकि भारत की संस्कृति को दर्शायेंगे। अब इसके लिए साढ़े पांच घन्टे निर्धारित हैं और शीघ्र ही प्रादेशिक कार्यक्रमों के लिये दो घन्टे का समय और बढ़ाया जायेगा। इस समय हमारे तीन चैनल 11 प्रादेशिक भाषाओं को पूर्णतया समर्पित हैं और हमारा इरादा यह है कि भारत की संस्कृति के बारे में प्रादेशिक चैनलों पर अधिकाधिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाएं।

चैनलों की व्यवस्था करने के बार हमने यह देखा है कि दर्शकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और हमारे यहां दर्शक अनुसंधान एकक है जोकि समय-समय पर और नियमित तौर पर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का जायजा लेती है। इस प्रकार चुनौतियों के बावजूद भी हम अपनी आय में वृद्धि कर पा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरे पास सवाल के दो जवाब आये हैं। एक रिवाइज्ड आया है ...

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि जब तक वह हाउस में जवाब नहीं देते, तब तक वह कभी भी रिवाइज कर सकते हैं।

श्री राजवीर सिंह : तो मुझे रिवाइज में से पूछना चाहिए न ? मगर मंत्री जी ने रिवाइज वाला जवाब नहीं दिया। उन्होंने वह जवाब दिया है, जो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। वह सैल्फ कण्ट्राडिक्ट्री जवाब है, उसको आप देख लें। मंत्री जी ने पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया था, जो हमको लिखकर दिया था, वह हमको यह दिया था जो लिखकर दिया है कि प्रस्ताव है, वही यहां उन्होंने पढ़ा मगर जो रिवाइज्ड जवाब आया है, उसमें उन्होंने यह लिखा है कि अभी हम तजुर्बा कर रहे हैं, अब इन दोनों में सत्य क्या है ? यह मंत्री जी का जवाब आया था कि हम प्रसारित करेंगे, बाद में उन्होंने जो यहां जवाब सुनाया, जो मुंह से बोला, उसमें लिखा है कि हम प्रस्ताव कर रहे हैं तो अब एक ही प्रश्न के आपके दो उत्तर सदन में आ गये, अब मैं सवाल कैसे पूछूं, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हाउस में जो उत्तर दिया है, उसके आधार पर पूछना है।

श्री राजवीर सिंह : मैं उसी को सही मान लूं ? यह रिवाइण्ड कैंसिल हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : उसी को सही माने। सह सब रूल्स में है।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, अभी एक तरफ मंत्री जी ने यह कहा कि हमको मैट्रो चैनल में राजस्व बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा भी करेंगे, मगर हालत यह है कि मैट्रो चैनल को भारतीय संस्कृति को तो छोड़ दीजिए, आज परिवार के लोग एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। इसकी स्थिति यह हो गई है कि जो विदेशी टी०वी० हैं, उनकी होड़ में यह हिन्दुस्तान के टी०वी० को बिल्कुल अमेरिका और इंग्लैंड जैसा टी०वी० बनाना चाह रहे हैं। आज परिवार के लोग, मां और बेटी साथ नही देख सकते, पिता और पुत्री साथ नहीं देख सकते तो क्या धन के लालच में आप टेलीविजन के द्वारा समाज के अन्दर इतनी गंदगी फैलाना चाहते हैं कि उससे उनका चरित्रहनन हो, वह अपने माता-पिता के साथ टी०वी० न देख सके ? तो क्या सरकार राजस्व के लिए देश के चरित्र को भ्रष्ट करना चाहती है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम दिखाये जाते हैं, वे संसद द्वारा यथा अनुमोदित आकाशवाणी और दूरदर्शन संहिता के अध्याधीन होते हैं। अत: दूरदर्शन का कोई भी कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन की संहिता का उल्लंघन नहीं करता। फिर भी यदि कोई ऐसा विशेष उदाहरण है, तो हम उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक आम बात कहना ठीक नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी सलाह देते हैं। **(व्यवधान)** यदि कोई विशेष उदाहरण है तो मैं उसकी जांच करवा सकता हूं। आम बात करने पर इसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल होगा। **(व्यवधान)** अन्य कोई भी टेलीविजन इसके अध्याधीन नहीं है। **(व्यवधान)**

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम आकाशवाणी संहिता के अध्याधीन होते हैं। यदि ऐसा है, तो मेरा निवेदन यह है कि इस संहिता में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

हमने चैनलों की संख्या में वृद्धि की है ताकि विदेशी टेलीविजन हमारे देश की संस्कृति पर प्रहार न कर पाये। लेकिन दुर्भाग्यवश चैनलों की संख्या का परिणाम केवल यही हुआ है कि हम विदेशी टेलीविजन की नकल करने लगे हैं। दिखाये जाने वाले अधिकतर स्लाट्स विदेशों की नकल हैं। **(व्यवधान)** मुझे इस संबंध में विदेशों की नकल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यह है कि यह एक किस्म का सांस्कृतिक प्रहार है जो हमारे यहां हो रहा है और एक किस्म से युवाओं पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। मैं अपने साथी श्री सिंह से पूर्णतया सहमत हूं कि परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर टी०वी० देखना सम्भव नहीं है।

हमारा दूरदर्शन भारतीय होना चाहिए। इसका अपना एक आधार होना चाहिए। इसे विदेशी टेलीविजन से भिन्न होना चाहिए। हमें इसके स्तर को प्राप्त होने वाली आय से नहीं आंकना चाहिए। उच्च नैतिक मूल्यों के लोगों और जो कि भारतीय संस्कृति से संबंध रखने वाले लोगों द्वारा इसके स्तर का निर्धारण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

क्या सरकार निगरानी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आचार नियमों की सम्पूर्ण नीति की समीक्षा

करेगी क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है जोकि हमारे देश पर विशेषकर युवावर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। यह संहिता संसद द्वारा 1977 में अनुमोदित की गई थी। यदि सभा इस बात को ठीक समझती है कि हमें यहां इस सभा में इसकी समीक्षा करनी चाहिए, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं।

मैं इससे सहमत हूं कि सांस्कृतिक प्रहार हो रहा है। इसके बारे में तनिक भी संदेह नहीं है। हम दूरदर्शन से यह चाहेंगे कि भारतीय व्यक्तित्वों और भारतीय संस्कृति पर कार्यक्रम दिखाये जायें। हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की भी यही राय रही है। लेकिन मैं इस सभा के निर्णय से बंधा हूं। हमें जो कुछ निर्देश दिए जाएंगे, मैं उनका पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। वह अपनी ओर से भरसक कार्य कर रहे हैं। हमें इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मस्तिष्क बहुत ही सशक्त होता है। जो चीज मस्तिष्क को प्रभावित करती है, उसके साथ हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हमारे पास 20 चैनल हैं तो इसके लिये हमारे कार्यक्रम तैयार रहने चाहिए। हमारे पास जो 20 चैनल उपलब्ध हैं, उन्हें प्रयोग में लाने के लिए संभव कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

सभा यह महसूस करती है कि इस अवसर का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें आशा है कि हमारे मंत्री महोदय, जोकि अपनी ओर से भरसक कार्य कर रहे हैं, इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : क्या मैं इसका स्पष्टीकरण दे सकता हूं ? 20 चैनल अभी प्रायोगिक स्तर पर ही हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उपग्रह पर 20 चैनल उपलब्ध हैं। उसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको उसके लिए तैयार रहना होगा।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं उच्च न्यायालय की वजह से मजबूर हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास वैकल्पिक योजनायें होनी चाहिये। अगर निर्णय इकतरफा दिया जाता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिये। अगर निर्णय अलग दिया जाता है तो आपको ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रशासनिक मामला है। आप इस पर विचार करने में बिल्कुल समर्थ हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अभी-अभी माननीय मंत्री ने क्षेत्रीय चैनलों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों को और अधिक समय देने के बारे में कहा है। केवल क्षेत्रीय चैनलों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विकेन्द्रित कार्यक्रम, अन्य शब्दों में, जो कार्यक्रम निम्नतम स्तर पर बनाये जाते हैं, भी काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब इन क्षेत्रीय चैनलों पर विचार किया जा रहा है तो क्या राज्य में विश्वविद्यालय, जिला

पुस्तकालय संगठनों, जिला परिषदों इत्यादि गैर-लाभकारी संगठनों को अपने कार्यक्रम, जो निम्नतम स्तर पर जनसाधारण के लिए अधिक सुसंगत होंगे, बनाने के लिए एक निश्चित प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री के०पी० सिंह देव : इस सुझाव पर विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं इस बात से सहमत हूं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। यही तो हमारा उद्देश्य है और हम धीरे-धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये विशेष सुझाव का सम्बन्ध है, इसका अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं माननीय मंत्री से एक बात स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं। कई बार सरकार द्वारा देश की आम जनता के फायदे के लिए अथवा विश्व के प्रगतिशील ढपायों के साथ स्पर्धा करने के लिए प्रगतिशील उपायों को क्षेत्रीय आधार पर अपनाने के विचार सुझाये जाते हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न भी स्पष्ट होना चाहिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : ... कि पांच ट्रांसमीटरों का उपयोग करते हुए 20 चैनल शुरु करने के इस प्रस्ताव पर ये सुझाव किस आधार पर दिये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह उनके पास उपलब्ध हैं और वे इसका प्रयोग कर रहे हैं।

श्री के०पी० सिंह देव : सूपर्ण विश्व में प्रौद्योगीकीय विकास हो रहा है और हमारे इंजीनियर और अनुसंधान और विकास विभाग के लोग भी उसकी दहलीज़ पर हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री महोदय ने लालकिले से अपने प्रसारण में कहा था कि दूरदर्शन के 5 चैनलों का लाभ गांवों के लोगों को भी मिलेगा। अभी तक की रिपोर्टस् के मुताबिक इन चैनल्स के प्रसारण का लाभ ग्रामीण इलाकों को नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि कब तक इन चैनल्स के प्रसारण का लाभ ग्रामीण लोगों को मिलना शुरु हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : हम धीरे-धीरे प्रसारण-क्षेत्र बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैट्रो चैनल पहले केवल चार महानगरों जैसे दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और मुम्बई में शुरु किया गया था और अब हम इसे बड़े-बड़े शहरों जैसे हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद में भी इसका विस्तार कर रहे हैं।

कुमारी उमा भारती : मैं गांवों को प्रसारण क्षेत्र में शामिल करने के बारे में पूछ रही थी।

श्री के०पी० सिंह देव : हरेक राज्य की राजधानी को इसकी परिधि में लाया जा रहा है और हम इन बड़े शहरों, महानगरों और राज्य की राजधानियों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्रों तथा धनी आबादी वाले क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करने जा रहे हैं। हम इस कार्य को चरणबद्ध रुप से ही कर सकते हैं। क्योंकि

मेरे मंत्रालय को मिलने वाली 80 प्रतिशत सरकारी राजसहायता स्थगित कर दी गई है और योजना मंत्रालय को भी धनराशि देने में कठिनाई हो रही है। मैं रातों-रात सारे भारत को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं ला सकता। यह कार्य चरणों में ही करना होगा और अगर आवश्यक हुआ तो हम नौवीं योजना में इसे पूरा करेंगे।

श्री पी०जी० नारायणन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि हालांकि मैट्रो चैनल का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, तमिलनाडु में व्यस्तम समय हिन्दी के कार्यक्रमों को दे दिया जाता है। आम लोगों के मन में यह धारणा है कि धीरे-धीरे तमिलों पर हिन्दी थोपी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस प्रयास को, तमिलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए तुरन्त बन्द किया जाये।

श्री के०पी० सिंह देव : मैं स्पष्ट रुप से आश्वासन दे सकता हूं कि तमिलनाडु या अन्य किसी भी स्थान पर हिन्दी नहीं थोपी जायेगी। लेकिन मैं ऐसी गतिविधियों को नहीं रोक सकता जो दूरदर्शन के कार्यकरण में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। पिछली बार हमने एक गलती की थी। वास्तव में, वे हिन्दी कार्यक्रम लेते ही नहीं हैं। वही एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हिन्दी में नहीं लेता। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मंत्री ने बताया कि उनके पास एक समीक्षा प्रणाली है। अब, मैं जानना चाहती हूं कि क्या उस प्रणाली के माध्यम से माननीय मंत्री को पता चला है कि वास्तव में अनेक स्टेशनों से बहुत से चैनल नहीं देखे जा सकते। उस पर यह कि आप 20 और चैनल शुरु करने पर विचार कर रहे हैं। जब पांच चैनल ही ठीक प्रकार से नहीं देखे जा सकते तो इस बात की क्या गारंटी है कि 20 चैनल ठीक प्रकार से काम करेंगे ?

श्री के०पी० सिंह देव : इसमें सच्चाई नहीं है कि छह चैनल नहीं देखे जा रहे हैं। पिछले वर्ष मार्च में, जब मैंने यह घोषणा की थी, तब मैंने यह बताया था कि ये उपग्रह से जुड़े हुए पांच चैनल या तो डिश एन्टिना या फिर केबल के माध्यम से देखे जा सकते हैं। आप सभी कुछ दूरदर्शन से मुफ्त नहीं ले सकते।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की चिंता है कि बीस चैनल, प्रारंभ होने के बाद संस्कृति पर प्रहार होने की दिशा में है। यहां पर सांस्कृतिक प्रदूषण कला-विधियों के माध्यम से होता है। इनकी सदाशयता है कि ये पांच चैनल रीजनल चैनल के लिए रिजर्व करेंगे। जो हमारे यहां रिजनल आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए कोई कैटालॉग बना लेंगे और क्या उसी के तहत अनुमति दी जाएगी ? क्या उनहीं कला-विधियों को अनुमति दी जाएगी जिससे हमारे यहां आर्ट एंड कल्चर में जो इन्फीलट्रेशन है उससे बचाया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : जहां तक हमारी संस्कृति को बचाये रखने का सम्बन्ध है, इसे अकेले दूरदर्शन द्वारा नहीं किया जा सकता। जहां तक अपनी संस्कृति के प्रचार और ऐसे कार्यक्रम दिखाने के अवसर प्रदान करने का सम्बन्ध है, यही दूरदर्शन इन छह चैनलों - एक राष्ट्रीय चैनल और पांच उपग्रह से जुड़े हुए चैनलों के

माध्यम से करना चाह रहा था। इन छह चैनलों के माध्यम से हम 14,000 घंटे के कार्यक्रम देख सकते हैं। सभी कार्यक्रम अकेले दूरदर्शन द्वारा ही नहीं दिखाये जाएंगे। यह रचनाकार निर्माताओं और प्रतिभावान निदेशकों के लिए एक मंच है और वे इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यह मामला इस समय न्याय निर्णयाधीन है। हमें बताया गया है कि यह मामला जो पिछली जुलाई से लम्बित है, अप्रैल में सुलझा लिया जायेगा। अतः, संस्कृति के प्रचार तथा अन्य किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए भी 14,400 घंटे उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। यह जनता के लिए तथा जामिया मिलिया, एफ०टी०आई०आई० तथा अन्य इसी प्रकार की संस्थायें, जिनके पास रचनात्मक प्रतिभा वाले अनेक नये युवा लोग आये हैं, के लिए उपलब्ध होंगे। इन कार्यक्रमों तक, जिन पर अभी दूरदर्शन का एकाधिकार है, 90 करोड़ भारतीयों की पहुंच होगी। इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस समय यह मामला न्याय निर्णयाधीन है और मैं मजबूर हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं मिला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं, तो मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति दे दूंगा। आप सभी मिलकर एक उचित नोटिस दे सकते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने हमें बताया है और सभा में पुनः कहा है कि यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

अध्यक्ष महोदय : चैनल पर समय का आबंटन का मामला न्याय-निर्णयाधीन है और कुछ भी नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जहां तक मुझे पता है, एक पूरा चैनल प्राइवेट पार्टियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं था। मैंने सोचा था कि मसला दूरदर्शन चैनलों पर निजी निर्माताओं को समय के आबंटन का था। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूं कि पूरे एक चैनल का निजीकरण किया जा रहा है अथवा उस पर प्राइवेट पार्टियों को समय का आबंटन किया जा रहा है अथवा किस आधार पर निजीकरण किया जायेगा, क्या यह निजीकरण पूर्ण रुप से होगा या आंशिक रुप से। मेरे विचार में, इस मामले में इस प्रश्न को माननीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिये।

श्री के०पी० सिंह देव : माननीय सदस्य ने इस मसले को बिल्कुल स्पष्ट ढंग से उठाया है। प्राइवेट पार्टी को सभी कुछ दे देने का कुछ प्रश्न ही नहीं है। यह समय को बेचने अथवा उसके आबंटन से संबंधित था। वही योजना दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सरकार ने जिस योजना का अनुमोदन किया था वह चैनलों पर समय का आबंटन करने और उसे उन लोगों के लिए, जो कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, उपलब्ध कराना था। वे चैनलों पर समय खरीद सकते हैं। इस समय चैनल अथवा किसी अन्य चीज का निजीकरण किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : प्रश्न यह है कि क्या आप पहले-आओ-पहले-पाओ अथवा किसी अन्य

आधार पर पार्टियों को चुनना चाहते हैं। प्रश्न यही है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल यही मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

तांबे का खनन

***165. श्री शैलेन्द्र महतो :** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खानों से निकाले जाने वाले ताम्र अयस्क में कितने प्रतिशत तांबा होता है ;

(ख) क्या अकुशल खनन प्रणाली तथा इस क्षेत्र में ताम्र अयस्क की उपलब्धता का प्रतिशत कम होने के कारण इसके खनन की लागत विदेशों की तुलना में तीन गुणा अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो तांबा खनन को कम खर्चीला बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार तांबे के खनन के लिए राजसहायता देने का है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ड.). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत में खनन किये जाने वाले तांबा अयस्क में तांबा अंश का औसत प्रतिशत लगभग 1 प्रतिशत है जबकि विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक देशों में यह लगभग 3 प्रतिशत है। इसके अलावा, देश में पाए जाने वाले अयस्क का आकार-प्रकार व्यापक स्तर पर मशीनीकरण के लिए आमतौर पर उपयोगी नहीं है जोकि उत्पादन की लागत कम करने के लिए जरूरी है। हालांकि, हिन्दुस्तान कॉपर लि० की माइनिंग और मिलिंग की प्रचालन लागत प्रतिस्पर्द्धात्मक (कॉपिटिटिव) है परन्तु हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा उत्पादित मेटल-इन-कंसट्रेटों की कुल लागत अन्य प्रमुख तांबा उत्पादक देशों में इनके उत्पादन में लगने वाली कुल लागत से अधिक है, ऐसा मुख्यत: निम्न ग्रेड अयस्क, प्रचालन का निम्न स्तर और उपोत्पाद की कम उपलब्धता के कारण है।

हिन्दुस्तान कॉपर लि० ने एक नई योजना बनाई है जिसके अंतर्गत खेतड़ी में आयात्ति उच्च ग्रेड फीड स्टॉक कॉपर कंसट्रेंटों पर आधारित शोधित तांबे की स्मैल्टिंग क्षमता को 31,000 टन से 100,000 टन प्रतिवर्ष बढ़ाना, श्रम शक्ति को युक्तिसंगत बनाना कंपनी की पूंजी पुन:संरचना, अलाभप्रद खानों को बंद करना और कुछ आशाप्रद खानों का विकास शामिल है। इस नई योजना के कार्यान्वित होने से हिन्दुस्तान कॉपर लि० की तांबा उत्पादन की लागत प्रभावी (कॉस्ट इफेक्टिव) होगी।

श्री शैलेन्द्र महतो : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि हिन्दुस्तान कॉपर लि० ने एक नयी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत खेतड़ी में आयात्ति उच्च ग्रेड स्टॉक कॉपर कंसट्रेंटों पर आधारित शोधित तांबे की स्मैल्टिंग

क्षमता को 31,000 टन से 100,000 टन प्रतिवर्ष बढ़ाना है। इसी संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बिहार राज्य के घाटशिला में स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लि० और इंडियन कॉपर काम्पलेक्स के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हां तो इसके विकास हेतु पिछले तीन वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि दी गई है और भावी योजना क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव : घाटशिला के इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स के विस्तार या आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि कम्पनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब अच्छी होगी उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री शोलेन्द्र महतो : इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स और इंडियन कॉपर लि० में करीब 15 हजार मजदूर काम करते हैं और डेढ़ लाख की आबादी उस पर निर्भर करती है। यदि सरकार की तरफ से उनके विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की योजना नहीं है तो उस जनसंख्या पर बहुत खराब असर होगा। क्या सरकार वहां के मजदूरों के लिए कोई विकल्प के रुप में कुछ करने जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, जहां तक मजदूरों का प्रश्न है और उससे जुड़े लाखों लोगों का प्रश्न है, सरकार इस इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स को बन्द नहीं करने जा रही है और न ही इसकी कोई योजना है। अलबत्ता इतना जरूर है कि यह यूनिट साढ़े 16 हजार टन कॉपर का प्रोडक्शन करती है, वहीं दूसरी यूनिट है वह करीब 31 हजार टन कॉपर कांस्ट्रेंटस का प्रोडक्शन करती है। जबकि वह नई यूनिट है, लिहाजा उस यूनिट के विस्तारीकरण की योजना आने वाले समय में अवश्य है। उस पर जो खर्चा आयेगा वह कम आयेगा, क्योंकि उसकी इंस्टाल्ड केपेसिटी 31 हजार टन है। इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इसका विस्तार या आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता।

श्री सूरज मंडल : मंत्री जी ने कहा है कि घाटे वाली खदानों को हम बन्द करने जा रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी खदानें घाटे में जा रही हैं और किन-किन को आप बन्द करने जा रहे हैं ? क्या यह बात सही है कि जब से विदेशों से ताम्बा मंगाने का काम किया तभी से उसके भाव गिरने से हिन्दुस्तान कॉपर लि० को घाटा होने की सम्भावना हो गई। और 1992 तक यह फायदे में चलती रही। ऐसी स्थिति में क्या सरकार विदेश से जो तांबा मंगाने का काम कर रही है, दो-तीन साल तक उस हिन्दुस्तान कॉपर को फाइनेंशियल एड देकर उसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और क्या सरकार उसमें मजदूरों की कोई छंटनी करने का प्रस्ताव तो नहीं रखती है ?

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, यह जो कस्टम डयूटी इंपोर्टेड कॉपर पेर कम की गई है यह एक नीतिगत प्रश्न है जिसको भारत सरकार के हर महकमे और पब्लिक अंडरटेकिंग पर लागू किया जाता है इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो कॉपर कंसनट्रेट इंपोर्टेड है इसके ऊपर डयूटी कम कर देने से कंपनी की प्रोफिट पर निश्चित रुप से प्रभाव पड़ा है। लेकिन अभी वित्त मंत्री जी ने इसी बजट में जहां पहले 45 फीसदी इस पर डयूटी लगाई गई थी अब 50 फीसदी कर दी है। यह 5 प्रतिशत बढ़ाने से निश्चित रुप से कंपनी को फायदा होगा।

(ग) 28.2.1994 की स्थिति के अनुसार देश में विद्यमान अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 74163.21 मे०वा० है।

(घ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का ब्यौरा निम्नवत है :-

अखिल भारत	निम्नलिखित वर्ष के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य	
	1993-94 (मि०यू०)	1994-95 (मि०यू०)
ताप विद्युत	243200	263000
न्यूक्लीय	6000	8300
जल विद्युत	67500	69000
जोड़ :	316700	340300

[अनुवाद]

हीरो कप क्रिकेट टूर्नामेंट

*167. **श्री अन्नतराव देशमुख** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित हीरो कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दो मैचों का दूरदर्शन पर प्रसारण न करने से सरकार को कितनी अनुमानित हानि हुई ; और

(ख) ऐसे विवादों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) इस प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि प्रत्येक मैच से वाणिज्यिक राजस्व का अर्जन भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) सरकार इस प्रकार के मामलों पर देश के कानूनों के अनुसार विचार किया जाना जारी रखेगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की जर्मनी यात्रा

*168. **श्री राम सिंह कस्वां :**

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में जर्मनी की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो जर्मनी के नेताओं के साथ हुई उनकी वार्ता में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये ;

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ड.) भारत में जर्मनी के पूंजी निवेश के बारे में इस यात्रा के दौरान क्या प्रयास किये गये और उनकी क्या उपलब्धियां रहीं ;

(च) क्या यात्रा के दौरान निरस्त्रीकरण संधि के मुद्दे पर भी चर्चा की गई ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (छ). प्रधानमंत्री ने 2-5 जनवरी, 1994 तक जर्मनी की राजकीय यात्रा की। जर्मनी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाना तथा आपसी हित-चिन्ता के क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मसले शामिल थे। इस वार्ता से एक-दूसरे ने एक-दूसरे के दृष्टिकोणों और हित-चिन्ताओं को बेहतर तरीके से समझा है। उन्होंने दोनों देशों की इस वचनबद्धता की भी पुष्टि की कि वे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे।

इस यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के बीच कोई करार संपन्न नहीं हुआ।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तथा चांसलर कौल ने संयुक्त रुप से भारत-जर्मन व्यवसायिक सम्मेलन को संबोधित किया जिसमें व्यापार, पूंजी-निवेश तथा संयुक्त उद्यमों के जरिये अधिकारिक आर्थिक सहयोग के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया था। व्यवसायिक सम्मेलन के सहभागियों ने यह माना कि भारत के आर्थिक सुधारों से पूंजी निवेश के प्रति अनुकूल वातावरण का सृजन हुआ है। संभावना है कि इससे भारत में जर्मनी के पूंजी निवेश को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

इस यात्रा के दौरान बातचीत में अप्रसार का मसला नहीं उठा।

[अनुवाद]

दूरदर्शन का स्टार टी०वी० के साथ सहयोग

***169. श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने गणतंत्र दिवस परेड का दूसरे देशों में सीधा प्रसारण करने के लिये हांग-कांग स्थित स्टार टी०वी० नेटवर्क के साथ कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस व्यवस्था के अंतर्गत किन-किन देशों में प्रसारण किया जायेगा;

(ग) क्या ऐसे सीधे प्रसारण के लिये स्टार टी०वी० नेटवर्क ने दूरदर्शन को धन का भुगतान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या सरकार का विचार विश्व के दर्शकों के हित में स्टार टी०वी० नेटवर्क तथा अन्य विदेशी टी०वी० नेटवर्कों के साथ ऐसे और अधिक कार्यक्रमों में इस प्रकार का सहयोग करने का है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). दूरदर्शन द्वारा गणतन्त्र दिवस परेड, 1994 के सीधे प्रसारण को इसके साथ-साथ पुनः प्रसारण हेतु स्टार टी०वी० ने 15,000 अमरीकी डालर के भुगतान पर प्राप्त किया था। स्टार टी०वी० के फुटप्रिन्टस तुर्की से जापान तक के देशों को कवर करते हैं।

(ड.) से (च). विदेशी नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन के कार्यक्रमों की खरीद हेतु अनुरोध एक नियमित फीचर है। इस प्रकार के मामलों के बारे में प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

***170. श्री एन०जे० राठवा :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार किन-किन स्थानों पर नये आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आठवीं योजनावधि के अन्त तक आकाशवाणी/दूरदर्शन तन्त्र के अन्तर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या और क्षेत्र को शामिल किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में ताप विद्युत संयंत्र

***171. श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और अमरीका की ए०ई०एम० ट्रांसपावर कारपोरेशन के बीच उड़ीसा

में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों से हटकर अमरीका की कम्पनी को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्री (श्री के०पी०एन० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड और ए०ई०एस० हाल ही में संशोधित विद्युत क्रय समझौते के लिए सहमत हो गए हैं। संशोधित समझौते की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

उत्तरी ग्रिड

***172. श्री ताराचन्द खंडेलवाल :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 में उत्तरी ग्रिड में खराबी आने के कारण राजधानी सहित देश के सम्पूर्ण उत्तरी भाग से बिजली की सप्लाई बन्द हो गयी थी, गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो क्या खराबी आने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे ?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) 15.1.94 को 0900 बजे क्षेत्रीय ग्रिड में हुई गड़बड़ी के कारण दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रणालियों के केवल कुछ हिस्से ही प्रभावित हुए थे।

(ख) और (ग). यद्यपि सरकार द्वारा किसी भी जांच समिति का गठन नहीं किया गया था, तथापि मामले पर विचार-विमर्श किया गया था और उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा बिजली फेल होने के कारणों की जांच की गयी थी।

(घ) इस प्रकार की किसी भी आकस्मिक घटना से बचने के लिये पारेषण नेटवर्क में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुरुप ऐसे ही प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय पारेषण सम्बन्धी आयोजना इस प्रकार की एक आकस्मिक घटना से बचने के लिए ही सीमित है। इसके अलावा स्वचालित निम्न आवर्तिता लोड शैडिंग/आइलैंडिंग स्कीमें प्रचालनाधीन हैं ओर इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

***173. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :**

श्री गुरूदास कामत :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को अब और केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत हैं ;

(घ) क्या इन उपक्रमों को ऋण के रुप में केन्द्रीय बजट से सहायता दी जाती है ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या योजना आयोग ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक ''चार सूत्रीय फार्मूले'' का प्रस्ताव रखा है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को कुल कितना घाटा हुआ है ; और

(झ) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ड.). सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत गठित राज्य सड़क परिवहन निगमों को पूंजीगत ऋण सहायता प्रदान की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा इसे ब्याजशुदा ऋण के रुप में दिया था और इसकी राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए पूंजीगत अंशदान के आधे के बराबर थी। तथापि वर्ष 1988-89 और उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत ऋण सहायता केवल उन्हीं राज्य परिवहन निगमों को दी जाती है जिन्हें कोई निवल घाटा नहीं होता अथवा जो संतुलन-बिन्दु (ब्रेक ईवन) पर चलते हैं। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को, जो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं, इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होता। राज्य सड़क परिवहन निगमों/कम्पनियों/विभागों, आदि की एक सूची विवरण I पर दी गई है।

(च) और (छ). राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं :-

(I) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय निष्पादन में अवश्य सुधार होना चाहिए।

(II) यात्री यातायात के लिए बढ़ती मांग निजी क्षेत्र द्वारा भलीभांति पूरी की जा सकती है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी बसों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि कुछ विशिष्ट कठिन मर्दों में जहां निजी क्षेत्र इस समय प्रवेश करने की स्थिति में न हो, अपवाद हो सकते हैं।

(III) इसलिए बस बेड़े/सेवाओं में वृद्धि के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु बजटगत सहायता केवल ''आपवादिक'' क्षेत्रों तक ही सीमित होगी, और

(IV) यदि कोई राज्य सड़क परिवहन उपक्रम ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है और अपने बेड़े में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त संसाधन अर्जित कर रहा है तो वह ऐसा कर सकता है।

(ज) एक विवरण II संलग्न है।

(झ) योजना आयोग ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों का उल्लेख किया है :-

(i) पुराने बेड़े को बदलने पर जोर देना।

(ii) प्रचालन और रख-रखाव, दोनों प्रकार के कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।

(iii) प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने, अद्यतन विकसित इंजिन जिससे ईंधन की बचत होती है और कम प्रदूषण होता है, को उच्च प्राथमिकता देना।

(iv) बसों की चेसियों और बाडियों के डिजाइन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकीय परिवर्तन।

(v) यातायात सुरक्षा उपायों पर जोर देना।

विवरण I

निगम

1. आंध्र प्रदेश एस०आर०टी०सी०
2. असम एस०टी०सी०
3. बिहार एस०आर०टी०सी०
4. कलकत्ता एस०टी०सी०
5. दिल्ली टी०सी०
6. दुर्गापुर एस०टी०सी०
7. गुजरात एस०आर०टी०सी०
8. हिमाचल आर०टी०सी०
9. जम्मू एवं कश्मीर एस०आर०टी०सी०
10. कर्नाटक एस०आर०टी०सी०
11. केरल एस०आर०टी०सी०
12. मध्य प्रदेश एस०आर०टी०सी०
13. महाराष्ट्र एस०आर०टी०सी०
14. मेघालय टी०सी०
15. मणिपुर एस०आर०टी०सी०
16. उत्तरी बंगाल एस०टी०सी०
17. उड़ीसा एस०आर०टी०सी०
18. पेप्सू एस०आर०टी०सी०
19. राजस्थान एस०आर०टी०सी०
20. त्रिपुरा एस०आर०टी०सी०
21. उत्तर प्रदेश एस०आर०टी०सी०

कम्पनियां

1. अन्ना टी सी एल
2. चेरन टी सी एल
3. चोलन आर/डब्ल्यू सी एल
4. जीवा टी सी एल
5. काटाबाम्मन टी सी एल
6. काडम्बा टी सी एल
7. धीरन चिन्नामलई टी सी एल
8. मरूधास पॉडियार टी सी एल
9. नीसामोनी टी सी एल
10. उड़ीसा आर टी सी एल
11. प्लावन टी सी एल (मैट्रो)
12. पॉडियन आर/डब्ल्यू टी सी एल
13. पट्टूकोट्टई आझागिरी टी सी एल
14. थानतई परियार टी सी एल
15. त्रिवल्लूर टी सी एल
16. रानी मंगामल टी सी एल

17.	अन्नई सत्या टी सी एल	**म्यूनिसिपल उपक्रम**	
18	कलकत्ता ट्राम्ब सी एल	1.	अहमदाबाद एम टी एस
19.	उड़ीसा स्टेट कम्यू० टी सी एल	2.	अमृतसर निगम ट्रांसपोर्ट
सरकारी विभाग		3.	वी ई एस टी उपक्रम
1.	अंडमान एंड निकोबार एस टी	4.	जामनगर एम टी
2.	चन्डीगढ़ टी यू	5.	कोल्हापुर एम टी यू
3.	हरियाणा एस टी	6.	लुधियना एम टी यू
4.	मिजारम एस टी	7.	पुना एम टी
5.	नागालैंड एस टी	8.	पिम्परी - चिंचवाड एम टी
6.	पंजाब एस टी	9.	शोलापुर एम टी यू
7.	सिक्किम एस टी	10.	भाव नगर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन
8.	अरूणाचल प्रदेश एस टी		

विवरण II

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में निवल लाभ/वाणिज्यिक लाभ

(करोड़ रू०)

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम	1990-91 वास्तविक	1991-92 वास्तविक	1992-93 संशोधित प्राक्कलन
1.	2.	3.	4.
1. आन्ध्र प्रदेश	- 11.92	- 31.13	- 57.26
2. अरूणाचल प्रदेश	- 2.41	- 1.80	- 1.97
3. असम	- 15.36	- 17.81	- 24.02
4. बिहार	- 22.74	- 26.87	- 49.70
5. गोवा	- 0.34	- 0.31	- 0.67
6. गुजरात	- 4.29	- 0.92	- 78.93
7. हरियाणा	- 18.97	- 10.22	- 10.60
8. हिमाचल प्रदेश	- 15.41	- 18.38	- 25.57
9. जम्मू एवं कश्मीर	- 15.90	- 16.83	- 21.50
10. कर्नाटक	- 1.30	- 19.09	- 38.44

1.	2.	3.	4.
11. केरल	- 30.99	39.54	- 32.04
12. मध्य प्रदेश	- 0.24	- 0.27	- 2.09
13. महाराष्ट्र	- 5.58	- 26.72	- 9.67
14. मणिपुर	- 1.46	- 1.70	- 1.86
15. मेघालय	- 1.69	- 1.71	- 1.20
16. मिजोरम	- 3.47	- 3.92	- 4.36
17. नागालैण्ड	- 4.10	- 4.13	- 5.14
18. उड़ीसा	- 12.09	- 11.77	- 7.30
19. पंजाब रोडवेज	- 30.26	- 25.05	- 16.59
20. पेप्सू आर टी सी	- 20.88	- 17.89	- 11.50
21. राजस्थान	- 8.59	- 13.96	- 5.44
22. सिक्किम	- 0.87	- 0.73	- 2.61
23-38. तमिलनाडु	- 42.28	- 21.33	- 29.59
39. त्रिपुरा	- 3.12	- 3.49	- 4.00
40. उत्तर प्रदेश	- 40.42	- 33.43	- 10.29
41. कलकत्ता एस टी सी	- 23.79	- 21.65	- 17.86
42. उत्तरी बंगाल	- 5.75	- 7.34	- 9.81
43. दक्षिणी बंगाल एस टी सी	- 3.98	- 3.30	- 0.85
44. डी टी सी	-197.4835	-203.8184	-254.2758
जोड़ :	-522.1835	-554.8084	-673.4758

पाकिस्तान के साथ वार्ता

***174. श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को जनवरी, 1994 के दौरान दो प्रस्ताव सौंपे थे ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ वार्ता के लिए नई शर्तें रखी हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(च) क्या अमरीका, भारत के साथ वार्ता के लिए पाकिस्तान की इन शर्तों के विरूद्ध है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख). 18 जनवरी, 1994 को पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को दो अ-दस्तावेज सौंपे थे। जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने के तौर तरीकों से सम्बन्धित अ-दस्तावेज में यह कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्प जम्मू-कश्मीर के मसले के समाधान के आधार हैं। पाकिस्तान के दूसरे अ-दस्तावेज में भारत से कहा गया है भारत-पाकिस्तान वार्ता को जारी रखने के लिए वह कतिपय पूर्व शर्तें पूरी करे जिनमें जम्मू-कश्मीर में वास्तविक स्थिति तथा आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तैनाती का स्तर भी शामिल है।

(ग), (घ) और (ड.). भावी वार्ता के कार्यक्रम को जम्मू-कश्मीर की वास्तविक स्थिति तथा जनमत संग्रह के तौर-तरीकों पर विचार विमर्श करने के साथ जोड़ने के पाकिस्तान के प्रयासों के सम्बन्ध में सरकार बराबर यह कहती रही है कि ये बातें उसे अस्वीकार्य हैं।

(च) और (छ). अमरीकी सरकार की स्थिति यह है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता जारी रखने का समर्थन करती है तथा इस उद्देश्य के लिए वह दोनों पक्षों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे सभी मसलों पर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं जिनका उद्देश्य ऐसी ठोस सहमतियों पर पहुंचना हो जिनके परिणामतः तनावों में उत्तरोत्तर कमी हो।

डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण

***175. श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कार्य में तेजी लाने के लिए पत्रों की छंटाई करने वाली स्वचालित मशीनें तथा बहुप्रयोजनीय पी०सी० आधारित काउंटर मशीनें लगा कर डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या यह कार्यक्रम चरणबद्ध रुप में लागू किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग). विभाग ने अप्रैल, 1993 में बम्बई में एक स्वचालित पत्र छंटाई प्रणाली स्थापित की जिसमें 2 पत्र छंटाई मशीनें और 30 कोडिंग डेस्क सम्मिलित हैं। विभाग की योजना मशीनीकरण का चरणबद्ध रुप में विस्तार करने की है। वर्ष 1994-95 में, मद्रास में एक स्वचालित पत्र छंटाई प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

की शेष अवधि के दौरान दो अन्य महानगरों में इसी प्रकार की प्रणालियां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विभाग ने डाकघरों में अब तक कम्प्यूटर पर आधारित 102 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई हैं तथा ऐसी 750 और मशीनें संस्थापनाधीन हैं। चालू वर्ष के दौरान विभाग ने कम्प्यूटर पर आधारित ओर 1000 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें प्राप्त करने और उनकी संस्थापना हेतु आदेश दिए हैं। कम्प्यूटर पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों का सर्किलवार संलग्न विवरण में दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान, देश में विभिन्न डाकघरों में कम्प्यूटर पर आधारित 5000 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाने की योजना है।

विवरण

कम्प्यूटर पर आधारित काउंटर मशीनों की वितरण सूची

I. निम्नलिखित सर्किलों में वर्ष 1991 के दौरान कम्प्यूटर पर आधारित 102 काउंटर मशीनें लगाई गईं :

आन्ध्र प्रदेश	-	16
दिल्ली	-	19
गुजरात	-	16
कर्नाटक	-	10
महाराष्ट्र	-	11
तमिलनाडु	-	15
उत्तर प्रदेश	-	15
	कुल	102

II. निम्नलिखित सर्किलों में कम्प्यूटर पर आधारित 750 मशीनें स्थापनाधीन हैं :-

आन्ध्र प्रदेश	-	65
असम	-	10
बिहार	-	10
दिल्ली	-	45
गुजरात	-	75
हरियाणा	-	30
हिमाचल प्रदेश	-	07
जम्मू एवं कश्मीर	-	05
कर्नाटक	-	55
केरल	-	50

महराष्ट्र	-	100
उड़ीसा	-	30
उत्तर पूर्व	-	05
पंजाब	-	58
डाक प्रशिक्षण केंद्र	-	10
राजस्थान	-	65
तमिलनाडु	-	90
उत्तर प्रदेश	-	40
कुल		750

III. चालू वर्ष में निम्नलिखित सर्किलों में कम्प्यूटर पर आधारित 1000 कांउटर मशीनें लगाने के आदेश दिए गए हैं :-

आन्ध्र प्रदेश	-	60
सेना डाक सेवा निदेशालय	-	05
असम	-	30
बिहार	-	50
दिल्ली	-	43
गुजरात	-	50
हरियाणा	-	30
हिमाचल प्रदेश	-	50
जम्मू एवं कश्मीर	-	20
कर्नाटक	-	60
केरल	-	60
महाराष्ट्र	-	90
मध्य प्रदेश	-	70
उत्तर पूर्व	-	20
उड़ीसा	-	40
पंजाब	-	30
डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मदुरै	-	05

राजस्थान	-	50
तमिलनाडु	-	60
पश्चिम बंगाल	-	25
उत्तर प्रदेश	-	150
अनुसंधान और विकास (डाक भवन)	-	02
	कुल	1000

[हिन्दी]

पंजाब और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग

*176. **डा० साक्षीजी** : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए हरियाणा और पंजाब सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से स्वीकृत किए गए प्रस्तावों और उनके लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए हरियाणा तथा पंजाब सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

राज्य	प्रस्तावों की संख्या	राशि (लाख रू०)
हरियाणा	9	218.10
पंजाब	23	10276.00

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों और उनके प्रयोजनार्थ संस्वीकृत निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

राज्य	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रू०)
हरियाणा	2	94.10
पंजाब	9	8588.00

(ग) तथा (घ) : वर्ष 1993-94 के दौरान संस्वीकृत कार्यों में से किसी के निर्माण में विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि पिछले वर्षों के दौरान संस्वीकृत, विदेशी सहायता प्राप्त दो परियोजनाएं हरियाणा में और एक पंजाब में मुख्यत: ठेकेदारों के कम कार्य निष्पादन और ठेका संबंधी समस्याओं के कारण समय-सारणी से पीछे हैं।

[अनुवाद]

नौवहन नीति

*177. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के देशों के बीच परस्पर दूरियां कम करने के नए प्रयास को देखते हुए नौवहन नीति को नई दिशा देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु बनाई गयी नयी नौवहन नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में प्रस्तावित व्यय राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) परिवहन आधार भूत तंत्र के गैर-सरकारीकरण के संबंध में क्या नीति अपनाई जाएगी ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). सरकार ने विश्व व्यापीकरण की ओर बढ़ने तथा आर्थिक नीतियों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौवहन कम्पनियों के हितों की प्रोन्नति के लिए पहले ही नौवहन नीति की समीक्षा कर ली है। नई नौवहन नीति के एक भाग के रुप में, भारतीय नौवहन उद्योग के बेहतर विकास के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है :-

(I) निजी जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा क्रूड टैंकरों और ओ०एस०वी० को छोड़कर सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।

(II) भारत अथवा विदेश में किसी कम्पनी को आगे व्यापार/स्क्रैपिंग के लिए जहाजों की बिक्री।

(III) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद, और

(IV) टन भारत के रिप्लेसमेंट के लिए खरीद।

2. उर्वरक और पैट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के भाड़ा-प्रभारों की अब अन्य वस्तुओं के समान परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति है।

3. नौवहन कम्पनियां अब विदेशी नौवहन कम्पनियों को टाइम चार्टर आऊट आधार पर भारतीय जहाज दे सकती हैं।

4. नौवहन कम्पनियां अब बेयर-बोट चार्टर-कम-डिमाइज विधि द्वारा जहाज अधिग्रहण कर सकती हैं।

5. विदेशी ऋणदाता वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की कुछेक धाराओं को, ऋण के मामले में चूक और उसके परिणामतः बंधक को पुरोबंधित किए जाने की अपेक्षा के मामले में ऋणदाता के अधिकार को लागू करने में बाधक मानते थे। अब इन धाराओं में संशोधन कर दिया गया है ताकि भारतीय नौवहन कम्पनियां विदेशों से जहाज खरीदने के लिए बाहर से वाणिज्यिक ऋण जुटा सकें।

6. नौवहन कम्पनियों को अपने जहाजों की बिक्री की राशि विदेशों में रखने और उसे नए जहाज खरीदने के लिए उपयोग करने की अनुमति है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौवहन के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 3300 करोड़ रू० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) नौवहन क्षेत्र पहले ही निजी क्षेत्र के लिए खुला है। इस समय भारतीय टन भार में निजी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र में नौवहन के विकास को प्रोन्नत करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं जिन्हें ऊपर सूची में दिया गया है।

डाक सेवाएं

***178. श्री नीतीश कुमार :**

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में डाक सेवाओं के कुशलता से काम न करने के संबध में आम शिकायतें हैं ;

(ख) क्या सरकार का इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पत्रों/पार्सलों आदि के खो जाने, गलत वितरण होने और वस्तुओं को डाक से भेजे जाने के दौरान हुई क्षति के लिए डाक विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाता है ;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) हालांकि, डाक विभाग सेवाओं के स्तर को बनाए रखने व उनमें सुधार लाने के हर संभव प्रयास करता है, फिर भी, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से ही कभी-कभी डाक सेवाओं की अकार्यकुशलता के बारे में शिकायतें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा मुख्यतः बड़े शहरों के बाहरी सीमा-क्षेत्र पर बसने वाली नई आवासीय कालोनियों, व्यावसायिक गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, डाक मात्रा में कई गुणा वृद्धि तथा डाक के परिवहन में अड़चनों के कारण होता है। जिन कार्य-क्षेत्रों में दिक्कतें हैं, उनका हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति सहित कई समितियों ने बहुत विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। डाक सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है।

(ख) और (ग). इस समय चल रही प्रक्रिया को देखते हुए कारणों का पता लगाने के लिए कोई अन्य समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव, फिलहाल, सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ), (ङ.) और (च). जी हां। पत्रों/पार्सलों आदि के खो जाने अथवा गलत वितरित हो जाने तथा डाक द्वारा पारेषण के दौरान वस्तुओं के क्षतिग्रस्त हो जाने के बारे में डाक विभाग की देयता के संबंध में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 6, 33 तथा 34 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। पंजीकृत वस्तुओं के खो जाने के मामले में अनुग्रह राशि अदा की जाती है। स्पीड पोस्ट डाक-मदों के वितरण में देरी के मामले में स्पीड पोस्ट प्रभार वापिस कर दिया जाता है। बीमाकृत डाक-मदों के खोने के मामले में क्षतिपूर्ति की जाती है। इन उपबंधों की ग्राहक-संतुष्टि तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता के अनुरुप समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण

***179. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

डा० के०वी०आर० चौधरी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास कुटीर उद्योग के रुप में करने का है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले छोटे, मंझोले और बड़े कृषि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में फलों और सब्जियों को लाने-ले जाने और उनके विपणन की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). आठवीं योजना के दौरान इस मंत्रालय की योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय 146 करोड़ रुपए है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता किंतु इसने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। हमारी एक योजना स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम है जिनसे छोटे यूनिटों के प्रचालन और प्रबन्ध में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। फल और सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही योजना स्कीमों में विपणन सहायता देना और कोल्ड स्टोरेज, पूर्व-प्रशीतन सुविधाएं, शीत परिवहन प्रणाली, रेफ्रीजरेटेड खुदरा बिक्री केन्द्र आदि स्थापित करने के लिए सहायता देना निहित है।

[अनुवाद]

श्रीनगर में आकाशवाणी/दूरदर्शन का कार्यकरण

*180. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों द्वारा हिंसा में हताहत हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के भवनों पर किन-किन तारीखों को हमला किया गया तथा सम्पत्ति और उपकरणों को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस अवधि के दौरान श्रीनगर आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारण कितनी-कितनी अवधि के लिए बन्द करना पड़ा था ;

(घ) श्रीनगर में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ड.) कर्मचारियों और केन्द्र के भवनों तथा उपकरणों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जैसा कि विवरण 1 तथा 2 में दिया गया है।

(ग) कथित अवधि के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रसारण को कभी भी निलंबित नहीं किया गया था।

(घ) श्रीनगर स्थित आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र सशस्त्र गार्डों की सुरक्षा में सामान्य रुप से कार्य कर रहे हैं।

(ड.) प्रतिष्ठानों में उपस्करों सहित स्टाफ तथा भवन की सुरक्षा के लिए अर्द्ध-सैनिक बलों की व्यवस्था की गई है।

विवरण 1

आतंकवादी कार्यकलापों के परिणामस्वरुप मारे गए या जख्मी हुए कर्मचारियों का विवरण।

क. **आकाशवाणी**

क्रम सं०	अधिकारी का नाम और पदनाम	हमले की तारीख जिसके परिणामस्वरुप मारे गए/जख्मी हुए
1.	मो० शफी भट (फरयाद), नैमेत्तिक समाचार वाचक एवं अनुवादक। रेडियो कश्मीर, श्रीनगर	2.10.1993 / मारे गए

2.	श्री सलामुद्दीन बज़ाद, सहायक केन्द्र निदेशक, वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, रेडियो कश्मीर, श्रीनगर	26.12.1993 / जख्मी हुए
ख.	**दूरदर्शन**	
3.	श्री एस०पी० सिंह, अधीक्षण अभियंता, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर	25.11.1993 / मारे गए
4.	श्री जी०एच० राठोर, निर्माण सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर	20.7.1993 को शारीरिक रुप से प्रताड़ित

विवरण 2

पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों द्वारा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों पर किए गए हमलों और सम्पत्ति तथा उपस्करों को पहुंचाई गई क्षति का ब्यौरा

क.	**आकाशवाणी**	
क्रम सं०	हमलों की तारीख	हुई क्षति का ब्यौरा
1.	13.5.91, 22.6.91, 3.8.91, 15.8.91, 30.8.91, 23.11.91, 4.12.91, 26.4.92, 10.5.92, 3.7.92, 8.7.92, 15.8.92, 4.9.92, 7.9.92, 30.9.92, 5.10.92, 31.10.92, 10.4.93, 2.6.93, 30.6.93, 21.7.93, 15.8.93, 1.10.93, 2.12.93, 20.12.93, 26.1.94 तथा 14.2.94	रेडिया ट्रांसमीटर राजबाग, श्रीनगर पर ग्रेनेड से हमला किया गया और गोलीबारी की गई। कोई क्षति नहीं हुई।
2.	27.11.91, 17.12.91 (दो बार) 31.12.91, (दो बार), 9.1.92 14.2.92, 27.4.92, 22.6.92 9.7.92, 10.2.93 (दो बार) तथा 26.1.94	पम्पोर स्थित रेडियो ट्रांसमीटर पर राकेट से हमला किया गया और गोलीबारी की गई। कोई क्षति नहीं हुई।

3.	20.9.91, 25.1.92, 13.8.92, 14.8.92, 15.8.92, 29.8.92 तथा 26.1.94	एच०पी०टी०, नारबल पर राकेटों से हमला किया गया और फायरिंग की गई। कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
ख.	**दूरदर्शन**	
4.	4.2.92	दूरदर्शन केन्द्र काम्प्लेक्स में बम्ब फटा। स्टूडियो की दीवार को मामूली नुकसान हुआ।
5.	9.12.92	दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के प्रशासनिक ब्लॉक पर राकेट से हमला किया गया। दीवार को नुकसान हुआ।
6.	25.11.93	राकेट से हमला। छत को नुकसान हुआ।

नागार्जुन सागर बिजलीघर के लिए जर्मनी से सहायता

1758. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने नागार्जुन सागर के अंतिम छोर पर स्थित टेल पोण्ड बांध के बिजलीघरों के लिए जर्मनी से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के नागार्जुन सागर टेल पॉड बांध बिजली घर (2 गुना 25 मे०वा०) को जर्मनी की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर दुर्घटनाएं

1759. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत दो वर्षों में वर्षवार और प्रतिमाह राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर कितनी दुर्घटनाएं घटीं;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और उन्हें क्षतिपूर्ति के रुप में कितनी राशि दी गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दुर्घटनाओं के राष्ट्रीय राजमार्ग वार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन नम्बर बदलना

1760. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोक्ताओं को विशेष कारणों से अथवा उनके आग्रह पर टेलीफोन नम्बर बदलने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में कितने अधिकतम अवसरों पर नम्बर बदले जा सकते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन नम्बर बदलने के अनुरोध पर केवल तभी विचार किया जाता है जब उसके अपवाद स्वरुप कारण हों और नम्बर बदलना तकनीकी रुप से व्यवहार्य हो।

(ग) उत्तर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला की जनजातियों का पुनर्वास

1761. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित करने के परिणामस्वरुप विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनके पुनर्वास में अत्यधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके शीघ्रता से पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). जी, हां। राउरकेला में, राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए खान, खदानों और बांध क्षेत्रों को छोड़कर भूमि का अधिग्रहण किये जाने के कारण कुल 2901 परिवार (आदिवासी तथा गैर-आदिवासी) विस्थापित हुए थे। अधिग्रहीत भूमि के लिए अदा किये गये मुआवजे के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सभी सुख सुविधाओं सहित दो पुनर्वास कालोनियां (जल्दा तथा झिरपानी) स्थापित की गयीं। प्रत्येक विस्थापित परिवार को मकान के लिए जगह, गृह निर्माण के लिए आवासीय सहायता और भूमि-सुधार सहायता सहित खेती करने के लिए वैकल्पिक परती भूमि प्रदान की गयी थी। पुनर्वास की कुल लागत का 50 प्रतिशत राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वहन किया गया था।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अब तक राउरकेला के स्थानीय 4671 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। जिला प्राधिकारी यह निश्चित करने के लिए अभिलेखों की जांच कर रहे हैं कि राउरकेला से कितने ऐसे विस्थापित परिवार हैं जिनमें से किसी को भी रोजगार नहीं प्रदान किया गया है। यदि ऐसे व्यक्ति पाये जाते हैं तो उनके लिए एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिसका खर्च राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को राउरकेला इस्पात संयंत्र में आवश्यकतानुसार रोजगार देने पर विचार किया जाएगा।

विशेष श्रेणी के इस्पात की बिक्री

1762. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विशेष श्रेणी के इस्पात के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा विशेष श्रेणी के इस्पात की कुल कितनी मात्रा में बिक्री की गई और उसका मूल्य कितने रुपए है ;

(ग) 1993-94 के लिए इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(घ) लक्ष्य-प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) विशेष किस्म के इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं :-

(क) संयंत्र तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन

(ख) कच्चे माल की क्वालिटी में सुधार

(ग) बेहतर प्रौद्योगिकीय व्यवस्था

वर्ष 1994-95 के बजट में निहित कुछ उपायों जैसे पूंजीगत माल तथा अयस्क और सांद्रण पर सीमा शुल्क घटा देने से भी देश में विशेष किस्म के इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिल सकती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" (इस्को को छोड़कर) द्वारा की गयी विशेष इस्पात की स्वदेशी बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(हजार टन)

	1991-92	1992-93	अप्रैल से दिसम्बर, 93
"सेल" (इस्को को छोड़कर)	815.7	938.8	657.3
भिलाई इस्पात संयंत्र			
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र			
राउरकेा इस्पात संयंत्र			
बोकारो इस्पात संयंत्र			
मिश्र इस्पात संयंत्र	81.9	78.0	60.1
विशेष इस्पात संयंत्र	34.0	36.4	18.9

(ग) 1993-94 के दौरान 'इस्को' को छोड़कर 'सेल' द्वारा उत्पादित विशेष किस्म के इस्पात की स्वदेशी बिक्री योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	(हजार टन)
भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला	1350.00
इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात लिमिटेड	
मिश्र इस्पात संयंत्र	100.0
विशेष इस्पात संयंत्र	34.2

(घ) बिक्री योजना के लक्ष्यों की प्रगति के लिए ''सेल'' द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं :-

1. प्रबल उपभोक्ता सम्पर्क और गुणवत्ता का पुनर्निवेशन
2. प्रतिस्पर्द्धा मूल्यों पर आर्डरों की बुकिंग
3. नये बाजारों/ग्राहकों का पता लगाना
4. त्वारित आर्डर सेवा तथा त्वारित बिक्री सेवा पर बल देना

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 को अन्य स्थानों के साथ जोड़ना

1763. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर, देवास, खाटीगांव और नसरूलाहगंज और भुदनी और वादी होते हुए अहमदाबाद और इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 को जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को कब भेजा ;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या इसकी व्यवहार्यता तथा लागत का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार, अहमदाबाद से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर समाप्त होने वाली सड़क सहित, जो इंदौर-देवास से गुजरती है और प्रसंगवश जो प्रश्नगत सड़क की आंशिक अपेक्षा को भी पूरा करती है, कुछेक राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन करती रही है। तथापि, चालू योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम के अंर्तगत संसाधनों के अभाव के कारण मध्य प्रदेश सहित विभिनन राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा कर पाना संभव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता

विद्युत क्षेत्र के लिए धनराशि

1764. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री प्रेमचन्द राम :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1993-94 के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के लिए धनराशि को कुछ परिव्यय बढ़ा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस अवधि के दौरान आरम्भ की जाने वाली विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

1765. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **संचार** मंत्री 23 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4007 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या जानकारियों को एकत्र कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

1766. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री एस०बी० सिदनाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में ऐसे एक्सचेंजों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थापित इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या विवरण 1 में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) आठवीं योजना के दौरान एम०ए०एक्स०-।।, एम०ए०एक्स०-।।। किस्म के सभी इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों, मेनुअल तथा मियाद समाप्त एक्सचेंजों के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है। ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य का नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान खोले गए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या	आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान अस्थाई तौर पर खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	843	450
2.	असम	221	40
3.	बिहार	235	160
4.	गुजरात (दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित)	738	367
5.	हरियाणा	431	41
6.	हिमाचल प्रदेश	251	180
7.	जम्मू तथा कश्मीर	74	180
8.	कर्नाटक	1135	726
9.	केरलमिनिकॉय तथा लक्षद्वीप समूह सहित	501	44
10.	मध्य प्रदेश	1977	1200
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	1293	381
उत्तर पूर्व			
12.	अरूणाचल प्रदेश	18	36
13.	मणिपुर	14	13

1	2	3	4
14.	मेघालय	14	16
15.	मिजोरम	10	16
16.	नागालैण्ड	20	17
17.	त्रिपुरा	19	15
18.	उड़ीसा	533	62
19.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	456	98
20.	राजस्थान	684	400
21.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	726	392
22.	उत्तर प्रदेश	1004	340
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित)	319	183
24.	दिल्ली	31	25

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों में लिप्त गिरोह

1767. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 में दिल्ली में बिना मीटर के अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों में लिप्त गिरोह में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कितने कर्मचारी शामिल थे, और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के विरूद्ध की गई विभागीय और अन्य कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कुल छः कर्मचारी दो अलग-अलग छापों के दौरान जनवरी, 1994 के महीने में पकड़े गए थे। कर्मचारियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(1) 5.1.1994 को छापे के दौरान

सहायक इंजीनियर	एक
कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी	एक
नियमित मजदूर	तीन

(2) 25.1.194 को छापे के दौरान

फोन इंस्पेक्टर	एक

(इसका तबादला कलकत्ता कर दिया गया है)

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधीन इस समय कार्यरत उक्त सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्यवाई सी०बी०आई० द्वारा जांच-पड़ताल पूरी कर लेने के बाद की जाएगी।

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन में चीनी निवेश

1768. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में जल-भूतल परिवहन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए चीन के साथ कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से समाचार

1769. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों से हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के कितने समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं तथा इनकी समयावधि क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार में आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित/टेलीकास्ट समाचार बुलेटिन उनकी अवधि सहित।

आकाशवाणी केन्द्र/ दूरदर्शन केन्द्र	क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों की संख्या	भाषा	अवधि
आकाशवाणी, पटना	2	हिन्दी	एक पांच मिनट का और एक दस मिनट का
	1	उर्दू	5 मिनट
आकाशवाणी, रांची	1	हिन्दी	10 मिनट

उपरोक्त के अलावा, आकाशवाणी, दरभंगा से सप्ताह में तीन बार मैथिली में एक पांच मिनट का समाचार सारांश भी प्रसारित किया जाता है।

दूरदर्शन केन्द्र, पटना	1	हिन्दी	15 मिनट
	1	उर्दू	5 मिनट

उपरोक्त क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के अतिरिक्त, बिहार में स्थित सभी रेडिया केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाने वाले हिन्दी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों को रिले करते हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली में समाचार

1770. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी दरभंगा द्वारा सप्ताह में केवल दो बार ही मैथिली में समाचार प्रसारित किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रसारण कितनी अवधि की होती है और क्या सरकार का विचार वहां से मैथिली में प्रतिदिन समाचार प्रसारित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या समाचारों की समयावधि को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो यह अवधि कब तक बढ़ायी जायेगी और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ) : आकाशवाणी, दरभंगा से "मैथिली" में पांच मिनट का समाचार सारांश सप्ताह में तीन बार प्रसारित किया जाता है। इस समचार सारांश की अवधि या आवृत्ति बढ़ाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि उक्त केन्द्र द्वारा केन्द्र की मुख्य भाषा में पर्याप्त संख्या में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं जो कि हिन्दी है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं के लिए आबंटन

1771. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल कितना आबंटन किया गया ;

(ख) 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई और 1993-94 के लिए कितना आबंटन किया गया है ; और

(ग) प्रमुख योजनाओं और सरकार के विचाराधीन बिहार से संबंधित प्रस्तावों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा ये योजनाएं कब प्राप्त हुई हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परिव्यय 146 करोड़ रुपए है।

(ख) मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत राज्यों के प्रस्तावों के संबंध में 1992-93 के दौरान दी गयी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता।

(ग) ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान दी गयी सहायता का ब्यौरा।

क्रम सं.	राज्य	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	150.932
2.	अरूणाचल प्रदेश	—
3.	असम	18.258
4.	बिहार	9.000
5.	गोआ	12.700
6.	गुजरात	25.000
7.	हरियाणा	86.000
8.	हिमाचल प्रदेश	44.000
9.	जम्मू और कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	111.300
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	39.335
13.	महाराष्ट्र	57.720
14.	मणिपुर	0.675
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	113.110
17.	नागालैण्ड	36.750
18.	उड़ीसा	6.000
19.	पंजाब	146.000

1	2	3
20.	राजस्थान	—
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	25.000
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	62.060
25.	पश्चिम बंगाल	35.770
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
27.	चण्डीगढ़	—
28.	दादरा एवं नगर हवेली	—
29.	दमण एवं दीव	—
30.	दिल्ली	5.732
31.	लक्ष्यद्वीप	—
32.	पॉडिचेरी	—
33.	अन्य संगठन/संस्थान	89.180

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) द्वारा उपग्रह टर्मिनलों का निर्माण

1772. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) का उपग्रह टर्मिनलों के निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रीय संचार उपग्रह के लिए बोलियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सी-डॉट सरकार के संबद्ध विभाग के साथ समन्वय करके उक्त परियोजना पर कार्य कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ). सी-डॉट के पास उपग्रह टर्मिनलों के विनिर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। सी-डॉट ने अन्तर्राष्ट्रीय संचार उपग्रह के लिए कोई बोली नहीं लगाई है। तथापि उन्होंने आई०टी०आई० के साथ विनिर्माण उपठेकेदार के तौर पर इन्टेलसेट के लिए टी०डी०एम०ए० प्रणाली के विकास और आपूर्ति हेतु उनकी इनक्वायरी के अपनी कोटेशन भेजी हैं।

तटीय राजमार्ग का निर्माण

1773. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी तट के साथ-साथ एक तटीय राजमार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ग) क्या मालाबार, केरल में बेंगलम-पोन्नानी तटीय राजमार्ग पर कार्य शुरु हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना कार्य किया गया है और इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). प्रश्नगत सड़क एक राज्य सड़क होने के कारण केरल की राज्य सरकार मुख्यतः इस मामले में जिम्मेदार है।

सड़क दुर्घटनाओं के लिए पैनल

1774. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री 13 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1689 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

1775. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 31 जनवरी, 1994 तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदले गए टेलीफोन एक्सचेजों के नाम क्या हैं; और

(ख) राज्य में 31 मार्च 1994 तक, किन-किन स्थानों पर एक्सचेंजों को एस०टी०डी० सुविधा से युक्त इलैक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदला जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम विवरण ''क'' में दिए गए हैं।

(ख) उन स्थानों के नाम जहां एक्सचेंजों को एस०टी०डी० युक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना है विवरण ''ख'' में दिए गए हैं।

विवरण 'क'

31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार (अनुबंध-क) पश्चिम बंगाल में, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले गए एक्सचेंजों के नाम।

क्रम सं०	टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम	क्रम सं०	टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम
1.	अरबेलिया	2.	बादरहाट
3.	बदुरिया	4.	बेलियाघाटा ब्रिज
5.	बेराचम्पा	6.	भेबिया
7.	बोगांव	8.	धारघाट
9.	गईघाटा	10.	गुपाईनगर
11.	गोपालपुर	12.	गोबाबा
13.	गोवरडांगा	14.	हाबरा
15.	हरदा	16.	हिंगालगंज
17.	इश्वरीगच्छा	18.	इडिन्डा
19.	कजियाहाट	20.	नहाटा
21.	नजात	22.	टाकी
23.	कैनिंग	24.	चम्पाहाटी
25.	फाल्टा एफ०टी०जेड०	26.	फतेहपुर
27.	गंगासागर	28.	गोचारन
29.	जयनगर	30.	काकद्वीप
31.	काशीनगर	32.	कुलपी
33.	लक्ष्मीकांतापुर	34.	माथुरपुर
35.	मूराहाट	36.	नामखाना
37.	नोद्रपुर	38.	रायदीघी
39.	रूद्रनगर	40.	सरीशा
41.	उस्थी	42.	अंडाल
43.	आसनसोल	44.	बैद्यापुर
45.	भटार	46.	भडिया

47.	बुदबुद	48.	बुलबुलीताला
49.	बर्दवान	50.	चकदीघी
51.	चंद्रपुर	52.	चिंचुरिया
53.	चितरंजन	54.	डेनहाट
55.	देवीपुर	56.	डीनगर (1)
57.	ढोमोहनी	58.	गालसी
59.	गंगातिकुआई	60.	जमालपुर
61.	जमुरियाहाट	62.	जौग्राम
63.	कैचर	64.	कालना
65.	कामारपाडा	66.	कासिमनगर
67.	केतूग्राम	68.	कुचुट
69.	कुरमुन	70.	मानीएबवा
71.	नगाग्राम (1)	72.	नीमतपुर
73.	नूतनहाट	74.	पनाकारह बाजार
75.	पांडेश्वर	76.	पराज
77.	रामगोपालपुर	78.	रानीगंज
79.	साहेबगंज	80.	शक्तिगढ़
81.	सतगचियां	82.	सेहराबाज़ार
83.	श्यामसुदंर	84.	सिमलोन
85.	उखरा	86.	अहमदपुर
87.	बोलपुर	88.	बीटीपीपी (माथादेरे)
89.	चैरा	90.	डुंबराजपुर
91.	इल्लुमबाजार	92.	किरनाहार
93.	लापुर	94.	लोमापुर
95.	महामद बाजार	96.	मोल्लारपुर
97.	नलाहाटी	98.	नारायणपुर
99.	पंचमी	100.	बैंथिया

101.	बाल्बी	102.	बोआजोरा
103.	बेलियातोरे	104.	बिभनूपुर
105.	छांटना	106.	गंगाजल घाटी
107.	गड़राईपुर	108.	गेलिया
109.	इन्दपुर	110.	इन्डस
111.	झांटीपहारी	112.	जोयपुर
113.	खतरा	114.	कोटुलपुर
115.	कुक्षाद्वीप	116.	मेजनिया
117.	ओनडा	118.	पंचमुराह
119.	पतरातयार	120.	रानीबांध
121.	रसूलपुर	122.	सालंडीहा
123.	सालतोड़ा	124.	सरेनगा
125.	सिमलापाल	126.	सोनामुखी
127.	तालडांगरा	128.	चैंगराबांधवा
129.	चौधरीहाट	130.	दिनहाता
131.	हल्दीवारी	132.	माथाभंगा
133.	मेखालीगंज	134.	पुंडीवारी
135.	सीताईहाट	136.	तुफानगंज
137.	अलुआराह	138.	बिधाननगर
139.	बिजानदारी	140.	गोरूबाथान
141.	खरीबारी	142.	लावाबाजार
143.	मिरिक	144.	मुंगपा
145.	नगरीबपुर	146.	नक्सलबाड़ी
147.	फांसीदेवा	148.	सिल्लीगुड़ी-।।
149.	सोनाडा	150.	सुखियापोखरी
151.	तकदाम	152.	तिनधारिया
153.	आमटा	154.	बंगनान

155.	बालीपुर	156.	बोइन्छी
157.	चम्पाडंगा	158.	चांदीताला
159.	हरीपाल	160.	जिरात
161.	कामरपुकर	162.	खनाकुल
163.	मसात	164.	पांडुआ
165.	बस्तीपुर	166.	अलीपुरद्वार
167.	बनारहाट	168.	बूरोबिया
169.	बेलाकोवा	170.	चालसा
171.	फालकाटा	172.	गैरकाटा
173.	जलपाईगुड़ी	174.	कालचीनी
175.	क्रांतीरहाट	176.	लतागुड़ी
177.	मदारीहाट	178.	मेटेली
179.	मोयनागुड़ी	180.	अदलाबारी
181.	राजगंज	182.	अलानपुर
183.	अराईडंगा	184.	बेडेमयाना
185.	बुलबुलचंडी	186.	चंचल
187.	चांदीपुर	188.	धरमपुर
189.	गजोले	190.	हरीशचन्द्रपुर
191.	कलियाचाक	192.	खूजरियाघाट
193.	शुसीदा	194.	कोरियाली
195.	महराजनगर	196.	मानिकचाक
197.	मिल्की	198.	मोथाबारी
199.	ओल्ड माल्दा	200.	पकुआहाट
201.	परानपुर	202.	रतुआ
203.	साम्बी	204.	सुजापुरटाउन
205.	विष्णेवनगर	206.	आलनगिरी
207.	अमलागोरा	208.	बालीचौक

209.	बबनातिया	210.	बेल्दा
211.	भगवानपुर	212.	भूपतिनगर
213.	चैत्न्यपुर	214.	चंद्रकोना
215.	चांसेपुर	216.	कोन्ताई
217.	दधीका	218.	दसाग्राम
219.	दासपुर	220.	देवरा
221.	दीघा	222.	गोरा
223.	गेंवखाली	224.	घटाल
225.	गोआलतोरे	226.	गोमुंडा
227.	गोपीबल्लवपुर	228.	गोवरा
229.	हल्दिया (टी)	230.	हेरिया
231.	हिजली	232.	हमगढ़
233.	जहाल्दा	234.	झरग्राम
235.	काकगद्दिया	236.	केश्यारी
237.	तेजपुर	238.	खाकुरहा
239.	खईगुली	240.	खहार
241.	खिरपाई	242.	खोरईबाजार
243.	कोलाघाट	244.	कुल्टीकरी
245.	लोवडा	246.	मादपुर
247.	महिबादल	248.	मालीग्राम
249.	मालीपाड़ा	250.	मठचंदीपुर
251.	मैयना	252.	मेन्चेदा
253.	मिर्जापुर	254.	मोहनपुर
255.	गांगलमारू	256.	नन्दकुमार
257.	नरदुल	258.	नारायणगढ़
259.	नीमपुर	260.	नानकुरी बाजार
261.	पोंठकुरी	262.	पानीपारूल

263.	पनसुकुरा	264.	पाटसपुर
265.	प्रतापडिढ़ी	266.	राजनगर (2)
267.	रामनगर	268.	रसकुंडू
269.	रिचापाड़ा	270.	सोबोंग
271.	सलबोनी	272.	सतबंकुरा
273.	सतमिली	274.	सिलदा
275.	श्रीनगर	276.	तामलुक
277.	टीमाथानी	278.	अमटाला
279.	औरंगाबाद	280.	अजीमगंज
281.	भगवानगोला	282.	दुलियान
283.	फरक्का बराज	284.	फरक्का एन०टी०पी०सी०
285.	गनक्कर	286.	हरिहरपोड़ा
287.	इबलामपुर (1)	288.	जांगीपुर
289.	जियागंज	290.	लालगोला
291.	मुर्शीदाबाद	292.	शक्तिपुर
293.	सरगाची	294.	त्रिमोहिनी (II)
295.	अस्सान नगर	296.	बगुला
297.	बेटई	298.	छप्परा
299.	देवग्राम	300.	धुबुलिया
301.	डींगनगर (2)	302.	दत्ताफुलिया
303.	इरिंघट्टा	304.	कालीगंज
305.	करीमपुर	306.	मजडिया
307.	मायापुर	308.	रानाघाट
309.	शांतीपुर	310.	स्वरुपगंज
311.	तेहट्टा	312.	भूपालपुर
313.	चोपरा	314.	दूटाहार
315.	कांकी	316.	करणदिघी

317.	रंणजीपाड़ा	318.	अदरा
319.	अनारा	320.	वरभूम
321.	चेलियामा	322.	दुबरा
323.	गढ़जयपुर	324.	हुर्रा
325.	झालदा	326.	काशीपुर
327.	मानबाजार	328.	रघुनाथपुर
329.	रामचन्द्रपुर	330.	रंगादीह
331.	बंटल दीह	332.	तुलिन
333.	गंगारामपुर	334.	हरिरामपुर
335.	हिल्ली	336.	पातीराम
337.	तपन	338.	त्रिमोहिनी (1)
339.	कलकत्ता बैंक (22)	340.	कलकत्ता सिटी (23)
341.	कलकत्ता एवेन्यू (34)	342.	कलकत्ता (33)
343.	कलकत्ता शिवपुर	344.	कलकत्ता कालीघाट (47)
345.	कलकत्ता बारासात	346.	कलकत्ता नरेन्द्रपुर
347.	कलकत्ता बेंरगपुर	348.	कलकत्ता बाग बाजार
349.	कलकत्ता कल्याणी	350.	कलकत्ता चंदन नगर
351.	कलकत्ता बाघ बाजार	352.	कलकत्ता रूसा
353.	कलकत्ता सरकस	354.	कलकत्ता अलीपुर
355.	कलकत्ता बजबल	356.	कलकत्ता बाघबाजार
357.	कलकत्ता पानीहाटी	358.	कलकत्ता सैन्ट्रल
359.	कलकत्ता सिबपुर	360.	कलकत्ता बारिनपुर
361.	कलकत्ता दमदम	362.	कलकत्ता बेहाला
363.	कलकत्ता अलीपुर	364.	कलकत्ता सालकिया
365.	कलकत्ता जादवपुर	366.	कलकत्ता रूसा
367.	कलकत्ता ईस्ट-।।।	368.	आसनसोल
369.	आसनसोल रानीगंज	370.	आसनसोल नियामतपुर
371.	आसनसोल जामुरिहाट		

विवरण 'ख'

पश्चिम बंगाल राज्य के उन स्थानों के नाम जहां के एक्सचेंजों को दिनांक 31.3.94 तक एस०टी०डी० युक्त इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की संभावना है।

क्रम संख्या	एक्सचेंजों के नाम
1.	चम्पाडांगा
2.	डालखोला
3.	आराम बाग
4.	बीरपाड़ा
5.	चकदाह
6.	इस्लामपुर
7.	कटवा
8.	माल
9.	बेलडांगा
10.	बाराकर
11.	बाहुला
12.	रुपनरायनपुर
13.	सिलीगुड़ी

पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सड़क निधि से धन दिया जाना

1776. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से चालू वित्त वर्ष अथवा आगामी वर्ष के दौरान कितना धन दिया गया या दिये जाने का विचार है ; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थायी रुप से 20.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गयी है। अगले वित्त वर्ष के लिए निधियों के आबंटन के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियों का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि स्कीम वार।

स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन कनेक्शन

1777. डा० वाई०एस० राजेश्वर रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने हेतु उनके मंत्रालय को राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार इनमें से कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर दिए गए और कितने आवेदन पत्र लंबित हैं ; और

(ग) लंबित आवेदन पत्र कब तक निपटा लिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० संबंधी नीति की समीक्षा

1778. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पी०सी०ओ० होल्डर्स एसोसिएशन ने सरकार की एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० संबंधी नीति की समीक्षा के लिए अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन ने क्या मुद्दा उठाया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) उठाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं :-

1. उनकी एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करना

2. पी०सी०ओ० अलॉटी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पी०सी०ओ० को उनके/उनकी कानूनी वारिस को स्थानांतरित करना

3. बिलों के कम्प्यूटरीकृत प्रिंट आउट की सप्लाई

4. फैक्स के लाइसेंस शुल्क में कमी

5. टी०ए०सी० में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व

6. 3,000 रुपए पी०सी०ओ० अलॉटमेंट शुल्क के रुप में चार्ज करना तथा न्यूनतम गारंटीड राशि में वृद्धि

(ग) मूल पी०सी०ओ० अलाटी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पी०सी०ओ० को उनके/उनकी कानूनी वारिस को स्थानांतरिक करने की मांगें तथा अनुरोध करने पर बिलों के कम्प्यूटरीकृत प्रिंट आउट/विस्तृत बिल सप्लाई की मांगे ही स्वीकार की गई हैं।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक विवादों के संबंध में मध्यस्थ निर्णय हेतु दक्षेस केन्द्र

1779. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढाका में हाल ही में आयोजित दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षेस देशों के बीच उत्पन्न वाणिज्यिक विवादों के संबंध में मध्यस्थ निर्णय हेतु क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने के बारे में कोई पहल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दक्षेस सदस्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी नहीं, ढाका में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में भारत सरकार ने सार्क देशों के बीच वाणिज्यिक विवादों के निपटाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के संबंध में कोई पहल नहीं की।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सांस्कृतिक केन्द्र

1780. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में सरकार द्वारा सांस्कृतिक केन्द्र चलाए जा रहे हैं ;

(ख) इन केन्द्रों के कार्यों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में और अधिक सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख) : भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के आठ केन्द्र हैं जो जार्जटाउन (गायना), जकार्ता (इंडोनेशिया), मॉस्को (रूस), पोर्ट लुई (मारीशस), पारामारिबो (सूरीनाम), काहिरा (मिस्र), बर्लिन (जर्मन संघीय गणराज्य), लंदन (यू०के०) में स्थित हैं जिनका काम भारत की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में अधिकाधिक जानकारी बढ़ाना और भारत की समकालीन गतिविधियों के संबंध में सूचना प्रदान करना है। ये केन्द्र भारत के विभिन्न पहलुओं पर भाषण, व्याख्यान, फिल्म-प्रदर्शनियां जैसे नियमित कार्य-कलाप आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ केन्द्र भारतीय संगीत, नृत्य, योग और हिन्दी की नियमित कक्षाएं भी आयोजित करते हैं। ये केन्द्र पुस्तकालय एवं वाचनालय का भी अनुरक्षण करते हैं। ये केन्द्र जहां उपयुक्त होता है, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरुप सांस्कृतिक कार्यकलाप विकसित करते हैं।

इन सभी केन्द्रों से उम्मीद की जाती है कि वे छात्रों, अध्यापकों, विद्वानों और सांस्कृतिक क्षेत्र से सम्बद्ध लोगों सहित स्थानीय नागरिकों के एक व्यापक समूह के साथ सम्पर्क विकसित करें और उसे बनाए रखें।

(ग) और (घ). जी हां। ताशकंद (उज़बेकिस्तान) और अल्माती (कजाकिस्तान) में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन धारावाहिकों तथा वृत्तचित्रों के चयन हेतु मानदंड

1781. डा० के०वी०आर० चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दूरदर्शन धारावाहिकों और वृत्तचित्रों को मंजूरी देने के लिए क्या मानदंड अपनाये हैं ; और

(ख) दूरदर्शन के प्रत्येक केन्द्र में प्रसारण के लिए लम्बित पड़े प्रादेशिक भाषाओं के दूरदर्शन धारावाहिकों/वृत्तचित्रों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन को कमीशन्ड कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत, टी०वी० धारावाहिकों तथा वृत्तचित्र फिल्मों के चयन के लिए निम्नलिखित मुख्य मानदण्ड अपनाया जाता है :-

(1) दूरदर्शन की आवश्यकताओं के अनुसार कहानी, विषयवस्तु विषय की प्रासंगिकता।

(2) विषय/कथा-रुपरेखा का विवेचन।

(3) प्रसारण कोड के प्रति समनुरुपता।

(4) निर्देशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक, कर्मी दल आदि के ट्रैक रिकार्ड।

जहां तक प्रायोजित कार्यक्रमों का संबंध है, दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का प्रयास करता है जो स्वस्थ मनोरंजन के साथ-साथ उच्च सामाजिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करते हों।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के एक्सचेंजों में एस०टी०डी०

1782. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केरल में जिलावार एस०टी०डी० सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : सरकार ने केरल में आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना के लिए सामग्री संसाधन तथा अन्य आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों के फलस्वरुप केरल में सभी 683 टेलीफोन एक्सचेंज आटोमैटिक बना दिए गए हैं, और इनमें से 455 एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, शेष 228 टेलीफोन एक्सचेंजों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

एस०टी०डी० सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार ब्यौरे :-

जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	एस०टी०डी० सुविधा युक्त एक्सचेंजों की संख्या
अलेप्पी	35	20
कालीकट	44	33
कन्नूर	62	28
एर्नाकुलम्	75	73
इडुक्की	58	22
कासरगोड	38	19
कोट्टायम	58	58
मालापुरम्	48	41
पालघाट	63	26
पाथनमाचिट्टा	37	13
क्योलोन	53	37
त्रिचुर	49	36
त्रिवेन्द्रम	43	43
विनाड	20	6
जोड़	683	455

खनिज पदार्थों को अनारक्षित करना

1783. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनारक्षित किये गये खनिज पदार्थों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और खनिज पदार्थों को अनारक्षित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज नीति के तहत उन सभी 13 खनिजों को आरक्षण मुक्त कर दिया गया है जिनका दोहन पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए

आरक्षित था। ये लौह अयस्क, मैंगनीज़, क्रोम, सल्फर, स्वर्ण, हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, मालिब्डेनम, टंगस्टन, निकिल तथा प्लेटिनम समूह के खनिज हैं। चूंकि, ये सभी खनिज पहले से ही आरक्षण मुक्त हैं, इसलिए उनके पुनः आरक्षण मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन

1784. श्री पंकज चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े जिलों में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक राज्य-वार क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) यदि कोई उपाय नहीं किए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ). जी नहीं। पिछड़े जिलों के लिए ऐसी कोई प्राथमिकता अथवा परिभाषा नहीं है। सरकार ने संसाधन उपलब्ध होने पर उत्तोत्तर रुप से 31 मार्च, 1995 तक सभी 2,33,060 पंचायत ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की नीति अपनाई है।

[अनुवाद]

हैदराबाद में टेलीफोन कनेक्शन

1785. श्री वे० चोक्काराव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद नगर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए 31 अक्तूबर, 1993 तक कुल कितने आवेदन लम्बित थे और 1993 के दौरान कितने कनेक्शन दिए गए थे ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पारी से पहले कितने कनेक्शन दिए गए और एस०टी०डी० और आई०एस०डी० बूथों के लिए बेरोजगार युवकों को कितने कनेक्शन दिए गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) हैदराबाद नगर में 31 दिसम्बर, 1993 तक विचाराधीन आवेदन पत्रों की कुल संख्या 70096 है और कैलेण्डर वर्ष 1993 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 27775 है।

(ख) बिना बारी के आधार पर प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1004 और एस०टी०डी०, आई०एस०डी० बूथ के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या 312 है।

महाराष्ट्र में डाकघर

1786. श्री अन्ना जोशी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने गांवों में 1992-93 के अन्त तक कोई डाकघर नहीं था ;

(ख) राज्य में कितने गांवों में डाकघर थे तथा उनका श्रेणीवार तथा जिलावार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) डाकघर विहीन गांवों की वर्तमान जिलावार संख्या क्या है ; और

(घ) जिलावार तथा श्रेणीवार कितने-कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1992-93 के अंत तक 31,973 ग्रामों में डाकघर नहीं थे।

(ख) 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार जिन ग्रामों में डाकघर हैं, उनका जिलावार तथा डाकघरों का श्रेणीवार ब्यौरा विवरण 'क' में दिया गया है।

(ग) फिलहाल, जिन ग्रामों में डाकघर नहीं हैं, उनका जिलावार ब्यौरा विवरण 'ख' में दिया गया है।

(घ) चालू वर्ष में 27 और डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है, जिनका जिलावार तथा श्रेणीवार ब्यौरा विवरण 'ग' में दिया गया है।

विवरण 'क'

महाराष्ट्र में डाकघर वाले ग्रामों की संख्या का जिलावार तथा डाकघरों का श्रेणीवार ब्यौरा।

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर वाले ग्रामों की संख्या	उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदनगर	601	76	---	534
2.	अकोला	366	21	5	340
3.	अमरावती	399	19	20	369
4.	औरंगाबाद	292	27	---	299
5.	बुलडाना	345	8	8	279
6.	भंडारा	301	24	7	258
7.	बीड	305	15	---	284
8.	चन्द्रपुर	279	3	5	261
9.	धुले	461	31	---	396
10.	गढ़चिरोली	215	2	---	200
11.	जालना	178	10	---	145

1	2	3	4	5	6
12.	जलगांव	336	37	14	424
13.	कोल्हापुर	492	52	10	435
14.	लातूर	276	17	---	256
15.	नागपुर	253	18	7	222
16.	नांदेड़	427	21	---	404
17.	नासिक	583	45	---	569
18.	उस्मानाबाद	266	15	---	243
19.	पुणे	624	62	1	572
20.	परभनी	282	8	---	270
21.	रायगढ़	296	27	3	273
22.	रत्नागिरि	608	64	4	552
23.	शोलापुर	539	42	5	430
24.	सतारा	683	55	9	552
25.	सांगली	385	59	15	326
26.	सिंधुदुर्ग	318	32	5	291
27.	थाणे	296	38	3	309
28.	वर्धा	152	10	3	152
29.	यवतमाल	315	22	5	321

विवरण 'ख'

महाराष्ट्र में बिना डाकघरों वाले ग्रामों की संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	बिना डाकघरों वाले ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	1132
2.	अकोला	1411
3.	अमरावती	1560

1	2	3
4.	औरंगाबाद	1017
5.	बुलडाना	1058
6.	भंडारा	2018
7.	बीड़	770
8.	चन्द्रपुर	1104
9.	धुले	1238
10.	गढ़चिरोली	2002
11.	जलना	862
12.	जलगांव	1001
13.	कोल्हापुर	699
14.	लातूर	733
15.	नागपुर	1681
16.	नांदेड़	985
17.	नासिक	1136
18.	उस्मानाबाद	536
19.	पुणे	1123
20.	परभनी	961
21.	रायगढ़	1059
22.	रत्नागिरि	908
23.	शोलापुर	782
24.	सतारा	1125
25.	सांगली	349
26.	सिंधुदुर्ग	389
27.	थाणे	1838
28.	वर्धा	1619
29.	यवतमाल	1551
	योग :	32047

विवरण 'ग'

महाराष्ट्र में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या का जिलावार तथा श्रेणीवार ब्यौरा।

क्रम सं०	जिले का नाम	खोले जाने वाले	प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
		उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	---	3
2.	अकोला	1	---
3.	अमरावती	1	3
4.	औरंगाबाद	2	1
5.	बुलडाना	---	1
6.	भंडारा	---	---
7.	बीड़	---	1
8.	चन्द्रपुर	---	---
9.	धुले	---	1
10.	गढ़चिरोली	---	1
11.	जालना	---	---
12.	जलगांव	---	---
13.	कोल्हापुर	---	---
14.	लातूर	---	---
15.	नागपुर	2	---
16.	नांदेड़	---	---
17.	नासिक	---	---
18.	उस्मानाबाद	---	---
19.	पुणे	2	4
20.	परभनी	---	---
21.	रायगढ़	---	---
22.	रत्नागिरी	---	---

1	2	3	4
23.	शोलापुर	---	1
24.	सतारा	---	3
25.	सांगली	---	---
26.	सिंधुदुर्ग	---	---
27.	थाणे	---	2
28.	वर्धा	---	---
29.	यवतमाल	---	---

[हिन्दी]

फैक्स सुविधा

1787. श्री नारायाण सिंह चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह सुविधा हरियाणा में कितने मुख्यालयों में दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां, सरकार को देश के सभी जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ख) जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) हरियाणा राज्य में 16 में से 13 जिलों में पहले से ही फैक्स सुविधा प्रदान की जा चुकी है, और बाकी जिला मुख्यालयों में यह सुविधा आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रदान कर दी जाएगी।

विवरण

जिन जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रदान नहीं की गई है उनकी राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	संख्या
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	12
2.	असम	11
3.	बिहार	4
4.	गुजरात	4

1	2	3
5.	हरियाणा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू-कश्मीर	10
8.	केरल	1
9.	मध्य प्रदेश	18
10.	महाराष्ट्र	5
11.	मणिपुर	7
12.	मेघालय	4
13.	मिजोरम	2
14.	नागालैण्ड	6
15.	उड़ीसा	15
16.	पंजाब	7
17.	राजस्थान	7
18.	सिक्किम	3
19.	उत्तर प्रदेश	3
20.	पश्चिम बंगाल	3

टिप्पणी : शेष राज्यों में जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधाएं उपलब्ध हैं।

21.	संघ राज्य क्षेत्र	पोर्ट ब्लेयर, पांडिचेरी, कावारती के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में फैक्स सुविधा प्रदान की जानी है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में एस०टी०डी०/पी०सी०ओ०

1788. श्री धर्मभिक्षम् :

श्री एस०एम० लालजान बाशा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में जिला-वार वर्तमान समय में आई०एस०डी०/एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० की कितनी मांग है :

(ख) वर्तमान समय में जिला-वार कितने आवेदन लम्बित हैं ;

(ग) 1993-94 में जिला-वार कितने पी०सी०ओ० मंजूर किए गए ; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत में ग्लोब की तस्करी

1789. श्री आनन्द अहिरवार :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1994 के 'जनसत्ता' में, एक ऐसे ग्लोब की खरीद जिसमें जम्मू और कश्मीर को विवादित क्षेत्र दिखाया गया है, के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या ये ग्लोब केरल में उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). ऐसे ग्लोब अधिकतर खाड़ी देशों से लौटने वाले भारतीयों द्वारा केरल लाए जाने की खबरें मिली हैं।

(ड.) संबंधित खाड़ी देशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों को यह मामला संबंधित विदेशी कार्यालयों के साथ उठाने के लिए कहा गया है। हमारे सीमा शुल्क प्राधिकरण ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे आयात को रोकने के सम्बन्ध में पहले ही सचेत कर दिया था और कुछ जब्तियां भी की थीं। केरल राज्य सरकार को भी ऐसे ग्लोबों के प्रचार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय

1790. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय में कितने आवेदन लम्बित हैं ;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा पासपोर्ट जारी करने के लिए न्यूनतम समय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार को अहमदाबाद स्थित भर्ती कराने वाले एजेंटों के पास से जाली और चुराए हुए पासपोर्ट पकड़े जाने की जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या इस गिरोह में पासपोर्ट कार्यालय का कोई कर्मचारी लिप्त पाया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख). अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय में 4.2.94 को लम्बित आवदेन पत्रों की कुल संख्या 14293 थी। इनमें से, एक महीने से अधिक समय से लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या 12,477 थी। स्टाफ की कमी और पासपोर्ट पुस्तिकाओं की सप्लाई कम होने के कारण तथा प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या में वृद्धि के कारण पासपोर्टों के जारी करने में विलम्ब हुआ। पासपोर्टों के जारी करने में होने वाली देर को कम करने की कार्यवाइयों में अन्य के साथ स्टाफ की संख्या में वृद्धि, उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना आरम्भ करना और पासपोर्ट पुस्तिकाओं की सप्लाई में वृद्धि शामिल है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में नए पासपोर्टों को जारी करने में लगने वाला समय आवेदन पत्र सभी मामलों में पूर्ण होने पर, दिसम्बर, 1992 में लगभग 105 दिन से कम होकर 4.2.94 तक 72 दिन हो गया।

(ग) से (च). तथ्य एकत्रित किए जा रहें हैं और सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे।

सरकारी क्षेत्र की खनन कम्पनियां

1791. श्री विजय कुमार यादव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की खनन कंपनियां जैसे हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वित्तीय रुप से अक्षम हो गयी हैं और बन्द होने के कगार पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कंपनियों को फिर से अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (ख). तांबा, जस्ता, सीसा तथा एल्यूमिनियम धातु के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आने तथा सीमा शुल्क में कमी किए जाने के कारण इन धातुओं के उत्पादन में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् हिन्दुस्तान कॉपर लि०, हिन्दुस्तान जिंक लि०, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० तथा नाल्को जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संचालन कार्य वर्ष 1993-94 के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आर्थिक रुप से अलाभप्रद खानों को बंद करने की आवश्यकता तथा संभावना की समीक्षा कर रहे हैं। फिर भी, सरकार की उदारीकरण की नीतियों के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोई भी खान बंद नहीं की गई है।

(ग) भारतीय उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1994-95 के बजट प्रस्तावों में नॉन-फैरस धातुओं के आयात शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, काउंटरवेलिंग शुल्कों को लागू करने, पूंजी आयातों पर सीमा शुल्क में कमी करने संबंधी प्रस्ताव शामिल किए हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंध आदि के अलावा, अपने कार्यों में फेरबदल, उपक्रमों की क्षमताओं का विस्तार, खर्चीली इकाइयों को बंद करने तथा बिक्री की नई नीति से इष्टतम बनाने और पूंजी पुनः संरचना करके अपनी कार्यकुशलता बढ़ा रहे हैं।

धनबाद दूरसंचार डिवीजन में भ्रष्टाचार

1792. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धनबाद दूरसंचार डिवीजन तथा चेस-बोकारो टेलीफोन एक्सचेंज में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) (1) अखिल भारतीय तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ, पटना से श्री एस०एस० यादव, दूरसंचार जिला इंजीनियर धनबाद के विरूद्ध उनके द्वारा अनियमित्ताएं किए जाने के संबंध में शिकायत।

(2) श्री एच०जी० शर्मा, उपमंडल अधिकारी, बोकारो स्टील सिटी के विरूद्ध अत्याचारों के बारे में शिकायत।

(3) बोकारो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (चैम्बर ऑफ कार्मस एंड इंडस्ट्रीज) को, समाचार पत्र की कतरन के साथ शिकायत, जिसमें 5 करोड़ रुपये की अधिक वसूली तथा बोकारो में टेलीफोन बिलों की 7.25 लाख रुपए की राशि के दुर्विनियोग का आरोप है, जिसे श्री राम टहल चौधरी, एम०पी०, श्री जार्ज फर्नांडीज, एम०पी० तथा श्री करिया मुण्डा, एम०पी० ने भेजा है।

(ग) इन मामलों की जांच की जा रही है।

फलों और सब्जियों का परिरक्षण

1793. श्री वी० शोभनादीश्वर राव वाड्डे :

श्री नीतीश कुमार :

श्री लाल बाबू राय :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में कितनी मात्रा में और कितने रुपए मूल्य के फलों तथा सब्जियों का उत्पादन हुआ;

(ख) पड़ोसी देशों की तुलना में संसाधित फलों और सब्जियों का प्रतिशत क्या है ;

(ग) फलों और सब्जियों की फसल के बाद की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरुप अनुपलब्धता के कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) आठवीं योजना में अनुचित ढंग से भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण अपशिष्ट पदार्थों को कम करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा कौन-कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1992-93 के दौरान फल और सब्जियों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1991-92 के दौरान देश में उत्पादित फल और सब्जियों की मात्रा और मूल्य क्रमशः 98-07 मिलियन टन और 18057 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) भारत में 1992 के दौरान फल और सब्जी उत्पादों का कुल उत्पादन 4,69,000 मी०टन हुआ था। पड़ोसी देशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). सरकार विभिन्न फसलोत्तर प्रसंस्करण और संचालन सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता और प्रोत्साहन दे रही है जैसे नये यूनिटों की स्थापना या मौजूदा यूनिटों के विस्तार के लिए सरकारी/सहकारी/स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता, ठेके पर खेती के लिए उद्योगों को बैकवर्ड लिंकेज हेतु राज सहायता, प्रसंस्कृत फलों के लिए प्रजातीय मांग को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, देश में उपलब्ध फलों और सब्जियों के परिक्षण को इष्टतम बनाने के लिए दूसरे उपाय हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने ग्रेडिंग/पैकिंग केन्द्रों, पूर्व प्रशीतन यूनिटों, पैकिजंग यूनिटों और रेफ्रीजरेटेड ढुलाई तथा कोल्ड स्टोरेज सहित कोल्ड चेन की स्थापना के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया है। यद्यपि नुकसान कम करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गये हैं फिर भी यह अनुमान है कि फल एंव सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता योजना के आरंभ में 9.5 लाख टन से बढ़कर आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 20 लाख टन हो जाएगी और सरकार द्वारा शुरु किए गये अन्य उपायों से नुकसान में बहुत कमी आयेगी।

चीन के साथ सैनिकों की संख्या में कटौती संबंधी वार्ता

1794. श्री सुधीर गिरि :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री एस०बी० सिदनाल :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री चेतन पी०एस० चौहान :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1993 में प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा के दौरान हुए समझौते के अनुसारण में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ सैनिकों की संख्या में कमी करने के संबंध में भारत और चीन ने बातचीत शुरु कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दोनों पक्षों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या में अब तक कुछ कमी की है;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों ने कुल कितने-कितने सैनिक वापस किए हैं ;

(घ) दोनों देशों के बीच अगली वार्ता कब आयोजित की जाएगी ; और

(ड.) सरकार द्धारा चीन के साथ सीमा पर तनाव कम करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) सितम्बर, 1993 में प्रधान मंत्री की चीन-यात्रा के दौरान भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शान्ति और अमन कायम रखने से सम्बद्ध करार पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अनुसरण में इस करार के कार्यान्वयन में संयुक्त कार्यदल की सहायता करने के लिए दिसम्बर, 1993 में एक भारत-चीन विशेषज्ञ दल का गठन किया। इस विशेषज्ञ दल की पहली बैठक 2-4 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में इस विशेषज्ञ दल के प्रादेश, भावी कार्यों और तौर-तरीकों से सम्बद्ध मसलों पर बुनियादी समझौता हुआ। इस विशेषज्ञ दल के कार्यों पर, जिनमें सैन्य दल में कमी करने का प्रश्न और विश्वास पैदा करने के अन्य उपाय शामिल हैं, बाद में होने वाली बैठकों में विचार किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विशेषज्ञ दल की आगामी बैठक अगले कुछ महीने बाद बीजिंग में होगी।

(ड.) संयुक्त कार्य दल को और उपायों पर विचार-विमर्श करना है जिनमें इस करार के प्रावधानों का कार्यान्वयन शामिल है जिनसे उम्मीद है कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन का सुनिश्चय हो सकेगा।

[हिन्दी]

अमरीका के साथ द्विपक्षीय संबंध

1795. श्री बलराज पासी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः माह के दौरान अमरीका के साथ व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : सरकार अमरीका के साथ संरचनात्मक बातचीत करने की नीति पर चलती रही है। इस नीति का उद्देश्य भारत और अमरीकी संबंधों को धीरे-धीरे ऐसे तरीके से मजबूत करना है जिससे भारत के राष्ट्रीय हित को क्षति न पहुंचे। पिछले छः महीने के दौरान भारत अमरीका संबंधों में दोनों ही ओर सकारात्मक प्रवत्तिया रहीं विशेषकर दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक तथा

आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में तथा मानवाधिकारों, अप्रसार तथा व्यापार नीति जैसे क्षेत्रों में मतभेदों के बने रहने के संदर्भ में।

2. अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 1993 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अभिलेखबद्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी-नवम्बर, 1993 के दौरान 6.66 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षी व्यापार हुआ (1992 के दौरान भारत-अमरीकी व्यापार 5.69 बिलियन अमरीकी डालर का था) भारत में प्रत्यक्ष पूंजी-निवेश के संदर्भ में अमरीका सबसे बड़ा एकल निवेशकर्त्ता देश है। भारत में समस्त संयुक्त उद्यमों का लगभग 30 प्रतिशत अमरीकी आस्थानी कंपनियों का है। 1993 के दौरान भारत में अमरीकी पूंजी-निवेश में पर्याप्त परिमाणगत वृद्धि हुई और यह 1947 से 1991 के मध्य तक भारत में संचयी अमरीकी पूंजी निवेश से बढ़ गया। अमरीका की सरकार तथा व्यवसाय ने भारत के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम का स्वागत किया है और वे चाहते हैं कि उदारीकरण की गति को तेज किया जाए। तथापि, सरकार ऐसी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है जो भारत के राष्ट्रीय हित के अनुरुप हों।

3. अगस्त, 1993 के दौरान विदेश सचिव तथा अमरीका के राजनीतिक मामलों के विदेश अवर सचिव के बीच द्विपक्षीय परामर्श और सितम्बर, 1993 के दौरान निरस्त्रीकरण, अप्रसार तथा क्षेत्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध मसलों पर अधिकारी स्तर की द्विपक्षीय वार्ता के तीसरे दौर से दोनों पक्षों को एकदूसरे की स्थितियों को बेहतर रुप से समझने में सहायता मिली। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सन्धि तथा हथियारों के प्रयोजन से विखंडनीय सामग्री के उत्पादन में कमी जैसे मसलों पर कुछ मतभेद रहे।

4. भारत और अमरीका ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार के संबंध में 1984 में जिस समझौता ज्ञापन को अंतिम रुप दिया गया था उसकी वे द्विपक्षीय समीक्षा करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में करार के एक नए प्रारुप पर भी विचार किया जा रहा है। हाल ही में कम्प्यूटरों की बिक्री से संबंधित अमरीकी निर्यात विनियमों को उदार बनाया गया है। एक विशेष करार के तहत हल्के लड़ाकू विमानों के संबंध में भारत-अमरीकी सहयोग का क्रियान्वयन हो रहा है।

5. भारत तथा अमरीका के बीच एक नई प्रत्यार्पण सन्धि सम्पन्न करने के मामले में बातचीत का पहला दौर 28 सितंबर से 1 अक्तूबर, 1993 तक हुआ।

6. पिछले दिनों के दौरान अमरीकी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कश्मीर तथा पंजाब की स्थिति का बार-बार जिक्र करते रहे हैं और इस संबंध में अमरीका के उच्चतम राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा वक्तव्य और पत्र जारी किए जाते रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रुप से यह कहा है कि इससे पाकिस्तान और आतंकवादियों को अपनी हिंसात्मक गतिविधियां जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार जिस लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने तथा सामान्य स्थिति को कायम करने का प्रयास कर रही है उसके लिए ये उल्लेख सहायक नहीं हैं और इनसे इस प्रक्रिया का मार्ग अवरूद्ध होता है।

7. सरकार अमरीका के साथ रचनात्मक संबंधों को कायम करने के मामले में अपने राष्ट्रीय हित को एक मात्र निर्णायक तत्व बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।

चतुर्थ श्रेणी के डाक एवं तार कर्मचारियों के लिए आवास

1796. श्री गोविंद चन्द्र मुंडा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक एवं तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बीस वर्ष तक सेवा में रहने के बावजूद भी सरकारी आवास नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को भविष्य में शीघ्र ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख). जी हां, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बावजूद सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है।

मौजूदा नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को, उनकी पात्रता के अनुरुप ही क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं। किसी स्थान विशेष पर क्वार्टर आबंटन की प्रतीक्षा-अवधि, उस स्थान पर क्वार्टरों की उपलब्धता और आवेदकों की संख्या के कारण भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) और (घ). डाक तथा दूरसंचार विभागों का यह सत् प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित किए जाएं। तथापि, यह निधियों, भूमि एवं परस्पर प्राथमिकताओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

तिस्ता पुल

1797. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल में तिस्ता-पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जनवरी, 1994 तक 45.89 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) 220.30 लाख रुपए।

(ग) जून, 1995

[हिन्दी]

संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

1798. श्री शरत पटनायक :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त अरब अमीरात के साथ किसी प्रत्यावर्तन सन्धि पर हस्ताक्षर करने का है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित सन्धि का कोई प्रारुप पहले ही तैयार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) सन्धि पर हस्ताक्षर कब तक किये जाऐंगे ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). प्रत्यर्पण संधि के संबंध में दोनों पक्षों के बीच अधिकारी स्तर की वार्ता के दो दौर हो चुके हैं। प्रतिनिधिमण्डलों में इसके अधिकांश प्रावधानों के संबंध में विचार साम्य पाया गया। संधि को अन्तिम रुप देने के लिए राजनयिक माध्यम के जरिये और विचार-विमर्श करने का इरादा है। इस संधि के सभी पहलुओं पर जैसे ही विचार-विमर्श हो जाएगा और उसके बारे में परस्पर सहमति हो जाएगी वैसे ही इस संधि पर हस्ताक्षर हो जायेंगे।

[अनुवाद]

अभ्रक का निर्यात

1799. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन देशों को अभ्रक का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) क्या इन देशों को अभ्रक की आपूर्ति में कोई कमी आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके फलस्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1992-93 के दौरान 55 देशों को अभ्रक का निर्यात किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का स्टाकयार्ड

1800. श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया : क्या **इस्पात** मंत्री 20 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा विभागीय स्टाकयार्ड खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपना रही है ;

(ख) राजकोट में तथा इसके आस-पास लोहा तथा इस्पात की कुल कितनी वार्षिक मांग है ;

(ग) क्या राजकोट में तथा इसके आस-पास मांग में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के स्वामित्व और प्रबन्धन में विभागीय स्टाकयार्डों की स्थापना अनेक घटकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आर्थिक व्यवहार्यता, भावी मांग की संभावना एवं खपत, इस्पात संयंत्रों से उपलब्धता की तुलना में संभावित बिक्री, विद्यमान किसी वितरण केन्द्र से प्रस्तावित स्थान स्थिति की वास्तविक दूरी, इत्यादि।

(ख) ''सेल'' द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, राजकोट और उसके आस-पास के क्षेत्रों में इस्पात सामग्री की मासिक मांग लगभग 800 से 1000 टन तक है।

(ग) और (घ) ''सेल'' ने राजकोट में स्टाकयार्ड खोलने की संभावनाओं का पता लगाया था। परन्तु राजकोट और उसके आस-पास के क्षेत्रों में लोहे और इस्पात की मांग-पद्धति को मद्देनजर रखते हुए इसे आर्थिक रुप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। इस समय गुजरात में ''सेल'' के दो स्टाकयार्ड हैं। इनमें से एक अहमदाबाद में और दूसरा बड़ौदा में है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग निगमों को अभी भी ''प्राथमिकता वाला क्षेत्र'' माना जा रहा है और उनकी सप्लाई को मुख्य उत्पादकों द्वारा लोहा और इस्पात विकास आयुक्त द्वारा किए जा रहे आबंटन के अनुसार पूरा किया जा रहा है। लघु उद्योग की इकाइयां ''सेल'' से सीधे सप्लाई करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

गुजरात से प्रकाशित समाचार पत्र

1801. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से कुल कितने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है और भाषा-वार तथा समाचार पत्र-वार इनकी कुल कितनी बिक्री होती है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन से वर्ष-वार कितनी आय हुई ; और

(ग) विज्ञापन देने और समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को नियमित करने हेतु सरकार ने क्या नीति बनायी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार 31.12.93 तक की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास कुल 892 समाचार पत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत कराई गई थीं। भाषावार और समाचार पत्र-वार प्रसार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात के प्रकाशनों को जारी किए गए विज्ञापनों की राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	राशि (रुपए)
1992-93	1,14,12,175
1993-94	88,28,791
(1.4.93 से 31.1.94 तक)	

(ग) सरकार की विज्ञापन नीति का लक्ष्य प्रचार अपेक्षाओं और धनराशि की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए समाचारपत्रों में सन्तुलित तथा उचित रुप से विज्ञापन देना है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 के अधीन विनियमित किया जाता है।

विवरण

गुजरात से प्रकाशित 1992 के लिए समाचार पत्र, भाषा के नाम, आवधिकता और प्रसार को दर्शाने वाला विवरण

अंग्रेजी/दैनिक

क्रम सं०	समाचार पत्र का नाम	भाषा/आवधिकता	प्रसार
1	2	3	4
1.	इण्डियन एक्सप्रेस	अंग्रेजी/दैनिक	12625
2.	इण्डियन एक्सप्रेस	-वही-	11378
3.	दि इकानॉमिक टाइम्स	-वही-	9059
4.	दि टाइम्स ऑफ इण्डिया	-वही-	44587
5.	दि वेस्टर्न टाइम्स	-वही-	19445
6.	अल्पविराम	हिन्दी/दैनिक	18730
7.	प्रसारण	-वही-	3000
8.	अकिला	गुजराती/दैनिक	52911
9.	अंजलि	-वही-	18613

1	2	3	4
10.	बहरूच टाइम्स	गुजराती/दैनिक	10290
11.	भूमि	-वही-	23934
12.	चंचल	-वही-	12820
13.	चरोत्तर भूमि	-वही-	23185
14.	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	-वही-	7699
15.	गुड इवनिंग	-वही-	12290
16.	गुजरात समाचार	-वही-	252424
17.	गुजरात समाचार	-वही-	86280
18.	गुजरात समाचार	-वही-	84952
19.	गुजरात समाचार	-वही-	64694
20.	गुजरात टुडे	-वही-	46624
21.	हम लोग	-वही-	10000
22.	जय हिन्द	-वही-	55739
23.	जय हिन्द	-वही-	14674
24.	जनसत्ता	-वही-	23126
25.	जनसत्ता	-वही-	25560
26.	जनयुग	-वही-	16018
27.	कच्छ ज्योति	-वही-	6683
28.	कच्छ मित्र	-वही-	23633
29.	लोक सत्ता	-वही-	21174
30.	नव निर्माण	-वही-	19959
31.	नया पदकार	-वही-	37067
32.	नौवत	-वही-	19339
33.	फुलछाब	-वही-	93082
34.	प्रभात	-वही-	23652
35.	सन्देश	-वही-	188450

1	2	3	4
36.	सन्देश	गुजराती/दैनिक	101697
37.	सन्देश	-वही-	84908
38.	सन्देश	-वही-	65215
39.	सांज समाचार	-वही-	47166
40.	सौराष्ट्र भूमि	-वही-	25199
41.	श्री नूतन सौराष्ट्र	-वही-	51203
42.	सौराष्ट्र समाचार	-वही-	31640
43.	दि फाइनेंशियल टाइम्स इनकार्पोरेटिंग	-वही-	12087
44.	वलसाड टाइम्स	-वही-	11400
45.	ववाड	-वही-	4500
46.	वेस्टर्न टाइम्स	-वही-	31340
47.	हिन्दू	सिन्धी/दैनिक	21453
48.	अमृतका	गुजराती/साप्ताहिक	30194
49.	भुज समाचार	-वही-	4426
50.	चाणक्य	-वही-	3178
51.	चेती चण्ड	-वही-	3555
52.	चित्रलोक	-वही-	12578
53.	छोटी जागीर	-वही-	5805
54.	छोटी जागीर	-वही-	5199
55.	दिवाडांडी	-वही-	2627
56.	भुलवाडी	-वही-	30003
57.	ग्राम सहयोगी	-वही-	3000
58.	गुजरात दर्पण	-वही-	2703
59.	गुजरात प्रभा	-वही-	12077
60.	गुजरात प्रभा	-वही-	9095
61.	गुजरात टाइम्स	-वही-	31916

1	2	3	4
62.	जन योग	गुजराती/दैनिक	4169
63.	काठियावाड़ टाइम्स	-वही-	2000
64.	के०पे०पी०	गुजराती/साप्ताहिक	4071
65.	खेडा वर्तमान	गुजराती/दैनिक	12927
66.	कुछ मित्र	-वही-	23602
67.	लोक भूमि	-वही-	16501
68.	महा गुजरात	-वही-	5500
69.	मातृ भूमि	-वही-	17098
70.	मयूर भूमि	-वही-	2500
71.	नवसृजन	-वही-	1985
72.	आउट डोर-इन डोर	-वही-	5098
73.	पंच महल वर्तमान	-वही-	6000
74.	फानल टाइम्स	-वही-	3000
75.	प्रजादूत	-वही-	3007
76.	प्रेरणा पत्रिका	-वही-	1920
77.	राम बाण	-वही-	2200
78.	साधना	-वही-	12090
79.	सहकार	-वही-	3994
80.	समय	-वही-	8514
81.	सत्य काम	-वही-	1838
82.	श्री	-वही-	10688
83.	स्त्री	-वही-	69404
84.	वायस आफ दहाड	-वही-	3400
85.	व्यापार उद्योग	-वही-	22630
86.	गुजरात ला टाइम्स	अंग्रेजी/साप्ताहिक	895
87.	आदर्श परिवार	गुजराती/पाक्षिक	3000

1	2	3	4
88.	आयुर्वेद टाइम्स	गुजराती/पाक्षिक	1050
89.	भूमि पुत्र	-वही-	4617
90.	धर्म संदेश	-वही-	20303
91.	गुणादित ज्योति	-वही-	2000
92.	लोक जीवन	-वही-	2570
93.	निरंजन	-वही-	18725
94.	रंग तरंग	-वही-	19541
95.	समाजवाद	-वही-	11666
96.	सर्वोदय	-वही-	6189
97.	सत्य आचार	-वही-	500
98.	बाल पुष्टि	अंग्रेजी/मासिक	1000
99.	गुजरात लॉ रिपोर्टर	गुजराती/मासिक	2048
100.	गुजरात राजस्व ट्राइब्यूनल लॉ रिपोर्टर	-वही-	226
101.	नर्मदा कृषि परिवार	-वही-	5000
102.	आर्थिक विकास	-वही-	2300
103.	अर्थ संकलन	-वही-	820
104.	बाल पुष्टि	-वही-	3000
105.	ग्राम स्वराज	-वही-	5690
106.	हिन्दु मिलन मन्दिर	-वही-	4199
107.	केकरव	-वही-	3200
108.	कायदो-ने-कानून	-वही-	1086
109.	कुछ विकास	-वही-	2644
110.	नगर दर्पण	-वही-	640
111.	नर्मदा किसान परिवार पत्र	-वही-	22700
112.	परमार्थ	-वही-	12617

1	2	3	4
113.	राजपूत बन्धु	गुजराती/मासिक	1240
114.	सखी	-वही-	10442
115.	श्री घनश्यम विजय	-वही-	6137
116.	वैष्णव परिवार	-वही-	11500
117.	जी०इ०वी० न्यूज	अंग्रेजी तथा गुजराती/मासिक	14248
118.	डेली आफिसियल लिस्ट	अंग्रेजी/दैनिक	1124
119.	इमारती लक्कड़ समाचार	गुजराती/पाक्षिक	2550
120.	ज्योतिष दीप	गुजराती/मासिक	8941
121.	पेंशनर जगत बिलम ब्राहमणग्नाती	-वही-	3300
122.	वर्तमान	-वही-	1150

महाराष्ट्र के विद्युत संयंत्र

1802. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की अनुमानित विद्युत आवश्यकता कितनी है ;

(ख) महाराष्ट्र में विद्युत का वर्तमान उत्पादन कितना है और उस पर कितना व्यय हुआ है ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में स्थापित होने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(घ) ये परियोजनाएं कब तक स्वीकृत हो जायेंगी और इनके लिए किस प्रकार धनराशि जुटाई जाऐगी ; और

(ड.) आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कितने गांवों का विद्युतीकरण होना प्रस्तावित है और चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क). अप्रैल, 1993-जनवरी, 1994 के दौरान महाराष्ट्र में ऊर्जा की आवश्यकता 36795 मि०यू० थी। इस अवधि के दौरान विद्युत की व्यस्तमकालीन आवश्यकता 7480 मि०यू० थी।

(ख) अप्रैल, 1993-जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किय गया ऊर्जा उत्पादन 27553 मि०यू० था। 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन की औसत लागत 148.06 पैसे/किलोवाट आवर था।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त किए जाने की आशा :-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1.	मानिकडोह
2.	उज्जैनी
3.	वारना
4.	सूर्या
5.	भिण्डारडारा-2
6.	दुधगंगा
7.	डिम्भे
8.	भिरा पी०एस०एस०
9.	कोयना चरण-4
10.	चन्द्रपुरा युनिट-7
11.	उरण डब्ल्यू०एच०पी०
12.	खापरखेड़ा विस्तार
13.	ट्रोम्बे
14.	बी०एस०ई०बी० (दहानू)
15.	सरदार सरोवर (बहु-राज्य परियोजना)

विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधियों को जुटाने की जिम्मेवारी परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकारों और प्रवर्तकों (निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में) की है।

(ड.) महाराष्ट्र में सभी गांवों जिनका व्यवहारिक दृष्टि से विद्युतीकरण किया जा सकता है, का मार्च, 1989 के अन्त तक पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक्सचेंज

1803. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर्नाटक के थामकुर तथा तमिलनाडु के थिरुपुर में एक्सचेंज किराए पर देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अन्य कौन-कौन से एक्सचेंज दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क). जी नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

असम में टेलीफोन कनेक्शन

1804. श्री प्रबीन डेका : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में टेलीफोन कनेक्शन के लिए इस समय श्रेणी-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य में श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए ;

(ग) राज्य में दिसम्बर, 1994 के अंत तक जिला-वार और श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए जाएंगे ; और

(घ) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रैस मार्ग परियोजना

1805. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रैस मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है तथा इसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क). अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) यद्यपि लागत में वृद्धि हुई है फिर भी इस परियोजना के लिए कोई वित्तीय संकट नहीं है।

(ग) लागत में वृद्धि मुख्यतः भूमि अधिग्रहण की अतिरिक्त लागत और ऊंची निविदा-दरों के कारण हुई है।

(घ) और (ड.) राज्य सरकार ने संशोधित मंजूरी प्राप्त करने के लिए संशोधित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किया है।

आसनसोल में आकाशवाणी केन्द्र

1906. श्री ह्याराधन राय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसनसोल में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ नियत की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). आसनसोल में 235.74 लाख रुपये की पूंजीगत लागत पर 2 गुना 3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर सहित एक रिले केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

1807. श्री देवी बक्स सिंह :

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री बलराज पासी :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रत्येक जोन/क्षेत्र में श्रेणी-वार कुल कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) अब तक श्रेणी-वार तथा क्षेत्र-वार कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन जारी करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(घ) अगले वर्ष के आरंभ में प्रतीक्षा-सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क). 31.1.94 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का श्रेणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्षेत्र	ओवाईटी-एस	ओवाईटी-जी	गैरओवाईटी एसएस	गैरओवाईटी टी-विशेष	गैरओवाईटी टी-सी०	जोड़
महाप्रबंधक (पूर्व)	22	313	-	105	74848	75288
महाप्रबंधक (उत्तर)	-	20	-	1	60755	60776
महाप्रबंधक (दक्षिण)	292	4462	-	598	68046	73398
महाप्रबंधक (पश्चिम)	33	1469	-	157	72403	74062
क्षेत्र प्रबंधक(केन्द्रीय)	59	48	-	13	9647	9767
जोड़	406	6312	-	874	285699	293291

(ख) 31.1.94 तक श्रेणी-वार/क्षेत्र-वार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन :

क्षेत्र	तत्काल	ओवाईटी (सामान्य)	ओवाईटी (विशेष)	गैर-ओवाईटी (विशेष)	गैर-ओवाईटी (सामान्य)	जोड़
महाप्रबंधक (पूर्व)	54	3590	67	544	9309	13564
महाप्रबंधक (उत्तर)	-	1447	57	157	6956	8617
महाप्रबंधक (दक्षिण)	940	2221	267	343	4777	8548
महाप्रबंधक (पश्चिम)	174	3710	-	685	9391	13960
क्षेत्र प्रबंधक (केन्द्रीय)	-	1933	-	307	1972	4212
जोड़ :	1168	12901	391	2036	32405	48901

(ग) 1993-94 के लिए 76600 नये टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) दिल्ली में 1994-95 के दौरान, 4 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की अन्तिम योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें ओ०वाई०टी० और विशेष श्रेणी के प्रतीक्षा सूची 1994 तक निपटा दी जाएगी तथा 1995 तक सामान्य श्रेणी के टेलीफोन की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, बशर्ते, उपस्कर वित्तीय तथा अन्य संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

1808. श्री दत्ता मेघे :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री विजय नवल पाटील :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिले-वार तथा श्रेणी-वार कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) राज्य में अब तक जिले-वार तथा श्रेणी-वार कुल कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिया गया है ; और

(ग) शेष आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सूचना संकलित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दूरसंचार विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी टेलीफोन प्रणालियों यथा बम्बई और पूना आदि में प्रतीक्षा-सूची की अवधि को दो वर्ष तक सीमित करने और ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रुप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एम०टी०एन०एल, बम्बई सहित महाराष्ट्र में 16,70,000 नए टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि का प्रस्ताव है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

1809. श्री शिबू सोरेन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अप्रैल, 1993 से आज तक किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को और चौड़ा करने, उनका विस्तार और मरम्मत करने का कार्य शुरु किया गया है और बिहार से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसा कार्य कब तक शुरु किया जायेगा ; और

(ख) अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है और इस पर वास्तव में कितना धन खर्च किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क). बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों द्वारा ही यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का कोई कार्य शुरु नहीं किया जा रहा है। तथापि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2, 23 और 28-क को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 32 को चौड़ा करने का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए 1993-94 के दौरान 115.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। इसके अलावा 1993-94 के दौरान बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए 12.31 करोड़ रुपए भी आबंटित किए गए हैं।

बिहार में राजमहल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

1810. श्री साईमन मरान्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के झारखंड क्षेत्र में राजमहल के निकट दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ताकि कार्यक्रमों का संतोषजनक प्रसारण हो; और

(घ) झारखंड क्षेत्र में अब तक कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाये हैं, और उनमें से कितने ट्रांसमीटर इस समय चालू हैं तथा प्रत्येक की क्षमता कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, नहीं। साहिब गंज जिले में राजमहल, कटिहार में कार्यरत उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है।

(ग) और (घ) इस समय बिहार की अनुमानतः 91.7 प्रतिशत जनसंख्या को टी०वी० कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में 32 टी०वी० ट्रांसमीटिंग केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्य में टी०वी० सेवा को और अधिक

सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न शक्तियों के 15 और टी०वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित हैं। सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	स्थान का नाम	वर्ग	शक्ति
1	2	3	4
1.	डाल्टनगंज	उ०श०ट्रा०	10 कि०वा०
2.	कटिहार	उ०श०ट्रा०	10 कि०वा०
3.	मुजफ्फरपुर	उ०श०ट्रा०	1 कि०वा०
4.	पटना	उ०श०ट्रा०	10 कि०वा०
5.	रांची	उ०श०ट्रा०	10 कि०वा०
6.	बेतिया	अ०श०ट्रा०	100 वा०
7.	बेगुसराय	अ०श०ट्रा०	100 वा०
8.	बोकारो	अ०श०ट्रा०	100 वा०
9.	भागलपुर	अ०श०ट्रा०	100 वा०
10.	बक्सर	अ०श०ट्रा०	100 वा०
11.	चायबासा	अ०श०ट्रा०	100 वा०
12.	दरभंगा	अ०श०ट्रा०	100 वा०
13.	देवगढ़	अ०श०ट्रा०	100 वा०
14.	धनबाद	अ०श०ट्रा०	100 वा०
15.	डुम्का	अ०श०ट्रा०	100 वा०
16.	फोरबिसगंज	अ०श०ट्रा०	100 वा०
17.	गया	अ०श०ट्रा०	100 वा०
18.	गिरिडिह	अ०श०ट्रा०	100 वा०
19.	घाटशिला	अ०श०ट्रा०	100 वा०
20.	गोपालगंज	अ०श०ट्रा०	100 वा०
21.	जमशेदपुर	अ०श०ट्रा०	100 वा०
22.	जमुई	अ०श०ट्रा०	100 वा०
23.	खगड़िया	अ०श०ट्रा०	100 वा०
24.	मधुबनी	अ०श०ट्रा०	100 वा०

1	2	3	4
25.	माधेपुरा	अ०श०ट्रा०	100 वा०
26.	मोतीहारी	अ०श०ट्रा०	100 वा०
27.	मुंगेर	अ०श०ट्रा०	100 वा०
28.	सहरसा	अ०श०ट्रा०	100 वा०
29.	सासाराम	अ०श०ट्रा०	100 वा०
30.	सीतामढ़ी	अ०श०ट्रा०	100 वा०
31.	सिवान	अ०श०ट्रा०	100 वा०
32.	रामगढ़ हिल	ट्रांसपोजर	10 वा०
II. कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित टी०वी० ट्रांसमीटर			
1.	बेतिया	उ०श०ट्रा०	10 कि०वा०
2.	जमशेदपुर	उ०श०ट्रा०	1 कि०वा०
3.	औरंगाबाद	अ०श०ट्रा०	300 वा०
4.	गोड्डा	अ०श०ट्रा०	300 वा०
5.	गुमला	अ०श०ट्रा०	100 वा०
6.	हजारीबाग	अ०श०ट्रा०	300 वा०
7.	लोहरडग्गा	अ०श०ट्रा०	300 वा०
8.	नवादा	अ०श०ट्रा०	100 वा०
9.	रक्सौल	अ०श०ट्रा०	300 वा०
10.	सौपाल	अ०श०ट्रा०	300 वा०
11.	नौमंड़ी	अ०श०ट्रा०	100 वा०
12.	कोडरमा	अ०श०ट्रा०	100 वा०
13.	फूलपारस	अ०श०ट्रा०	300 वा०
14.	सरायकेला	अ०श०ट्रा०	100 वा०
15.	सुमड़ेगा	अ०अ०श०ट्रा०	10 वा०

शीर्षक — उ०श०ट्रा० — उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ०श०ट्रा० — अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ०अ०श०ट्रा० — अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

बिहार की विद्युत परियोजनाओं पर निगरानी

1811. श्री लाल बाबू राय :

डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कतिपय विद्युत परियोजनाओं पर निगरानी रखी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का इस निगरानी सम्बन्धी कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) निगरानी रखे जाने के परिणामस्वरुप सरकार की जानकारी में क्या-क्या खामियां आईं ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ; और

(ड.) यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में चालू किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए, विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इनके कार्य की सतत रुप से मानीटरिंग की जाती है। बिहार की विद्युत परियोजनाओं की विशेष रुप से, निधियों के आबंटन, भेल द्वारा समयानुसार शीघ्र उपस्कर सप्लाई किये जाना, क्रियान्वयन के कार्य की भौतिक प्रगति की समीक्षा करने और बाधाओं का समाधान करने के लिए परियोजना स्थल के दौरे करने आदि की दृष्टि से मानीटरिंग की जा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त निधियां आबंटित किया जाना, उपलब्ध निधियों का धीमी गति से सदुपयोग किया जाना, परियोजना प्रबन्ध में खामियां होना आदि ऐसी कुछ कमियां हैं जिनका सामान्यतः सामना करना पड़ता है।

(घ) और (ड.) मानीटरिंग के दौरान जानकारी में आई कमियों को दूर करने के लिए इन पर समयानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु मामले को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

विभिन्न देशों को पाकिस्तान के विशेष दूत

1812. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री चेतन पी०एस० चौहान :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपने प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाने हेतु विभिन्न देशों को अपने विशेष दूत भेज रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने हमारे मिशनों से कहा है कि वे अपने-अपने प्रत्ययन के देश की सरकार को स्थिति से अवगत कराते हुए यह कहें कि वे पाकिस्तान के संकल्प के खिलाफ मत दें। विदेश मंत्री ने मानवाधिकार

आयोग के सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें हमारे दृष्टिकोण से अवगत कराया है। जहां हमारे निवासी मिशन नहीं हैं वहां के लिए सह प्रत्यायित दूतों को हिदायत की गई है कि वे सम्बन्धित राजधानियों की यात्रा करके वहां के प्राधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष डिमार्श करें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल को सुदृढ़ बनाया गया है। सरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य राज्यों के दिल्ली आस्थानी दूतों को भी स्थिति से व्यापक रुप से बार-बार अवगत कराती रही है।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

1813. श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में जनवरी, 1994 के प्रथम सप्ताह के दौरान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विचारगोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा की गई और उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं विश्व के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) विचार गोष्ठी में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जो विशिष्ट कदम उठाने का सुझाव दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जिन विषयों पर इस गोष्ठी में कागजात प्रस्तुत किए गए थे, वह निम्नलिखित से संबंधित थे :-

(1) भारत में सड़क दुर्घटना परिदृश्य और सुरक्षा प्रबन्ध नीतियां ;

(2) सड़क सुरक्षा, शिक्षा और प्रवर्तन ;

(3) शहरों में सड़क दुर्घटनाएं ;

(4) सड़क सुरक्षा संस्कृति विकसित करने में समस्याएं और इसकी भावी संभावनाएं ;

(5) वाहनों, पैदल यात्रियों, यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा ;

(6) सड़क सुरक्षा संस्कृति का विकास किए जाने के लिए अपेक्षित उपाय और कठिनाइयां;

(7) सड़क सुरक्षा में सड़क इंजीनियरिंग-आगामी वर्षों के लिए आवश्यकता ;

(8) एकीकृत सड़क यातायात प्रबन्ध प्रणाली-सड़क सुरक्षा की नीति।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। गोष्ठी में प्रस्तुत किए गए एक पत्र में चुनिंदा देशों में दुर्घटना दर और सुविधाओं के बारे में निम्नलिखित सूचना दी गयी थी :-

चुनिंदा देशों में दुर्घटना दर और सुविधाएं :

क्रम सं०	देश का नाम	प्रति एक हजार वाहन दुर्घटनाएं	प्रति एक हजार वाहन मौतें	एक हजार दुर्घटनाओं में मौतें
1.	भारत	13.00	2.61	200.00
2.	यू०के०	14.00	0.39	24.00
3.	पश्चिम जर्मनी	13.30	0.61	34.00
4.	संयुक्त राज्य अमेरिका	12.20	0.33	25.00
5.	इटली	11.50	-	31.00
6.	जापान	9.80	0.20	18.00
7.	स्वीडन	6.80	2.70	33.00
8.	आस्ट्रेलिया	3.11	0.39	125.52
9.	ब्राजील	1.38	0.32	229.51
10.	फ्रांस	8.70	0.40	50.00

(ङ.) गोष्ठी में वक्ताओं द्वारा सुझाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

5 जनवरी, 1994 को हुई सड़क सुरक्षा गोष्ठी में सुझाए गए कुछ निवारक उपाय जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हों निम्नानुसार हैं :

1. विभिन्न श्रेणियों के सड़क प्रयोक्ताओं के लिए ''करने योग्य'' और ''न करने योग्य'' बातों से संबंधित श्रव्य, दृश्य, पर्चे आदि तैयार किए जाने चाहिए और अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

2. शिक्षा मंत्रालय को अधिनियम बनाकर ''यातायात शिक्षा'' को स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना देना चाहिए।

3. सभी मोटर ड्राइविंग स्कूल, जिनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है, राज्य की एजेंसियों द्वारा विनियमित और नियंत्रित किए जाने चाहिए। इन ड्राइविंग स्कूलों में उचित मूल संरचनात्मक सुविधाओं और अर्हता प्राप्त अनुदेशक होने चाहिए।

4. चूंकि पैदल यात्री और साइकिल चालक सड़क दुर्घटनाओं के अधिक शिकार होते हैं इसलिए सड़क अनुशासन के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षा अभियान की आवश्यकता है।

5. पहाड़ी खण्डों के साथ-साथ भू-ज्यामितीय सुधार।

6. पुल के पहुंचमार्गों तथा उच्च तटबंधों आदि पर सुरक्षा पटरियों का प्रावधान।

7. बिना व्यक्तियों के रेलवे लैवल क्रासिंगों पर सिगनल लगाना और चेतावनी संकेत और ध्वनि यंत्रों की व्यवस्था करना।

8. राष्ट्रीय और राज्यीय, राजमार्गों पर से गति अवरोधकों को हटाना और जहां गति रोधकों की नितान्त आवश्यकता हो, वहां अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप बनाना।

9. शहरी केन्द्रों और मुख्य घाटों के साथ बेहतर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना।

10. ड्राइवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और ड्राइविंग लाइसेंसों पर अधिक कड़ा नियंत्रण।

11. प्रत्येक सड़क पर उचित सड़क चिन्हों की व्यवस्था करना ताकि उचित लेन का अनुशासन लागू किया जा सके।

12. पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं बरकरार रखना और उन्हें उपलब्ध कराना।

13. व्यवस्थित आधार पर सड़क प्रकाश प्रणाली का सुधार करना।

बेल्जियम के विदेश मंत्री के साथ वार्ता

1814. श्री रवि राय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनकी ब्रूसेल्स यात्रा के दौरान बेल्जियम के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और कश्मीर सहित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया था, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में। विदेश मंत्री ने दक्षिण एशिया से सम्बद्ध क्षेत्रीय मसलों पर हमारे दृष्टिकोण तथा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सम्बन्ध में भारी चिन्ता से भी अवगत कराया। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश बेल्जियम पूंजी निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार सम्पन्न करने के मसले पर विचार करेंगे। पाकिस्तान के साथ सभी मसलों का जिसमें कश्मीर भी शामिल है, भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए समाधान करने के प्रति बेल्जियम के विदेश मंत्री ने समर्थन व्यक्त किया।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

1815. श्री राजेश कुमार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग और आंबटन के बीच भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रतीक्षा-सूची का जिले-वार और क्षेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक, जिले-वार और श्रेणी-वार, कितने-कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिया जा चुका है ; और

(घ) सरकार ने शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के क्या प्रयास किए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्यों के अनुसार इस योजना अवधि के अंत तक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में व्यवहारिक रुप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना और बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष करना शामिल है। तदनुसार एक्सचेंज क्षमताओं की योजना बनाई जाती है।

विवरण

भाग (ख) और (ग) :- प्रतीक्षा-सूची से संबंधित जिले-वार तथा श्रेणी-वार सूचना तथा जिन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए, उनकी संख्या :

क्रम सं०	जिले का नाम	31.1.94 को प्रतीक्षा सूची			1.4.93 से 31.1.94 तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन		
		ओवाईटी	विशेष	सामान्य	ओवाईटी	विशेष	सामान्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बोकारो	23	65	1369	1	2	225
2.	धनबाद	10	16	1160	–	–	195
3.	मुजफ्फरपुर	–	–	1615	10	2	2476
4.	सीतामढ़ी	–	19	924	1	1	579
5.	वैशाली	–	12	369	–	–	407
6.	गुमला	–	–	302	–	–	34

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	लोहरडेगा	-	-	512	-	-	312
8.	रांची	-	-	3013	15	8	4627
9.	भोजपुर	-	39	1119	1	-	215
10.	बक्सर	-	18	323	-	-	308
11.	नालंदा	-	-	295	-	-	149
12.	पटना	-	-	4608	11	19	6132
13.	औरंगाबाद	-	3	512	-	-	204
14.	गया	6	45	2103	1	-	335
15.	जाहानाबाद	-	-	311	-	-	195
16.	नबादा	-	-	283	-	-	169
17.	भाबुहन	-	-	337	-	-	149
18.	रोहतास	2	8	419	1	2	563
19.	गढ़वा	-	3	119	-	-	312
20.	पलामू	-	4	311	-	-	212
21.	बांका	-	-	200	-	-	149
22.	मुंगेर	-	-	211	-	-	210
23.	साहेब गंज	-	-	213	-	-	95
24.	देवघर	-	-	113	6	4	335
25.	बेगूसराय	-	5	333	1	3	453
26.	मधुबनी	2	15	561	-	-	413
27.	समस्तीपुर	-	3	240	-	-	235
28.	खगरिया	-	2	166	-	-	342
29.	दरभंगा	1	31	912	5	2	1379
30.	छपरा	1	6	961	5	4	1421
31.	गोपाल गंज	-	2	435	1	2	495
32.	सीवान	-	2	241	-	-	543
33.	चंपारन (इ)	-	1	113	-	-	195
34.	चंपारन (डब्ल्यू)	-	-	272	-	-	521
35.	दुमका	5	5	210	-	-	145

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	गोड्डा	-	2	242	-	-	141
37.	जमुई	-	-	117	-	-	146
38.	भागलपुर	109	187	1285	-	-	193
39.	अररिया	-	-	121	-	-	219
40.	किशनगंज	-	-	160	-	-	143
41.	हजारीबाग	5	18	668	5	10	687
42.	कटिहार	-	7	350	2	1	1021
43.	पुर्निया	-	13	663	-	-	338
44.	सहरासा	-	5	210	1	-	435
45.	मधेपुरा	-	-	119	-	-	108
46.	सुपौल	-	-	160	-	-	293
47.	सिंहभूम (इ)	223	458	6209	2	1	236
48.	सिंहभूम (डब्ल्यू)	-	10	312	-	2	304
49.	गिरदीह	2	10	350	-	-	531
50.	छपरा	-	-	50	-	-	7
	योग :	389	1011	36201	69	63	29531

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटन

1816. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/विकास के लिए 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया है ;

(ख) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लम्बाई का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश के लिए धनराशि के आबंटन में लगातार कटौती करने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव तथा उनकी मरम्मत हेतु अपेक्षित निधियों का निर्धारण प्रति वर्ष उस समय लागू दरों के आधार पर किया जाता है। तथापि, वास्तविक आबंटन, वास्तव में उपलब्ध समग्र अनुरक्षण निधियों में से अनुपात्तः किया जाता है। संस्वीकृत कार्यों, उनके वर्तमान स्तर और निधियों की समग्र उपलब्धता

को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) रख-रखाव के लिए निधियों में कोई कमी नहीं की गई है। विकास के लिए निधियां, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (ख) में दिया गया है, संस्वीकृत कार्यों/उनके वर्तमान स्तर और निधियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर आबंटित की जाती है।

विवरण -I

राज्य का नाम	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	अनुरक्षण/ मरम्मत	विकास	अनुरक्षण/ मरम्मत	विकास	अनुरक्षण/ मरम्मत	विकास	अनुरक्षण/ मरम्मत	विकास
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1328.28	2200.00	1279.42	2455.00	1249.44	2600.00	1662.16	4150.00
अरूणाचल प्रदेश	50.88	25.00	84.36	48.00	35.41	80.00	26.89	100.00
असम	959.38	1150.00	1018.09	1225.00	1039.625	1275.00	1223.22	1400.00
बिहार	1148.83	800.00	1012.30	1142.00	1072.66	1385.00	1231.45	1800.00
चण्डीगढ़	11.55	50.00	16.00	28.00	15.48	25.00	14.00	25.00
दिल्ली	125.16	350.00	163.00	550.00	171.80	700.00	203.21	550.00
गोवा	215.87	700.00	191.97	930.00	208.308	850.00	205.39	550.00
गुजरात	1043.02	3250.00	918.89	4770.00	881.37	4650.00	1009.95	6000.00
हरियाणा	252.67	1250.00	362.29	1060.00	380.83	1870.00	493.26	2700.00
हिमाचल प्रदेश	595.88	1125.00	518.77	1140.00	529.55	1150.00	746.70	1200.00
जम्मू तथा कश्मीर	141.65	300.00	45.00	50.00	143.39	50.00	94.34	40.00
कर्नाटक	742.83	1800.00	990.02	1775.00	1105.85	1880.36	1199.19	2450.00
केरल	434.50	1300.00	586.54	1120.00	587.82	1400.00	683.17	3000.00
मध्य प्रदेश	1046.09	1850.00	1195.69	1850.00	1213.25	1915.00	1266.28	1450.00
महाराष्ट्र	1489.15	2750.00	1620.90	3358.00	1506.677	3280.00	1734.63	2500.00
मणिपुर	54.82	300.00	51.67	250.00	73.32	250.00	123.47	300.00
मेघालय	181.19	300.00	205.19	450.00	170.27	387.00	203.13	470.00

(ग) और (घ) भारतीय नौवहन निगम लि० तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन के तीन यात्री सह-कार्गो जहाज तथा एक कार्गो जहाज, मुख्यभूमि - अंडमान सैक्टर में प्रचालन के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ निजी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियां भी इस सैक्टर में कार्गो जहाज चलाती हैं। यात्री सह-कार्गो वैसल एम०बी० अकबर जिसमें फिलहाल मुख्य मरम्मत कार्य चल रहा है, पुनः चालू होने के बाद आशा है कि 1994 के अंत तक अंडमान और निकोबार द्वीपों के लिए यात्राओं की बारम्बारता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त मुख्य भूमि - अंडमान सेवा के प्रचालन के लिए सरकार ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा यात्री-सह-कार्गो वैसल की खरीद किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी है, जिसके 1997 तक प्रचालन हेतु उपलब्ध हो जाने की आशा है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार नेटवर्क हेतु रेडियो चैनल

1818. श्री धर्मण्णा मौंडय्या सादुल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संचार नेटवर्क हेतु 40 अतिरिक्त रेडियो चैनलों का उपयोग करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब तक लागू की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां, सिटिजन बैंड रेडियो प्रयोग के लिए सौंपे जाने हेतु कुल 40 रेडियो चैनल निश्चित किए गए हैं।

(ख) सिटिजन बैंड रेडिया व्यक्तिगत संचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला दो तरफा कम दूरी का वॉयस कम्यूनिकेशन रेडिया टेलीफोन सिस्टम है। ये आवृत्तियां विभिन्न प्रयोगों जैसे एयरोमाइलिंग, पर्वतारोहण, खेल-कूद, हाबी, ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाएं आदि के लिए विनिर्दिष्ट तकनीकी एवं प्रचालनात्मक पैरामीटरों के अनुरुप निश्चित की गई है। ऐसे प्रयोगों के लिए बेतार लाइसेंस दिए जाते हैं।

(ग) ऐसे प्रयोगों की अनुमति देने के लिए पहले से ही लाइसेंस दिए जाते हैं।

भोजपुरी कार्यक्रम तथा फिल्में

1819. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजपुरी फिल्मों के निर्माण के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता और सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भोजपुरी फिल्मों को क्षेत्रीय भाषी फिल्मों का दर्जा देने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). राष्ट्रीय फिल्म

विकास निगम, किसी भी भाषा की स्थिति अर्थात् वह भाषा राष्ट्रीय है, क्षेत्रीय है अथवा अन्यथा है, का ध्यान किए बिना फिल्मों के निर्माण के लिए उनके कथानक/प्रस्ताव के गुणों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अभी तक भोजपुरी भाषा में किसी भी फिल्म को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। भोजपुरी में फिल्म निर्माण के किसी भी प्रस्ताव पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा

1820. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में बोगोदर से सासाराम (ग्रेंड ट्रंक रोड) रांची से बरही और बोकारो से रामगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग शोचनीय स्थिति में है ;

(ख) क्या पिछले कई वर्षों से इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन राजमार्गों की मरम्मत कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर बोगोदर से सासाराम तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रांची से बरही तक और राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर बोकारो (चास) से रामगढ़ तक के पहुंच मार्गों को उपलब्ध संसाधनों की सीमा में यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत् कार्य है और इसे उपलब्ध निधियों के भीतर इन खण्डों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया जाता है।

गुजरात में ताप विद्युत संयंत्र

1821. श्री काशीराम राणा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित कुछ बड़ी कंपनियों ने गुजरात में भारी पूंजी निवेश के साथ कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात विद्युत निगम लिमिटेड ने, जिला सूरत, मंगलौर, जिला भावनगर, घोघा और जिला कच्छ, अकिरिमोटा में निजी क्षेत्र में तीन लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्रों को स्थापित करने के लिये प्रस्तावों को आमंत्रित किया है। इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये कुछ विदेशी कम्पनियों ने अपनी रूचि प्रकट की है। प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद परियोजनाओं का ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

[अनुवाद]

नई शुल्क नीति

1822. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नई शुल्क नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस नीति को कब तक लागू किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

1823. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में खनिजों के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इस तरह का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में पाये गये विभिन्न खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने (1) मूल धातुओं (तांबा-जस्ता-सीसा) के लिए देहरादून जिले की टोन्स घाटी क्षेत्र, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल के गाल्पाकोट-किमखेट क्षेत्र, पौड़ी जिले के टिहरी क्षेत्र तथा अल्मोड़ा के कुछ हिस्सों में (2) स्वर्ण के लिए नैनीताल गोरखपुर, गौड़ा, महाराजगंज, सोनभद्रा जिलों में, (3) टिन-टंगस्टन के लिए सोनभद्रा तथा हामिरपुर जिलों में (4) क्वार्टस रेत के लिए देहरादून तथा उत्तरकाशी जिलों में (5) प्लेटिनायउस तथा रेयर अर्थ के लिए सोनभद्रा जिले में तथा (6) डाइमेंशनल स्टोन के लिए बुन्देलखंड क्षेत्र में अन्वेषण किया है।

इन क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में पुरस्कार

1824. श्री राम कापसे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने टेलीफोन के दुरुपयोग की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक कितने लोगों को इस तरह पुरस्कृत किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) एम०टी०एन०एल० ने टेलीफोन लाइनों का धोखा धड़ी से उपयोग की शिनाख्त करने में सहायता पहुंचाने वाले मुखबिरों तथा सरकारी कर्मचारी को पुरस्कार देने की एक योजना शुरु की है। योजना में टेलीफोन लाइनों की धोखाधड़ी/दुरुपयोग की शिनाख्त करने में सूचना/सहायता प्रदान करने के लिए बाहरी और एम०टी०एन०एल०/सरकारी कर्मचारियों को (एम०टी०एन०एल० के सतर्कता अनुभाग के स्टाफ को छोड़कर) इनाम देने का प्रावधान है। प्रति मामले पर प्रति व्यक्ति को इनाम के तौर पर दी जाने वाली अधिकतम धनराशि 5,000/- रुपये है लेकिन एक मामले में सभी व्यक्तियों को दी जाने वाली इनाम की सीमा 50,000/- रुपये तक है।

(ग) एम०टी०एन०एल०

दिल्ली — 19 बम्बई — शून्य

प्रदूषण फैलाने वाले ताप विद्युत केन्द्र

1825. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रदूषण फैलाने वाले विद्युत केन्द्रों का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन ताप विद्युत संयंत्रों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने में असफल रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में ऐसे 41 विद्युत केन्द्रों का पता लगा लिया है जो प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सावतीं और आठवीं योजना अवधि के तहत प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है और इन कार्यों सम्बन्धी प्रगति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित रुप से मानीटरिंग की जाती है। दीर्घ निर्माणावधि सहित पूंजी प्रभावी, केन्द्रों को अधिक समय तक बन्द रहना और बिजली बोर्डों की निधियों संबंधी बाधाओं के फलस्वरुप इन कार्यों की प्रगति धीमी है।

(घ) ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :-

1. (क) बिवितल पदार्थ के उत्सर्जन को रोकने के लिए सभी नई कोयला दहन ताप विद्युत संयंत्रों को उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) आसपास की वायु को निर्धारित सीमा तक उत्कर्ष रखे जाने के उद्देश्य से सल्फर आक्साइड गैसों के विक्षेपण के लिए टालस्टेक्स उपलब्ध कराए गए हैं।

2. पुराने कोयला वहन संयंत्रों में पुराने इएसपीज़ और साइक्लोन सेपरेटरों को बदला/परिवर्तित किया जा रहा है।

3. ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादित राख सामान्यतः विद्युत संयंत्रों से और आबादी वाले क्षेत्रों से दूर निचले इलाकों में एकत्रित की जाती है। टीले बनाए जा रहे हैं और इनके ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र को हराभरा रखा जा सके और आसपास की वायु को उड़न राख/धूल से बचाया जा सके।

4. निदान संयंत्रों में, विद्युत संयंत्र क्षेत्र से निक्षेपण के पहले ही अपगामी रसायन बना लिए जाते हैं।

5. गैस दहन गैस टर्बाइन विद्युत संयंत्रों के मामले में एन०ओ०एक्स० स्तर को सीमा में रखने हेतु भाप अन्तः प्रेषण आदि तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

6. कोयला ज्वलनों को आधुनिक डिजाइन उपलब्ध कराकर नाइटरस गैसीज (एन०ओ०एक्स०) उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाता है। छोटे संयंत्रों में प्रयोग में लाने हेतु नई प्रौद्योगिकी जैस फॅल्यूडाइज्ड बैड कम्बयूस्चन आजमाई जा रही है।

राजनयिक संबंध

1826. श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के दौरान किन-किन देशों के साथ व्यापार तथा अन्य द्विपक्षीय समझौते किए गए ;

(ख) वर्ष 1993 के दौरान किन-किन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए ; और

(ग) किन-किन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) वर्ष 1993 के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार/द्विपक्षीय करार सम्पन्न हुए : रूस, बेलारूस, मोलदोवा, आरमेनिया, एस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, रूमानिया, स्लोवीनिया, स्लोवाकिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, आइवरी कोस्ट, उगान्डा, जाम्बिया, कोरिया गणराज्य, नोरू, म्यांमार, इस्राइल, गयाना, अर्जेन्टीना, ब्राजील, थाईलैंड, वियतनाम, ओमान, चीन, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गीजस्तान, कजाकस्तान, तुर्की, तुकर्मेनिस्तान, इटली, स्पेन और बेल्जियम।

(ख) वर्ष 1993 के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए गए :

चैक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, एरीत्रिया और दक्षिण अफ्रीका।

(ग) होंडूरास के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

पीपावाव विद्युत परियोजना

1827. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को चालू विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता स्वीकृत करने के लिए कहा है ;

(ख) परियोजनावार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या पीपावाव विद्युत परियोजना इस योजना में शामिल है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पथकर अधिनियम में संशोधन

1828. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पथकर अधिनियम, 1985 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में सोने के नये भंडार

1829. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान कें बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में सोने के भंडार पाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में कितने प्रतिशत सोना मिलने की संभावना है ;

(ग) क्या वहां पर मिला सोना देश के अन्य भागों में पाये गये सोने से अधिक महंगा होगा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों से सोने का खनन करने का है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरुप आनन्दपुरी-बुखिया क्षेत्र, बनासवाड़ा जिले, राजस्थान में अनेक स्वर्णधारी जोनों का पता चला है।इन जोनों में सोना भिन्न-भिन्न मात्रा में पाया जाता है। 3.5 मी० से 8.90 मी० चौड़ाई में फैले एक 220 मी० तांबे जोन का पता चला जिससे सोने की मात्रा 0.7 ग्रा०/टन से 1.99 ग्रा०/टन के बीच है। स्वर्ण मिनरलाइजेशन की प्रकृति और मात्रा तथा इस क्षेत्र में इसके भण्डार की जांच का कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सोने के उत्पादन/निष्कर्षण की लागत, निक्षेप की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच पर निर्भर होगी।

भू-उपग्रह केन्द्र

1830. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यवार कितने भू-उपग्रह केन्द्र स्थित हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क मांग के अनुरुप है और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र में उपग्रह भू-केन्द्रो की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :-

राज्य	उपग्रह भू-केन्द्रों की संख्या
अरूणाचल प्रदेश	9
असम	1
मणिपुर	3
मेघालय	6
मिजोरम	4
नागालैण्ड	2
त्रिपुरा	5

(ख) जी हां।

(ग) राज्यवार संख्या इस प्रकार है :-

राज्य	प्रस्तावित उपग्रह भू-केन्द्रों की संख्या
अरूणाचल प्रदेश	26
असम	1
मणिपुर	2
मेघालय	3
मिजोरम	2
नागालैण्ड	3

(घ) क्षेत्र की नेटवर्क आवश्यकता की नियमित पुनरीक्षा की जाती है और उसे संतोषजनक कार्यकरण की दृष्टि से समय-समय पर, मांग के बराबर लाया जाता है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन के समाचार के दर्शकों में कमी

1831. श्री राम विलास पासवान :

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन समाचार के दर्शकों की संख्या में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न समय पर दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले हिन्दी और अंग्रेजी के समाचारों के दर्शकों की संख्या में कितने-कितने प्रतिशत कमी आई है ; और

(घ) दूरदर्शन समाचार के दर्शकों की संख्या में कमी होने के किन-किन कारणों का पता चला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). उन शहरों में जहां मैट्रो कार्यक्रम प्राप्त नहीं होते हैं वहां हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के दर्शकों में कोई परिवर्तन नहीं है। जब मैट्रो चैनल पर बहुत अच्छे कार्यक्रम दिखाये जाते हैं तो मैट्रो चैनल वाले शहरों में, शाम के हिन्दी समाचार बुलेटिन के दर्शकों की संख्या में कुछ कमी हुई है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग

1832. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा स्वीकृत कर्नाटक में बीदर से श्रीरंगापट्टनम तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य इस बीच शुरु कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं। कर्नाटक में प्रश्नगत सड़क इस समय राज्य सड़क नेटवर्क का हिस्सा है। अतः राज्य सरकार इसके निर्माण/विकास इत्यादि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत की चोरी और पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानियां

1833. श्री गुमान मल लोढा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1994 के ''फाइनेंशियल एक्सप्रैस'' में देश में बढ़ती हुई विद्युत की चोरी और उसके परिणामस्वरुप पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानि के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या वर्तमान विद्युत प्रणाली में विद्युत की चोरी की काफी सम्भावना है और कुल विद्युत उत्पादन का 13 प्रतिशत चोरी किया जाता है ;

(ग) क्या विद्युत की काफी मात्रा में चोरी के परिणामस्वरुप राज्य बिजली बोर्डों को होने वाली हानि की पूर्ति बिजली के आम उपभोक्ताओं से इसका शुल्क बढ़ाकर की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) यह समाचार सरकार की जानकारी में हैं।

(ख) और (ग) देश में पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की औसत मात्रा लगभग 23 प्रतिशत है। राज्य बिजली बोर्डों की हानियों के अनेक कारण यथा अलाभकारी टैरिफ, असंतुलित पूंजी संरचना, अधिसंख्य कर्मचारियों के कारण उच्च स्थापना लागत, ऊर्जा की चोरी समेत पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा अत्यधिक होना आदि हैं। विद्युत यूटिलिटीज़ द्वारा ऊर्जा की चोरी के कारण हुई हानि की मात्रा का अलग से अनुमान नहीं लगाया जाता है।

(घ) राज्य/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपने प्रचालनात्मक निवेश लागत यथा ईंधन, दैनिक वेतन अभिवृद्धि आदि के आधार पर विद्युत की टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। ऊर्जा की चोरी/दुरुपयोग को रोकने के लिये और राज्य बिजली बोर्डों की क्षमता में सुधार करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए गए हैं। निर्धारित परिसंपत्तियों पर 3 प्रतिशत की दर से लाभांश अर्जित करना बोर्डों के लिए अपेक्षित होता है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अधीन भी बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। बोर्डों की कार्य क्षमता में सुधार करने से सम्बन्धित उपायों के पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को क्रियान्वित करना, ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये प्रोत्साहन स्कीमें लागू करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

यमुनानगर ताप विद्युत संयंत्र

1834. श्री तारा सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने फरीदाबाद से रिमोट कंट्रोल द्वारा यमुनानगर ताप विद्युत संयंत्र का शिलान्यास किया था;

(ख) क्या यमुनानगर ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य शुरु हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो वह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) क्या इस संयंत्र के निर्माण हेतु कोई विदेशी सहयोग लिया गया है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। हालांकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इस परियोजना से सम्बन्धित कुछ प्रारंभिक कार्य किए गए थे।

(ग) से (ड.) वित्तपोषण संबंधी व्यवस्था किये जाने के बाद ही निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। निजी/संयुक्त उद्यम रुप में, इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऐसिनबर्ग ग्रुप कम्पनीज़ (इज़रायल) के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

मुम्बई में टेलीफोन स्थानान्तरित करना

1835. श्री राम नाईक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई के पास एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन स्थानान्तरित करने के लिए दिये गये कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ;

(ख) इनको स्वीकृति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) अक्सर दिये गये कारण ''प्रोद्योगिक रुप से व्यवहार्य नहीं'' का सही अर्थ क्या है ;

(घ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने टेलीफोन स्थानान्तरित करने संबंधी अपनी नीति में संशोधन किया है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई में टेलीफोन को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट करने से संबंधित लंबित मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1)	शिफ्ट संबंधी लंबित कार्य आदेश	-	4990
(2)	कार्य आदेश जारी करने के लिए लंबित आवेदन-पत्र	-	2111

(ख) अधिकांश मामले जो हाल ही के हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है। अन्य मामले तकनीकी कारणों अथवा उपभोक्ताओं के कारण लंबित पड़े हैं।

(ग) ''तकनीकी रुप से व्यवहार्य नहीं'' की शर्त निम्नलिखित स्थितियों में लागू होती है :-

(1) एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता का न होना

(2) एक्सचेंज से उपभोक्ता परिसर तक भूमिगत केबिल पेयरों का उपलब्ध न होना।

(घ) इस नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(ड.) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टी०वी० ट्रांसमीटर

1836. श्री राम बदन :

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान देश में राज्यवार टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान विद्यमान टी०वी० ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो देश में ऐसे ट्रांसमीटर राज्यवार किन-किन स्थानों पर लगाए जाएंगे ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। अपेक्षित ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। तथापि, इन टी०वी० परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन इस प्रयोजनार्थ संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निर्भर करेगा।

(ग) से (घ) जी, हां। सूचना विवरण II में दी गई है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता

विवरण I

1994-95 के दौरान सेवा के लिए चालू किए जाने के लिए संभावित टी०वी० ट्रांसमीटरों की राज्यवार सूची।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	उच्च शाक्ति/अति अ. शा. ट्रांसमीटर
1.	आंध्र प्रदेश	2	30
2.	असम	-	8
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	6
4.	बिहार	-	13
5.	गुजरात	-	18
6.	हरियाणा	-	2
7.	हिमाचल प्रदेश	1	20
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	13
9.	कर्नाटक	-	13
10.	करेल	1	5
11.	मध्य प्रदेश	-	19
12.	महाराष्ट्र	-	19
13..	मणिपुर	1	2
14.	मेघालय	-	1
15.	मिजोरम	1	2

16.	नागालैण्ड	1	2
17.	उड़ीसा	-	24
18.	राजस्थान	2	30
19.	सिक्किम	1	3
20.	तमिलनाडु	1	15
21.	उत्तर प्रदेश	1	29
22.	पश्चिम बंगाल	-	3
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	4
24.	दादरा एवं नगर हवेली	-	1
25.	पांडिचेरी	-	1
26.	त्रिपुरा	-	3

विवरण II

टी०वी० ट्रांसमीटरों (राज्यवार) को दर्शाने वाली सूची जिन्हें वर्धित शक्ति पर 1994-95 के दौरान सेवा क लिए चालू किए जाने की संभावना है।

क्रम संख्या	राज्य	सम्प्रेषण केंद्र की अवस्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल
		नान्दयाल
2.	जम्मू एवं कश्मीर	लेह
3.	मिजोरम	लुंगलेई
		सैहा
4.	उत्तर प्रदेश	मऊ
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
6.	सिक्किम	गंगटोक
7.	राजस्थान	जैसलमेर
		बाड़मेर
8.	तमिलनाडु	रामेश्वरम्
9.	केरल	कालीकट
10.	अरूणाचल प्रदेश	मिआओ
11.	पांडिचेरी	कराइकल

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जोशीमठ (औली) में दूरदर्शन स्टुडियो

1837. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जोशीमठ में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस स्टूडियो की स्थापना के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गयी है ; और

(घ) वहां दूरदर्शन स्टूडियो चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर कर लगाना

1838. श्री प्रताप राव बी० भोंसले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ कर लगाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए कर का कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जाए ;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों के हिस्से का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रयोजन हेतु प्रति वर्ष केन्द्रीय बजट में गैर-योजनागत पक्ष के लिए सुनिश्चित आबंटन किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

1839. प्रो० सावित्री लक्ष्मण : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र को भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बदल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस देश में सांस्कृतिक केन्द्र अभी भी कार्यरत है ; और

(घ) यदि हां, तो यह किस स्थान पर कार्यरत है तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (घ). सरकार ने भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक तथा कौंसली सम्बन्धों की पुर्नस्थापना के परिणामस्वरुप (22 नवम्बर, 1993) दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे भारत का प्रधान कौंसलावास में परिवर्तित कर दिया है।

जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान संवर्धित करने के लिए उत्तरदायी रहेगा।

[हिन्दी]

हज-यात्रियों को सुविधाएं

1840. श्री रामकृपाल यादव :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हज-यात्रियों को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन सुविधाओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) सरकार हमारे राष्ट्रिकों द्वारा हज के लिए उनकी सऊदी अरब की यात्रा को सुविधाजनक बनाती है। हज समिति तथा जद्दाह स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास संयुक्त रुप से मक्का और मदीना में हाजियों के प्रवास स्थान की व्यवस्था करते हैं। हज के दौरान हाजियों की सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सऊदी अरब में चिकित्सा दल तैनात किया जाता है। दवाईयों तथा चिकित्सा संबंधी आपूर्तियां भी की जाती हैं। विभिन्न राज्यों से खुदम-उल-हज्जाज नामक हज-स्वयंसेवी अपने-अपने राज्यों से आए हाजियों के जत्थों के साथ जाते हैं। भारत के प्रधान कौंसलावास की हज संस्थापना को अतिरिक्त कर्मचारी मुहैया कराकर सुदृढ़ किया जाता है ताकि हाजियों को वायुयान/समुद्री जहाज से लाने ले जाने का इन्तजाम सरकार की सहायता से हज समिति करती है। खानगी-पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता देने के विशेष प्रबंध किए जाते हैं।

(ख) और (ग) इन सुविधाओं में वृद्धि करने/इन्हें बेहतर बनाने के संबंध में अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। इन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है और त्रुटियों को दुरूस्त करने तथा इंतजाम को बेहतर बनाने का भरसक प्रयास किया जाता है। प्रत्येक हज के बाद केन्द्रीय तथा राज्य हज समितियों के प्रतिनिधियों के साथ मशवरा करके समीक्षा की जाती है जिसका उद्देश्य भावी कार्यक्रम तय करना है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के मारथानम में अल्प शक्ति का ट्रांसमीटर

1841. श्री एन० डेनिस : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मारथानम में एक अल्पशक्ति के ट्रांसमीटर को स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित मारथनडम, कोडइकनाल में कार्यरत उच्च शक्ति (10 कि०वा०) के सेवा-क्षेत्र में पड़ता है। मारथनडम तथा देश में इसी प्रकार अवस्थित अन्य स्थलों में टी०वी० ट्रांसमीटर की स्थापना, संसाधनों की उपलब्धता तथा टी०वी० विस्तार की भावी योजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

उड़ीसा से प्रकाशित समाचार पत्र

1842. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से प्रकाशित होने वाली पंजीकृत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या कितनी है और इनकी प्रसार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समाचार पत्र और पत्रिकाओं को कितना अखबारी कागज़ आबंटित किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन उनके पंजीकरण के उपरान्त बन्द कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या कुछ पत्रिकाओं/समाचार पत्रों ने आधार संहिता का उल्लंघन किया है ; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में रखे गए अभिलेखों के अनुसार, 31.12.92 तक की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास 52 दैनिक, 89 साप्ताहिक, 70 पाक्षिक तथा 224 मासिक पंजीकृत किए गए थे तथा उनकी कुल प्रसार 12,37,000 प्रतियां थीं।

(ख) उड़ीसा में समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए 1990-91 में 5899.67 मीट्रिक टन, 1991-92 में 2930.19 मीट्रिक टन तथा 1992-93 में 1092.06 मीट्रिक टन मात्रा के अखबारी कागज आबंटित किए गए थे।

तथापि, वर्ष 1992-93 के दौरान 200 मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक हकदारी रखने वाले तीन दैनिकों को बगैर कोई मात्रा निर्धारित करते हुए अखबारी कागजों के आयात के लिए निर्बाध हकदारी प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान पंजीकरण के बाद किसी भी समाचारपत्र/पत्रिका ने प्रकाशन बन्द नहीं किया है।

(घ) और (ड.) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

हुगली पर तीसरे पुल का निर्माण

1843. श्री तरित बरण तोपदार :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी पर तीसरा पुल बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर हुगली नदी पर प्रस्तावित दूसरे विवेकानन्द पुल से है। इस परियोजना का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। अभी से यह बता पाना कठिन है कि यह पुल कब तक पूरा हो जाएगा।

केन्द्रीय सड़क कोष

1844. डा० वसन्त पवार :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से पुनरीक्षित सड़क कोष की पूरी राशि जारी करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त राज्य को बकाया राशि जारी करने के सम्बन्ध में क्या कदम प्रस्तावित हैं ; और

(घ) यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सड़क निधि के लिए संशोधित संकल्प को कार्यान्वित करने का मामला मंत्रियों के दल को भेज दिया गया है। इसलिए यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि संशोधित संकल्प के अनुसार महाराष्ट्र सरकार को कब तक निधियां उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

1845. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में नए उपाय सुझाने और उन्हें एक नई दिशा देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश-पद क्या हैं ; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने और वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए दीर्घ अवधि तथा लघु अवधि कार्य योजनाओं के बारे में सुझाव देने के लिए असम तथा मेघालय के भूतपूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें 13 सदस्य हैं। आशा है समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही दे देगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 पर कार्य में प्रगति

1846. श्री मानकूराम सोडी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भोपाल पतनम से होकर जगदलपुर-बस्तर-निज़ामाबाद को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 को किस वर्ष में स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) राजमार्ग के निर्माण के लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या निर्माण कार्य समय के पीछे चल रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1989

(ख) से (ड.). मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के विकास के लिए कुल 127.52 लाख रुपए के निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। ये कार्य समय-सारणी के अनुसार प्रगति पर हैं।

उड़ीसा में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना

1847. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए, उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए लगभग 1350 लाख रुपए की राशि अनन्तिम रुप से आबंटित की गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) आठवीं योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए उड़ीसा सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1. गोपालपुर पत्तन से रायपुर बरास्ता

गोपालपुर-बरहामपुर-आस्का-दारिंगबादी-बालीगुडा-रामपुर-टिटिलागढ़-नावापाड़ा-रायपुर।

2. पानीकोइली से राउरकेला बरास्ता पानीकोईली में 91 कि०मी० पर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का जंक्शन-क्योंझर-बारबील-कोइरा-राजमुंडा राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जंक्शन।

3. भुवनेश्वर से पुरी।

4. बालासोर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से लक्ष्मणनाथ।

(खड़गपुर-बालासोर खण्ड)

विद्युत उत्पादन और वितरण

1848. श्री नवल किशोर राय :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1994 के ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' में ''विद्युत वितरण का विद्युत उत्पादन पर प्रभाव'' के बारे में समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या दोषपूर्ण पारेषण और वितरण प्रणाली के कारण देश के पूर्व भाग में विद्युत उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के इस भाग में कितनी अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध है और अब तक इस क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है ;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए आवश्यक धनराशि का आंकलन कराया है ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) योजना के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगवुया नायडू) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 की समयावधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र को, 14.2 प्रतिशत ऊर्जा की कमी ओर 30.8 प्रतिशत व्यस्तमकालीन कमी का सामना करना पड़ा। अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	ऊर्जा (मि०यू०)	व्यस्तमकालीन ऊर्जा (मेगावाट)
आवश्यकता	31650	7295
उपलब्धता	27171	5045
कमी	4479	2250
	(14.2 प्रतिशत)	(30.8 प्रतिशत)

(घ) से (च). पारेषण और वितरण प्रणाली का मूल्यांकन कर लिया गया है। निर्माणाधीन नियोजित विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के अनुकूल पारेषण नेटवर्क की आवश्यकता होगी। विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं को सामान्यत: तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है, जबकि अनुकूल पारेषण परियोजनाओं को प्रणाली के एक अंग के रुप में शामिल किया गया हो।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा कराया गया स्वर-परीक्षण

1849. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कराये जाने वाले समाचार, नाटक उद्घोषणा आदि के लिए स्वरपरीक्षण के संबंध में कोई नीति/दिशा निर्देश विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कुछ वर्षों के दौरान इस संबंध में इन दिशा निर्देशों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

1850. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया ;

(ख) विद्युत क्षेत्र में विशेषकर तमिलनाडु में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया ;

(ग) क्या गैर-सरकारी निवेशकों को विद्युत का उत्पादन करने और सरकार सहित उपभोक्ताओं को

इसकी पूर्ति करने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). ब्यौरा निम्नवत् है :-

(करोड़ रुपए में)

अवधि	विद्युत क्षेत्र के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय	तमिलनाडु के लिए विद्युत क्षेत्र में स्वीकृत परिव्यय
1993-94	16419.91	515.66
1992-93	12781.02 (संशोधित लागत)	456.40
(1991-92)	14517.89 (वास्तविक)	446.82 (वास्तविक)

(ग) और (घ). निजी क्षेत्र के उद्यमी लाइसेंसधारियों अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनियों के रुप में उद्यम स्थापित कर सकते हैं। लाइसेंसधारी कम्पनी के पास किसी विशेष क्षेत्र में ऊर्जा सप्लाई और वितरण किए जाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होता है और इस कम्पनी का अपना कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता। विद्युत उत्पादन कम्पनी सामान्यत: ग्रिड को विद्युत सप्लाई करती है। विद्युत उत्पादन कम्पनियां इनके द्वारा उत्पादित विद्युत की बिक्री के लिए किसी भी राज्य के राज्य बिजली बोर्ड जहां पर इसका अपना विद्युत केन्द्र है/प्रचालन करती है अथवा अन्य किसी राज्य में अपने क्रियाकलाप जारी रखती है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ सक्षम सरकार के परामर्श से ठेका कर सकती है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विश्रामस्थल

1851. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप बने/बनाए जाने वाले विश्रामस्थलों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर क्रमश: पेड्डा अम्बरपेट और जडचेरला में मार्गस्थ सुविधाएं मुहैया कराई गयी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर पालमानेर के निकट ऐसी सुविधाएं निर्माणाधीन हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर न्यू जहीराबाद में और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 82 कि०मी० पर ऐसी सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव है।

मैट्रो चैनल के कार्यक्रम

1852. प्रो० उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने मैट्रो-चैनलों पर प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या नीति अपनायी है ;

(ख) क्या आबंटित समय में प्रसारित किये गये कार्यक्रम अश्लील होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मैट्रो-चैनलों पर ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन के मैट्रो चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले काय्रक्रमों की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है तो उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा सफाई कार्यक्रम

1853. डा० असीम बाला : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरका से सागर द्वीप तक गंगा की सफाई का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गंगा में नौवहन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहा है कि एक विभागीय निकर्षक द्वारा गंगा के फरक्का-कलकत्ता खंड में नियमित रुप से निकर्षण किया जाए तथा नौचालन के लिए न्यूनतम 2 मी० की गइराई बनाए रखी जाए। जहां तक कलकत्ता सागर द्वीप खंड का संबंध है, कलकत्ता पत्तन न्यास विदेशगामी जहाजों के लिए पर्याप्त डुबाव बनाए रखता है और इसलिए इस खंड में गाद भर जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता और पटना में टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी स्कीमें स्वीकृत कर दी गई हैं। दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। निजी प्रचालकों द्वारा परीक्षण व प्रोत्साहन संबंधी आई०डब्ल्यू०टी० प्रचालनों को लागू करने संबंधी स्कीम के एक भाग के तौर पर भा०अ०ज०प्रा० द्वारा के०अ०ज०प० निगम से 600 टन क्षमता के दो जहाज भाड़े पर लेने तथा एक वर्ष की अवधि के लिए भाड़ा प्रभारों के बगैर उन्हें निजी प्रचालक (प्रचालकों) को देने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त दोनों जहाज निजी प्रचालक अर्थात् गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन को शीघ्र ही सौंप दिए जाएंगे। यंत्रीकृत टर्मिनलों, रात्रि नौचालन सुविधाओं, उचित चैनल इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ले जाए गए कार्गो के प्रति नदी कि०मी० टन के लिए 10 पैसे की क्षतिपूर्ति देकर गंगा और ब्रह्मपुत्र में अ०ज०प० को बढ़ावा देने की एक दूसरी स्कीम प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए 1993 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस स्कीम के प्रचालन की विधियों को अंतिम रुप दे दिया गया है।

खाद्य क्षेत्र में जी-15 देशों के साथ सहयोग

1854. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य क्षेत्र में जी-15 देशों के साथ भारत के सहयोग की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस सहयोग से भारत को क्या लाभ मिलने वाले हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख). इन्डोनेशिया खाद्य क्षेत्र

में सहयोग से सम्बद्ध जी-15 परियोजना का समन्वयकर्ता देश है। जकार्ता (इन्डोनेशिया) में 20-22 अप्रैल, 1992 को आयोजित इस परियोजना से सम्बद्ध विशेषज्ञ दल की बैठक में भारत ने भाग लिया था। इस बैठक में इन्डोनेशिया द्वारा तैयार किए गए निम्नलिखित दो परियोजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ था :

(i) कृषि तथा नौशियनों के संबंध में खाद्य उत्पादन से सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ii) खाद्य उत्पादन के संबंध में कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

इन प्रशिक्षिण कार्यक्रमों की पेशकश वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान जी-15 के देशों के सह भागियों को की जाएगी।

भारत और इन्डोनेशिया के कुछ भागों में जलवायु में समानता को देखते हुए यह उम्मीद है कि भारत को धान की खेती में इन्डोनेशिया के अनुभव से लाभ मिल सकता है।

सऊदी अरब में भारतीयों के ठेकों का नवीकरण न किया जाना

1855. श्री बापू हरि चौरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सऊदी अरब में भारतीयों को दिये गये ठेकों का नवीकरण न किए जाने के संबंध में प्रकशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को सऊदी अरब में कार्यरत कुछ कम्पनियों से रिपोर्टें मिली हैं जिनमें यह कहा गया है कि कुछ भारतीयों की संविदाएं नवीकृत नहीं की जा रही हैं। इस मामले को राजनयिक स्तर पर सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था जिन्होंने भारतीयों के साथ कोई भेद-भाव करने का खण्डन किया है। भारत का राजदूतावास रियाद तथा भारत का प्रधान कौंसलावास जद्दा भी आवश्यकतानुसार सहायता करते रहे हैं।

भागलपुर और राजमहल के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन

1856. श्री चित्त बसु : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर और राजमहल के बीच गंगा की गाद निकालने और अन्तर्देशीय जल परिवहन शुरु करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). नौचालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम गहराई को प्राप्त करने में बाधक समझे जाने वाले बरेतों को हटाने के प्रयोजन से गंगा (रा०ज० सं० 1) के पटना-भागलपुर-राजमहल-फरक्का-हल्दिया खंड में नियमित निकर्षण सुनिश्चित करने के

लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। निकर्षण और बंडालिंग के अतिरिक्त, जलमार्ग प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए चैनल मार्क्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

गंगा तथा भागलपुर-राजमहल खण्ड में 2.0 मी० गहराई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ताकि अन्तर्देशीय जल परिवहन जहाजों का सुगम और निर्बाध आवागमन हो सके।

ग्रांड ट्रंक रोड को चौड़ा करना

1857. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेहरी-आन-सोन और वाराणासी के बीच ग्रांड ट्रंक रोड पर चार लेन बनाने अथवा इसे चौड़ा करने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सड़क को यातायात योग्य बनाने के लिए उस पर चल रहा निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). जी०टी० रोड की वाराणासी और डेहरी-आन-सोन के बीच की 136 कि०मी० लम्बाई में से सासाराम कस्बे से गुजरने वाली कंथल 4 कि०मी० की लम्बाई को चौड़ा करके 4 लेनों वाला बनाया जा रहा है। सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। अगस्त, 1993 तक इस पर 42.00 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं। इसे सितम्बर, 1994 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

"वर्ल्ड दिस वीक" कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण

1858. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी दूरदर्शन केन्द्रों से "वर्ल्ड दिस वीक" कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण शुरु करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांसीसी शिष्टमंडल की भारत यात्रा

1859. श्री बी०एन० रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में फ्रांस की विदेशी मामलों की सीनेट समिति का शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर आया था, जैसाकि 12 फरवरी, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल तथा भारतीय नेताओं के बीच बातचीत के दौरान राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विमर्श हुआ। इस प्रतिनिधि मण्डल ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत-फ्रांस सम्बन्धों को आगे बढ़ाने की फ्रांसीसी सरकार की इच्छा से अवगत कराया था।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1860. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयां कौन सी हैं तथा उनमें उत्पादित मदों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का वर्ग 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान सिक्किम में ऐसी इकाइयों को स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना स्वयं नहीं करता। बहरहाल, मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के वास्ते आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लागू करने के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता दी जाती है।

राज्यों की राजधानियों में मैट्रो-चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क की सुविधा

1861. श्री हरिन पाठक : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राज्यों की राजधानियों में मैट्रो-चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्यों की राजधानियों को इस प्रकार की सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग). यद्यपि राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में उपलब्ध हैं तथापि, मैट्रो चैनल कार्यक्रम 6 राज्यों की राजधानियों नामशः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ तथा हैदराबाद में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, पटना तथा कटक में मैट्रो चैनल कार्यक्रमों को रिले करने हेतु टी०वी० ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। देश के शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में भी ऐसी ही सुविधा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता तथा टी०वी० विस्तार की भावी योजनाओं में पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन सुविधा चरणबद्ध रुप से प्रदान किए जाने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

1862. श्री के० प्रधानी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के संयंत्र निजी क्षेत्र से मुकाबला कर रहे हैं ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। लाइसेंस और नियंत्रण समाप्त करने के साथ-साथ सीमा शुल्क में उत्तरोत्तर कमी करने तथा सुलभ आयात से इस्पात उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा आयी है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उठाये गये कुछ कदम हैं :-

(i) प्रौद्योगिकीय क्षेत्र का कड़ाई से पालन करके गुणवत्ता में सुधार करना।

(ii) लागत कम करने के विभिन्न उपायों को अपनाना।

(iii) बाजार के अनुरुप उत्पाद-मिश्र का उत्पादन करना।

(iv) बेहतर उपभोक्ता सेवा।

(v) संयंत्र और उपस्करों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपी गई विद्युत परियोजनाएं

1863. श्री एम० रमन्ना राय : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों के नाम क्या हैं तथा ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के बारे में किसी प्रकार का सामान्य निर्णय नहीं है तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई नई परियोनजाओं का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की सम्भाव्यता का भी पता लगाया जा रहा है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की सड़कों का रख-रखाव और मरम्मत

1864. डा० लाल बहादुर रावल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में सड़कों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि और वास्तव में उसमें से खर्च की गई राशि का अंतर क्या है ;

(ख) क्या जिस प्रयोजन के लिए धनराशि निश्चित की गई थी उसी के लिए वास्तव में खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कों का रख-रखाव और मरम्मत करना उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए आबंटित राशियां और वास्तव में खर्च की गई राशियां नीचे दी गई हैं :-

(लाख रुपए)

वर्ष	आबंटन	वस्तुत: खर्च की गई राशि
1990-91	1108.51	1142.80
1991-92	1312.05	1366.62
1992-93	1394.96	1462.38

(ख) ये राशियां उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए वास्तव में खर्च की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्थर का अवैध खनन

1865. श्री भीम सिंह पटेल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न भागों में बहुमूल्य पत्थर के अवैध खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). समय-समय पर बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में बहुमूल्य पत्थरों की अनाधिकृत खनन किये जाने की छुट-पुट घटनाओं की सूचना मिली है।

(ग) गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर समुचित वैधानिक तथा प्रशासनिक कदम उठाती रहती है। उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा खनिज (चोरी, तस्करी तथा अन्य गैर-कानून गतिविधियां रोकने संबंधी) अधिनियम, 1989 लागू किया है तथा उसके तहत समुचित नियम भी अधिसूचित किये हैं। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने पट्टा देने के बाद, अग्रिम विकास हेतु, ऐसे क्षेत्र निर्धारित किये हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1994 से गैर-कानूनी खनन रोकने हेतु जांच करने संबंधी राज्य सरकारों के अधिकार अब और बढ़ गए हैं।

[अनुवाद]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

1866. श्री तेज नारायण सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, इनका कितना काम पूरा किया गया है, पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है और इनपर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान बिहार की राज्य सरकार से प्राप्त नये राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ये किस स्तर पर लम्बित हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बिहार में 9336.00 लाख रुपए की 112 चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं पर अभी तक 4332.00 लाख रुपए व्यय हुए हैं। 11 कार्य पूरे हो चुके हैं, 58 कार्य मार्च, 1994 तक पूरे किये जाने हैं, 42 और कार्य मार्च, 1995 तक पूरे किए जाने हैं और शेष एक कार्य को मार्च, 1996 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) राज्य सरकार ने आठवीं योजना में 6 राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन आठवीं योजना में केन्द्रीय सैक्टर की सड़कों के लिए बहुत कम निधियां आबंटित होने के कारण फिलहाल किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

1867. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने आकाशवाणी केन्द्र कार्यरत हैं ;

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य में कितने नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में नए आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना हेतु कितनी परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं ; और

(घ) ये कब तक पूरी हो जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (के०पी० सिंह देव) : (क) उत्तर प्रदेश में इस समय 14 आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में चार नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन आकाशवाणी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और उनकी पूर्णता की लक्ष्य तारीखें

क्रम सं०	परियोजना		पूरा तथा चालू किए जाने की लक्ष्य तारीख
1.	चमोली	1 कि०वा०मी० वेव ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो	1995-96
2.	पौड़ी	-तथैव-	1994-95
3.	पिथौरागढ़	1 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर	1994-95
4.	उत्तरकाशी	-तथैव-	1994-95
5.	अलीगढ़	2×3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर	1995-96
6.	मसूरी	2×5 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर	1994-95

[अनुवाद]

मुम्बई में नये डाकघर

1868. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में डाकघर खोलने के लिए नए स्थानों का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन्हें कब तक खोल दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). बम्बई में निम्नलिखित स्थानों पर नए डाकघर खोलने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है :-

1. एवनशाइन नगर (मलाड पश्चिम)
2. कस्तूर पार्क (बोरीवली पश्चिम)
3. पूनम नगर (जोगेश्वरी पूर्व)
4. लोखंडवाला काम्प्लेक्स (अंधेरी)

5. साईं बाबा नगर (बोरीवली पश्चिम)

6. पी०एम०जी० (पी०) कालोनी (मानखुर्द)

7. कुरार ग्राम (मलाड पूर्व)

(ग) इन डाकघरों का खोला जाना, उपयुक्त आवास उपलब्ध होने पर निर्भर करता है, जिसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए, इनके खोले जाने के विषय में कोई निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम

1869. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के माध्यम से स्कूलों एवं कालेजों के छात्रों को शिक्षित करने के लिए प्रसारित किए जा रहे पाठ्यक्रमों का राज्य-वार विस्तार कितना है ; और

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं और उन्हें इसके लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). स्कूल/कालेज जाने वाले छात्रों हेतु, दूरदर्शन के शैक्षिक टी०वी० कार्यक्रमों के टेलीकास्ट समय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तथापि, इस समय प्रसारित किए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों का विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कूल टी०वी० तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के टेलीकास्ट ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. सोमवार से शुक्रवार तक के शैक्षिक टी०वी० कार्यक्रम

10 बजे पूर्वाह्न से 11.45 बजे पूर्वाह्न तक (महाराष्ट्र)

9.45 बजे पूर्वाह्न से 10.30 बजे पूर्वाह्न तक (आंध्र प्रदेश)

10.30 बजे पूर्वाह्न से 11.45 बजे पूर्वाह्न तक (उ०प्र०, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली)

11.15 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न तक (गुजरात व उड़ीसा)

ये कार्यक्रम लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा पुणे स्थित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए जाते हैं और केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से या संबंधित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा दूरदर्शन को इनकी आपूर्ति सीधे ही की जाती है।

2. दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई के स्कूल टी०वी० कार्यक्रम :

10.15 बजे पूर्वाह्न से 11.45 बजे पूर्वाह्न तक (दिल्ली, चैनल-2 सोमवार से शुक्रवार तक)

10.15 बजे पूर्वाह्न से 11.05 बजे पूर्वाह्न तक (बम्बई, चैनल-2 सोमवार से शुक्रवार तक)

11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वाह्न तक (मद्रास, चैनल-2 मंगलवार, बुधवार, व शुक्रवार)

ये कार्यक्रम इन केन्द्रों द्वारा अपने सामान्य कार्यक्रम कार्यकलाप के हिस्से के रुप में अपनी मौजूदा सुविधाओं का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क पर पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम - प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार

ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं।

4. राष्ट्रीय नेटवर्क प्रसाराणार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देशव्यापी कक्षाएं निम्नप्रकार से आयोजित की जाती हैं :-

(1) 1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक (सोमवार से शनिवार)

(2) प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 6.30 बजे तक (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को हिन्दी में)

(3) प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक (मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार व रविवार को अंग्रेजी में)

ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं।

[अनुवाद]

विदेशी प्रस्ताव

1870. श्री संदीपान भगवान घोरात : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रचार माध्यमों के संचालन को चुस्त बनाने हेतु विदेशी प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्या हैं ;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कुछ प्रस्तावों को पारस्परिक आधार पर अन्तिम रुप दिया जा रहा है ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए हमारी विदेश समाचार सेवा को कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दूरदर्शन के पास विदेश सेवा नहीं है। जहां तक आकाशवाणी की विदेश सेवा का संबंध है, मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति का उन्नयन तथा उच्च शक्ति के नए ट्रांसमीटरों की स्थापना सहित उपाय किए जा रहे हैं।

टेलीफोन के लिए जमाराशि पर ब्याज

1871. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी जमाराशि पर कोई ब्याज दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस ब्याज की दर क्या है और इसकी गणना हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं ;

(ग) क्या यह ब्याज पंजीकरण की तिथि से लेकर टेलीफोन लगाने तक दिया जाता है ;

(ड.) 1986 के पंजीकृत व्यक्तियों को किस दर से ब्याज दिया गया है ; और

(च) 1993 और 1994 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों को किस दर से ब्याज दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। आवेदकों द्वारा नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जमा किए गए पंजीकरण शुल्क पर प्रतीक्षा प्रभारों का भुगतान किया जाता है।

(ख) से (घ). पंजीकरण शुल्क में, भुगतान की तारीख को शुरु होने वाली और टेलीफोन कनेक्शन की संस्थापना की तारीख से एक दिन पहले तक की अवधि का प्रतीक्षा प्रभार दिया जाता है। यह प्रभार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए उनके यहां सावधि जमा धनराशि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर के बराबर दिया जाता है। और इसका परिकलन, पंजीकरण शुल्क के भुगतान की तारीख को लागू दर के अनुसार पूरे महीनों के लिए किया जाता है। यदि ओ०आई०टी० श्रेणी के आवेदकों को पंजीकरण की तारीख से 6 महीने और गैर ओ०वाई०टी० आवेदकों को पंजीकरण की तारीख से 2 वर्ष के भीतर टेलीफोन प्रदान नहीं किया जाता है, तो पंजीकरण शुल्क में सामान्य प्रतीक्षा प्रभार का 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा प्रभार दिया जाएगा। यह अतिरिक्त प्रतीक्षा प्रभार निर्धारित अवधि अर्थात् ओ०वाई०टी० आवेदकों के मामले में सातवें महीने के बाद और गैर-ओ०वाई०टी० आवेदकों के मामले में 25वें महीने और टेलीफोन प्रदान किए जाने वाले महीने के एक महीने पहले तक के लिए दिया जाता है। अतिरिक्त प्रतीक्षा प्रभार सहित प्रतीक्षा प्रभार का भुगतान उन आवेदकों को दिया जाता है जिन्होंने 28 अप्रैल, 1993 को अथवा उसके बाद पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

(ड.) यह दर पंजीकरणकर्ता द्वारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की तारीख को लागू, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, बैंक में एक वर्ष के लिए जमा की गई सावधि जमा राशि पर देय ब्याज की दर के बराबर होगी।

(च) यह दर, 27 अप्रैल, 1993 तक के आवेदकों के लिए उपर्युक्त (ड.) के अनुसार है और 28 अप्रैल, 1993 से अब तक के आवेदकों के लिए अतिरिक्त प्रतीक्षा प्रभार सहित उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के अनुसार है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक

1872. प्रो० एम० थामसन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की दुर्दशा की जांच कराने के लिए अनुरोध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) अल्पसंख्यक समुदायों सहित अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना पाकिस्तान सरकार का कर्तव्य है। भारत सरकार का यह मत है कि शिमला समझौते की शर्तों के अनुसार न तो भारत को और न ही पाकिस्तान को एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं, अमरीका के विदेश मंत्रालय तथा पाकिस्तान के अपने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टें देखी हैं जिनमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय दशा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह खेदजनक है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाने के बजाय भारत विरोधी प्रचार में लगा हुआ है। भारत सरकार ने अपने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व समुदाय का ध्यान उपरोक्त रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया है।

गुजरात में चलते-फिरते डाकघर

1873. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में दूर-दराज क्षेत्रों में और अधिक डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य के अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर जैसे शहरों में चलते-फिरते डाकघर खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विकलांगों की नियुक्ति करने का भी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ड.) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीमैन प्रशिक्षण संस्थान

1874. श्री के० मुरलीधरन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट के निकट कक्कोडी में सीमैन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) संस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) कब तक इसकी स्थापना कर दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). भारत सरकार, केरल में नाविक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रुप में सहमत हो गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए भूमि अभी आबंटित की जानी शेष है इसलिए प्रस्तावित संस्थान के लिए सुनिश्चित स्थान अथवा पूरा होने की समय सूची के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।

लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र

1875. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) विभिन्न राज्यों में विद्यमान, स्वीकृत/निर्माणाधीन तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा इनका ब्यौरा निम्नवत है :-

परियोजना तथा राज्य का नाम	क्षमता (मेगावाट)
विद्यमान	
1. कच्छ लिग्नाइट यूनिट 1 व 2, गुजरात	140 मेगावाट
2. नेवेली ताप विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	600 मेगावाट
3. नेवेली दूसरा माइन कट चरण-2, तमिलनाडु	840 मेगावाट
स्वीकृत/निर्माणाधीन	
1. नेवेली दूसरा माइन कट चरण-1, तमिलनाडु	210 मेगावाट
2. कच्छ लिग्नाइट विस्तार यूनिट-3, गुजरात	70 मेगावाट
3. बरसिंहसर लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना, राजस्थान	240 मेगावाट

ऐसी नई स्कीमें जिनको के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है :-

1. एन०एल०सी० टी०पी०पी० विस्तार परियोजना, तमिलनाडु	420 मेगावाट

(ख) और (ग) बृहत् ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थल के चयन से संबंधित समिति की रिपोर्ट के अनुसार (जून, 1990), 780 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता की स्थापना के लिए राजस्थान के गुरहा (जिला बीकानेर) और कपूरधी तथा जलिपा (जिला बीकानेर) लिग्नाइट के पार्याप्त भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र में नेवैली लिग्नाइट निगम द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए बरसिंहसर ताप विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) को अप्रैल, 1991 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेकिन संसाधनों सम्बन्धी बाधाओं के कारण इसे हाथ में नहीं लिया जा सका। इस परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार बरसिंहसर में खनन सह विद्युत उत्पादन परियोजना अधिष्ठापित किए जाने के लिए एक संयुक्त क्षेत्र कम्पनी की स्थापना किये जाने पर विचार कर रही है और परियोजना के संदर्शी भागीदारों से जांच-पड़ताल करवाने के लिए विश्व-व्यापी प्रस्ताव आमंत्रित करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बिहार में नए टेलीफोन एक्सचेंज

1876. श्री प्रेमचन्द राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक किन-किन स्थानों पर इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में ऐसे और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों के स्थान तथा क्षमता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ये एक्सचेंज कब तक आरंभ हो जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.3.93 तक की स्थिति के अनुसार 611 स्थानों में।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति

I. 1.4.93 से 31.1.94 तक चालू किए गए एक्सचेंज

क्रम सं०	स्थान का नाम और एक्सचेंज की क्षमता	क्रम सं०	स्थान का नाम और एक्सचेंज की क्षमता
1.	तिल्याडेम सी डॉट 128 पी (88 लाइनें)	9.	बरूना -वही-
2.	गान्दे -वही-	10.	शिवसागर -वही-
3.	सुरदा -वही-	11.	पण्डरा आर०एल०यू० (1 हजार)
4.	नरपतगंज -वही-	12.	देव सी डॉट 128 पी० (88 लाइनें)
5.	रानीकाराज -वही-	13.	नरैनी एम०आइ०एल०टी० 64 पी० (56 लाइनें)
6.	हिनोद (आर०एल०यू० 2 हजार)	14.	सराय गढ़ सी डॉट 128 पी० (88 लाइनें)
7.	चम्पापुर सी डॉट 128 पी० (88 लाइनें)	15.	मुसरी घरानी एम०आई०एल०टी० 64 पी० (56 लाइनें)
8.	बाधट -वही-		

क्रम सं०	स्थान का नाम और एक्सचेंज की क्षमता	क्रम सं०	स्थान का नाम और एक्सचेंज की क्षमता
16.	बासैठा सी डॉट 128 पी० (88 लाइनें)	41.	डोरी गंज -वही-
17.	ढेंज -वही-	42.	मांझी -वही-
18.	दुर्गावाटी -वही-	43.	हसनपुरा -वही-
19.	बालूमठ -वही-	44.	पिपराकोटी -वही-
20.	चिरैया -वही-	45.	भिलाही एम०आई०एल०टी० 64 पी० (56 लाइनें)
21.	मकदूमपुर -वही-		
22.	राहुवा तुलसीयाही -वही-	46.	बेलासिमरी सी-डॉट 128 पी० (88 लाइनें)
23.	कोठिया -वही-	47.	कुरथा -वही-
24.	सोन बरसा -वही-	48.	सालू खुआ -वही-
25.	जोन्धवार -वही-	49.	आजम नगर -वही-
26.	आयरकेटा -वही-	50.	गोडाखार -वही-
27.	सन्झोली -वही-	51.	मेरू -वही-
28.	काराकट -वही-	52.	द्वारपरही -वही-
29.	मेराल -वही-	53.	गंजपुर एम०आई०एल०टी० 64 पी० (56 लाइनें)
30.	बासलपतरातू -वही-		
31.	छछपना डीह -वही-	54.	करईपरस्वारी -वही-
33.	शिवगंज सीडॉट 128 पी० (88 लाइनें)	55.	पुरैनी सी डॉट 128 पी० (88 लाइनें)
34.	कटरी सराय -वही-	56.	एकथा -वही-
35.	मुराजपुर -वही-	57.	मझौलिया -वही-
36.	जामाहरिया -वही-	58.	कानसी -वही-
37.	उजान -वही-	59.	रामपट्टी -वही-
38.	कुसीआर एम०आई०एस०टी० 64 पी० (56 लाइनें)	60.	राबिलगंज -वही-
		61.	साथाई -वही-
39.	अन्डामा -वही-	62.	नेतरहाट -वही-
40.	गोपालपुर सी डॉट 128 पी० (88 लाइनें)		

II. 31.3.94 तक चालू किए जाने वाले एक्सचेंज

क्रम संख्या	स्थान का नाम	एक्सचेंज की क्षमता
1.	तरसराय	128 पी० सी-डॉट (88 लाइनें)
2.	कोयलाक	-वही-
3.	बिशनपुर	-वही-
4.	जोगीपुर	-वही-
5.	सलीम	-वही-
6.	उदवन्तनगर	-वही-
7.	मझियोर	-वही-
8.	राजपुर	-वही-
9.	बाजपट्टी	-वही-
10.	उधवा	64 पी०एम०आई०एल०टी० (56 लाइनें)

[अनुवाद]

आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा

1877. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विदेश प्रसारण सेवा के लिए किन-किन भाषाओं को शामिल किया गया है ;

(ख) भाषावार ऐसे प्रसारणों को प्रतिदिन की अवधि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्धारित क्षेत्र में प्रसारण के समय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 1993 के दौरान निर्धारित प्रसारण क्षेत्र के श्रोताओं से भाषावार कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन०टी०पी०सी० के बांड

1878. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार ब्याज के अत्यन्त आकर्षक दरों पर महत्वपूर्ण पूंजी राशि एकत्र करने के लिए अपरिवर्तनीय बांडों को जारी करना है ;

(ख) यदि हां, तो एकत्र की जाने वाली कुल राशि, दिए जाने वाले ब्याज की दर, एकत्र की जाने वाली पूंजी के कार्य-उद्देश्य आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बांडों में निवेशकों को कोई कर सम्बन्धी रियायत दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने हाल ही में 150 करोड़ रुपये के औसत सममूल्य की राशि हेतु 1000-1000 रुपये के 15,00,000 सुरक्षित विमोच्य कर योग्य (16.5 प्रतिशत) के सार्वजनिक बांड जारी किए हैं। ये सार्वजनिक अंशदान के लिए 25.11.93 को जारी किए गए थे और शीघ्र ही अर्थात् 14.12.1993 को बन्द कर दिए गए थे। तीन बार से भी अधिक अतिदत्त बांड जारी किए गए। प्रतिभूति और भारतीय विनिमय बोर्ड (एस०ई०बी०आई० की अनुमति के अनुसार 25 प्रतिशत अतिदत्त बांड बनाए रखने समेत एन०टी०पी०सी० ने कुल मिलाकर 187.50 करोड़ रुपये के बांड आबंटित किए। उपरोक्त के अलावा शीघ्र ही भविष्य में किसी प्रकार के सार्वजनिक बांड जारी किए जाने की कोई योजना नहीं है। इस प्रकार एकत्र की गई राशि को एन०टी०पी०सी० की निर्माणाधीन/नई परियोजनाओं के लिए सीधे ही जुटाया जायेगा।

(ग) और (घ) सार्वजनिक बांडों के लिए विवरणिका में निहित शर्तों के प्रावधानों के अनुसार बांडों से ब्याज के रुप में जो आय होगी इस पर भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल० के अधीन आयकर की छूट दी जायेगी बशर्ते सरकार भी इसका अनुमोदन कर दे।

[हिन्दी]

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

1879. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए गठित वेद मारवाह समिति की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की विशिष्ट बातें क्या हैं ; और

(ग) रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों को पुनः मान्यता प्रदान करना

1880. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री 26 जुलाई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शनों की स्वीकृति को पुनः मान्यता प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिन्हें उन्होंने बिना बारी के स्वीकृति दी थी परन्तु संबंधित व्यक्तियों ने जिनका उपयोग वहां

नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें पुनः मान्यता प्रदान करने का कार्य शीघ्र करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) एवं (ख). चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, जिसे जनवरी-जून, 1991 में जारी किए गए झूठे/जाली, बारी से पहले मंजूरी आदेशों की जांच का काम सौंपा गया था, अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, अतः कुछ मंजूरी आदेशों को अभी तक रोका हुआ है।

(ग) वास्तविक मंजूरी आदेश केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जारी कर दिए जाएंगे।

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट

1881. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने गोदी श्रम बोर्ड से ऋण प्राप्त करने के लिए अनुमति लेने हेतु उनके मंत्रालय से सम्पर्क किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस चरण में है ;

(ग) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय कठिनाइयों के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने सरकार से अपने बकाया ऋण को चुकाने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध कर रहा है ; और

(ड.) सरकार किस प्रकार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय रुप से सहायता करने पर विचार कर रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता पत्तन न्यास को कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड से ऋण लेने के लिए पहले ही अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास की वित्तीय समस्याएं, व्यय का आय से अधिक होने के कारण हैं।

(घ) जी नहीं।

(ड.) सरकार योजनागत कार्य के लिए धन उपलब्ध कराती है और हल्दिया को जाने वाली नौवहन चैनल के निकर्षण और रख रखाव कार्य के लिए वर्ष 1992-93 से निकर्षण सब्सिडी 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी है।

ट्रंक कॉल का गिरोह

1882. श्री अमर राबप्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 1993 तक कितने ट्रंक कॉल के गिरोहों (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) को पकड़ा गया जिसमें व्यापारी एवं टेलीफोन आपरेटर्स लिप्त पाए गए ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्यवार किन-किन स्थानों पर ऐसे गिरोह पकड़े गए ;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले एवं कितने लोग दोषी पाए गए और उन्हें दी गई सजा का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने तथा व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). संबंधित सर्किलों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुवैत में सिख समुदाय

1883. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुवैत में सिख समुदाय पर हुए हमलों के संबंध में हाल ही की रिपोर्टों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर कुवैत की सरकार के साथ चर्चा की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

अक्तूबर, 1993 से सरकार को निम्नलिखित 5 वारदातों की सूचना मिली है जिनमें कुवैत में भारतीय समुदाय के सिख प्रभावित हुए थे :

(1) अक्तूबर, 1993 में कुवैत में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों ने 20 सिखों को नजरबंद किया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था और नजरबंद व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी के कारण नहीं बताए गए थे।

(2) 3 नवंबर, 1993 को कुवैत में खेतान पुलिस को एक भारतीय राष्ट्रिक श्री प्रीतपाल सिंह का शव मिला था।

(3) 23 जनवरी, 1993 को कुवैत के सोमालिया क्षेत्र की अमान स्ट्रीट पर गोली एक कार पर चलाई गई थी जिसमें चार भारतीय राष्ट्रिक यात्रा कर रहे थे और गोली चलाए जाने की इस वारदात में श्री मनमोहन सिंह आमंड की मृत्यु हो गई और दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे।

(4) शार्क औद्योगिक क्षेत्र में श्री मोहिन्दर सिंह साहनी की अलमुतवाना एंड साहनी टायर कम्पनी में गोलीबारी चली की वारदात हुई।

(5) 10 फरवरी, 1994 को कुवैत के फाहाहील इलाके की मक्का स्ट्रीट में श्री देविन्दर सिंह सच्चर पर उनकी कार में गोली चली थी। लेकिन श्री सच्चर सही-सलामत बच निकले।

2. कुवैत में भारतीय राजदूत ने यह मामला कुवैत की सरकार के साथ वहां के बहुत ही वरिष्ठ स्तरों पर उठाया था जिनमें वहां के प्रथम उप-प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री, एवं युवराज तथा प्रधान मंत्री शामिल हैं। उन्होंने इन वारदातों को लेकर भारतीय समुदाय में व्याप्त चिन्ता से उन्हें अवगत कराया और यह अनुरोध किया कि इन वारदातों की पूरी-पूरी छानबीन की जानी चाहिए तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों के बीच व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। कुवैत की सरकार ने इन वारदातों पर अपनी ओर से भी चिन्ता व्यक्त की है और इन वारदातों की पूरी-पूरी जांच का आश्वासन दिया है ताकि दोषी व्यक्तियों का पता लगाकर उनपर कानूनी कार्रवाई करके न्याय किया जा सके। कुवैत की सरकार ने यह भी कहा है कि भारतीय समुदाय के सदस्यों के बीच किसी भी असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए वह सभी कदम उठाएगी और ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

भारतीय राजदूत भारतीय समुदाय के नेताओं से भी मिले और उन्हें उठाए गए कदमों की सूचना दी तथा उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि उन्हें सभी आवश्यक सहायता दी जाएगी।

[अनुवाद]

बाक्साइट का भंडार

1884. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाक्साइट का कुल कितना भंडार है ;

(ख) क्या हाल ही में किसी नए बाक्साइट भंडार क्षेत्र का पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में बाक्साइट का प्राप्ति योग्य भण्डार 2525 मिलियन टन है।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में आरंभिक गवेषण किए हैं जिनसे मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के पांद्रापट पठार में छः स्थानों पर पिसोलिटिक बाक्साइट/एल्युमिनस लेटेराइट के भण्डारों का पता लगा है।

[हिन्दी]

बिहार में शाखा डाकघर

1885. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों के गांवों में शाखा डाकघर खोलने के बारे में इस बीच कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और वे कहां-कहां खोले जाएंगे ;

(ग) उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ड.) क्या सरकार का विचार मधुबनी जिले के अन्तर्गत आने वाले गांवों में स्थित वर्तमान शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है ;

(च) यदि हां, तो वे कहां-कहां पर हैं ; और

(छ) इनका दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ). वार्षिक योजना 1993-94 के दौरान मधुबनी और दरभंगा जिलों में खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम	जिले का नाम	तारीख
1.	कालिकापुर	मधुबनी	4.6.93
2.	नागरडीह	दरभंगा	27.8.93
3.	गोबरसीथा	दरभंगा	26.8.93

(ड.) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ड.) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रसारण में दोष

1886. श्री पंकज चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर आकाशवाणी/दूरदर्शन से लगातार प्रसारण में आ रहे दोषों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। आकाशवाणी, गोरखपुर के ट्रांसमिशन में रुकावट संबंधी दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन पर कार्रवाई की गयी तथा दोषों को ठीक कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरुप अब रुकावटें कम हो गई हैं। दूरदर्शन लखनऊ में एक स्थायी भू-केन्द्र भी स्थापित कर रहा है तथा इसके फलस्वरुप अभिग्रहण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

[अनुवाद]

हैदराबाद में टेलीफोन के बिल

1887. श्री जे० चौक्का राव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में टेलीफोन के बिल समय पर जारी नहीं किये जाते हैं और प्राधिकारी प्रयोक्ताओं को डाक द्वारा बिल भेजे बिना ही व्यक्तिगत रुप से उन्हें प्राप्त करने पर जोर देते हैं और

इस कारण विलम्ब से भुगतान होने पर कनैक्शन काट देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि प्रयोक्ताओं को समय पर शीघ्र डाक द्वारा बिल भेजे जायें तथा बिना उचित नोटिस के कनैक्शन न काटे जायें ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी नहीं। साधारणतया डाकघरों के मार्फत बिल समय से भेज दिए जाते हैं। सिर्फ जनवरी 1994 के दौरान कम्प्यूटर की खराबी के कारण बिल भेजने में देर हुई थी।

(ग) सभी उपभोक्ताओं को डाक द्वारा नियमित रुप से बिल भेजे जाते हैं। बिना नोटिस दिए कोई कनेक्शन काटा नहीं जाता है।

कर्नाटक में एस०टी०डी०/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1888. श्री एस०बी० सिदनाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कर्नाटक में गत तीन वर्षों के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों/(एस०टी०डी०) पे फोन बूथों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई और चालू वर्ष के दौरान और निकट भविष्य में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों, पे फोन बूथों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में स्थापित सार्वजनिक टेलीफोनों/पे-फोन बूथों (एस०टी०डी०) और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नलिखित है :-

	1990-91	1991-92	1992-93
एस०टी०डी०/पी०सी०ओ०	902	722	952
टेलीफोन एक्सचेंज	80	76	92

वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 की प्रथम तिमाही (निकट भविष्य) के दौरान प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निम्नलिखित हैं :-

	1993-94	प्रथम तिमाही (94-95)
एस०टी०डी०/पी०सी०ओ०	1800	100
टेलीफोन एक्सचेंज	60	5

विभागेत्तर कर्मचारियों को सुविधा

1889. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). डाक विभाग कुल मिलाकर वित्तीय दबावों के होते हुए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरुप, ई०डी० एजेंटों के लिए भी 1.4.92 से सामूहिक बीमा योजना लागू कर दी गई है। उनको अदा की जाने वाली अनुग्रह उपदान राशि को 1.1.93 से 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टरों/शाखा पोस्टमास्टरों को मिलने वाला संयुक्त ड्यूटी भत्ता 1 जुलाई, 1993 से 50 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 75 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिन्हें डाक लाने-ले जाने/वितरण का भी कार्य सौंपा गया है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को पहले की स्थिति 80 प्वांइट तक के कार्यभार के स्थान पर 1.1.94 से 100 प्वाइंट तक के कार्यभार का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ई०डी० एजेंटों के लिए 16 सितम्बर, 1993 से 50 रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम सहायता मंजूर की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी

1890. श्री धर्मभिक्षम : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की अनाबांटित विद्युत में से 25 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अनुरोध किया था। दक्षिणी क्षेत्र के चारों भागीदार राज्यों में विद्युत की अपेक्षाकृत प्रतिशत कमी समेत सभी सम्बन्धित पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अनाबंटित उपलब्ध विद्युत में से 25 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता 1.3.94 से आन्ध्र प्रदेश को प्रदान की गई थी।

आई०एस०आई० एवं आतंकवादियों का सम्पर्क-स्थल नेपाल

1891. श्री वृजभूषण शरण सिंह :

श्री बी० देवराजन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित "नेपाल से होकर आई०एस०आई० के लोगों का आना-जाना है" संबंधी समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल कश्मीरी आतंकवादियों एवं आई०एस०आई० के लोगों का सम्पर्क-स्थल बन गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख). जी हां, सरकार को पाकिस्तानी आसूचना अभिकरणों से जुड़े आतंकवादियों द्वारा नेपाल को पारगमन प्रदेश के रुप में प्रयोग किए जाने की जानकारी है।

(ग) और (घ) नेपाली अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया गया है जिन्होंने नेपाल में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में सहयोग किया है।

पेप्सीको द्वारा रेस्तरां स्थापित करना

1892. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में रेस्तरांओं की एक श्रृंखला स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है जिनका पूर्ण स्वामित्व अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी पेप्सीको की एक अनुषंगी कम्पनी के पास रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगमों तथा भारतीय ब्रांड के शीतल पेयों के बीच निगमित विलय की अनुमति दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शीतल पेय के बाजार में पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन करने हेतु अनुसंधान कार्य जारी है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख)पेप्सिको इंक की दो अनुषंगी कम्पनियों अर्थात् पिजा हट इन्टरनेशनल और के०एफ०सी० को भारत में प्रचालन स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गयी है जो 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कम्पनियों के माध्यम से रेस्टोरेंटों की स्थापना करेंगे। प्रत्येक मामले में कुल पूंजी निवेश 40 मिलियन अमरीकी डालर हैं जिसमें 7 वर्षों में 20 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा का अंश शामिल है। रेस्टोरेंटों का प्रचालन या तो विदेशी मुद्रा साम्य के आधार पर होगा यह इसके परिणामस्वरुप निवल विदेशी मुद्रा की आय होगी। तकनीकी सेवाओं के लिए 5 प्रतिशत शुल्क लगाया जायेगा और 7 वर्षों की प्रारंभिक अवधि में लाभांश/लाभ का प्रत्यावर्तन नहीं किया जाएगा। रेस्टोरेंटों को अनुषंगी कम्पनी और भारतीय उद्यमियों के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से और भारतीय अधिकारधारकों के माध्यम से भी स्थापित किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) और (च) मृदु पेय के बाजार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु चल रहे किसी अनुसंधान कार्य की इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है। परन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मौजूदा निर्माताओं से प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है।

[हिन्दी]

तांबे का आयात मूल्य

1893. श्री रोलेन्द्र महतो : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे के निर्यात को शुल्क मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या तांबे की संचित मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी गई है ;

(ग) भारत में तांबे के खनन और उत्पादन में कौन-कौन सी संस्थाएं लगी हुई हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से तांबे का आयात मूल्य और वितरण निश्चित करने का है ;

(ड.) यदि हां, तो इसे कब तक किया जायेगा ; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) तांबे की नियंत्रित मूल्य नीति को मार्च, 1992 से समाप्त कर दिया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो केन्द्र सरकार का उपक्रम है, तांबा अयस्क के खनन तथा शुद्ध तांबा धातु का उत्पादन कर रहा है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अलावा, हट्टी गोल्ड मांइस कंपनी लिमिटेड, जो कर्नाटक राज्य सरकार का उपक्रम है तथा सिक्किम खनन निगम जो सिक्किम सरकार और केन्द्र सरकार का संयुक्त उद्यम है, तांबा अयस्क के खनन तथा तांबा सान्द्र (कंसट्रेंट) का उत्पादन कर रहे हैं। इनके द्वारा उत्पादित तांबा सान्द्र (कंसट्रेंट) को शुद्ध तांबे के उत्पादन हेतु हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को भेजा जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनिज दोहन निगम लिमिटेड में खरीद घोटाला

1894. श्री नीतीश कुमार :

श्री एस०वी० थोरात :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खनिज दोहन निगम लिमिटेड में करोड़ों रुपये का खरीद घोटाला प्रकाश में आया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम में किस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). जनवरी-फरवरी, 1990 के दौरान खनिज गवेषण निगम लि० ने 3.36 करोड़ रुपये की राशि की 29 ड्रिल मशीनें तथा कलपुर्जे खरीदने के आर्डर दिए थे। यह आरोप कि इन ड्रिल, कलपुर्जों तथा उपकरणों की खनिज गवेषण निगम लि० को आवश्यकता नहीं थी, किन्तु फिर भी इन्हें खरीदने के आर्डर दिए गए थे, मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। सी०बी०आई० ने प्राथमिक जांच के आधार पर खनिज गवेषण निगम लि० के सात अधिकारियों के खिलाफ एक एफ०आई०आर० दर्ज कराई है।

फिल्मों का आयात

1895. श्री चार्ल्स फर्नांडीज : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन, आकाशवाणी, भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा बिना आयात लाइसेंस के चलचित्रदर्शी फीचर फिल्मों और वीडियो फिल्मों का आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नई फिल्म आयात नीति से किन्हीं विशेष किस्मों की फिल्मों के आयात पर प्रतिबंध लगता है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य रुप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). आयात नीति के अनुसार, चलचित्रदर्शी फीचर फिल्मों तथा वीडियो फिल्मों का आयात भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान तथा भारतीय बाल चित्र समिति के लाइसेंस के बिना किया जा सकता है। इन फिल्मों का आयात दूरदर्शन, आकाशवाणी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सहित अन्य आयातकों द्वारा भी बिना लाइसेंस के किया जा सकता है बशर्ते कि आयातक ने प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर रखा हो कि फिल्म ने :

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया है ; अथवा

(2) अधिसूचित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के किसी सरकारी अनुभाग में भाग लिया है ; या

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठित फिल्म पत्रिका में उचित समीक्षा प्राप्त की है।

प्रत्यार्पण सन्धि

1896. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री राम नाईक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ सरकार ने प्रत्यार्पण सन्धि की है ; और

(ख) सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ, देश-वार प्रत्यार्पण सन्धि करने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) हमने भूटान, बेल्जियम, कनाडा, नेपाल, नीदरलैण्ड्स, उगांडा, यू०के० तथा अमरीका के साथ प्रत्यार्पण सन्धियां सम्पन्न की हैं।

(ख) इस समय सरकार द्वारा हांग-कांग, जर्मन संघीय गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस तथा अमरीका के साथ एक नई प्रत्यार्पण सन्धि सम्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन

1897. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा गत दो वर्षों के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिश पर कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु धनराशि का आबंटन

1898. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान केरल में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) क्या 1993-94 के दौरान आबंटित धनराशि 1992-93 के दौरान आबंटित धनराशि से कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य को आबंटित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) निम्नलिखित वर्षों के दौरान आबंटित निधि :-

1992-93 = 300 करोड़ रुपए

1993-94 = 265 करोड़ रुपए

(ख) जी हां।

(ग) निधियों का आबंटन, संबंधित सर्किल के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों तथा दूरसंचार विभाग में उपलब्ध कुल निधि को ध्यान में रखकर किया जाता है। चूंकि केरल दूरसंचार सर्किल के लिए 1993-94 का लक्ष्य 1992-93 के लक्ष्यों से कम है, अतः 1993-94 के लिए आबंटित निधि भी कम है।

(घ) और (ड.) 1994-95 के लिए आबंटन वास्तविक लक्ष्यों और दूसंचार विभाग में उपलब्ध कुल निधि के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी अभी मिलनी बाकी है।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग

1899. श्री प्रबीन डेका : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में बारपेटा और गुवाहाटी के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी यातायात है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राजमार्गों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बहुत कम निधियां आबंटित होने के कारण फिलहाल और सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं है।

गुजरात में टेलीफोन/टेलेक्स/फैक्स कनेक्शन

1900. श्री एन०जे० राठवा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात में जिलेवार कितने नये टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स कनेक्शन प्रदान किये गये ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने कनेक्शन दिये जाने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) फैक्स कनेक्शनों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

गुजरात में 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रदान किए गए नए टेलीफोन/टेलेक्स तथा फैक्स कनेक्शनों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या		प्रदान किए गए नए टेलेक्स कनेक्शनों की संख्या		प्रदान किए गए नए फैक्स कनेक्शनों की संख्या	
		1991-92	1992-93	91-92	92-93	91-92	92-93
1.	अहमदाबाद	9411	19284	19	-8	2	3
2.	गांधीनगर	1712	1457	-	-	-	-
3.	बड़ोदरा	2934	7850	20	78	-	-
4.	राजकोट	3250	4073	8	9	-	-
5.	सूरत	7912	12001	11	-26	-	-
6.	नडियाड	3015	6001	3	1	-	1
7.	बुलसार	1872	2995	-4	-12	-	-
8.	डांग	7	59	-	-	-	-
9.	महेसाना	3333	3535	7	6	-	-
10.	भावनगर	827	1697	7	1	-	-
11.	जूनागढ़	2260	1245	-1	3	1	-
12.	जामनगर	1644	1288	2	-1	-	-
13.	भुज्	1536	2708	13	13	-	-
14.	अमरेली	415	710	1	1	-	-
15.	हिम्मतनगर	1003	2515	-	-	1	-
16.	पालनपुर	1333	3920	-1	-	-	-
17.	सुरेन्द्रनगर	460	1653	-	-2	-	-
18.	भड़ौच	2593	3501	11	-1	-	1
19.	पंचमहल (जी०डी०एच०)	223	2505	-	3	1	-
	योग :	45740	78997	96	65	5	5

[हिन्दी]

बिहार में स्वर्ण भंडार

1901. श्री साईमन मरान्डी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में स्वर्ण रेखा नदी की निचली पहाड़ियों में सोने के विशाल भंडार होने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सोने को निकालने उसका शुद्धीकरण करने तथा उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई जांच के अनुसार इस क्षेत्र में सोने के बड़े भंडार नहीं पाये गये।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत और अमरीका के बीच परमाणु अप्रसार संधि पर विचारों का आदान-प्रदान

1902. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच परमाणु अप्रसार संधि पर विचार-विमर्श के संबंध में कोई सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में अमरीका के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) से (घ). 1992 से भारत और अमरीका के बीच अधिकारी स्तर की द्विपक्षीय वार्ता के तीन दौर हो चुके हैं जो क्रमशः जून, 1992; नवम्बर, 1992 और सितम्बर, 1993 में हुए थे। इन वार्ताओं में निरस्त्रीकरण, अप्रसार और क्षेत्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध सभी मसलों पर विचार-विमर्श हुआ था। नाभिकीय-अप्रसार संधि के संबंध में अमरीकी सरकार ने कहा है कि वह 1995 में इसे बिना शर्त बढ़ा देने के हक में है। नाभिकीय-अप्रसार संधि के संबंध में सरकार का कथन यह है कि यह एक भेदभावपूर्ण संधि है और इस बात से अमरीकी सरकार को अवगत करा दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि शीतयुद्ध समाप्त हो जाने के परिणामस्वरुप अब अप्रसार के मसले से निपटने के लिए एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय सहमति विकसित करने का मौका हमारे सामने है। यह द्विपक्षीय वार्ता बातचीत के सिलसिले का ही एक अंग है जिसका उद्देश्य एक-दूसरे की हित-चिन्ताओं और एक-दूसरे के मत को ज्यादा अच्छी तरह समझना है।

पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य सहायता देने के संबंध में प्रेसलर के विचार

1903. श्री रवि राय :

श्री मुमताज अंसारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1994 के जनसत्ता में पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य सहायता पुनः शुरु करने के संबंध में लैरी प्रेसलर के विचारों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि कांग्रेसियों के विरोध के बाद विदेश सहायता अधिनियम के संशोधित मसौदे में, जिसका नाम अब 1994 का शांति, समृद्धि एवं लोकतंत्र अधिनियम रखा गया है, जिसे अमरीका की सरकार ने अमरीकी कांग्रेस को भेजा था, प्रेसलर संशोधन शामिल रखा गया है। पहले मसौदे में अमरीकी प्रशासन ने इस संशोधन को रद्द करने का प्रस्ताव दिया था। सीनेटर कोचरान, प्रेसलर और ब्राउन की 9-13 दिसम्बर, 1993 की भारत-यात्रा के दौरान अन्य मसलों के साथ प्रेसलर संशोधन को रद्द करने की संभावना के मसले पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

सरकार ने अमरीका से पाकिस्तान को अग्र रेखी अस्त्र व्यवस्थाओं के स्थानांतरण का भारत के सुरक्षा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कई अवसरों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार इस संबंध में और घटनाओं के प्रति सचेत है और भारत को राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग का विस्तार

1904. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :

श्री काशीराम राणा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच राजमार्ग का मुम्बई तक विस्तार करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) धन देने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) यह कार्य कब से शुरु किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित बम्बई-बड़ोदरा एक्सप्रैसवे का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और इसके विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए है।

(ग) इस परियोना का विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय सहायता मंजूर की है।

(घ) अभी से यह बता पाना कठिन है कि यह परियोजना कब शुरु की जाएगी।

भाटी खानों को पुनः चालू करना

1905. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाटी खानों को कब बन्द किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन खानों को पुनः चालू किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मई, 1990 की घातक दुर्घटना, जिसमें सात व्यक्ति मारे गए थे, के क़ारण निदेशक (खान सुरक्षा) द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किये जाने पर जून, 1990 में खनन कार्य रोक दिये गये थे।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि से जारी धनराशि

1906. श्री हरीशनारायण प्रभु झांट्ये :

श्री विजय एन० पाटील :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जून, 1993 के अन्त तक केन्द्रीय सड़क निधि में कुल कितनी धनराशि जमा की गयी ;

(ख) 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यवार विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गयी और 1994-95 के दौरान कितनी स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सामान्य रुप से और विशेष रुप से गोवा के लिए राज्यवार कितना अनुमानित आबंटन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि में जमा हुई कुल राशि की गणना वित्तीय वर्ष-वार की जाती है, पुराने संकल्प के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए

अनन्तिम जमा राशियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

1990-91 17.80 करोड़ रुपये

1991-92 19.23 करोड़ रुपये

1992-93 20.77 करोड़ रुपये

(ख) तथा (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत किए गए अनन्तिम आंबटनों का एक विवरण संलग्न है। निधियां स्कीम-वार नहीं बल्कि राज्य-वार आबंटित की जाती हैं। वर्ष 1994-95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों का संभावित अनुमानित आबंटन अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि मई, 1988 में संसद द्वारा पारित संशोधित संकल्प को अभी कार्यान्वित किया जाना है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सड़क निधि तहत आवंटित अनन्तिम आबंटन

क्रम सं०	राज्य	अनन्तिम आबंटन (लाख रुपये)	क्रम सं०	राज्य	अनन्तिम आबंटन (लाख रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	40	15.	महाराष्ट्र	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	16.	मणिपुर	10
3.	असम	40	17.	मेघालय	10
4.	बिहार	40	18.	नागालैण्ड	10
5.	चण्डीगढ़	शून्य	19.	उड़ीसा	40
6.	दिल्ली	100	20.	पाण्डिचेरी	शून्य
7.	गोवा	5	21.	पंजाब	50
8.	गुजरात	80	22.	राजस्थान	5
9.	हरियाणा	30	23.	तमिलनाडु	70
10.	हिमाचल प्रदेश	15	24.	उत्तर प्रदेश	100
11.	जम्मू और कश्मीर	15	25.	वेस्ट बंगाल	20
12.	कर्नाटक	40	26.	त्रिपुरा	5
13.	केरल	50	27.	लक्ष्यद्वीप	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	40	28.	सिक्किम	20

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1907. श्री बीर सिंह महतो : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए प्रस्तुत की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनपर क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त 136 प्रस्तावों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

	प्रस्तावों की संख्या
1990-91	51
1991-92	62
1992-93	23
कुल :	136

(ख) 136 प्रस्तावों में से 95 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और शेष 41 प्रस्ताव तकनीकी अनुपालन के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिए गए हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में सड़कों का विकास

1908. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से अपने राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के विजयवाड़ा-चिलाकालुरीपेट खण्ड को चार लेन का बनाने तथा सुदृढ़ करने के कार्य, संभावित सहायता पर विचार किए जाने के लिए विश्व बैंक को दी गई सूची में शामिल किया गया था। हालांकि इस कार्य को अब ओ०ई०सी०एफ० (जापान) के साथ हस्ताक्षर किए गए ऋण समझौते में शामिल कर लिया गया है। आन्ध्र प्रदेश में 11450 कि०मी० लम्बे राज्य राजमार्गों, जिले की

मुख्य सड़कों, ग्रामीण सड़कों और तटीय सड़कों के सुधार के लिए एक अलग प्रस्ताव संभावित सहायता के लिए विश्व बैंक को पेश किया गया है।

अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा

1909. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान में हाल की गड़बड़ी के चलते वहां रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) तथा (ख). सरकार भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की हिफाजत के मसले को अफगान प्राधिकारियों के साथ उठाती रही है तथा भारतीय मूल के जो अफगान, अफगानिस्तान की गड़बड़ हालात के कारण भारत आना चाहते हैं उन्हें उदारतापूर्वक वीजा सुविधाएं भी देती आई है। भारत की जानकारी में ऐसी कोई वारदात नहीं आई है जबकि हाल के दंगों में किसी भारतीय या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को निशाना बनाया गया हो।

[हिन्दी]

विदेशों में अचल सम्पत्ति का अर्जन

1910. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यालय अथवा आवास के लिये अचल सम्पत्ति का अर्जन/निर्माण करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 तक विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ये कब से विचाराधीन हैं ;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में विलम्ब के कारण लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) सरकार की यह नीति रही है कि हमारे मिशनों के कार्यालयों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों के लिए विदेशों में भवनों की खरीद की जाए, निर्माण किया जाए। हमारी कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त इन सम्पत्तियों से हम उन किरायों की बचत कर सकते हैं जिनमें सदैव वृद्धि होती रहती है। इस दिशा में किए गए सतत् प्रयासों के परिणामतः अब हमारे स्वामित्व में निम्नलिखित भवन हैं :-

1.	चांसरी कार्यालय	61
2.	मिशन/केन्द्र प्रमुखों के आवास	66
3.	मकान/फ्लैट	509

(ख) से (घ). 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार सम्पत्तियों की खरीद से संबंधित निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही थी :-

क्रम सं०	सम्पत्ति का विवरण	वह तारीख जिससे कार्यवाही की जा रही है।
1.	भारत के हाई कमिश्नर, लन्दन का निवास	अगस्त, 1993
2.	संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का निवास	नवम्बर, 1993
3.	भारत का राजदूतावास, बर्न के 4 अधिकारियों के लिए आवास	दिसम्बर, 1993
4.	ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र और भारतीय विद्यालय के लिए भवन	मई, 1993
5.	भारत के राजदूत, तेल अवीव के लिए आवास	दिसम्बर, 1993

ढाका में खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन 28 जनवरी, 1993 को हो गया था लेकिन शेष प्रस्तावों पर प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, बजट तथा विधिक क्रियाविधियों को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है। उपर्युक्त मामलों पर कार्यवाही में जो समय लगेगा उसके कारण इन सम्पत्तियों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन निर्माण परियोजनाओं से संबंधित स्थिति नीचे लिखे अनसार है :-

1. भारत का राजदूतावास, रियाद में चांसरी कार्यालय, राजदूत का आवास और 44 भारतीय स्थानिक कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण। विलम्ब, यदि कोई हो, के कारण लागत में वृद्धि; रियाद निर्माण परियोजना की संविदा 47,189,413 सऊदी रियाल (12,568,928 अमरीकी डालर या 39,65,49,689 रुपये के समतुल्य की लागत से दिसम्बर, 1993 में प्रदान की गई है। यह वृद्धि अमरीकी डालर में केवल 0.51 प्रतिशत की है।) — अगस्त, 1989
2. भारत का राजदूतावास, आबुधाबी में चांसरी कार्यालय, राजदूत के आवास का निर्माण। — सितम्बर, 1989

3. पाकिस्तान में भारत के हाईकमिश्नर का आवास, उच्चायोग, इस्लामाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास (कुल एकक 121)	अप्रैल, 1993
4. मारीशस में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (फरवरी, 1994 में प्राप्त निर्माण के संशोधित क्षेत्र के आधार पर नये सिरे से अनुमोदन)	जनवरी, 1990

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान वित्तीय दबावों के कारण निर्माण परियोजनाएं हाथ में नहीं ली गईं। खाड़ी संकट के कारण रियाद तथा आबुधाबी में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ क्योंकि संविदाकारों तथा निविदा देने के संबंध में पूर्व-अर्हता की प्रक्रिया खाड़ी युद्ध के बाद नये सिरे से शुरु करनी पड़ी थी। उपर्युक्त (क्रम सं० 2 से 4) पर उल्लिखित निर्माण प्रस्तावों के संबंध में कार्यवाही विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय, बजट, तकनीकी तथा विधिक क्रियाविधियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र की जा रही है। इन प्रस्तावों पर कार्यवाही में जो समय लगेगा उसकी वजह से कीमत में होने वाली वृद्धि, यदि कोई हो, ज्ञात नहीं है क्योंकि ये निर्माण कार्य संविदाकारों को नहीं दिये गये हैं।

[अनुवाद]

"सी-डॉट" द्वारा "रिमोट स्विचिंग यूनिट"

1911. श्री राम कापसे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र" (सी-डॉट) ने अपने ग्रामीण और बड़े एक्सचेंजों से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र में विस्तार करने के लिए कम लागत वाली एक "रिमोट स्विचिंग यूनिट" प्रौद्योगिकी का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) आर०एस०यू०, मुख्य सी-डॉट एक्सचेंज की सभी आवश्यकताओं/विशेषताओं को आधार प्रदान करता है। पी०सी०एम० चैनलों का प्रयोग करते हुए यह 1232 उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर सकता है। उपभोक्ताओं को वही विशेषताएं तथा सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो स्थानीय एक्सचेंजों से सीधे जुड़े उपभोक्ताओं को उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग, गुजरात को चौड़ करना

1912. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर भारी यातायात है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का कोई विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए संस्वीकृतियों की वार्षिक योजना में रा०रा० 8 की 66 कि०मी० लम्बाई में और रा०रा० 8-ग की 6 कि०मी० लम्बाई में मार्गों को चौड़ा करके उन्हें 4 लेनों का बनाए जाने हेतु प्रावधान शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पुलों का निर्माण/मरम्मत

1913. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण/मरम्मत हेतु प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान पुलों के निर्माण और नवीकरण के लिए 295 लाख रुपये की राशि के ग्यारह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, दो प्रस्ताव संशोधनों के लिए राज्य सरकार को वापस किए गए और शेष चार पर कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय सड़कें और पुल

1914. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश की अन्य सात राज्यों, जो 50:50 के आधार पर व्यय वहन करते हैं, से जुड़ी सीमा को देखते हुए विशेष मामले के रुप में अंतर्राज्यीय सड़कों और पुलों के निर्माण पर राज्य द्वारा खर्च की गयी कुल राशि का एक तिहाई खर्च वहन करने का विचार करेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) . जी नहीं। अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य-सड़कों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत प्रचलित मौजूदा नीति के अनुरुप केन्द्र सरकार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्तर-राज्यीय स्वरुप की सड़कों और पुलों के लिए 100 प्रतिशत ऋण सहायता प्रदान करती है चाहे उसमें कोई भी राज्य अंर्तग्रस्त हो।

दिल्ली में खराब सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1915. श्री बी०एल० शर्मा प्रेम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विशेषतः यमुना पार क्षेत्र के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां, युमना पार क्षेत्र सहित दिल्ली में संस्थापित किए गए अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी किसी सार्वजनिक टेलीफोन के खराब होने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे तुरन्त ठीक कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यक्रम

1916. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने अपने कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने हेतु कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; औ

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन के अनुसार, उन्हें ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हज अधिनियम

1917. श्री राम कृपाल यादव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हज अधिनियम में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) सरकार 1959 के (51वां) मौजूदा हज

समिति अधिनियम की जगह हज के संबंध में एक नया विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।

(ख) इस विधेयक में जो विधायी प्रस्ताव रखे जाने हैं उन पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

(ग) इस नये विधेयक को तभी पेश करने का इरादा है जब इसके सभी पहलुओं पर विचार हो जाए।

[अनुवाद]

मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज का नया एकक

1918. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के मॉडल टाउन क्षेत्र में मॉडर्न इन्डस्ट्रीज का नया एकक लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हज तीर्थ यात्रियों को धन वापस करना

1919. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1993 के हज तीर्थ यात्रियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए वर्तमान सरकारी विनिमय दर और वाणिज्यिक विनिमय दर के अन्तर की धनराशि वापस कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने 1993 के हज तीर्थ यात्रियों को यह धनराशि अब तक वापस नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें यह धनराशि कब तक वापस कर दी जाएगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी नहीं। विदेशी मुद्रा की दोहरी दर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य सेंसर प्रक्रिया

1920. डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुपालन के लिए कोई सामान्य फिल्म सेंसर प्रक्रिया की व्यवस्था करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यह प्रक्रिया कब से कार्यान्वित की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग). सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान करने की मौजूदा प्रक्रिया चलचित्र को अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के भाग-2 में निहित उपबंधों की शर्तों तथा उसके अन्तर्गत रचित नियमों तथा मार्गनिर्देशों द्वारा विनियमित होती है। यह अधिनियम, नियम तथा दिशानिर्देश संपूर्ण भारत पर लागू हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किसी फिल्म को जारी प्रमाणपत्र सम्पूर्ण भारत में फिल्म के प्रदर्शन को वैध बनाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

1921. श्री शंकर सिंह वाघेला :

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार और वर्षवार किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में दो लेन वाले मार्गों पर कितना यातायात होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) दोहरी लेन वाले कैरिजवे की डिजाइन क्षमता 15,000 पी०सी०यू० (यात्री कार यूनिट) प्रतिदिन है। तथापित, यातायात वहन की मात्रा इस सुविधा का उपयोग करने वाले वास्तविक यातायात पर निर्भर करेगी।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने संबंधी तथा 1992-93 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव।	
		1992-93 कि०मी० लंबाई	आठवीं योजना कि०मी० लंबाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	117
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	-	65
4.	बिहार	-	123
5.	चण्डीगढ़	-	-
6.	दिल्ली	-	26

1	2	3	4
7.	गोवा	–	65
8.	गुजरात	11	78
9.	हरियाणा	–	124
10.	हिमाचल प्रदेश	–	175
11.	जम्मू तथा कश्मीर	–	–
12.	कर्नाटक	–	269
13.	केरल	–	112
14.	मध्य प्रदेश	10	247
15.	महाराष्ट्र	–	97
16.	मणिपुर	–	41
17.	मेघालय	–	–
18.	नागालैण्ड	–	–
19.	उड़ीसा	–	100
20.	पांडिचेरी	–	–
21.	पंजाब	–	–
22.	राजस्थान	–	143
23.	तमिलनाडु	–	73
24.	उत्तर प्रदेश	–	35
25.	पश्चिम बंगाल	–	117
	कुल :	33	2007

आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने संबंधी कार्य इस कार्य के लिए उपलब्ध अधिनियमों के आधार पर शुरु किए जाएंगे।

चीन और जापान के साथ द्विपक्षीय संबंध

1922. श्री अन्ना जोशी :

श्री के० प्रधानी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और चीन के साथ आर्थिक, व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध में और अधिक वृद्धि करने की काफी सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख). जापान तथा चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक वृद्धि करने की सम्भावना विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है जिनमें आर्थिक, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। आर्थिक सुधारों को शुरु करने के बाद से सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामत: भारत के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए जापान में अब अपेक्षाकृत अधिक रुचि दिखाई जा रही है। जापान ने जनवरी, 1992 में सरकार द्वारा प्रायोजित एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमण्डल भारत भेजा था और उम्मीद है कि दूसरा प्रतिनिधिमण्डल मार्च, 1994 में भारत आएगा। हरियाणा में औद्योगिक आदर्श नगर के संबंध में जापान इन्टरनैशनल कारपोरेशन एजेन्सी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में चल रही तैयारी से भी यह उम्मीद है कि जापान की फर्मों द्वारा भारत में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश किया जाएगा। सरकार चीनी पक्ष के साथ भी तीव्र गति से व्यापार, पूंजी निवेश बढ़ाने तथा उसके साथ अन्य आर्थिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श कर रही है विशेषकर जहाजरानी, वायु तथा बैंकिंग के मामले में सीधा सम्पर्क स्थापित करने के क्षेत्र में तथा दोहरे कराधान के परिहार पर एक करार सम्पन्न करने के लिए।

आन्ध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1923. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आन्ध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग पर बराबर निगरानी रखता है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 में क्या-क्या कमियां पाई गईं ;

(ग) क्या विशाखापत्तनम में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग की समस्याओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ.) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए राज्यवार कितनी-कितनी राजसहायता दी गई ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित देश में गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग में विभिन्न घटनाओं की जानकारी रखता है।

(ख) उद्योग को प्रति यूनिट प्रयास से कम मछली पकड़ी जाने, बढ़ी हुई प्रचालन लागत, प्रशिक्षित कर्मीदल की अनुपलब्धता, कार्यशील पूंजी ऋण देने में वित्तीय संस्थानों की अरूचि आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा।

(ग) और (घ) विशाखापत्तनम में गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग की समस्याओं पर एफ०ए०ओ० के माध्यम

से एक अध्ययन किया गया। मंत्रालय ने इस क्षेत्र की समस्याओं का गहन अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया। इसके अलावा सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इस क्षेत्र को सहायता देती है।

(ड.) गहन समुद्री मत्स्यन के लिए योजना स्कीमों (सहायता अनुदान) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता का वर्षवार भुगतान :

(रू० लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
त्रिपुरा	15.15	---	---
कर्नाटक	22.50	---	---
केरल	94.50	75.00	---
लक्षद्वीप	15.60	26.25	---
पश्चिम बंगाल	101.90	---	---
महाराष्ट्र	---	---	67.50
आंध्र प्रदेश	---	39.50	---
उड़ीसा	---	21.00	10.50
पंजाब	---	58.00	---
गुजरात	---	86.00	---
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	---	28.43	69.50

यह सहायता मछली प्रसंस्करण और कोल्ड चेन आदि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए दी गयी है। इसके अलावा गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र के विकास के लिए ब्याज सब्सिडी, विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता, गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी और हाई स्पीड डीजल की प्रतिपूर्ति की स्कीमें भी मौजूद हैं।

विशाखापत्तनम पत्तन का कार्यनिष्पादन

1924. प्रो० डम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष विशाखापत्तनम पत्तन पर यातायात में भारी वृद्धि हुई है और विशाखापत्तनम पत्तन का बहुत उपयोग हुआ है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पत्तन पर कितने टन माल की ढुलाई की गई ;

(ग) क्या जहाजों के माल ढुलाई के समय में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या विशाखापत्तनम पत्तन में जहाजों के माल ढुलाई के समय को कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम पत्तन द्वारा पिछले पांच वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के प्रथम 11 महीनों के दौरासन हैंडल किया गया कार्गो तथा इसकी वृद्धि दर नीचे दर्शायी गई है :-

	हैंडल किया गया कार्गो (मिलियन टन)	प्रतिशत वृद्धि
1988-89	20.37	---
1989-90	21.12	3.7
1990-91	19.42	(-)8.0
1991-92	21.52	10.8
1992-93	22.77	5.8
1993-94 (अप्रैल-फरवरी)	22.98	11.6+

+ अप्रैल-फरवरी, 1992-93 की तुलना में।

(ग) और (घ) जी नहीं। विशाखापत्तनम पत्तन में अप्रैल-जनवरी, 1993-94 की अवधि में जहाजों की औसत ढुलाई (टर्न-राउंड) समय 6.24 दिन था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 7.49 दिन था। औसत ढुलाई समय (टर्न राउंड) को न्यूनतम तक कम करने के लिए निरन्तर चेष्टा की जाती है।

सेंसर बोर्ड की आपत्तियां

1925. श्री गुमान मल लोढा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान फिल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड ने कुछ नई फिल्मों के प्रदर्शन पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फिल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के बावजूद फिल्मों को स्वीकृति दे दी गई है और उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही और जितनी भी जल्द सम्भव होगा, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में नये पासपोर्ट कार्यालय

1926. श्री काशीराम राणा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में सूरत और राजकोट में नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में 1994-95 के दौरान राज्यवार और स्थानवार कितने पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नया पासपोर्ट कार्यालय विभिन्न मानदण्डों के आधार पर खोला जाता है। इन मानदण्डों में कार्यभार तथा उपलब्ध संसाधन भी शामिल हैं। नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने मात्र से ही सेवा में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक आवश्यक आधारभूत संरचना और कार्मिक उपलब्ध नहीं हों। इसलिए सरकार बकाया आवेदनों को निपटाने पर ध्यान दे रही है, पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्बों को कम करने का प्रयास कर रही है तथा कार्य विधियों को सुव्यवस्थित तथा सरल बना रही है।

[अनुवाद]

कन्टेनर पोतों की खरीद

1927. श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू जहाजरानी उद्योग ने समतल खेल क्षेत्र के लिए कन्टेनर पोतों की खरीद करने हेतु कोई अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). मई, 1992 में सरकार ने उन लाइनर रूटों को, जहां तीन भारतीय नौवहन कम्पनियां (अर्थात् भारतीय नौवहन निगम, इंडिया स्टीम कम्पनी और सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि०) प्रचालन नहीं कर रही हैं, सभी भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए खोलने का निर्णय लिया। इस नीति को संशोधित किए जाने के बारे में घरेलू नौवहन उद्योग से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग

1928. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कुछ अन्य देशों के बीच विद्युत उत्पादन के लिए कुछ निवेश समझौते हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समझौतों के निवेश पद क्या हैं ;

(ग) क्या सिक्किम में भी ऐसे ही विद्युत उत्पादन कार्यक्रम शुरु किए जाएंगे ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत उत्पादन में विदेशी निजी पार्टियों से निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों हेतु विदेशी देशों के साथ कोई समझौते नहीं किए गए हैं। भावी निवेशकर्ताओं द्वारा या तो किसी बोली के लिये आमंत्रित प्रस्ताव के उत्तर में या फिर बातचीत के जरिए राज्य बिजली बोर्डों को सीधे ही प्रस्ताव किए जाते हैं।

(ख) भारत में विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु निजी क्षेत्र की इच्छुक कंपनियों से 75 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें विदेशी निवेशकर्ताओं/एन०आर०आई० से प्राप्त 35 प्रस्ताव शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नीति के अधीन संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रर्वतकों के साथ समझौते की शर्तों को अंतिम रुप दिया जाता है।

(ग) से (ड.) सिक्किम सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं को निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु विज्ञापित किया है, कंपनियों का उत्तर प्रतीक्षित है :-

1.	तीस्ता चरण-5	(660 मेगावाट)
2.	तीस्ता-3	(1200 मेगावाट)

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत केरल में सड़कों का निर्माण

1229. श्री थाइल जॉन अंजलोज :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया गया ;

(ख) इन सड़कों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य में किन-किन नई सड़कों का निर्माण शुरु करने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में अब तक परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है/दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों में केरल में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 4 सड़कें बनाई गईं। राज्य के लोक निर्माण विभाग, जो कि इन कार्यों के कार्यान्वयन तथा इनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय अभाव, ठेकेदार की अक्षमता और वन विभाग द्वारा आपत्तियों के कारण इन सड़कों को पूरा करने में विलम्ब हुआ।

(ग) 120.00 लाख रुपये की लागत के एक सड़क कार्य, अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को राष्ट्रीय राजमार्ग-17 से जोड़ने वाली सड़क जो मनुथी से त्रिचुर, गुरूवयूर होते हुए थिरूवथारा जाती है, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत मंजूरी दी गई है।

(घ) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधियां एकमुश्त जारी की जाती हैं, न कि परियोजना-वार।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली/उत्पादन/बिजली की मांग

1930. श्री शिबू सोरेन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं बिजली की मांग में अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में बिजली की मांग एवं इसके उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन और इसकी वितरण व्यवस्था का निजीकरण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विद्युत उत्पादन का निजीकरण किया गया है और बिहार, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/क्या प्रस्ताव हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). बिहार और उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन और विद्युत आपूर्ति की स्थिति का अपेक्षित ब्यौरा निम्नवत है :-

	बिहार		उत्तर प्रदेश	
	1991-92	1992-93	1991-92	1992-93
1. ऊर्जा				
उत्पादन (सकल)	2586	2963	43916	47266

2. विद्युत की आपूर्ति की स्थिति (मि०यू०) निवल में

आवश्यकता	7415	8220	31540	32415
उपलब्धता	5215	5243	28280	29118
कमी	2200	2977	3260	3297
प्रतिशत्ता	29.7	36.2	10.3	10.2

बिहार और उत्तर प्रदेश में मांग और उपलब्धता के अन्तर को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिसमें ये शामिल हैं : विद्यमान उत्पादन प्रणाली से ईष्टतम विद्युत का उत्पादन करना, नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय अपनाना और पड़ोसी राज्यों और प्रणालियों से सहायता प्रदान करवाना आदि।

(ग) सरकार की नीति और कानूनी प्रावधान विद्युत के पारेषण एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देते हैं।

(घ) अभी तक निजी प्रवर्तकों द्वारा आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 32661 मेगावाट क्षमता और लगभग 104151 करोड़ रुपये वाली 75 विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु रूचि प्रकट की गई है। इनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे इंगित हैं :-

परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी भारतीय	क्षमता (मेगावाट)	अनंतिम लागत	कम्पनी का नाम
चांडिल टी०पी०एस० बिहार	भारतीय	500.00 (2 × 250) (कोयला)	1637.00	आर०पी०जी० एंटरप्राइजेज़
विष्णुप्रयाग एच०ई०पी० उत्तर प्रदेश	भारतीय	360.00 (3 × 120) (ज० विद्युत)	612.88	जयप्रकाश एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड
रोज़ा टी०पी०एस० उत्तर प्रदेश	विदेशी/ भारतीय	750.00 (3 × 250) (कोयला)	2625.00	इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स कैमिकल्स/पावर जैनेरेशन, यू०के०

डी०टी०सी० बस सेवा के मार्ग में परिवर्तन

1931. श्री स्वामी सुरेशानन्द : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-एटा-अलीगंज-रामपुर-फर्रूखाबाद-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली नियमित डी०टी०सी० बसों के मार्ग को बदलकर दिल्ली-एटा-अलीगंज-कायमगंज-फर्रूखाबाद-दिल्ली कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस मार्ग परिवर्तन के कारण आम जनता को असुविधा और कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो मार्ग में परिवर्तन करने के क्या करण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन बसों को नियमित मार्ग पर चलाने का है ;

(ड.) यदि हां, तो कब से ; और

(च) यदि नहीं, तो आम जनता को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए की गई अथवा की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). सड़क की खराब हालत के कारण दि०प०नि० की दिल्ली-एटा-अलीगंज-रामपुर-फर्रूखाबाद-दिल्ली रूट पर चलने वाली बस सेवा को दिल्ली-एटा-अलीगंज-कायमगंज-फर्रूखाबाद-दिल्ली रूट पर लगा दिय गया था। इससे रामपुर वासियों को कुछ असुविधा हुई।

(घ) पहले वाला नियमित रूट 25.9.1992 से बहाल कर दिया गया है।

(ड.) और (च) : उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वचालित एक्सचेंज

1932. श्री राजवीर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान, राज्यवार, कितने स्वचालित एक्सचेंजों की स्थापना की गयी ;

(ख) क्या ये सारे एक्सचेंज अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). 1992-93 के दौरान संस्थापित स्वचलित एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। समान्यतः, एक्सचेंजों में उनकी क्षमता का 94 प्रतिशत अथवा इससे कम भार रखा जाता है जो परियात और/अथवा प्रतीक्षा सूची पर निर्भर करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1992-93 के दौरान संस्थापित स्वचल एक्सचेंजों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	असम	15
2.	आन्ध्र प्रदेश	*2

1	2	3
3.	बिहार	121
4.	दिल्ली	8
5.	गुजरात	91
6.	हरियाणा	65
7.	हिमाचल प्रदेश	24
8.	जम्मू व कश्मीर	20
9.	कर्नाटक	92
10.	केरल	13
11.	मध्य प्रदेश	387
12.	और	
13.	महाराष्ट्र और गोवा	157
14 से		
19.	उत्तर पूर्व (मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और नागालैण्ड)	4
20.	उड़ीसा	58
21.	पंजाब	39
22.	राजस्थान	122
23.	तमिलनाडु	12
24.	उत्तर प्रदेश	122
25 और		
26.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	16
	जोड़ :	1364

जब कुछ छोटे एक्सचेंजों को बड़े एक्सचेंजों में बदला जाता है तो एक्सचेंजों की संख्या घट जाती है और क्षमता या तो वही रहती है या बढ़ जाती है।

[अनुवाद]

लघु इस्पात संयंत्र

1933. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेषज्ञ दल ने केन्द्रीय सरकार से देश में लघु इस्पात संयंत्रों को पुनः चालू करने हेतु कुछ उपाय सुझाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा देश में लघु इस्पात संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). उद्योग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने लघु इस्पात उद्योग की हालत में सुधार करने के लिए सरकार से विभिन्न उपाय करने की सिफारिश की है। सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना का सुझाव देने के लिए एक मूल्यांकन ग्रुप का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट अप्रैल, 1994 में प्राप्त होने की संभावना है।

हाल के बजट में इस्पात प्रगलन स्क्रैप पर से आयात ड्यूटी को 12½ % से घटाकर 10 % कर दिया गया है।

रायगड़ा (उड़ीसा) में निर्यातोन्मुखी एल्यूमिनियम संयंत्र

1934. श्री के० प्रधानी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में रायगड़ा में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक मशीनें

1935. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में नई इलेक्ट्रानिक मशीनें उपलब्ध करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बुरहानपुर के टेलीफोन एक्सचेंज में अब तक नई इलेक्ट्रानिक मशीनें नहीं लगाई गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) इन मशीनों को कब तक उपलब्ध किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र में 2056 टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनमें से 31.1.94 की स्थिति के अनुसार 1981 टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही इलैक्ट्रानिक टाइप के हैं। वर्ष 1993-94 में 3 और टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने की योजना है। शेष टेलीफोन एक्सचेंज उत्तरोत्तर रुप से इलैक्ट्रानिक टाइप में परिवर्तित कर दिए जाएंगे।

(ग) जी नहीं, बुरहानपुर में एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहा है और दूसरे एक्सचेंज को अभी इलैक्ट्रानिक में परिवर्तित किया जाना है।

(घ) एवं (ड.) : बुरहानपुर के लिए 3000 लाइनों वाले सी-डॉट टाइप के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए भी अग्रिम क्रय आदेश प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्ष 1994-95 के दौरान मौजूदा इलैक्ट्रानिक मेकेनिकल एक्सचेंज के स्थान पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

निजी कम्पनियों वित्त पोषक विद्युत वित्त निगम

1936. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कम्पनियों द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण विद्युत वित्त निगम करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया ; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल परमिट

1937. श्री शरद् पटनायक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना के मानदण्डों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिपयार्ड का निर्माण

1938. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए पोत-कारखानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका किन-किन स्थानों पर निर्माण किया जाएगा ;

(ग) क्या इस संबंध में दूसरे देशों ने सहायता की पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि की पेशकश की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार का नए शिपयार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन

1939. श्री प्रकाश वी० पाटील :

डा० के०वी०आर० चौधरी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक विद्युत उत्पादक संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) प्रत्येक संयंत्र से 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों में उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश को पड़ोसी राज्यों की विद्युत परियोजनाओं से जितनी-जितनी बिजली प्राप्त हो रही है उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट गुजरात और आन्ध्र प्रदेश का अपने पड़ोसी राज्यों की एकल स्वामित्व वाली परियोजनाओं में कोई हिस्सा नहीं है, तथापि केन्द्रीय क्षेत्र तथा संयुक्त स्वामित्व की परियोजनाओं में इनका हिस्सा है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(1)	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केंद्र	गुजरात	महाराष्ट्र
कोरबा एस०टी०पी०एस० (2130 मे०वा०)	361 मे०व (17 प्रतिशत)	618 मेगावाट (29 प्रतिशत)	
विंध्याचल एस०टी०पी०एस० (1260 मेगावाट)	230 मेगावाट (18.3 प्रतिशत)	410 मेगावाट (32.5प्रतिशत)	
कवास जी०टी०पी०एस० (645.36 मेगावाट)	184 मेगावाट (28.5 प्रतिशत)	201 मेगावाट (31.1प्रतिशत)	

ककरापाड़ (220 मेगावाट)	62.5 मेगावाट (28.5 प्रतिशत)	68.5 मेगावाट (31.1प्रतिशत)
तारापुर (320 मेगावाट)	160 मेगावाट (50 प्रतिशत)	160 मेगावाट (50 प्रतिशत)
(2) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना		
पेंच ज०वि०प० (160 मेगावाट)	----	53.3 मेगावाट (33.33 प्रतिशत)

(3) केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्र	आन्ध्र प्रदेश	
रायागुंडम एस०टी०पी०एस० (2100 मेगावाट)	580 मेगावाट (27.6 प्रतिशत)	
नैवेली टी०पी०एस० 2 चरण 1(630 मेगावाट)	97 मेगावाट (15.4 प्रतिशत)	
नैवेली टी०पी०एस० 2 चरण 2(840 मेगावाट)	180 मेगावाट (21.4 प्रतिशत)	
एम०पी०पी० (470 मेगावाट)	40 मेगावाट (8.5 प्रतिशत)	
(4) उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना		
मुचकुन्द एच०ई०पी०सी० (114 मेगावाट)	80 मेगावाट (70 प्रतिशत)	
(5) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना		
टी०वी० डैम व हम्पी (72 मेगावाट)	57.6 मेगावाट (80 प्रतिशत)	

उपरोक्त कि अलावा संबंधित क्षेत्रों में अवस्थित केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों के 15 प्रतिशत अनाबंटित उत्पादन में से गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को विद्युत का आबंटन किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

गुजरात (प० क्षेत्र)	महाराष्ट्र (प० क्षेत्र)	आन्ध्र प्रदेश (द० क्षेत्र)
40 प्रतिशत*	10 प्रतिशत*	50 प्रतिशत**

*कोरबा एस०टी०पी०एस० से बाल्को (45 मेगावाट) राउरकेला इस्पात संयंत्र (30 मेगावाट), संघ शासित क्षेत्र दमन एवं दीव (5 मेगावाट) तथा दादरा एवं नगर हवेली (3 मेगावाट) को कुल मिलाकर 83 मेगावाट के विशेष आबंटन को हिसाब में लेने के पश्चात्

**एन०एफ०सी० को दक्षिण क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से 5 मेगावाट और केगा ए०पी०एस० को एम०ए०पी०पी० से 2 मेगावाट के विशेष आबंटन को हिसाब में लेने के पश्चात्।

विवरण

गुजरात, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक विद्युत संयंत्र द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 (अप्रैल, 93-फरवरी, 94) के दौरान उत्पादित विद्युत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राज्य/ विद्युत केन्द्र	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	निम्न के दौरान विद्युत उत्पादन 1991-92 (मि०यू०)	1992-93 (मि०यू०)	1993-94 (अप्रैल 93-फरवरी, 94) (मि०यू०)
1	2	3	4	5
गुजरात				
थर्मल जी०ई०बी०				
1. धुवरन	534.0	2981	2730	2140
2. उकई	850.0	4282	4336	3813
3. गांधीनगर	660.0	2730	4019	3533
4. वानकबोरी	1260.0	5820	6944	6336
5. सिक्का	240.0	564	646	750
6. कच्छ लिग्नाइट	140.0	424	557	660
7. उत्राण	45.0	234	175	196
8. उत्राण जीटी	144.00	0	56	489
9. धुवरन जीटी	54.0	253	182	147
जोड़ :		17288	19645	18011
जल विद्युत				
1. उकई जल विद्युत	305.0	534	419	873
2. कदाना	120.0	301	240	265
जोड़		835	659	1138

1	2	3	4	5
न्यूक्लीय				
1. ककरापाड़	220.0	0	62	655
निजी				
ए०ई० कं०	80.0	312	195	205
साबरमती	330.0	2021	1913	1870
वातवा जीटी	99.0	323	611	550
जोड़		2656	2719	2625
एन०टी०पी०सी०				
कवास जीटी	644.0	0	1463	2059
जोड़ गुजरात				
ताप विद्युत		19944	23827	22695
न्यूक्लीय		0	62	655
जल विद्युत		835	659	1138
जोड़		20779	24548	24488
महाराष्ट्र				
एम०एस०ई०बी०				
ताप विद्युत				
1. नासिक	910.0	4852	4996	4595
2. कोराड़ी	1100.0	6031	6085	5725
3. पारस	62.5	424	344	260
4. भुसावल	482.5	2717	2980	2335
5. पारली	690.0	2594	2201	2796
6. चन्द्रपुर	1840.0	5089	5631	6871
7. खापरखेड़ा-2	420.0	2511	2322	2581
8. उराण जीटी	672.0	2920	2622	1531
	जोड़ :	27178	27181	26694

1	2	3	4	5
जल विद्युत				
1. कोयना	880.0	3237	3145	3058
2. कोयना (डैम)	40.0	172	97	158
3. वेतरणा	60.0	180	130	112
4. पैथौण	12.0	34	21	31
5. तिलारी	60.0	124	108	137
6. भीरा टेल	80.0	89	81	104
7. भंडारधारा	10.0	14	8	24
8. बासपा	15.0	3	23	45
9. लघु जल विद्युत		164	151	177
	जोड़ :	4017	3764	3846
ट्राम्बे (ताप विद्युत)	1337.5	6194	6326	5486
टाटा (हाइड्रो)	276.0	1638	1219	1345
तारापुर न्यूक्लीय	420.0	1710	1935	1743
महाराष्ट्र				
ताप विद्युत		33372	33507	32130
न्यूक्लीय		1710	1935	1743
जल विद्युत		5655	4983	5191
जोड़		40737	40425	39114
आन्ध्र प्रदेश				
ताप विद्युत				
1. कोठागुडम	680.0	2982	3134	2940
2. विजयवाड़ा	840.0	5316	5662	5292
3. रामागुंडम-बी	62.5	310	218	325
4. नेल्लौर	30.0	119	104	103
5. रॉयलसीमा		0	0	0
6. विजेशवरम	99.0	357	417	474
	जोड़ :	9084	9535	9134

1	2	3	4	5
हाइड्रो				
1. मयकुंद	114.7	806	795	686
2. टी०वी०डैम	72.0	206	224	192
3. अपर सिलेरू	120.0	589	517	333
4. लोअर सिलेरू	460.0	1481	1295	963
5. नागार्जुन सागर	810.0	3011	2614	3122
6. नागार्जुन सागर (आर०बी०सी०)	90.0	226	229	216
7. नागार्जुन सागर (एल०बी०सी०)	60.0	0	65	97
8. श्रीसेलम	770.0	3269	3183	3625
9. निजाम सागर	10.0	23	7	2
10. पोचमपाड़	27.0	104	89	43
11. दोनकराई	25.0	131	99	37
12. पेन्ना अहो विश्व	20.0	0	0	0
जोड़		9846	9117	9316
एन०टी०पी०सी०				
रामागुंडम	2100.0	11277	12384	13143
एस०टी०पी० एस				
आन्ध्र प्रदेश				
ताप विद्युत		20361	21919	22277
जल विद्युत		9846	9117	9316
	जोड ;	30207	31036	31593

[हिन्दी]

केबलों की खरीद

1940. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए केबलों की खरीद के लिए किन-किन कम्पनियों को सप्लाई आदेश दिए गये थे ;

(ख) कितनी कम्पनियों ने इन केबलों की सप्लाई के लिए विभाग के पास अपने कोटेशन भेजे हैं ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जिन कम्पनियों को आपूर्ति के आर्डर दिए गए हैं, उन कम्पनियों की सूची संलग्न है।

(ख) 16 कम्पनियों ने कोटेशन प्रस्तुत किए हैं।

(ग) संलग्न विवरण की क्र०स० (1) से (13) में लिखित फर्मों को थोक आर्डर दिए गए और शैक्षिणिक आर्डर आशय पत्र क्रम संख्या 14 से 16 में लिखित फर्मों को इस शर्त पर दिए गए कि निश्चित क्रय ऑर्डर, उनके द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद दिए जाएंगे।

विवरण

कंपनियों की सूची

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	मैसर्स इनकैब, कलकत्ता
2.	मैसर्स फिनोलैक्स केबल्स लि०, पुणे
3.	मैसर्स उषा बैलट्रान लि०, रांची
4.	मैसर्स स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लि०, बम्बई
5.	मैसर्स आर०पी०जी० टेलीकॉम लि०, मैसूर
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि०, कलकत्ता
7.	मैसर्स निक्को कॉरपोरेशन लि०, कलकत्ता
8.	मैसर्स विन्ध्य टेलीलिंक्स लि०, रीवा
9.	मैसर्स गुजरात टेलीफोन केबल लि०, अहमदाबाद
10.	मैसर्स ट्रेको केबल कंपनी लि०, एर्नाकुलम
11.	मैसर्स टेलीफोन केबल्स लि०, चण्डीगढ़
12.	मैसर्स अपकॉम केबल्स लि०, लखनऊ
13.	मैसर्स तमिलनाडु टेलीकॉम लि०, मद्रास
14.	मैसर्स सी०एम०आई०लि०, नई दिल्ली
15.	मैसर्स डेल्टान केबल्स लि०, नई दिल्ली
16.	मैसर्स हरियाणा टेलीकॉम लि०, रोहतक

[अनुवाद]

भारत-ईरान इस्पात उद्यम

1941. श्री संदीपान भगवान : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1994 के ''इकोनॉमिक टाइम्स'' में ''चौथे इन्डो-ईरानियन स्टील वेंचर ऑन एन्विल'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति तथा इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को अन्य देशों से भी ऐसे ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). जी हां। अक्तूबर, 1993 में सचिव (इस्पात) के ईरान के दौरे के दौरान एक समझौता ज्ञापन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नेशनल ईरानियन स्टील कम्पनी की सहायक कम्पनी मैसर्स एक्कोटैक और भारत की कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड तथा मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस (इण्डिया) लिमिटेड के बीच ईरान, भारत और तीसरी दुनिया के देशों में तकनीकी सेवा प्रदान करने के लिए एक उद्यम स्थापित करने का उल्लेख है। इस प्रस्ताव पर ईरान के प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ). संयुक्त उद्यम लगाने हेतु तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य देशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात में पुलों के निर्माण और मरम्मत के कार्य की पुनरीक्षा

1942. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों के निर्माण और मरम्मत संबंधी कार्य की आवधिक पुनरीक्षा नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राज्य में जिन पुलों के निर्माण और मरम्मत संबंधी कार्य की गत तीन वर्षों के दौरान पुनरीक्षा की गई है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस कार्य में पायी गई खामियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन पुलों के निर्माण और मरम्मत संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई है उनकी संख्या नीचे दर्शायी गई है :-

वर्ष	पुलों की संख्या
1991	27
1992	26
1993	26

(घ) समीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कमी देखने में नहीं आई है।

कोजीकोड-वायतिरी-गुडाल्लूर सड़क

1943. श्री के० मुरलीधरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोजीकोड-वायतिरी-गुडाल्लूर सड़क के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सैक्टर की सड़कों के कार्यक्रम के लिए सीमित निधियां आबंटित होने के कारण इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ चुनिंदा परियोजनाओं पर ही कार्य करना संभव होगा।

कन्टेनर सेवा को पुनः चालू करना

1944. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम का विचार यूरोप के लिए कन्टेनर सेवा पुनः शुरु करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा इस कार्य के लिए कितने पोतों का अधिग्रहण किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). भारतीय नौवहन निगम लि० ने भारत/यूरोप व्यापार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पहले ही जनवरी, 1994 में भारत से विशिष्ट कन्टेनर सेवा पुनः चालू कर दी है और इसकी यात्रा जवाहर लाल नेहरू पत्तन से शुरु हुई है। भा०नौ०नि० ने इस प्रयोजन हेतु तीन सैल्यूलर कन्टेनर वैसल्ज खरीदे हैं।

ये वैसल्ज यू०के० और नार्थ कान्टीनेंट की चुनिंदा पत्तनों पर जाएंगे। भीतरी प्रदेश का व्यापार फीडर सेवा अथवा सड़क परिवहन के द्वारा किया जाएगा। वापसी यात्रा के समय ये वैसल्ज यू०के० और नार्थ कान्टीनेंट से भारतीय उप-महाद्वीप के व्यापार तथा सऊदी अरब तथा जोर्डन को भी व्यापार का कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

बिहार में सी-डॉट एक्सचेंज

1945. श्री प्रेमचन्द राम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों की ओर से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रंक मीडिया 30 चैनल वी०एच०एफ० सिस्टम तथा 512 आई०एल०टी० अथवा 512 सी-डॉट एक्सचेंज की स्थापना करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सरकार को ऐसे किसी विशिष्ट अभ्यावदेन की जानकारी नहीं है। तथापि, बिहार में बड़ी संख्या में ऐसी प्रणालियां पहले से ही संस्थापित की जा चुकी हैं तथा और अधिक संख्या में संस्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन का प्रसारण समय

1946. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान दूरदर्शन के कुल प्रसारण समय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अविध में से वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए दिये गए कुल समय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वाणिज्यिक विज्ञापनों से वर्ष भर में प्राप्त कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दूरदर्शन के वर्तमान खर्च में इन प्राप्तियों की प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). 1992-93 की अवधि के दौरान दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय केन्द्रों का कुल प्रसारण समय 19,419 घण्टे था जिसमें से 448 घण्टे के समय का वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया था।

(ग) और (घ) 1992-93 की अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित सकल राजस्व 360.23 करोड़ रुपये अर्थात् उक्त अवधि के सामयिक व्यय का 57.22 प्रतिशत (अनुमानित) था।

"नाल्को" में अधिकारियों का निलम्बन

1947. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के कई वरिष्ठ अधिकारियों को गत वर्ष निलम्बित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ड.) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० के श्री एस०एन० जौहरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री आर०बी० राव, निदेशक (वित्त) तथा श्री के०एस० अय्यर मुख्य प्रबंधक (वित्त) को वित्तीय संस्थाओं में धन नियोजन करने के संबंध में मुअतल किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ड.). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रमुख इस्पात उद्योग

1948. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख इस्पात उद्योग घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन उद्योगों को पुर्नजीवित करने के लिए कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) चार प्रमुख इस्पात उद्योगों नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि० (सेल), टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को), इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर०आई०एन०एल०) में से ''सेल'' और ''टिस्को'' लाभ कमा रहे हैं तथा ''इस्को'' और ''आर०आई०एन०एल०'' घाटे में चल रहे हैं।

(ख) और (ग). जी, हां। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के मामले में सरकार ने इसके बर्नपुर इस्पात कारखाने का शीघ्र आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'इस्को' के प्रबन्धन तथा साम्या में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है ताकि कम्पनी का पुनरूद्धार हो सके। सरकार का एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिससे सरकार को इस प्रयोजन के लिए ''सेल'' को ''इस्को'' में उसकी शेयरधारिता को निजी पार्टियों को हस्तान्तरित करने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त हो सके। यह विधेयक इस समय उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

जहां तक राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० का संबंध है, इसके घाटे में चलने का मुख्य कारण क्षमता का कम उपयोग होना है क्योंकि इसकी उत्पादन इकाइयां अभी स्थिरीकरण की प्रक्रिया में हैं और उच्च दर पूंजी संबंधी

प्रभार नामतः मूल्यह्रास और ब्याज हैं। कम्पनी की वित्तीय सक्षमता में सुधार लाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कम्पनी के पूंजीगत ढांचे की पुनर्संरचना करने की अनुमति प्रदान की है। इससे कम्पनी को सरकार के बकाया ऋणों को ईक्विटी तथा अधिमान्य शेयरों में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण इसके ब्याज के बोझ को कुछ हद तक कम करने में सहायता मिलेगी। कम्पनी ने अपनी उत्पादन सुविधाओं की क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए अनेक उपचारात्मक उपाय किये हैं और आशा है कि यह संयंत्र 1996-97 तक शत-प्रतिशत क्षमता उपयोग की प्राप्ति कर लेगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन

1949. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल की कितनी ग्राम पंचायतों का जिला मुख्यालय से टेलीफोन द्वारा सीधा सम्पर्क है ;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन द्वारा जोड़ दिया जाएगा ; और

(ग) निकट भविष्य में कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन द्वारा जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 152 पंचायत ग्राम

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान, 50 अतिरिक्त पंचायत ग्राम।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान 1029 पंचायत ग्राम।

इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा उपाय

1950. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाओं की दर को कम करने हेतु किन-किन विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाया गया है ; और

(ख) इसके फलस्वरुप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों से "सेल" और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०) में दुर्घटनाओं (गंभीर और प्रतिवेद्य) की दर में कमी हो रही है। कार्य के दौरान बेहतर सुरक्षा मानकों के अपनाए जाने से औद्योगिक-संबंध भी अच्छे हुए हैं।

विवरण

I. दुर्घटनाओं को कम करने तथा सुरक्षा निष्पादन में सुधार करने के लिए "सेल" के विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाए गए विशिष्ट कदम निम्नलिखित हैं :-

(i) विभिन्न जोखिमपूर्ण कार्य स्थलों का पता लगाना तथा इन खतरों का समाप्त करना/कम करने के लिए कदम उठाना।

(ii) किसी भी कार्य को करते समय मानक प्रचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना।

(iii) जोखिमपूर्ण कार्यों को करने के लिए नयाचार प्रणाली लागू करना।

(iv) आग लगने वाले सम्भावित क्षेत्रों की मासिक जांच करना इन क्षेत्रों में गलियारों का तारों का रख-रखाव तथा बेहतर आन्तरिक व्यवस्था करना शामिल है।

(v) सभी ठेका कार्यों के लिए कार्य की अनुमति देने की प्रणाली लागू करना।

(vi) कार्य शुरु करने से पूर्व ठेकेदारों और कामगारों के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण।

(vii) प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और कामगारों (ठेकेदार और नियप्रित) के लिए सुरक्षा के संबंध में स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना।

(viii) भारी और महत्वपूर्ण मरम्मत कार्यों के दौरान चौबीसों घंटे कड़ा सुरक्षा पर्यवेक्षण।

(ix) नियमित तथा ठेका श्रमिकों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्करों के अनिवार्य रुप से उपयोग करने को लागू करना।

(x) भारी वाहनों के सड़क पर चलने की क्षमता और गति-सीमा की संयंत्र में जांच करना।

(xi) तीव्र गति से चलने वाले दुपहिया-वाहन चालकों द्वारा संयंत्र के गेट पर और संयंत्र के भीतर सड़कों पर क्रैश हैल्मेटों को पहनने को अनिवार्य रुप से लागू करना।

(xii) सुरक्षा को बढ़ावा देने/जागरूकता के लिए कर्मचारी-संगठनों/ट्रेड यूनियनों की सक्रिय भागीदारी।

II. विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (आर०आई०एन०एल०) में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं :-

(i) सभी नए कर्मचारियों को सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। सभी ठेकेदारों को भी कोई कार्य शुरु करने से पूर्व सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है।

(ii) सभी कर्मचारियों को बी०आई०एस० मानदण्डों के अनुरुप उच्च क्वालिटी सुरक्षा उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं।

(iii) सुरक्षा में सुधार करने के लिए जोखिम-विश्लेषण, कार्य-सुरक्षा विश्लेषण तथा सुरक्षा लेखा-परीक्षा जैसी आधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं।

(iv) शाला की नियमित रुप से जांच की जाती है और असुरक्षित परिस्थितियों को समाप्त किया जाता

है। सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को लागू करने के कार्य को भी किया जाता है।

(v) सभी छोटी-बड़ी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(vi) बी०एस०पी० में एक विशिष्ट सुरक्षा प्रोत्साहन योजना है जिसके तहत किसी विभाग-विशेष के सभी कर्मचारियों को किसी महीने में "शून्य" प्रतिवेद्य दुर्घटना न होने पर नगद राशि दी जाती है।

(vii) 39 विभागीय सुरक्षा समितियों और शीर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समिति के माध्यम से सुरक्षा कार्य में संयुक्त भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन समितियों में प्रबंध प्रतिनिधियों के साथ बराबर संख्या में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व है।

(viii) समूचे वर्ष सुरक्षा सप्ताह अन्त:विभागीय कार्य व्यवस्था प्रतिस्पर्द्धा तथा अन्य सुरक्षा प्रतिस्पर्द्धाएं जैसे सुरक्षा संवर्धन कार्यकलाप किए जाते हैं। सभी विभागों में सुरक्षा प्रतिनिधि और सुरक्षा प्रधान नामित किए गए हैं।

(ix) सुरक्षा-शिक्षा और नियमित कर्मचारियों तथा ठेका श्रमिकों को भी प्रशिक्षण देने पर बराबर बल दिया जाता रहा है। विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के सहयोग से विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोनों का दुरुपयोग

1951. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन का दुरुपयोग रोकने के लिये संचार विभाग को छापे मारने का अधिकार देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता, निजी परिसरों पर छापों के दौरान की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय मिशन

1952. श्री एस०बी० सिदनाल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन देशों में भारतीय दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास खोले गए;

(ख) विदेश में स्थित भारतीय मिशनों में कितने राजदूत/उच्चायुक्त/महावाणिज्य दूत नियुक्त किए गए;

(ग) इनमें से सेवा-वार कितने व्यक्ति भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से हैं ;

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति गैर-सरकारी हैं ;

(ङ.) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों से हैं ;

(च) क्या राजदूतों/मिशनों के प्रमुख के रुप में नियुक्ति करने हेतु इन समुदायों के व्यक्तियों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान विदेशों में खोले गए 11 नये राजदूतावासों/हाईकमिशनों/प्रधान कौंसलावासों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :-

	मिशन का नाम	खोले जाने की तारीख
1.	भारत का राजदूतावास, ताशकन्द (उजबेकिस्तान) (भारत के प्रधान कौंसलावास से उच्चीकृत)	18.3.1992
2.	भारत का राजदूतावास, कीव (उक्रेन)	8.5.1992
3.	भारत का राजदूतावास, अल्माता (कजाकस्तान)	9.5.1992
4.	भारत का राजदूतावास, मिंस्क(बेलारूस)	14.5.1992
5.	भारत का राजदूतावास, तेलअबीव (इजराईल)	15.5.1992
6.	भारत का प्रधान कौंसलावास ब्लादीवोस्तोक (रूस)	9.9.1992
7.	भारत का प्रधान कौंसलावास, शंघाई (चीन)	11.11.1992
8.	भारत का प्रधान कौंसलावास, सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	12.1.1993
9.	भारत का हाई कमीशन, बंदेर सेरी बेगावन (ब्रूनी)	18.5.1993
10.	भारत का प्रधान कौंसलावास, जोहेन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)	14.12.1993
11.	भारत का राजदूतावास, अशकाबाद (तुर्कमेनिस्तान)	31.1.1994

(ख), (ग) तथा (घ). जनवरी,.1992 से विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कुल 106 राजदूत/हाई कमिशनर/प्रधान कौंसल तैनात किए गए हैं। इनमें से 101 भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के हैं और 5 गैर-सरकारी हैं।

(ङ.) जनवरी, 1992 से तैनात किए गये राजदूतों/हाई कमिशनरों/प्रधान कौंसल में से तेरह अनुसूचित जाति तथा पांच अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।

(च) राजदूतों/मिशन प्रमुखों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के समुदायों के व्यक्तियों का अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र

1953. श्री डी० वेंकटेश्वरराव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विद्युत क्षेत्र में अब तक कुल कितने विदेशी/गैर सरकारी निवेश की स्वीकृति दी है ;

(ख) 1994-95 के दौरान विद्युत क्षेत्र में किए जाने वाले कुल विदेशी/गैर सरकारी निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अब तक सात विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ;

(घ) यदि हां, तो ये विद्युत परियोजना किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ;

(ड.) क्या दूसरे देशों ने इन बिजलीघरों से सप्लाई की गई बिजली के लिए बिजली बोर्डों द्वारा नियमित भुगतानों के सम्बन्ध में सन्देश प्रकट किया है ;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली बोर्डों द्वारा तुरन्त भुगतान करने की गारंटी दी है ; और

(छ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कार्य कब से शुरु किया जायेगा और इन परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) विदेशी निवेश की दृष्टि से सरकार अब तक 5128 मेगावाट क्षमता की 7 निजी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत कर चुकी हैं जिनकी लागत लगभग 21867 करोड़ रुपये है।

(ख) 1994-95 के दौरान निवेश की स्थिति परियोजनाओं की वित्तीय समापन अवस्था और निर्माण कार्य की शुरुआत किए जाने पर निर्भर करेगी

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ड.) जी, हां।

(च) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निजी विद्युत उत्पादन कम्पनी को देय राशि सम्बन्धी दायित्व हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा गारन्टी दिए जाने और इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों के लिए सहमति प्रदान किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक अनुरोध करने पर प्रति गारंटी प्रदान किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए भारत सरकार विचार कर सकती है।

(छ) इन परियोजनाओं से 5128 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा सकेगी। प्रस्तावकों द्वारा वित्तीय समापन अवस्था प्राप्त किए जाने के पश्चात् इन परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किए जाने की आशा है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मेगावाट)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपए में)	कम्पनी का नाम
1.	जैगुरुपाडु जी बी पी पी/ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (गैस)	827.00	जी वी के इण्डस्ट्रीज़, यू एस ए
2.	काकीनाडा जी बी पी पी/ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	208.00 (गैस)	748.43	स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड
3.	विशाखापत्तनम टी पी एस/ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00	अशोक लीलैण्ड एण्ड नेशनल पावर, (यू. के.)
4.	मंगलौर टी पी एस/ कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कांजैंट्रिक्स इन्क०, यू एस ए
5.	दभोल सी सी जी टी (एल एन जी) महाराष्ट्र	विदेशी	2015.00 (एल एन जी)	9051.27	एन्रोन पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन एण्ड जनरल
6.	इब घाटी टी पी एस/ उड़ीसा	विदेशी	420.00 (कोयला)	2025.60	ए०ई०एस० कारपोरेशन, यू एस ए
7.	जीरो यूनिट (एन एल सी)/ तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	250.00 (लिग्नाइट)	1127.00	एस टी पावर सिस्टम इन्क०, यू एस ए
		जोड़ :	5128.00	21867.30	

[हिन्दी]

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1954. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम :

श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम ने दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान और 31 जनवरी, 1994 तक जोन-वार और वर्षवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्वीकृत किये ;

(ख) प्रत्येक जोन में ऐसे कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं जिनके लिए ओ०बी० नम्बर जारी किये गये हैं परन्तु जिन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले तीन वर्षों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा मंजूर किए गए पी०सी०ओ० की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :-

क्षेत्र महाप्रबंधक	90-91	91-92	92-93
महाप्रबंधक (पूर्व)	182	1032	1000
महाप्रबंधक (उत्तर)	267	1112	138
महाप्रबंधक (दक्षिण)	125	406	430
महाप्रबंधक (पश्चिम)	678	2452	2847
क्षेत्र प्रबंधक (केन्द्रीय)	131	181	203

1.4.93 से 31.1.94 तक अंचल-वार मंजूर किए गए पी०सी०ओ० की संख्या एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उन पी०सी०ओ० की अंचल-वार संख्या नीचे दी है जिनके लिए ओ०बी० जारी कर दी है परन्तु अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं :-

महाप्रबंधक (पूर्व)	101
महाप्रबंधक (दक्षिण)	25
महाप्रबंधक (उत्तर)	65
महाप्रबंधक (पश्चिम)	304
क्षेत्र प्रबंधक (केन्द्रीय)	47

(ग) इसके कारण इस प्रकार हैं :-

1. संस्थापन प्रक्रिया में लगने वाला सामान्य समय।

2. तकनीकी अव्यवहार्यता :

तकनीकी रुप से अव्यवहार्य मामलों को उत्तरोत्तर रुप से व्यवहार्य बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम की रिपोर्ट

1955. श्री प्रबीन डेका : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 16 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1467 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि-बागवानी संसाधनों के उपयोग पर व्यवहारिता संबंधी रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन के लिए योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि-बागवानी संसाधनों के उपयोग की व्यवहार्यता रिपोर्ट पर सरकार और नेरामक द्वारा विचार किया गया था। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इससे संबंधित प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

(ग) कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की गयी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में डाकघर

1956. श्री एन०जे० राठवा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां 1992-93 के अंत तक कोई डाकघर नहीं था ;

(ख) इस समय कितने गांवों में डाकघर सुविधा है ;

(ग) उन गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है जिनमें अब तक यह सुविधा नहीं है ; और

(घ) निकट भविष्य में जिला-वार कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में वर्ष 1992-93 के अंत तक 10,496 ग्रामों में डाकघर नहीं थे।

(ख) इस समय, 8050 ग्रामों में डाकघर हैं।

(ग) इस समय, जितने ग्रामों में डाकघर नहीं हैं, उनकी जिलावार संख्या संलग्न विवरण "क" में दी गई है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान 8 डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई है। इन डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण ''ख'' में दिया गया है।

विवरण ''क''

गुजरात के जिन गांवों में डाकघर सुविधा नहीं है, उनकी संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिले का नाम	बिना डाकघर वाले ग्रामों की संख्या
1.	अहमदाबाद	244
2.	अमरेली	307
3.	बनासकांठा	941
4.	भरूच	654
5.	भावनगर	468
6.	डांग	255
7.	गांधीनगर	16
8.	जामनगर	365
9.	जूनागढ़	573
10.	कच्छ	415
11.	खेड़ा	392
12.	महेसाणा	855
13.	पंचमहल	1390
14.	राजकोट	463
15.	साबरकांठा	603
16.	सूरत	738
17.	सुरेन्द्रनगर	339
18.	बड़ोदरा	1069
19.	वलसाड	295

विवरण "ख"

गुजरात के जिन गांवों में डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिले का नाम	31.3.94 तक खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
1.	अहमदाबाद	2
2.	अमरेली	--
3.	बनासकांठा	--
4.	भरूच	--
5.	भावनगर	--
6.	डंग	--
7.	गांधी नगर	2
8.	जामनगर	--
9.	जूनागढ़	--
10.	कच्छ	--
11.	खेड़ा	--
12.	महेसाणा	--
13.	पंचमहल	2
14.	राजकोट	1
15.	साबरकांठा	--
16.	सूरत	1
17.	सुरेन्द्रनगर	--
18.	वड़ोदरा	--
19.	बलसाड	--
	कुल :	8

इराक से क्षतिपूर्ति

1957. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के संबंध में इराक द्वारा कोई क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह क्षतिपूर्ति कच्चे तेल के रुप में दिए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों के अन्तर्गत आर्थिक प्रतिबंधों से बंधे होने के कारण इराक ने खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्ति के मुआवजे के भुगतान का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया। सरकार को बताया गया है कि इन प्रतिबंधों के उठ जाने के बाद अदायगी के बारे में विचार किया जाएगा।

(ख) अब तक भारतीय कम्पनियों से इराक और कुवैत दोनों जगह उनकी क्षतिपूर्ति के संबंध में 1220 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के कुल दावे प्राप्त हुए हैं। इन दावों को संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात का उत्पादन

1958. क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र देश में स्पेशल ग्रेड इस्पात का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला संयंत्र है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण से इसमें स्पेशल ग्रेड इस्पात के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र देश में स्पेशल ग्रेड इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला संयंत्र है।

(ख) संयंत्र निम्नलिखित स्पेशल ग्रेड इस्पात का उत्पादन करता है :-

(i) **प्लेटें** पोत निर्माण क्वालिटी, बायलर क्वालिटी, डी०आई०एन० 52-3, आई०एस० 961, आई०एस०2062 पहिएं आदि। पतली गेज 2.5 मि०मि० और कम।

(ii) **तप्त बेल्लित कुंडल :** पोत निर्माण क्वालिटी, बायलर क्वालिटी स्टेनैस स्टील, एम०सी०, डी०डी०, ई०डी०डी० आदि।

(iii) **शीत बेल्लित कुंडल :** डी/डी०डी०/ई०डी०डी०, पतली गेज 0.63 मि०मि० से कम तथा 0.5 मि०मि० और उससे कम।

(iv) जी०पी०/जी०सी० चादरें।

(v) इलेक्ट्रोलेटिक टिन प्लेटें।

(vi) तप्त बेल्लित तथा शीत बेल्लित डायनमो चादरें।

(vii) इलेक्ट्रिकल उद्योगों के लिए सी०आर०एन०ओ०/सी०आर०जी० इस्पात।

(viii) बिजली प्रतिरोधी वेल्ड किए हुए पाइप, ए०पी०आई० तथा व्यावसायिक ग्रेड ।

(ix) **स्पाइरल वेल्डिड पाइप :** ए०पी०आई० तथा व्यावसायिक ग्रेड ।

पिछले दो वर्षों के दौरान कुल विक्रय इस्पात में स्पेशल ग्रेड इस्पात का प्रतिशत निम्नलिखित रहा :-

1991-92	37 प्रतिशत
1992-93	41 प्रतिशत

(ग) और (घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। दिसम्बर, 1995 में आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने के बाद विशेष इस्पात के उत्पादन में भारी वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है। इसके अनुसार स्पेशल ग्रेड इस्पात का उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत होने की संभावना है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी नई नीति

1959. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कोई नई नीति बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब की जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). एक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरु की गई है। इस नीति के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और आय बढ़ाने, फसलोत्तर नुकसान को कम करने, उद्योग तथा किसानों के बीच उत्पादकता लिंकेज स्थापित करने, संसाधित खाद्यों का निर्यात बढ़ाने तथा कृषि और सम्बद्ध कार्यों के उत्पादकता प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को त्वारित वृद्धि और विकास से संबंधित मामलों पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

गोवा में टेलीफोन कनेक्शन

1960. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार गोवा के प्रमुख शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए शहरवार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और शहर-वार कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के दौरान इन शहरों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई क्रैश कार्यक्रम बनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) तथा (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष करना तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों व्यावहारिक रुप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना शामिल है। अलग-अलग सर्किलों को प्रति वर्ष निधि का आबंटन, विभाग को उपलब्ध कराई गई निधि और प्रत्येक दूरसंचार सर्किल के संस्थापन कार्यक्रम को देखते हुए किया जाता है।

[हिन्दी]

कर और उपकर लगाना

1961. श्री नीतिश कुमार : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लौह उद्योग पर उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त इंजीनियरिंग माल निर्यात सहायता निधि उपकर, संयुक्त संयंत्र समिति उपकर तथा इस्पात विकास निधि उपकर भी लगाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी क्या दरें हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष क्रमशः कुल कितनी कर तथा उपकर राशि एकत्रित की जाती है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल), टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर०आई०एन०एल०) जैसे लोहे के मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित लोहे और इस्पात के मूल्यों पर स्टील विकास निधि (एस०डी०एफ०) लेवी, इंजीनियरिंग माल निर्यात सहायता निधि (ई०जी०ई०ए०एफ०) लेवी तथा संयुक्त संयंत्र समिति (जे०पी०सी०) उपकर भी लगता है।

(ख) इन लेवियों की विद्यमान दर निम्नलिखित है :-

(रुपये प्रति टन)

नाम	कच्चा लोहा	इस्पात सामग्री
1. इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०)	शून्य	350 से 500
2. इंजीनियरिंग माल निर्यात सहायता निधि (ई०जी०ई०ए०एफ०)	113*	300*
3. संयुक्त संयंत्र समिति (जे०पी०सी०)	शून्य	3*

* केवल जे०पी०सी० की पूर्व श्रेणियों पर ही देय।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन लेवियों/उपकरों के माध्यम से वार्षिक रुप से प्राप्त राशि को नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपए)

नाम	1990-91	1991-92	1992-93
इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०)	371.40	380.21	390.66
इंजीनियरिंग माल निर्यात सहायता निधि (ई०जी०ई०ए०एफ०)	151.09	195.78	184.43
संयुक्त संयंत्र समिति (जे०पी०सी०)	1.88	1.81	1.93

[अनुवाद]

हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र में ''कैमरा यूनिटें''

1962. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र में इस समय कितनी ''कैमरा यूनिटें'' कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या वहां ''कैमरा यूनिटों'' द्वारा ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम नहीं बनाए जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वहां ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में 4 हाई बैण्ड यूनिट और 4 लो बैण्ड यूनिट हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

1963. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की मुख्य-मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की गतिविधियों की आवधिक पुनरीक्षा तथा मूल्यांकन किया है तथा उसके लेखाओं की लेखा परीक्षा की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या संसद सदस्यों से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को संस्कृति विभाग के अन्तर्गत लाने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के तीन सांविधिक प्राधिकरण अर्थात् आमसभा, शासी निकाय तथा वित्त समिति परिषद् के क्रिया-कलापों और कार्यक्रमों पर बराबर निगाह रखते हैं और साथ ही उनका मूल्यांकन भी करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के संविधान के अनुसार शासी निकाय का दायित्व परिषद् के कार्यों की देखरेख तथा उनका नियंत्रण करना है। विदेश मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार परिषद् का वित्तीय सलाहकार भी है। इससे इस बात का सुनिश्चय होता है कि परिषद् के क्रिया-कलाप और कार्यक्रम परिषद् को दिए गए प्रादेश की रुपरेखा के भीतर निष्पादित किए जाते हैं।

(घ) ऐसी कोई मांग सरकार को नहीं भेजी गई है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद् की मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत नीचे लिखे अनुसार है :

छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी कल्याण

यह परिषद् का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। यह भारत में विदेशी विद्यार्थियों के लिए कई छात्रवृत्तियों का भारत सरकार की ओर से प्रबन्ध करता है। विदेशी विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डाकटरोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विभिन्न छात्रवृत्तिय योजनाओं के अन्तर्गत परिषद औसतन लगभग 1000 छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है। यह परिषद् भारत में छात्रवृत्ति को और स्ववित्त पोषण के आधार पर भारत में शिक्षा ग्रहण करने वाले विदेशी छात्रों के सामान्य कल्याण के लिए भी उत्तरदायी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस परिषद् ने वास्तविक रुप से 1812 छात्रवृत्तियां दी।

इस परिषद् का छात्रवृत्ति कार्यक्रम दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता का एक भाग है। इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम से भारत और विभिन्न देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के चिरस्थायी संबंध बने हैं। जनवरी, 1994 में परिषद् ने प्रथम अखिल भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी उत्सव का आयोजन किया जिसमें लगभग बीस देशों के विदेशी विद्यार्थियों ने अपने अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रदर्शित की।

विशिष्ट अतिथि

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कई प्रख्यात विद्वानों, मत निर्माताओं, राजनेताओं और शिक्षाविदों ने भारत की यात्रा की और विभिन्न स्तरों पर बातचीत की । इस कार्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि भावकारी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भारत के बारे में प्रारम्भिक जानकारी हासिल हो जाए और वे समुचित स्तरों पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। इससे अपने विचारों, हित चिन्ताओं और अपने दृष्टिकोण को रखने में सहायता मिलती है। गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विशिष्ट व्यक्ति भारत यात्रा पर आए वे थे, डा० हैरिश सिलाजिक, बोस्निया और हरजेगोविनिया गणराज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री , जोर्डन की राजकुमारी विजदान अली, ईरान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मीर मुसावी, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की आधिकारिक जीवनी लेखिका सुश्री फातिमा मीर, क्रोएशिया के विदेश मंत्री, सीरिया के प्रधान मुफ्ती, मंगोलिया के सांस्कृतिक मंत्री श्री ई०एन० एंनकाब्योर, ताजिकिस्तान के शैक्षिक विज्ञापनों के अध्यक्ष, नामीबिया के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति इस्माइल मोहम्मद, आदि। गत तीन वर्षों के दौरान परिषद् ने 241 विशिष्ट विदेशी अतिथियों की मेजबानी की।

201 विद्वानों, शिक्षाविदों और कलाकारों को इसी अवधि के दौरान परिषद् ने यात्रा अनुदान देकर उनकी सहायता की ताकि वे विदेशों में आयोजित महत्वपूर्ण विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग ले सकें।

प्रदर्शनियां

गत तीन वर्षों के दौरान परिषद् ने भारत की तत्कालीन तथा परम्परागत कलाओं पर विदेशों में 19 प्रदर्शनियां आयोजित की थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण टैगोर की चित्रकला प्रदर्शनी (चीन), मैजिकल हैन्डस लिविंग इंडियन क्राफ्टस (ऑस्ट्रिया) और भारतीय गीत-समकालीन भारतीय कलाओं में बद्धु-विधाएं (ऑस्ट्रेलिया)। इसी अवधि के दौरान परिषद् ने विभिन्न देशों की ''प्रदर्शनियां भारत में आयोजित की।

सेमीनार और सम्मेलन

इस परिषद् ने सांस्कृतिक अभिरूचि के मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनारों और सम्मेलनों का भी सक्रिय रुप से आयोजन किया। गत तीन वर्षों के दौरान परिषद् ने 11 सेमीनार और विचारगोष्ठियां आयोजित कीं। उनमें प्रमुख थे '' सूफीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार'' सदियों से मिस्र और भारत के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और ''भारत-तुर्की संबंधों में पारस्परिक सांस्कृतिक प्रभाव'' पर सेमीनार।

परिषद् ने ''प्राचीन काल से आज तक भारत और उजबेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंध'' के आयोजन में खुदा बख्श पुस्तकालय, पटना के साथ सहयोग किया।

मंचीय कलाओं का आदान-प्रदान

विभिन्न द्विपक्षीय करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न देशों से आये 112 सांस्कृतिक मंडलियों की मेजबानी की और इसी प्रकार परिषद् ने द्विपक्षीय करारों के तहत 189 सांस्कृतिक मॉडलयां विभिन्न देशों में भेजीं।

उत्सव

इस परिषद् ने 1992 में जर्मनी में भारतीय उत्सव का आयोजन करने में प्रमुख भूमिका निभायी। इसी प्रकार 1993 में चीन में भारतीय उत्सव के आयोजन में भी प्रमुख भूमिका निभाई। देश में आयोजित उत्सवों के अलावा परिषद् ने भारत में अक्तूबर, 1992 में प्रथम सार्क उत्सव और भारत में 1993 में अन्तर्राष्ट्रीय संगीत उत्सव का आयोजन किया।

प्रकाशन

अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् ने ''भारत का मौलाना'', ''रूबेयात-ए-सरमाद'', ''भारत की खोज'' (संक्षिप्त संस्करण) तथा ''सूफीवाद की समकालीन प्रासंगिकता'' शीर्षकों के चार खण्डों की पुस्तक प्रकशित की। परिषद् की छह त्रैमासिक का दो अंग्रेजी में तथा एक-एक हिन्दी, स्पेनिश, फ्रांसीसी और अरबी में नियमित प्रकाशन जारी रखा। परिषद् ने 2 अक्तूबर, 1993 को ''पृथग्वासनोत्तर दक्षिण अफ्रीका पर-अफ्रीका त्रैमासिकी'' का विशेष अंक भी प्रकाशित किया जो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में आगमन के शताब्दी समारोह का द्योतक है। इसी प्रकार परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर हिन्दी भाषा की अपनी त्रैमासिकी ''गगनांचल'' का विशेष अंक भी प्रकाशित किया जिसमें पहली बार गैर-भारतीय विद्वानों के मूल रुप में हिन्दी में कई लेख प्रकाशित हुए हैं।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

परिषद् ने गत तीन वर्षों के दौरान लंदन (यू.के०) और काहिरा (मिस्र) में दो सांस्कृतिक केन्द्र खोले। इसे मिलाकर विदेशों में चलाये जा रहे सांस्कृतिक केन्द्रों की संख्या आठ हो गई है।

ये केन्द्र भारतीय सांस्कृतिक विरासत की जागरूकता का माहौल सृजित करते हैं और भारत में समकालीन घटनाओं के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करते हैं।

विदेशों में भारतीय अध्ययनों की पीठों और प्रोफेसरशिप पदों की स्थापना

परिषद् ने विदेशों में विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययनों की इस प्रकार की 16 पीठों को कायम रखा। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय शिक्षाविदों को नियमित से विदेशों में भेजा गया जो विभिन्न विषयों का अध्यापन करात हैं जिनमें प्राच्यविद्या, भारतीय इतिहास और मनोविज्ञान, संस्कृत, हिन्दी और अन्य भाषाएं शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिषद् की व्यापक उपलब्धियां रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए वार्षिक जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के आयोजन के अलावा परिषद् ने हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में वार्षिक मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यानमाला और मौलाना आजाद निबन्ध प्रतियोगिता सार्क देशों के सभी नागरिकों के लिए आयोजित किया जिसमें 30 वर्ष की कम आयु के नागरिक भाग ले सकते हैं।

इन कार्यकलापों के माध्यम से परिषद् ने भारत और अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों और परिस्परिक समझबूझ की स्थापना करने, उसे पुनः स्थापित करने और सुदृढ़ करने के अपने प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में तीव्रता से कार्य किया।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को आशय पत्र

1964. श्री राम कापसे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने जुलाई, 1993 में तीन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को आशय पत्र जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अब इसने फ्रांस की अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी ''अलकाटेल'' से एक लाख डिजिटल स्विचिंग प्रणालियां खरीदने का निर्णय लिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि डी०डी०टी० ने पहले पहल ''अलकाटेल'' का निवेदन अस्वीकार किया था ; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त फर्म को सप्लाई का आदेश अब दिए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ड.) मैसर्स एल्काटेल फ्रांस ने डिजिटल स्विचिंग प्रणाली के लिए निविदा में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए नामंजूरी का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खानों का पट्टा

1965. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को लौह अयस्क, चूना पत्थर, बाक्साइट तथा ग्रेनाइट खानें पट्टे पर देने की अपनी नीति की पुनरीक्षा करने का निर्देश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) लौह अयस्क, चूना पत्थर, बाक्साइट तथा ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य सरकार को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे की मंजूरी देने के संबंध में कोई विशेष निदेश नहीं दिया गया है। तथापि, आर्थिक उदारीकरण की पृष्ठभूमि में सभी राज्य सरकारों को कुछ खनिज क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में विदोहन हेतु आगे आरक्षित रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

(ग) घरेलू मांग को पूरा करने के बाद निर्यात योग्य अतिरिक्त लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और समरुप विनियम अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त हैं। 1.4.1993 से लौह अयस्क के निर्यात पर लागू निर्यात शुल्क वापस ले लिया गया है। चूना पत्थर, बाक्साइट और ग्रेनाइट के निर्यातकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और समरुप विनियम अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त हैं।

पीपारन शिप-ब्रेकिंग यार्ड (गुजरात)

1966. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पीपारन स्थित शिप-ब्रेकिंग यार्ड को बन्द करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में पीपारन स्थित शिप ब्रेकिंग यार्ड के विकास के लिए कितनी सहायता दी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). गुजरात सरकार ने यह बताया कि गुजरात पिपावाव पोर्टस लिमिटेड (जी०पी०पी०एल०), जो एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है और जिसकी स्थापना गहरे पानी में सीधे लंगर डाले जाने वाले पत्तन के विकास के लिए की गयी है, ने परीक्षण के तौर पर पोत-भंजना (शिप-ब्रेकिंग) का कार्य हाथ में लिया है। कम्पनी ने पोत-भंजन के लिए 10 प्लाटों का विकास करते हुए शुरुआत की है। विशाल कूड केरियरों के भंजन के लिए पीपावाव में लगभग 140 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत वाले एक आधुनिक पोत-भंजन (शिप-ब्रेकिंग) यार्ड लगाने के लिए जी०पी०पी०एल० ने जापान की ओवरसीज इकॉनिमिक कारपोरेशन फण्ड से वित्तीय सहायता मांगी है। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को जापान सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा संसाधन जुटाना

1967. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एस०बी० सिदनाल :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपनी विस्तार-योजना के वित्तपोषण के लिए स्वयं अपने संसाधन जुटाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार हेतु आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की विस्तार योजना, धनराशि के बजटीय आबंटन पर निर्भर करते हुए योजना आयोग के परामर्श से तैयार की जाती है।

(ख) नेटवर्क के विस्तार के लिए आकाशवाणी के पास लगभग 117 करोड़ रुपये के व्यय पर 131 स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/परिकल्पित हैं। दूरदर्शन के पास लगभग 719 करोड़ रुपए के व्यय पर 358 स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/परिकल्पित हैं।

निर्माणाधीन गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

1968. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस पर आधारित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनसे राज्य-वार और संयंत्र वार कुल कितनी बिजली का उत्पादन होगा ; -

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के पास गैस पर आधारित और अधिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) निर्माणाधीन गैस आधरित विद्युत संयंत्रों और उनकी राज्यवार स्थल सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गैस आधारित केन्द्रों से कुल विद्युत उत्पादन का राज्यवार और संयंत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) विवरण-I में इंगित स्कीमों के अलावा निम्नलिखित गैस आधारित परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	फरीदाबाद सी सी जी टी	400 मेगावाट	हरियाणा
2.	अगरतला गैस टर्बाइन	84 मेगावाट	त्रिपुरा
	राज्य क्षेत्र		
1.	रोखिया जी टी स्टेशन फेज़-2	16.7	त्रिपुरा

1	2	3	4
	निजी क्षेत्र		
1.	पागुथान सी सी जी टी	654.7	गुजरात
2.	गोदावरी सी सी जी टी	208.3	आन्ध्र प्रदेश
3.	जैगुरुपाडु सी सी जी टी	216.0	आन्ध्र प्रदेश
4.	दाभोल सी सी जी टी	2015.0	महाराष्ट्र
5.	बवाना सी सी जी टी	660.0	दिल्ली

विवरण-I

निर्माणाधीन गैस-आधारित विद्युत परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम/जिला	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
	दिल्ली	
1.	विद्यमान गैस टर्बाइन केन्द्र पर अवशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट (डंसू)	3 × 34 मेगावाट
	राजस्थान	
2.	रामगढ़ जी टी / जैसलमेर	1 × 3
3.	रामगढ़ जी टी विस्तार / जैसलमेर	1 × 35.5
	उत्तर प्रदेश (केन्द्रीय क्षेत्र)	
4.	दादरी सी सी जी टी / गाजियाबाद	जी टी-2 × 131 + एस टी-2 × 146.5
	जम्मू व कश्मीर	
5.	गैस टर्बाइन परियोजना / श्रीनगर पम्पोर चरण - 2	4 × 25
	गुजरात (केन्द्रीय क्षेत्र)	
6.	गंधार गैस आधारित परियोजना / भरूच	जी टी-3 × 131 + एस टी 255

1	2	3
महाराष्ट्र		
7.	ट्राम्बे सी सी जी टी (टी ई सी) / ग्रेटर बम्बई	जी टी-1 × 120 + एस टी-1 × 60
8.	उड्न अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी रायगढ़	3 × 120 मेगावाट
तमिलनाडु		
9.	बेसिन ब्रिज जी टी / मद्रास	4 ×30
पांडिचेरी		
10.	कराइकल सी सी जी टी / पट्टीनम	जी टी-3 × 5 + एस टी-1 × 7.5
असम		
11.	लाकवा जी टी विस्तार परियोजना / शिवसागर	3 × 20 मेगावाट
12.	अमगुड़ी सी सी जी टी / शिवसागर	जी टी-6 × 33.5 एस टी-3 × 30
केन्द्रीय क्षेत्र		
13.	कैथलगुड़ी सी सी जी टी / डिब्रुगढ़	जी टी-6 × 33.5 + एस टी-3 × 30
त्रिपुरा		
14.	रोखिया जी टी फेज-3	2 × 8

विवरण II

गैस आधारित विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन

राज्य/केन्द्र	गैस आधारित विद्युत उत्पादन (अप्रैल 93 - जनवरी 94)	
	लक्ष्य (मि०यू०)	वास्तविक (मि०यू०)
1	2	3
दिल्ली		
1. डेसू जी टी	654	665
राजस्थान		
2. अन्ता जी टी	1775	2055

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
3. औरैया जी टी	2471	2893
4. दादरी जी टी	1560	1021
जोड़ (उत्तर प्रदेश)	4031	3914
गुजरात		
5. कवास जी टी	1490	1898
6. गंधार जी टी	60	0
7. धुवरण जी टी	160	143
8. उत्राण	80	185
9. उत्राण जी टी	85	436
10. वात्वा जी टी	419	508
जोड़ (गुजरात)	2294	3170
महाराष्ट्र		
11. उराण जी टी	2067	1396
12. ट्राम्बे जी टी	0	184
जोड़ (महराष्ट्र)	2067	1580
आन्ध्र प्रदेश		
13. विज्जेश्वरम	0	425
तमिलनाडु		
14. नारीमन	16	31
असम		
15. नामरूप जी टी	263	229
16. लाकवा गैस टर्बाइन	163	159
जोड़ (असम)	426	388
त्रिपुरा		
17. बारामुरा जी टी	32	33
18. रोखिया जी टी	74	51
जोड़ (त्रिपुरा)	106	84
अखिल भारत	11369	12312

बिहार में बेतिया में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना

1969. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के बेतिया में उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। बेतिया में पहले से कार्यरत अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संसाधन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इस आकार वाली परियोजना को पूरा होने में स्थल पर सिविल निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने के बाद लगभग 3 वर्ष का समय लगता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिकीकरण और विदेशी सहयोग

1970. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री शरत पटनायक :

श्री के० प्रधानी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आर्थिक नीति में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी विकास योजनाएं बनायी हैं तथा इनमें सरकार ने कितना निवेश किया है ;

(ग) सरकार का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है तथा सरकार के विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या स्वदेशी उत्पादकों ने इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं ; और

(ड.) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सहायता देने हेतु अनेक विकासात्मक योजना स्कीम तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने या उनका विस्तार करने किसानों के साथ वैववर्ड लिंकेज विकसित करने, विपणन सहायता, सुअर मांस, पाल्ट्री और दूसरी मांस एवं मांस प्रसंस्करण सुविधाओं टूना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण/कोल्ड चैन की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण और पेकेजिंग में अनुसंधान और विकास और कुछ क्षेत्रों में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों/संयुक्त क्षेत्र आदि को सहायता देना शामिल है।

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना पूंजीगत माल के निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत रियायतें और निर्यात उत्पादन, बुनियादी ढांचे के विकास, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए इस मंत्रालय और अपेड़ा द्वारा तैयार की गयी सहायता के लिए एक स्कीम शामिल है।

(घ) और (ड.). जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी/पूंजी निवेश की अनुमति दी गयी है। विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को अपने उत्पाद के विपणन के लिए विद्यमान और भावी घरेलू उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है। मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अखबारी कागज का विनियंत्रण

1971. प्रो० एम० कामसन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय छोटे व मध्यम समाचार पत्र संघ ने इन समचार पत्रों को संरक्षण देने के साथ-साथ अखबारी कागज का पूर्ण विनियंत्रण करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अखबारी कागज सलाहकार समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों के प्रति सरकार की निष्क्रयता पर रोष जताते हुए अपनी अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दिया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय छोटे व मध्यम समाचार पत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ कदम उठाने का है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। अखबारी कागजज सलाहकार समिति की हाल ही में हुई बैठक में अखिल भारतीय छोटे एवं मध्यम समाचार पत्र संघ ने अखबारी कागज के विनियंत्रण के लिए मांग की और सुझाव दिया कि छोटे समाचार पत्रों को अधिक से अधिक सहायता दी जाए।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ड.) मामला सक्रिय रुप से विचाराधीन है।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान केन्द्र

1972. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण एककों के आधुनिकीकरण हेतु देश में कोई अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर जोकि खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान करता है, के अलावा केन्द्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी तथा एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना संस्थान, कोचीन समुद्री प्रसंस्कृत खाद्यों पर अनुसंधान तथा विकास करता है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई०आई०टी०, खड़गपुर तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर (तमिलनाडु) द्वारा चावल मिलों आदि को कारगर ढंग से चलाने के लिए अनुसंधान और विकास तथा प्रक्रिया के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये केन्द्र चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत कार्यकलापों को चलाने के वास्ते शिक्षा और प्रशिक्षण भी देते हैं।

गहरे समुद्र में मत्स्यन नीति का विरोध

1973. श्री विजय नवल पाटील :

श्री थारल जॉन अंजलोज :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री राम नाईक :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 4 फरवरी, 1994 को हुए अखिल भारतीय मत्स्य को बंद की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बंद के क्या कारण हैं और मछुआरों की मांग का ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय मछुआरों की शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ;

(घ) क्या नई उदार निवेश नीतियों में गहरे समुद्र में मत्स्यन में विदेश निवेश के लिए सभी नियंत्रण हटा लिए गये हैं ; और

(ड.) गहरी समुद्र में मत्स्यन के लिए विदेशी कंपनियों को दिए गये अथवा दिए जाने वाले लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) : जी, हां।

मछुआरों का यह कहना था कि चार्टर और संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन से पश्चिमी तट पर, विशेषतया गुजरात और सौराष्ट्र तट पर उनके मत्स्यन प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मछुआरों की मांग थी कि गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को तट से 24 समुद्री मील की दूरी से परे मत्स्यन कार्य की अनुमति दी जाए। मछुआरों ने अन्य बातों के साथ-साथ गहन समुद्री मत्स्यन नीति के अंतर्गत दी गयी मंजूरियों को रद्द करने की भी मांग की।

(ग) मामले की पुनरीक्षा की गयी है और संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए गहन अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ड.) भारतीय अनन्य आर्थिक जोन में गहन समुद्री मत्स्यन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है या देने का प्रस्ताव है। परन्तु भारतीय आवेदकों को विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करते हुए गहन समुद्री मत्स्यन हेतु संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

मानवोचित मुद्दों को व्यापार नीति से जोड़ना

1974. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने डावोस में विश्व आर्थिक मंच की हाल की वार्षिक बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि मानवाधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण जैसे मानवोचित मुद्दों को व्यापार नीति का अंग नहीं बनाया जाना चाहिए और यह मांग की थी कि इन मुद्दों को व्यापार से अलग किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व के नेताओं विशेषत: अमेरीकी नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) दावोस, स्विटजरलैंड में विश्व आर्थिक कार्य मंच के पूर्णाधिवेशन को सम्बोधित करते हुए "मानव जाति के समक्ष महान चुनौतियों के संदर्भ में बुनियादी मान्यताओं को पुन: परिभाषित करना" के विषय पर प्रधान मंत्री ने अनेक माननीय मसलों पर बल दिया था।

उन्होंने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया उनमें से कुछ हैं :

"मुझे अपने ठोस अनुभव से यह बहुत साफ लगता है कि गरीबी 21वीं शताब्दी के अधिकांश समय में, अगर उससे और आगे नहीं तो, मानव जाति के लिए सर्वाधिक चुनौती बनी रहेगी।"

"21वीं शताब्दी में संसार भर में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या होगी जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे इसलिए इस सार्वभौम समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से और इसे सार्वभौम मानकर नये-नये दृष्टिकोण अपनाने होंगें और नये-नये कार्यक्रम तैयार करने होंगे। मैं यह महसूस करता हूं कि निर्धनता के व्यापक अभिशाप का किन्हीं विशिष्ट वर्गों, किन्हीं विशिष्ट देशों या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों पर ही असर नहीं पड़ेगा बल्कि यह समूचे संसार को अपनी चपेट में ले लेगा।"

''बहुत से देशों को निरक्षरता गरीबी के साथ ही व्यापक निरक्षरता का भी सामना करना पड़ रहा है।''

''निरक्षरता और अनियोजित जनसंख्या वृद्धि ये दोनों परस्पर जुड़े हुए भी हैं। इस दोहरी समस्या से जूझने के लिए एक सार्वभौमिक सहयोगिक प्रयास जरूरी है और इसके लिए हमें प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों से काम लेना होगा खासतौर से जिनका संबंध संचार से है। मुझे उम्मीद है कि आगामी शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों में या उससे भी पहले हम अगर कृतसंकल्प प्रयास करें तो साक्षर संसार का सुनिश्चय कर सकते हैं।''

''एक ओर हम भारत और दूसरी ओर पूर्व के देशों ने हमेशा अपने आप को प्रकृति का एक अंग माना है और प्रकृति के नियमों का पालन किया है। प्रकृति पर विजय पा कर मनुष्य फूला नहीं समा और उसने इसका अतिशय और निर्ममतापूर्ण संदोहन किया लेकिन अब कुदरत का यह तकाजा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह खुदकुशी कर लेगी।''

''स्थायी/सन्तुलित विकास अब कुछ उत्साही पर्यावरणवादियों का एक नारा मात्र नहीं रह गया है। अब इसे विकास नीति के एक प्रमुख निर्णायक तत्व के रुप में स्वीकार किया जाता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रकृति के प्रति विरोधी तेवर के स्थान पर अब पृथ्वी और मानवीय सभ्यता के बीच घाव पुरने वाले लेपक का संबंध अपनाया जाना चाहिए।''

''प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार, बाल-श्रम और पर्यावरण जैसे प्रश्नों को व्यापार से अलग करने-रखने के विषय में अपने भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया।''

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में बाक्साइट का खनन

1975. श्री ललित ठरांव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बाक्साइट खान पट्टा धारकों को अपने कुल लाभ का दो प्रतिशत अपने मजदूरों के कल्याण और विकास पर खर्च करना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) बिहार के गुमला, लोहारदगा और पलामू जिलों में बाक्साइट के खनन में लगे हुए खान-पट्टा धारकों का ब्यौरा क्या है और पट्टा धारकों द्वारा 30 नवम्बर, 1993 तक कल्याण और विकास के मद पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त धन किन-किन मदों पर खर्च किया गया ; और

(घ) बाक्साइट खानों को पट्टे पर देने में निर्धारित मानदंडों का पालन न करने वाले पट्टा धारकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में खनन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

1976. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुछ खनन परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए लम्बित हैं और इनके कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण इनकी लागत में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश में निष्पादन हेतु खान मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वीकृत कोई खनन परियोजना लम्बित नहीं पड़ी है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की लागत प्रभाविता

1977. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1993 की इकानॉमिक टाइम्स में ''इंडियन स्टील मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में निर्माण किए जा रहे विभिन्न प्रकार के लोहे कराधान से पहले अन्य देशों में निर्मित लोहे की तुलना में सस्ते होते थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या देश में लौह-उत्पादन पर विभिन्न प्रकार के कर-उपकर लगाए गए हैं ;

(ड.) यदि हां, तो लगाए गए करों की श्रेणियां, लोहे की श्रेणियां और उनकी दर क्या है ;

(च) क्या इन करों के कारण घरेलू बाजार में लोहे के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है ; और

(छ) यदि हां, तो मूल्य को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दूसरे अन्य देशों में लोहे की उत्पादन-लागत के संबंध में प्रामाणिक सूचना न रहने के कारण भारत में लोहे की उत्पादन लागत का अन्य देशों की लोहे की उत्पादन-लागत के साथ तुलना करना संभव नहीं है।

(घ) और (ड.). उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त, ''सेल'' (इस्को को छोड़कर), वी०एस०पी० तथा टिस्को

द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे की बिक्री पर ई०जी०ई०ए०एफ० (इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि) के लिए लेवी वसूल की जाती है। इस समय उत्पाद शुल्क तथा ई०जी०ई०ए०एफ० लेवी की दर निम्नलिखित प्रकार है:-

(1)	उत्पाद शुल्क	:	10 प्रतिशत यथा मूल्य
(2)	ई०जी०ई०ए०एफ०	:	113 रुपये प्रति क्विंटल

(च) उत्पाद शुल्क तथा ई०जी०ई०ए०एफ० लेवी ''सेल'' के संयंत्रों में उत्पादित कच्चे लोहे के कारखाना बाह्य मूल्य का लगभग 12 प्रतिशत है।

(छ) वर्ष 1994-95 के बजट में निहित कुछ प्रस्ताव जैसे कि आवधिक ऋणों पर से ब्याज-दर में कमी करने, पूंजीगत माल और पैट्रोलियम उत्पादों पर ''मोडवेट'' की अनुमति देने आदि से देश में कच्चे माल की उत्पादन लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

परमाणु शस्त्र परिसीमन संधि

1978. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री सुधीर सावंत :

श्री वसुन्धरा राजे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परमाणु शस्त्र परिसीमन के संबंध में विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्तमान परमाणु शस्त्र परिसीमन संधि भेदभावपूर्ण है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए इस संबंध में कोई पहल की थी ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) और (ख). जी, हां।

सरकार ने अमरीका, यू०के०, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस तथा जापान के साथ निरस्त्रीकरण, अप्रसार एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध मसलों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया है जिनमें नाभिकीय अप्रसार का मसला भी शामिल है। इन वार्ताओं से इन विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने का मौका मिलता है जिसका उद्देश्य एक-दूसरे के हित-चिन्ताओं और स्थितियों को अच्छे तरीके से समझना है। ये वार्ताएं सतत रुप से जारी बातचीत की प्रक्रिया का ही एक अंग हैं।

(ग), (घ) और (ड.). जी, हां। सरकार बराबर यह कहती रही है कि वह वर्तमान अप्रसार संधि पर

हस्ताक्षर नहीं करेगी क्योंकि इसका स्वरुप भेदभाव मूलक है और इसका उद्देश्य नाभिकीय शक्ति-सम्पन्न तथा नाभिकीय शक्ति-विहीन देशों के बीच स्थायी रुप से विभाजन करना है। 1988 में निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के तृतीय विशेष अधिवेशन के दौरान सरकार ने नाभिकीय अस्त्र-मुक्त तथा अहिंसक विश्व-व्यवस्था की स्थापना के संबंध में एक कार्ययोजना पेश की थी। न्यूयार्क में जनवरी, 1992 के दौरान सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की शिखर-स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि शीत-युद्ध समाप्त हो जाने के परिणामतः अप्रसार मसले से निपटने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति विकसित करने का अवसर मिला है।

शिशु आहार प्रसंस्कृत करने वाले संयंत्र

1979. डा० ए० के० पटेल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में शिशु आहार प्रसंस्कृत कर रहे सभी दुग्ध संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार शिशु आहारों के प्रसंस्करण के लिए राज्य में और अधिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना निवेश करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). गुजरात राज्य में निम्नलिखित संयंत्रों द्वारा शिशु-आहार का निर्माण किया जाता है :

	यूनिट का नाम	संयंत्र क्षमता मी०टन/प्रतिदिन
(1)	मैसर्स केरा डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लि० आनन्द (गुजरात)	65
(2)	मैसर्स मेहसाना डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लि० मेहसाना (गुजरात)	112
(3)	मैसर्स सहरकंठ डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लि० सहरकंठ (गुजरात)	72
(4)	मैसर्स बनासकंठ डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन लि०, पालमपुर (गुजरात)	12.5

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के लिए धनराशि का आबंटन

1980. श्री सुधीर सावंत :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों, उनके रखरखाव और मरम्मत, उन पर पुलों के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, नई सड़कों के निर्माण और उनके विस्तार हेतु महाराष्ट्र को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ;

(ख) राज्य सरकार से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) स्वीकृत और विदेशी निवेश हेतु प्रस्तावों सहित लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों का आबंटन इस प्रकार है :-

(लाख रुपये)

वर्ष	विकास	रख रखाव और मरम्मत
1992-93	3280.00	1506.677
1993-94	3080.00 (अनन्तिम)	1734.63 (अनन्तिम)
1994-95	2600.00 (अनन्तिम)	इस स्तर पर नहीं दर्शाया जा सकता।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आउवीं योजना में प्रावधान और अब तक स्वीकृत किए गए प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

वर्ग	आठवीं योजना प्रावधान	अब तक स्वीकृत
4 लेन बनाना	161 कि०मी०	58 कि०मी०
2 लेन बनाना	40 कि०मी०	--
कमजोर पैदलपथों को सुदृढ़ करना	169 कि०मी०	16 कि०मी०
गुणवत्ता में सुधार	200 कि०मी०	53 कि०मी०
पैदल पटरी	138 कि०मी०	79 कि०मी०
पुल	56	15

विदेशी निवेश के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रिक-फरनैस इस्पात का उत्पादन

1981. श्री गुमान मल लोढ़ा :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से इलैक्ट्रिक और फरनैस इस्पात के उत्पादन में कमी आ रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्टील स्क्रेप के आयात पर अत्यधिक कराधान होने के कारण 50 प्रतिशत एकक बन्द हो गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन एककों को पुनः चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ). यह सही है कि पिछले तीन वर्षों से विद्युत चाप भट्टी इकाइयों का उत्पादन गिर रहा है। मांग में मन्दी, उच्च विद्युत शुल्क तथा आदान लागत में वृद्धि, विशेष रुप से अन्तर्राष्ट्रीय स्क्रैप मूल्यों में बढ़ोतरी आदि जैसे विभिन्न कारणों से देश में विद्युत चाप भट्टी इकाइयों का निष्पादन प्रभावित हुआ है इसके फलस्वरुप इस प्रकार की 180 इकाइयों में से 85 इकाइयां बन्द हो गई हैं। विद्युत चाप भट्टी इकाइयों की समस्याओं का पता लगाने तथा उनके विकास हेतु विस्तृत योजना के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने हाल ही में एक मूल्यांकन ग्रुप का गठन किया है।

[अनुवाद]

नाल्को की कार्य निष्पादन स्थिति

1982. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1994 के ''इकोनॉमिक टाइम्स'' में ''नाल्को हेडिंग फार ए डेट ट्रैप'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उस पर की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नाल्को की कार्य निष्पादन स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) आठवीं योजना के लिए अनुमानित कार्य निष्पादन स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग). नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को) कर्जे के शिकंजे में नहीं आ रही है।

(घ) तथा (ड.). नाल्को की पिछले तीन वर्षों की निष्पादन स्थिति तथा आठवीं योजना हेतु लक्षित स्थिति की निम्न प्रकार है :-

मद	1990-91	1991-92	1992-93	आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97 तक)
एल्यूमिना (लाख टन में)	6.52	6.72	8.04	40
एल्यूमिनियम (लाख टन में)	1.51	1.92	1.91	10.41
बिक्री कारोबार (करोड़ रुपये में)	884.04	974.03	1169.11	6854.54
विशुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	71.94	59.14	134 .88	1037.86

[हिन्दी]

ठेका श्रमिक

1983. श्री राम टहल चौधरी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उनके मंत्रालय के अन्तर्गत निगमित कार्यालयों में ठेका श्रमिक प्रणाली के माध्यम से कार्य कराए जा रहे हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों में ठेका श्रमिक प्रणाली के आधार पर कार्य कराया जा रहा है और किन-किन राज्यों में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार के पास शेष राज्यों में भी ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने और श्रमिकों को विभागीय रुप से नियुक्त करने संबंधी कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण एककों के लिए आबंटन और कार्य योजना

1984. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने आठवीं योजना के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण एककों के लिए वर्षवार कितनी राशि नियत की ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 146 करोड़ रुपये है। राज्य विशेष के लिए योजना निधियों का निर्धारण नहीं किया जाता। परन्तु स्कीमों के अन्तर्गत प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने या उनका विस्तार करने, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, विपणन सहायता, सुअर मांस, पालट्री और दूसरी मांस प्रसंस्करण सुविधाओं, ट्रूना और दूसरी मछली प्रसंस्करण सुविधाओं, गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण, कोल्ड चेनों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास और कुछ क्षेत्रों में जनशक्ति के प्रशिक्षण आदि के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता दी जाती है।

श्रीसेल्म जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति

1985. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना की स्थापना के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके फलस्वरुप कुल कितने व्यक्ति प्रभावित हुए थे ;

(ग) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई एक गुश्त कार्यक्रम तैयार किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ड.) इसके कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना की अधिष्ठापना के फलस्वरुप 1,10,097 व्यक्तियों समेत 30,979 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है।

(ग) से (ड.). आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए पुनर्वास पैकेज के अनुसार प्रभावित परिवारों को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए गए थे। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे की मात्रा में बढ़ोतरी करने हेतु न्यायालयों से सम्पर्क किया गया और न्यायालय के आदेश के तहत, विभिन्न दावाकर्ताओं को मुआवजे की मात्रा में हुई बढ़ोतरी के रुप में 49 करोड़ रुपये और दिए गए। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अक्तूबर, 1993 में पुनर्वास सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतें गठित की हैं और दावाकर्ताओं को भुगतान किये जाने हेतु 146 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। आन्ध्र प्रदेश सरकार जल आपूर्ति, अस्पताल, सड़कें आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में 8 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता से सिंचाई परियोजना विस्थापन और पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत 13.37 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन

1986. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के तटीय क्षेत्रों और विशेष तौर पर तटीय आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास के संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कितनी झींगा मत्स्य पालन इकाइयों को पुनः चालू करने का विचार है; और

(ग) इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली बहुउद्देश्य कंपनियों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) आंध्र प्रदेश सहित देश में

तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय रुप से प्रायोजित स्कीमें चलाई जा रही है :-

1. परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण।

2. प्लाईवुड जलयानों को आरंभ करना।

3. पेलाजिक फिशिंग के लिए मध्यम आकार के जलयानों की शुरुआत करना।

4. 20 मी० से कम लम्बाई के मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों की सप्लाई किए गए हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करना।

5. समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों को सहायता देना और कृत्रिम रीफ और समुद्री फार्मिंग परियोजनाओं की स्थापना करना।

6. श्रिम्प फार्मरों को तकनीकी वित्तीय और विस्तार सहायता पैकेज प्रदान करने के लिए 37 खारे जल की मछली फार्मस विकास ऐजेंसियों की स्थापना जिनमें आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों की 6 एजेंसियां शामिल हैं।

7. पायलट श्रिम्प बीज हेचरियों, प्रदर्शन श्रिम्प फार्मों और प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

उपर्युक्त के अलावा जनयान और गियर प्राप्त करने के लिए मछुवारों की सहायता, मशीनीकरण के लिए मछुवारों की सहायता, मछली प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास, विपणन और वितरण इत्यादि जैसी राज्य सरकारों की अपनी योजना स्कीमें हैं।

(ख) उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत रूग्ण मत्स्यन यूनिटों को फिर से चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उक्त सभी स्कीमें समुद्री मछली उत्पादन को प्रोत्साहन देने के वास्ते तटवर्ती मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए आग्रोत है। परन्तु रूग्ण गहन समुद्री मत्स्यन यूनिटों के पुनर्वास के लिए घोषित स्कीम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के 21 गहन समुद्री मत्स्यन यूनिटों को पुनः प्रवर्तित करने का प्रस्ताव है।

(ग) फिलहाल तटवर्ती मत्स्यन या गहन समुद्री मत्स्यन में कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं हैं। 1991 में नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति की घोषणा के बाद किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को गहन समुद्री मत्स्यन के लिए अनुमति नहीं दी गयी है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में भारतीय खान ब्यूरो का कार्यालय

1987. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोदावरी एवं कृष्णा बेसिन में तेल की खोज

1988. डा०के०वी०आर० चौधरी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने तेल की खोज के लिए गोदावरी और कृष्णा बेसिनों के कुछ हिस्सों में एयरोमेथेटिक सर्वेक्षण कराए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 म.प.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद दूसरे को बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिएगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आज अखबारी कागज का निर्माण करने वाले कारखानों में 40 लाख टन माल जमा पड़ा है। छोटे और मध्यमवर्गीय अखबारों के लिए एक्साइज ड्यूटी फ्री कर के 200 टन तक माल बाहर से मंगाने की इजाजत थी। इस समय साढ़े 5 लाख टन कागज की आवश्यकता है जिसमें से साढ़े 4 लाख टन कागज का उत्पादन हमारे यहां स्वदेशी मिलों द्वारा होता है और सिर्फ एक लाख टन कागज ही इम्पोर्ट करने का था, लेकिन यहां पिछले वर्षों से इम्पोर्ट पर जो एक्साइज ड्यूटी फ्री कर दी है उसके कारण 3 लाख टन कागज का इम्पोर्ट हो गया है और फर्जी अखबारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी पूरी इंडीजीनस इंडस्ट्री में जिस तरह से माल जमा हो गया है उसके कारण सारे कारखाने बंद हैं। साढ़े 400 करोड़ रुपया अखबारी कागज को बाहर से मंगाने में चला गया। 700 से 800 डालर प्रति टन पर इस देश में पहले कागज का इम्पोर्ट हो रहा था किन्तु अब विदेशियों ने इसकी कीमत और कम करके हमारे देश में इसको डम्प करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है जिसके कारण हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि सारे कारखाने बंद हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम अपने देश की आवश्यकता के अनुसार अपने कारखानों में उत्पादन कर रहे थें और इस प्रकार से बाहर से इसको मंगाने की खुली छूट देकर अपने देश के उद्योगों को बन्द करने का काम इस सरकार ने किया है। इसी प्रकार से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें गन्ने, जूट और भूसे से कागज बनाने का काम होता था उन

पर 10 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जिस इंडस्ट्री में डिब्बे बनते थे और जिन कारखानों को एग्रो बेस्ड मानकर फ्री किया था वे सब के सब कारखाने आज संकट में हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अखबारी कागज के कारखाने संकट में हैं उनमें 40 लाख टन माल जमा हो गया है, साढ़े 400 करोड़ हम अपने देश का रुपया दूसरी जगह पहुंचा चुके हैं, बाहर के कारखाने वाले लोग, कागज उत्पादन करने वाले लोग सस्ते में यहां कागज बेच रहे हैं। उनकी योजना यह है कि जब यहां के कारखाने बन्द हो जाएंगे तो हिन्दुस्तान की अखबारी कागज की जरूरत और प्रिंट मीडिया संकट में पड़ जाएगा और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वह पैसा हमसे वसूल किया जाएगा। यह बहुत बड़ा संकट है। इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, नैशलन टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन, मुम्बई से 11 मिले कल से अचानक बन्द हो गई हैं जिसके कारण 15 हजार से अधिक कामगार बेरोजगार हो गए हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है और ऐसा जबरदस्त आघात मुम्बई का मिल मजदूर सहन नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी के 4 करोड़ के बिल नैशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने नहीं दिए। इस कारण जाम, सीताराम, पोद्दार, मधुसूदन, कोहिनूर, अपोलो, मुम्बई, जुपिटर, न्यू हिन्द, भारत और दिग्विजय आदि मिल्स कल से बन्द हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या टाटा कम्पनी को केन्द्र सरकार जल्दी पैसा नहीं दे सकती और यदि पैसा नहीं दिया तो भी क्या इस तरह बिजली काटनी चाहिए ? क्या केन्द्र सरकार का उद्योग ऐसे कगार पर आ गया है कि वह पैसा नहीं दे सकता ? वहां की यूनियन ने भी इस बारे में कल रात को ही गंभीर प्रस्ताव किया है।

मेरी मांग है कि इस संबंध में कामगार राज्य मंत्री और अर्थ मंत्री बयान दें। इसका रास्ता निकाला जाए। यदि रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो बड़ा आन्दोलन शुरु करना पड़ेगा। सरकार को इस बारे में तुरन्त बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से यह उम्मीद करूंगा कि इस संबंध में वक्तव्य दिया जाये।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वुआर्डो फैलीरो) : निश्चित रुप से।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल सैन्ट्रल सर्विसेस के पर्चे आउट हो गए थे जिसकी वजह से परीक्षाएं रोक दी गई थी। जब परीक्षाएं रोकी गई तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ निर्णय किया, सरकार को उस निर्णय को करना है। जो नवयुवक या नवयुवतियां पिछले साल बिना किसी गलती के परीक्षा में नहीं बैठ सके, अब उम्र पार कर रहे हैं, उनकी ओर सरकार जरूर दया दृष्टि से देखे, जैसा कि सरकार का ऐश्योरेंस भी है। नहीं तो वे ओवर ऐज हो जाएंगे, बिना गलती मारे जाएंगे। मेरा आपसे यही

निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चार्ल्स जी, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : मैंने 10.30 बजे सूचना दी थी। मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। भारत पर्यटन विकास निगम के जनपथ होटल, नई दिल्ली में रूसी तथा अन्य विदेशी पर्यटक ठहरे हुए हैं, उन्हें गालियां दी जा रहीं हैं। सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। कल दोपहर के समय कुछ पर्यटक मुम्बई से वहां पर आये थे।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला संबंधित मंत्री की साथ क्यों नहीं उठाते ?

श्री ए० चार्ल्स : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। इससे देश की गरिमा प्रभावित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 10.30 बजे ही तो सूचना दी है।

श्री ए० चार्ल्स : मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक छोटा सा मामला है। आप कृपया मंत्री जी के साथ इस मामले को उठायें।

श्री ए० चार्ल्स : मैं यह अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जाए और उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। विदेशियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें कि यह मामला मंत्री जी के साथ उठाया जाना चाहिये।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को आज शून्य-काल के दौरान उठाना चाहता हूं।

वायुदूत कंपनी 1981 से कार्य कर रही है। विगत 20 वर्षों में कंपनी की कुल हानि 200 करोड़ रुपये से भी अधिक है। कंपनी में कुल 1500 कर्मचारी काम करते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री की सहमति से यह निर्णय लिया है कि 25 मई, 1993 से वायुदूत कंपनी का इण्डियन एयरलाइंस में विलय कर दिया जाये। लेकिन वायुदूत प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 1994 से एवरो विमानों की सभी उड़ानें बंद की दी जायें। इससे मुम्बई से कोल्हापुर, दिव, कांडला, पोरबन्दर, पुणे आदि के लिये वायुदूत सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वायुदूत के कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष फैल जाएगा। वायुदूत के कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने और अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए आमरण अनशन किए हुए हैं। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी कठिनाइयों पर विचार करने के लिए और वायुदूत के इण्डियन एयरलाइन्स के साथ विलय को सुप्रभावी बनाने के लिए दो उप-समितियां गठित की जाएंगी। तथापि सरकार के इन वायदों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है और 1500 कर्मचारियों का भाग्य अंधकार में है।

मैं नागर विमानन मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर तत्काल विचार किया जाए तथा वायुदूत और इण्डियन एयरलाइन्स कंपनियों के विलय के लिए उचित तथा प्रभावी कदम उठाये जायें और इस बारे में वक्तव्य

दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की कोतमा कोयला खदान में 5 तारीख को 6 लोगों की मृत्यु खदान के धंस जाने से हो गई। वह खदान बंद थी और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी। फिर भी वहां के अधिकारियों ने कोयला निकालने के लिये मजदूरों को वहां जाने के लिये मजबूर किया। 6 लोगों को एक्सग्रेशिया की राशि पर्याप्त नहीं दी गई है। आये दिन खदानों में ऐसी घटनायें होती रहती हैं। मेरा निवेदन है कि उनके डिपेंडेंट्स को नौकरी मिलनी चाहिये और मुआवजे का ज्यादा से ज्यादा भुगतान होना चाहिये। चूंकि खदान पहले से बंद थी और वहां के अधिकारियों ने जानबूझकर मजदूरों को वहां जाने के लिये मजबूर किया, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपानुमति से मैं पूरी सभा का और सत्ता पक्ष का ध्यान एक भयानक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जोकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियंत्रण में विशेषकर चल रही मिलों, पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वी क्षेत्र में व्याप्त है।

महोदय, पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपनी घटक कंपनी से बजटीय राज-सहायता तथा कार्यशील पूंजी के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र को हर वर्ष 30 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होती है। ऐसा आभास हुआ है कि प्रथम अप्रैल से उन्हें केवल 10 लाख रुपये ही मिलेंगे और कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में पहले से ही धनराशि तथा कपास और कच्चे माल के अभाव में उत्पादन बंद कर दिया गया है।

इन परिस्थितियों के अधीन मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल धनराशि प्रदान की जाये जिससे न केवल मजदूरी का ही भुगतान किया जा सके बल्कि सी०सी०आई० अथवा महाराष्ट्र कपास निगम से अपेक्षित कच्चे माल की आपूर्ति भी की जा सके ताकि मिल अपना उत्पादन तत्काल शुरु कर सके। हमने वस्त्र मंत्रालय से भी इस मामले पर विचार करने के लिए अनेक बार कहा है। माननीय वस्त्र मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि उपयुक्त धनराशि दी जाएगी और आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी शुरु किया जाएगा। लेकिन आज तक, इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें कुछ महत्वपूर्ण मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है और हम थोड़े समय में ही अपनी बात कहेंगे। लेकिन महोदय, संसदीय कार्य मंत्री तक भी यहां पर मौजूद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री फैलीरो जी यहां पर उपस्थित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे खेद है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि वह सुन रहे हैं। महोदय, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप कृपया यह देखें कि उचित समय में, एक अथवा दो दिनों में इसका कुछ उत्तर दिया जाना चाहिए क्योंकि हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा

रहा। अतः मैं माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : श्री शुक्ल जी आ चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अच्छी बात है कि श्री शुक्ल जी आ चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि मानवीय मुसीबतों की ओर ध्यान दें और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बौद्ध तथा किआकोटा में पुल के निर्माण के लिये धनराशि देने में विलम्ब हुआ है। केन्द्र सरकार ने आवश्यक धनराशि देने में देरी कर दी है। इसके परिणामस्वरुप राज्य सरकार निविदायें आमंत्रित नहीं कर पायी है। चूंकि गर्मी का मौसम शुरु हो गया है, मैं यह चाहूंगा कि पुल निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए। अन्यथा निर्माण तथा अन्य वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी और संशोधित अनुमान तैयार करने पड़ेंगे। अतः देरी को दूर करने और निर्माण कार्य को तत्काल शुरु किये जाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठायें और आवश्यक कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट में खास करके कॉटन यार्न और पॉलिस्टर यार्न पर एक्साइज़ ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। इसके कारण गुजरात में .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम बजट में इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : कल से उनकी स्ट्राइक है। जैसे टैक्सटाइल मिलें बन्द हो गई हैं, वैसे 6 तारीख से. ..**(व्यवधान)**...इसलिए, अध्यक्ष जी, मैं सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 6 तारीख से समय गुजरात में और 1-2 दिन से महाराष्ट्र में सारे हैण्डलूम और पावरलूम्स की फैक्टरियां और स्माल स्केल इंजीनियरिंग, लघु फौलाद उद्योग की फैक्टरियां, सारी स्माल स्केल की डेढ़ लाख फैक्टरियां कल से स्ट्राइक पर गई हैं। इंजीनियरिंग, फाउण्ड्री, लघु उद्योग, ब्रास, टैक्सटाइल सारे के सारे स्ट्राइक पर हैं। ऐसी स्थिति में खासकर के काटन इण्डस्ट्री तो इस देश में से खत्म हो जायेगी, 5 लाख कामगार आने वाले एक महीने के अन्दर बेकार हो जायेंगे। सारे लघु उद्योग, चाहे वह टैक्सटाइल पर आधारित हो, फौलाद पर हो, स्टील पर हो, फाउण्ड्री वाले हों, आने वाले समय में उनपर भारी विपरीत असर पड़ेगा। सारे पावरलूम ओर हैण्डलूम इण्डस्ट्री कल से स्ट्राइक पर गई हैं और बाकी की इण्डस्ट्रीज भी जाने वाली हैं। मेरा सराकर से अनुरोध है कि वह सदन में सभी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को आश्वासित करें और जो एक्साइज में बढ़ोतरी की है, उसे वापस लें, यह मेरी गुजरात की ओर से सरकार से मांग है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) :...मेरे इलाके में करीब 15 लाख किसान टमाटर की खेती करते हैं और टमाटर वहां अभी 25-30 पैसे किलो बिक रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी सरकार से मांग है कि चतरा और पलामू जिले में शीघ्रातिशीघ्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इकाई स्थापित की जाय।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, भारत कोकिंग कोल में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी आज 3 महीने से अधिक से जन्तर-मन्तर पर अपनी जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष तत्कालीन कोयला मंत्री ने उनकी जायज मांगों को देखते हुए नैतिक स्तर पर उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगे मान लेंगे। उनकी मांगों में सर्वप्रथम मांग है कि उनको भी वही वेतनमान दिया जाए, जो कि राज्य के सरकारी शिक्षकों को मिलता है लेकिन आज तक उनको यह आश्वासन ही दिया गया है। दूसरी मांग की तो कौन कहे लेकिन प्रथम मांग जो वेतनमान की है, वह भी उनको नहीं दिया गया।

महोदय, उनकी और मांगे हैं कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए छूट दी जाय। उनके स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयां मिलती हैं, वह उपलब्ध कराई जायें लेकिन इनमें से कोई मांग पूरी नहीं की गई है। वहां के शिक्षक, जो वहां लाखों बच्चों के भविष्य विधाता हैं, वह आज भूख से पीड़ित होकर यहां की सड़क पर बैठे हुए हैं लेकिन यह केन्द्रीय सरकार उनकी जायज मांगों की ओर अपना रूख अख्तियार नहीं कर रही है। यह स्थिति बहुत भयावह हो जाय, इससे पहले सरकार पहल करके इन शिक्षकों की मांगों की ओर ध्यान दे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आधा मिनट हमको भी दे दीजिए। उनको न्यूनतम मजदूरी के बराबर भी वेतनमान नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*..**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, इन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है। इन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में पहले से ही ढाई तीन सालों से 70,000 मिल मजदूर मिलें बन्द होने के कारण बेकार हैं और आज ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, मैंने सरकार से इस बात पर वक्तव्य देने को कहा है। चौहान जी कृपया आप अपने विचार रखें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : आपका अभी जो स्टेटमेंट हुआ है, उसके ऊपर मैंने स्टेटमेंट करने के लिए कहा है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी०एस० चौहान (अमरोहा) : महोदय कल देर रात्रि को दिल्ली पुलिस ने चार पाकिस्तानी और एक बंगलादेशी उग्रवादी को गिरफ्तार किया है तथा एक स्थानीय व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिनके साथ इनका सम्पर्क था। पुलिस ने विस्फोटक, संवेदनशील कागज़ात भी बरामद किये हैं और एक प्रयोगशाला का पता लगाया है जोकि विस्फोटक पदार्थों का निर्माण कर रही है।

ऐसी सूचना मिली है कि इन सभी छः व्यक्तियों को पाकिस्तान की आई०एस०आई० द्वारा अनुदेश दिये गये थे कि विस्फोटक पदार्थ बनाये जायें, कुओं में जहर डाला जाये तथा पूरे देश में हड़तालें आयोजित करायी जायें जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाये।

यह पहला अवसर है जबकि पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये अपने देश के लोगों का उपयोग किया है। पहले भारत में आतंकवाद फैलाने के लिये कश्मीरी तथा पंजाबी उग्रवादियों को तथा कुछेक कट्टरवादियों को उपयोग में लाया जाता था। जो छः लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उन्हें गुरीला युद्ध लड़ने में तथा राकेट और सैन्य तोपों का प्रयोग करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। चार पाकिस्तानियों में से एक खालिद पहलवान ने गत वर्ष पुंछ में भारतीय सेना की चौकी पर हमला करने में भूमिका निभाई थी।

मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इसके बारे में पूरा ब्यौरा प्राप्त करना चाहिये तथा पाकिस्तान और बंगलादेश से घुसपैठ को भी रोकना चाहिये। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बंगलादेश और नेपाल में भी आई०एस०आई० की गतिविधियों में वृद्धि हुई है और इसलिये इस आधार पर सरकार को यह मामला नेपाल और बंगलादेश के साथ उठाना चाहिये ओर इन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे यहां पिछले दस वर्षों से यूनियन बैंक का रीजनल आफिस काम कर रहा है, लेकिन उस आफिस को बिना किसी कारण हटाया जा रहा है। बरेली, मुरादाबाद, कुमाऊं और आगरा मंडल के तेरह जिले इस रीजनल आफिस से संचालित होते हैं। इस विभाग के ऊपर 20 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा और दूसरे जो इसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं तथा जो इसके ग्राहक हैं, उनके ऊपर भी इस कार्य प्रणाली का प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कृपया इसको देखें और इस आफिस को बरेली में कार्यरत रहने हेतु आदेश दें।

12.22 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण पत्र इत्यादि।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 24 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल०टी०-5477/94)

(3) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5 ड. के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) कोचीन डाक श्रम बोर्ड, कोचि का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन डाक श्रम बोर्ड, कोचि के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 5478/94)

(ख) (एक) कांडला डाक श्रम बोर्ड, कांडला के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डाक श्रम बोर्ड, कांडला के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 5479/94)

(ग) (एक) मद्रास डाक श्रम बोर्ड का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 5480/94)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं!.0 एल०टी० 5480/94)

(5) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी भू-तल परिवहन मंत्रालय, अनुसंधान अधिकारी (मजदूरी पुनरीक्षण) भर्ती नियम, 1993, जो 5 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 78 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 5481/94)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन - संघ सरकार (1993 की संख्या 6) - (वाणिज्यिक) - भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड - बोकारो इस्पात संयंत्र का शुद्धि पत्र।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन* — संघ सरकार (1993 का संख्या 6) — (वाणिज्यिक) — भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड — बोकारो इस्पात संयंत्र, के शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 5482/94)

दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 5483/94)

12.22 1/2 म०प०

लोक लेखा समिति

इकसठवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं कपड़ा विनिर्माता द्वारा संयंत्र और मशीनरी का कथित अप्राधिकृत आयात-वस्तुओं की गलत घोषणा और कम मूल्य के बीजक बनाने संबंधी लोक लेखा समिति के 164वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी इकसठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.23 म०प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (जम्मू-कश्मीर)-1993-94

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 5484/94)

12.23 1/2 म०प०

जम्मू-कश्मीर बजट, 1994-95

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1994-95 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 5485/94)

12.24 म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (मणिपुर)-1993-94

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 5486/94)

12.24 1/2 म०प०

मणिपुर बजट, 1994-95

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं वर्ष 1994-95 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए स० एल०टी० 5487/94)

12.25 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के संबंध में।

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) : महोदय, मेरे पास एक सूचना है। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं। हम सही समय जानना चाहेंगे क्योंकि सम्भवतः हमें सभा का कोरम बनाए रखने के लिए शासक दल की मदद करनी होगी। इसलिए, यदि हमें सही समय मालूम होगा तो इससे दोनों पक्षों को मदद मिलेगी।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, नेताओं द्वारा तथा उसके पश्चात् कार्य मंत्रणा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रधान मंत्री 8 तारीख को सुबह, प्रश्नकाल के तुरन्त बाद बहस का जवाब देंगे और उस बीच हम रेल बजट अथवा सामान्य बजट पर चर्चा कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री राम नाईक : महोदय, तो हम इस प्रस्ताव का महत्व समाप्त कर रहे हैं यदि... **(व्यवधान)**।

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, हमने 8 तारीख सुबह के बारे में निर्णय लिया था लेकिन अब कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आबंटित समय समाप्त हो चुका है और केवल 3 मिनट शेष हैं। इसलिए सभा के निर्णय के अनुसार हम अन्य विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। हम रेल अथवा सामान्य बजट पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, कैज्युल मैनर में हाउस को चलाया जा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बहुत अनफेयर है, कैज्युल मैनर में आप क्या कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : आज के एजेन्डा में तो है नहीं रेलवे बजट या जनरल बजट। लिस्ट आफ बिजनेस सैक्रेटेरिएट से सर्कुलेट होती है। ...**(व्यवधान)**... अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि कल प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे, इन-दि-मीन-टाइम रेलवे बजट ले सकते हैं, जनरल बजट ले सकते हैं। यह कैज्युल-वे नहीं है तो और क्या है। यह हमारा आब्जैक्शन है।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इसका निर्णय नेताओं के बीच और उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिया गया था। ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अभी जब माननीय सदस्य राम नाईक जी ने इस सवाल को उठाया तो इन्होंने कहा कि 8 तारीख को मोरनिंग को प्राइम मिनिस्टर रिपलाई देंगे। आज इस पर बातचीत हो, इसके बाद रेलवे बजट ले लें या जनरल बजट ले लें तो हाउस कैसे चलेगा। ...**(व्यवधान)**... बीएसी मीटिंग में डिसाइड होता है, फिर हाउस का एप्रूवल होता है और आप ऐसे ही ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि इसको ले लीजिए या उसको ले लीजिए।. ..**(व्यवधान)**... हम यह देख रहे हैं कि जब दो बजे के बाद हाउस होता है तो कोरम पूरा नहीं होता। 3-3 बार घंटियां बजती हैं। लिस्ट आफ बिजनेस में जो आइटम लिखे गए हैं उसके मुताबिक कार्यवाही नहीं होती है।.. .**(व्यवधान)**... सदन की कार्यवाही किस प्रकार से चलेगी। इसमें सरकार की कोई रूचि नहीं है और आपकी तरफ से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है, नतीजा यह है कि ये लोग लिबर्टी में हैं।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन बहुत संक्षेप में यह है कि साधारणतया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होती है वह तुरंत हो जाती है। अब कई परिस्थितियां ऐसी आईं जिनके कारण चर्चा नहीं हो सकी। उस चर्चा के बीच में सरकार पक्ष की दुविधा को समझते हुए आपके आदेशों के पालन के अनुसार जम्मू-कश्मीर के अध्यादेश को लिया गया। फिर दूसरा फ्रेक्चर हुआ जब इस चर्चा के बीच में रेलवे बजट में चर्चा की शुरुआत हो गई, शुक्रवार को शुरुआत हो चुकी है। अब आज का दिन राष्ट्रपति अभिभाषण के उत्तर का दिन है। हमें जो कार्य-सूची मिली है उसमें रेलवे बजट का कहीं नाम भी नहीं है।

[अनुवाद]

मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि इस वाद-विवाद में दो बार पहले ही विघ्न पड़ चुका है जिससे इसके निरर्थक हो जाने की संभावना है। यदि संसद दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर लोक सभा में वाद-विवाद निरर्थक हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हल्के फुल्के ढंग से लिया जाए। अर्थात् इसे केवल सभा के कार्य के पुर्नव्यवस्थित करने का मामला न माना जाए।

मैं सरकार और सत्ता पक्ष की बाध्यताओं को समझता हूं। हमने माननीय प्रधानमंत्री की सुविधा का हमेशा ध्यान रखा है। सत्ता पक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सभा की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही सभा की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंह पुर) : मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम यह परामर्श करने के बाद ही निर्धारित किया गया था कि प्रधान मंत्री जी सोमवार को उत्तर देंगे। अतः प्रधान मंत्री जी आज इस के लिए वचनबद्ध हैं।

अब आप यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि आज किसी भी नए विषय पर चर्चा आरंभ की जा सकती है। क्या इससे सभा में एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत होगी ? जो कारण दिए गए हैं मैं उनमें नहीं जा रहा हूं। कारण ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन इससे सभा में एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात इस तरह स्पष्ट करता हूं। मंत्री महोदय और सरकार के साथ पूरी ईमानदारी बरतते हुए मैं यह बात कह रहा हूं। उन्होंने इस मामले पर चर्चा कर ली है और उन्होंने कहा कि "हो सकता है प्रधान मंत्री जी को इसका उत्तर इस महीने की आठ तारीख को देना पड़ सकता है।" उस समय हमने सोचा था कि आम तौर पर वाद-विवाद लम्बा खिंच जाता है और यदि हमने इसके लिए दस घंटे का समय निर्धारित किया होता है तो इसमें 12 घण्टे भी लग सकते हैं। यदि 12 घंटे का समय निर्धारित किया होता है तो इसमें 16 घंटे भी लग सकते हैं। मैंने कहा "हो सकता है" बहुत से अन्य लोग हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं और हम उन्हें बोलने की अनुमति देंगे और यदि इस पर आठ तारीख को उनका बोलना नितान्त आवश्यक हुआ तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी।"

इसीलिए मेरा यह विचार है कि यदि कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जहां तक कार्य आरंभ करने का संबंध है, यदि यह नितान्त रुप से आवश्यक है तो हम इसे करेंगे, लेकिन फिर हमें कोई अन्य कार्य शुरु करने के बजाय सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

तत्पश्चात् जम्मू और कश्मीर का बजट और इसी तरह की बातें हैं। आप जानते हैं कि यह संकल्प राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए चर्चा के वास्ते लिया गया था। उस समय यह कहा गया था कि हो सकता है कि बजट पर चर्चा न हो क्योंकि जिस मामलों पर बजट में चर्चा होनी है उन पर उस समय चर्चा हो चुकी होगी जबकि संकल्प पर चर्चा की जायेगी। यह स्थिति थी।

मेरा सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति देने का इरादा है, क्योंकि आम तौर पर हमने जब भी कभी 10 घंटे का समय निर्धारित किया है उन्होंने 12 घंटे का समय लिया है और जब हमने इसके लिए 12 घंटे का समय निर्धारित किया है उन्होंने इसके लिए 16 घंटे का समय लिया है। हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हें समय देना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अगर बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा ?

...(व्यवधान)...

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बहस करना नहीं चाहता। मेरा निवेदन इतना ही है कि मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है और वह बहस बैठ जाए, जैसे जानवर कमजोर होकर बैठ जाता है। हमारे यहां राजस्थान में कहते हैं कि घौड़े बैठ गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद भारत की संसद के इतिहास में यह पहला अवसर होगा कि जब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर कोई बोलने को तैयार न हो। मैं किसी की अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 1.40 लाख लोगों को कपड़ा मिलों से नौकरी से हटा रहे हैं, तो उस पर बहस करने का समय नहीं है। 70 रोलिंग मिलें बंद हो जाती हैं, स्टील मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं, लेकिन उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि हर विषय को कायदे-कानून से सदन में उठाएं। लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल हम यहां पर नहीं उठा सकते, क्योंकि अजेंडा पेपर पर नहीं है और जो अजेंडा पेपर पर है, उस पर बहस इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार उसके लिए तैयार नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : बीमार हैं।

श्री चन्द्र शेखर : मैं व्यक्तिगत बातों पर नहीं जाता, यदि बीमार हैं तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यही अच्छा होगा कि सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दीजिए। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आपके पास फैक्ट्स नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मेरे पास यहां पर 50 लोगों की लिस्ट है।

श्री चन्द्र शेखर : अगर बोलने वाले लोग हैं, तो उनको बुलाइए। इस तरह की स्थिति सदन में नहीं पैदा

होनी चाहिए और यह कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर देने के लिए प्रधान मंत्री का समय नियत हो, अगर वे बीमार हैं तो अलग बात है, यदि बीमार नहीं हैं और किसी और वजह से सदन में नहीं आए हैं, तो यह बात नहीं होनी चाहिए। इसका असर इस संसद पर और संसद की मर्यादा पर, इसकी कार्यविधि पर पड़ता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा के अनुमोदन से हम इस मामले का निर्णय कर सकते हैं। हम उन सदस्यों को बोलने की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारे रिकार्ड से पता चलता है कि हमने इस काम के लिए जब भी कभी 10 घंटे निर्धारित किए 12 दिए गए हैं और 12 घंटे निर्धारित करने पर 16 घंटे दिए गए हैं

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : मैं इस बात का विरोध करता हूं। बहुत से वक्ता बोलना चाहते हैं और उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया है। उनके नाम कैसे हटाए गए ?

श्री नीतीश कुमार : चालिहा जी ने भी कहा है और आपने भी कहा है कि बोलने वालों की लिस्ट है। मैं श्री वी०सी० शुक्ल जी के बयान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... वी०सी० शुक्ल जी ने कहा कि यह डिबेट न हो, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए रेलवे बजट या जनरल बजट ले लिया जाए।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यही तो उदारीकरण है। आप किसी भी बात पर किसी भी समय टिप्पणी कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइये। हद हो गई।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। कृपया बैठ जाइये। मैं अपनी सहायता करने में बिल्कुल सक्षम हूं। बुद्धिमत्ता की हद हो गई।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जो ने क्या कहा, यह आप रिकार्ड मंगवा कर देख लीजिए।...**(व्यवधान)**.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलना नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आपको यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आग्रह करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप आग्रह मत कीजिए, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं हैं। जब फैक्ट्स नहीं हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बिना फैक्ट्स के बोलने से मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री भोगेन्द्र झा : इसी विषय पर कहना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जरूरत नहीं है। मैं चन्द्र शेखर जी से सहमत हूं कि प्रेसीडेंट एड्रेस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसा समय होता है जब सालभर में जो कुछ हुआ है, उसका एक डाक्यूमेंट सरकार बनाकर प्रेसीडेंट द्वारा देती है और सब लोगों को उस पर बोलने के लिए कहा जाता है। इस विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा हो सकती है। 11 टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, तो इस बात को जीरो ऑवर में उठाने का कोई फायदा नहीं है, इस विषय पर प्रेसीडेंट एड्रेस पर बोला जा सकता है और दो मिनट नहीं 10-15 मिनट तक बोला जा सकता है। जम्मू-कश्मीर की सिचुएशन खराब है तो इस विषय पर भी प्रेसीडेंट एड्रेस पर चर्चा करते समय बहुत देर तक बोला जा सकता है। फॉरेन पालिसी के भी कुछ अलग-अलग पहलू हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। बजट के अंदर टैक्स वगैरह के बारे में भी जीरो ऑवर में बात उठाई गई, इसके बारे में भी इकनामिक पालिसी के संबंध में बोला जा सकता है।

कोई भी चीज अगर हम गंभीरता से सोच-विचार करके लिखा-पढ़ी करके सामने रख रहे हैं और उसके लिए बोलने का समय दे रहे हैं तो उसी समय उस पर बोलना चाहिए न कि जब कोई चीज एजेन्डा पर नहीं है। ये सारी बातें प्रेजीडेंट एड्रेस में लिखी हुई हैं और इस पर बोलने का समय सबको दिया जाने वाला है। उसके समय को लिए बिना अगर एजेंडा पर कुछ नहीं है और उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेजीडेंट एड्रेस का जो महत्व है उसको बाजू में रख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए यह अच्छी बात नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें कांग्रेस पार्टी के आठ, भारतीय जनता पार्टी के सात-आठ, जनता दल के तीन-चार और इंडिपेंडेंट के चार-पांच सदस्य बोलने वाले हैं। इन सबको बोलने का समय देंगे। शायद शुक्ला जी के ध्यान में नहीं है कि इस पर बोलने के लिए इतने लोग हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : इन्होंने कहा कि समय खत्म हो चुका है इसलिए रेलवे बजट या जनरल बजट लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि समय कार्य मंत्रणा समिति ने आबंटित किया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने लिस्ट नहीं थी।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि यह आवश्यक है तो हम दूसरी मद ले सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने लिस्ट नहीं थी और जब लिस्ट आई तब मुझे पता चला।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्यों को याद दिला दूं कि कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार करते समय हमने कहा था कि यदि सात घंटे से अधिक समय की आवश्यकता होगी तो हम इसे 16 घंटे तक जारी रख सकते हैं। यह निर्णय लिया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी को 8 तारीख को सुबह बोलने के लिये बुलाया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया था। अनावश्यक तौर पर यह कहा जा रहा है कि वाद-विवाद निरर्थक जा रहा है। प्रधान मंत्री जी अस्वस्थ्य हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी किसी भी समय चर्चा का उत्तर देने के लिए आ सकते हैं किन्तु कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार हमने उनको सलाह दी है कि उत्तर आठ तारीख को प्रश्नकाल के तुरन्त बाद दिया जाएगा। अतः वे आठ तारीख को 12 बजे इसका उत्तर देंगे। केवल यही बात है और अनावश्यक तौर पर राई का पहाड़ बनाया जा रहा है।

श्री नीतीश कुमार : दो मिनट पहले इन्होंने कहा कि समय खत्म हो गया है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास फैक्ट्स हैं, आपके पास नहीं हैं। प्रेजीडेंट एड्रेस बहुत अहम चीज़ है। पिछले साल जो हुआ तो उसमें लिखा जाता है और जो होने जा रहा है तो उसमें लिखा जाता है। यह बहुत सोच-समझकर केबीनेट द्वारा देखकर प्रेजीडेंट द्वारा कहा जाता है। अगर हम उसको बाजू में रखकर एनर्जी और टाईम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : प्रधान मंत्री जी का जवाब कब होगा।

अध्यक्ष महोदय : कल।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : रेलवे बजट चार मार्च को शुरु हो चुका है। इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आज प्रेजीडेंट एड्रेस पर बहस होगी और कल प्रधान मंत्री जवाब देंगे। और चार तारीख को जो समय बचा था इसलिए उसको लिया था।

(व्यवधान)

12.39 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(i) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केरल में तेल की खुदाई का काम आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : ऐसा कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप तेल पर तैर रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में तेल मिलने की अत्यधिक संभावना है उनमें पर्याप्त अन्वेषण कार्य नहीं किया गया है। केरल राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की अच्छी संभावना है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि केसरगोडे के समुद्रवर्ती क्षेत्र और कोचिन में तेल प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। लेकिन वहां पर खुदाई का काम आरंभ करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध करता हूं कि वह केरल राज्य में खुदाई का काम आरंभ करे।

(ii) दूरदर्शन प्रसारण में सुधार लाने के लिए केरल के क्विलोन जिले में पुन्नालूर में एक उच्च शक्ति/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अदूर) : पुन्नलूर पट्टीनापुरम तालुक का मुख्यालय और क्विलोन जिले का केन्द्र है। पट्टीनापुरम तालुक का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जिसमें पहाड़ियां, बड़े पहाड़ एवं रबड़ के बागान हैं। यहां घनी आबादी है और इसमें रिहैबलिटेशन्स प्लांटेशन लिमिटेड स्टेट फार्मिंग काप्रपोरेशन ऑफ केरल, कलाड़ा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट आदि जैसे अनेक संस्थान हैं। वहां पर बहुत से शिक्षा संस्थान और अन्य सार्वजनिक तथा निजी उपक्रम हैं। पुन्नालूर क्विलोन में दूसरा नगर निगम है। यह क्षेत्र शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी उन्नत क्षेत्र है। साथ ही इस क्षेत्र में बहुत से पर्यटन केन्द्र भी हैं। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में जाने वाले सारे भारत के तीर्थयात्री पुन्नालूर में खाने-पीने और विश्राम के लिए ठहरते हैं।

12.41 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस क्षेत्र के अधिकांश लोगों के पास टेलीविजन सेट हैं। लेकिन यहां पर त्रिवेंद्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम अच्छी तरह से नहीं देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के कारण कार्यक्रमों के रिसैप्शन में बाधा पड़ती है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि यहां पर एक प्रसारण ट्रांसमीटर स्थापित किया जाए जो त्रिवेंद्रम दूरदर्शन केन्द्र से जुड़ा हुआ हो। पुन्नालूर को सीमावर्ती कस्बा होने के कारण तमिलनाडु के बहुत से लोग भी वहां पर रह रहे हैं। वे अपने टी०वी० सेटों पर तमिल भाषा के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं। इसके लिए भी एक सम्पर्क रिले ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना आवश्यक है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से पुन्नालूर में यथाशीघ्र उच्च शक्ति या कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

(iii) उड़ीसा के बृजराज नगर स्थित ओरियन्ट पेपर मिल्स तथा तालचेर स्थित उर्वरक एवं विद्युत संयंत्र से ब्राहमणी एवं ईब नदियों में दूषित जलस्राव से फैल रहे प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : ब्राहमणी और ईब नदियां उड़ीसा की अत्यन्त प्रदूषित नदियां हैं और ये इतनी प्रदूषित हैं कि इनका जल मानवोपयोगी नहीं रह गया है। बृजराज नगर स्थित ओरियन्ट पेपर मिल्स के दूषित जलस्राव के कारण ईब नदी का जल प्रदूषित हो गया है और इस जल में मछलियां भी जीवित नहीं रह सकती हैं। इसी प्रकार, तालचेर कोल फील्ड्स के उर्वरक एवं ऊर्जा संयंत्र से निकला दूषित स्राव ब्राहमणी नदी को प्रदूषित करता है। इन दोनों क्षेत्रों के प्रदूषण के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और साथ ही नदियों में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। यह एक गंभीर समस्या होने के कारण इस बारे में अध्ययन करने और तुरन्त निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनेकों उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्कयता

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : विभिन्न प्रदेशों में जहां रासायनिक व अन्य ऐसे उद्योग हैं जिनके दूषित जलस्राव व गैसे से पर्यावरण-प्रदूषण होता है। ये उद्योग केन्द्रीय व प्रान्तीय कानूनों की अवहेलना कर जन-जीवन के लिए भारी खतरा पैदा कर रहे हैं। राजस्थान व मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक कारखाने हैं जिन्हें बार-बार सरकार द्वारा चेतावनी दिये जाने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन, शाजापुर व रतलाम जिले में स्थित उद्योग - सज्जन केमिकल्स, बारेदिया केमिकल्स, जयन्त विटामिन्स व अल्कोहल प्लांट ऐसे हैं जिनके दूषित जलस्राव व गैस के कारण लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में सैंकड़ों ग्रामवासियों को 300 फुट की गहराई तक जाने पर भी शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है।

इन क्षेत्रों के निवासियों के सामने पेयजल संकट ही नहीं, दूषित जल निकालने से कृषि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मकानों व कृषि उपकरण तक इसके दुष्प्रभाव से वंचित नहीं है। पिछले दिनों सैकड़ों पक्षी व पशु दूषित जल से मरे हैं, वही इस परिधि में रहने वाले ग्रामवासी कई बीमारियों से ग्रस्त हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे उद्योगों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये और यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाये।

(v) जलपाईगुड़ी स्थित टी०टी०सी०आई० द्वारा प्रबंधित चाय बागान, लुकसान टी एस्टेट की स्थिति सुधारने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता ।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं सरकार का ध्यान टी०टी०सी०आई० द्वारा प्रबन्धित चाय बागान, लुकसान टी एस्टेट, जलपाईगुड़ी की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आठवें दशक के आरम्भ में टी०टी०सी०आई० ने इस चाय बागान को अपने अधिकार में लिया था। इस चाय बागान का अच्छा

भविष्य होने के बावजूद भी उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस चाय बागान को पुनरूज्जीवित करने और कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए निम्नलिखित मांगों को शीघ्र पूरा करें।

(एक) नियमित रुप से तथा समय पर वेतन का भुगतान और राशन की आपूर्ति ;

(दो) मशीनों को चलाने के लिए कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति ;

(तीन) सम्पदा की देयता को समाप्त करना ;

(चार) अधिक उत्पादन के लिए पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें लगाने की व्यवस्था करना ; और

(पांच) उचित एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना।

(vi) मुख्य भूमि और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच रियायती किराये के संबंध में यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता ।

डा० (श्रीमती) के०एम० सौन्दरम (तिरूचेंगौड़) : मेरी हाल ही की अंडमान एवं निकोबार द्वीप की यात्रा के दौरान कई लोगों ने मुझे अभ्यावेदन देते हुए कहा है कि मुख्य भूमि और पोर्ट ब्लैयर के बीच वायुयान एवं जलयान में यात्रा करने वाले यात्रियों पर रियायती भाड़े का लाभ उठाने के संबंध में कई प्रतिबंध लगाये गये हैं। इन शर्तों की वजह से मुख्य भूमि और द्वीप के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं। मेरा, सरकार से, अनुरोध है कि इन सभी शर्तों को समाप्त कर दें और पहले से उपलब्ध सुविधाओं को पुनः प्रदान करें। अंडमान और निकोबार प्रशासन को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा जाए।

[हिन्दी]

(vii) उत्तर प्रदेश के रामपुर नगर में त्वरित डाक सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र रामपुर नगर जिसकी आबादी लगभग 5 लाख है, में अनेक उद्योग एवं कई चीनी मिलें स्थित हैं। व्यवसाय की दृष्टि से वहां पर देश का सबसे बड़ा मेन्थोल का केन्द्र है जिसमें हर वर्ष करोड़ों रुपए का निर्यात होता है। लेकिन वहां पर अभी तक स्पीड पोस्ट की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इतनी ही आबादी वाले कई नगरों में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था है। स्पीड पोस्ट के अभाव के कारण व्यवसाय व अन्य क्षेत्रों का कार्य द्रुत गति तथा सुचारू रुप से नहीं हो पाता। इस विषय में सरकार को कई ज्ञापन दिये जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि रामपुर नगर में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था शीघ्र करायी जाए ताकि इस क्षेत्र का भली-भांति विकास हो सके।

(viii) उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेशनल टेक्सटाइल मिल्स के कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं वरन् देश का एक

अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। एन०टी०सी० मिलों द्वारा उत्पादित कपड़ा यहां का विख्यात उत्पादन हुआ करता था किन्तु आज कानपुर में एन०टी०सी० मिलों की हालत अत्यंत चिन्ताजनक हो गई है। यही हालत कानपुर की विख्यात कंपनी टेप्को की भी है। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि कानपुर में एन०टी०सी० की बंद पड़ी मिलों को तुरंत खुलवाएं और ऐसे कदम उठाएं जिससे कि घाटे में चल रही अन्य मिलों व टेप्को को लाभप्रद बनाया जाए तथा जिससे वहां काम कर रहे मजदूर बेरोजगार न हों।

[अनुवाद]

12.48 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। श्री किरिप चालिहा बोलने के लिए खड़े हुए थे। अब वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया के बारे में बोल रहा था। जब प्रधान मंत्री महोदय ने उस समय देश में व्याप्त संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आम सहमति से आगे आने का आह्वान किया था तब विपक्षी दलों द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई वह निन्दनीय थी। देश कई मोर्चों पर घोर विपत्ति का सामना कर रहा है। मैंने पहले ही भ०जा०पा० के तुच्छ एवं निरर्थक एक सूत्री राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में संकेत दिया था। जनता दल के मेरे मित्रों में जो आपस में लड़ने के जो महान गुण हैं मैंने उसका भी जिक्र किया था जो कि गरीबी और भुखमरी से लड़ने के बजाए स्पैनिश मैटडोरों (सांड युद्ध में सांडों को मारने के लिए नियुक्त व्यक्ति) की तरह आपस में लड़ रहे हैं। उसी सिलसिले में मैंने श्री चन्द्रशेखर जी की एकान्तता और क्रोध का राज़ भी बताया था।

क्या आज मुझे उनके सहयोगियों जनता दल के सहयोगियों अथवा छोटे साम्यवादी दलों के बारे में कुछ कहना चाहिए ? वामपंथी दल भिन्न-भिन्न विचारधारा के लोगों से युक्त संभ्रान्ति का एक महासागर है। ...**(व्यवधान)** साम्यवादी टूटते स्वप्न के समृति चिन्ह् मात्र हैं। वे जो कुछ कहते हैं, खुद उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। जब दूसरे लोग विश्वास करने लगते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होने लगता है। अब वे वामपंथी दल नहीं रह गये हैं। अब वे ऐसे दल बन गये हैं जिनका कोई महत्व नहीं रह गया है। वे प्रेम-पत्र के अंत में लिखे जाने वाले 'ध्यान दीजिए' की तरह है। आप जानते ही हैं जब कोई जोड़ा प्यार के बन्धन में बंधा हुआ होता है, तब उनकी दुनियां उन्हीं तक सीमित रहती है। वे लोग एक दूसरे की सराहना करते हुए बड़े-बड़े प्रेम पत्र लिखते हैं। पत्र के अंत में 'ध्यान दीजिए' लिखते है : 'कृपया अपने माता-पिता को मेरा नमस्कार कहना।' ऐसा लिखने के पीछे कोई गम्भीर बात नहीं होती है। इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। यह कोई गम्भीर बात नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। क्या यह सदन एक-दूसरे को गालियां देने के लिए है ? **(व्यवधान)**... कृपया मेरी बात सुनिए।...**(व्यवधान)** उन्होंने कहा है कि वे खुद उस

बात पर विश्वास नहीं करते जो उन्होंने कही हो। इससे यह बात स्पष्ट है कि वह जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और वो भी ऐसे दल के बारे में जिसका सम्पूर्ण देश में त्याग और अखण्डता के मामले में अभी भी कोई सानी नहीं है। यह दल कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री किरिप चालिहा : वह किसी प्रकार के व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं।...**(व्यवधान)** वह मेरे आरोप का खण्डन कर रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं उनकी बात नहीं मानता। **(व्यवधान)** क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ? **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा : उसको सदन की कार्यवाही से हटा देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए।

(व्यवधान)

श्री किरिप चालिहा : मैंनें जो कुछ कहा मैं उस बात से नहीं मुकरता। **(व्यवधान)** लोग जब उन पर विश्वास करने लगते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होने लगता है। जैसा कि मैंने कहा है वामपंथी दल प्रेम पत्र में अन्त में 'ध्यान दीजिए' की तरह लिखे जाने वाले दल हैं। वे जनता दल के 'ध्यान दीजिए' टिप्पणी बन चुके हैं। उनके अपने कोई कार्यक्रम नहीं हैं। उनकी अपनी कोई कार्यसूची नहीं हैं। अब वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां वे पूरी तरह से महत्वहीन हो गये हैं और इतिहास में आगे उनका महत्व और भी कम होता जाएगा। इसलिए श्री सोमनाथ चटर्जी में भाषणकला होने के बावजूद, और इस वास्तविकता के बावजूद कि वह इस सदन में अपने आप को 'काल्की' - मार्क्सवादी काल्की' का अवतार मानते हैं, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि साम्यवादी दलों ने हमें वास्तव में निराश कर दिया है। **(व्यवधान)** विपक्ष एक ऐसा झरोखा है, जिसके द्वारा सरकार का कार्य-निष्पादन प्रदीप्त होता है। **(व्यवधान)** मैं यह कहूंगा कि विपक्ष के पास विनम्रता, उचित प्रतिक्रिया एवं रचनात्मक दृष्टिकोण जैसे सशक्त गुण कभी नहीं रहे। **(व्यवधान)**

जैसा कि मैंने कहा है उनका केवल एक ही कार्यक्रम है और वह है नकारवाद अथवा संशयवाद कार्यक्रम।

[अनुवाद]

इसीलिए दिन-प्रति-दिन, उनकी अक्षमता और विफलता अधिकाधिक रुप से सामने आ रही है। ... **(व्यवधान)**... अंत में किसकी जीत हुई ? मैं यह प्रश्न बार-बार पूछ रहा हूं। अंतिम विजय ही सच्ची विजय होती है और यह विजय हमेशा विजयी को ही मिलती है। मुझे बिना किसी विरोधाभास के भय के पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा करना चाहिए कि पिछले दो वर्षों में विजयी हमारे शानदार, प्रशंसनीय और दृढ़निश्चयी प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंहराव और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी रही है। उनकी दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता ने ही इस देश को, जो तबाही के कगार पर पहुंच चुका था, बचाया है।

महोदय, श्री पी०वी० नरसिंहराव ने इस देश को संघर्ष से सहयोग, निराशा से आशा, नफरत से प्यार और क्षुद्रता से प्रगाढ़ता की ओर अग्रसर किया है। ...**(व्यवधान)**... अब मैं नीति पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीतिगत मामले की प्रस्तावना है।

श्री किरिप चालिहा : पिछले ढाई वर्षों से उन्हें उपहासपूर्ण ढंग से मौनी बाबा कहा जा रहा है। उनकी उपलब्धियां इतनी व्यापक है कि आप जो कुछ कह रहे हैं, उनके सामने उनका कोई महत्व नहीं है। प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंहराव एक कुशल कलाकार की भांति भारत को एक ऐसे सजीव ढांचे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।...**(व्यवधान)**... आपकी आलोचना से वह आग में तपकर सोने की भांति और चमकेंगे। कुछ लोग उनकी अनिर्णय की स्थिति की बात करते हैं। इस देश से संबंधित मूल बातों में श्री पी०वी० नरसिंहराव ने अपने निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया है तथा जिसने हमें विस्मय में डाल दिया है। किसी भी महान व्यक्ति का जीवन निरर्थक नहीं रहा है और विश्व का इतिहास महान व्यक्तियों की जीवनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि श्री नरसिंहराव का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। कृपया मेरे नेता से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। यदि आप उनका अनुसरण नहीं कर सकते तो कम से कम उनके मार्ग में अवरोध तो उत्पन्न न करें क्योंकि इतिहास इस भूल के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस भूल में अपराध की भावना निहित है। मैं इसे संक्षेप में इस प्रकार कहना चाहूंगा। बसन्त का मौसम है, प्रातःकाल का समय है, लवा पक्षी उड़ रहा है, ईश्वर स्वर्ग में है, नरसिंहराव सत्ता में है, ऐसी स्थिति में भारत के साथ सब कुछ ठीक होगा। यह इस देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण का सही सार है। यह श्री जसवंत सिंह के इस्तेमाल के लिए मुख्य वास्तविकता है। यह सब कह चुकने के बाद मैं चार-पांच बातें कहना चाहता हूं जिन पर मैं इस सभा में सर्वसम्मति चाहता हूं। यद्यपि यह एक बड़ी अपेक्षा है लेकिन मुझे आशा है कि आप कभी-कभी तुच्छ राजनीति से ऊपर उठेंगे और राष्ट्रीय महत्व के कतिपय मामलों पर एकजुट होंगे।

भ्रष्टाचार हमारे समाज में नासूर बन गया है। भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को बुरी तरह से दूषित कर दिया है। भ्रष्टाचार केवल ऊंची जगहों पर ही नहीं है बल्कि इसने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और यह हमारी राजनीतिक प्रणाली को समाप्त कर रहा है। मैं इस प्रश्न पर श्री सोमनाथ जी और श्री इन्द्रजीज जी से सहमत हूं। भ्रष्टाचार की वजह से पूरी प्रणाली खतरे में है। मैं निश्चित रुप से प्रधान मंत्री जी से पूरे देश में फैले भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने का अनुरोध करता हूं। अब इस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दूसरा प्रश्न जातिवाद के बारे में है। साम्यवादियों ने भी जातिवाद के मुद्दे को अपना आधार समझना शुरु कर दिया है। मैं इस प्रश्न पर बाद में आऊंगा। एक विश्वविद्यालय का नाम बदलने और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जोड़ने के बारे में उठे विवाद पर मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। यह एक विवाद का विषय बन गया है। यह हमारे लिए वास्तव में शर्मनाक है। भारतीयों की कोई जाति नहीं होनी चाहिए। जाति से हमारी पहचान नहीं हो सकती हैं। हमारी केवल एक पहचान होनी चाहिए और वह पहचान है एक भारतीय की। हमें इसे सभी स्तरों पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। यह केवल राजनीतिक स्तर पर, या सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें अपने समाज से जातिवाद को एक साथ समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो समझदार है, उसे स्वयं को ब्राह्मण आदि कहलाने में शर्म आनी चाहिए। भविष्य में कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए।

मैं अंत में, पूर्वोत्तर की बात करूंगा। मुझे पूर्वोत्तर के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। वहां स्थिति में सुधार हुआ है। मैं बजट पर चर्चा के दौरान इसके विस्तार में जाऊंगा। मैं यहां पर ईमानदारी से एक बात इस सभा को और आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं।

1.00 म०प०

सारा पूर्वोत्तर पूरी तरह दुष्चक्र के घेरे में है। वहां का कोई विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए वहां पर विद्रोह की स्थिति है। विद्रोह से कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ती है जिसके परिणामस्वरुप कोई विकास नहीं होता है। मेरे क्षेत्र को इस दुष्चक्र से बचाने के लिए कुछ करना होगा। जबकि मुख्य भूमि को उदारीकरण का लाभ मिल रहा है, पूर्वोत्तर को बहुत पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। कुछ किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : लेकिन विकास न होने के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके पीछे कौन है?

श्री किरिप चालिहा : श्री इन्द्रजीत गुप्त सदन के हमारे बहुत वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। वह अपने आप में एक संस्था हैं। उन्हें भी हमारे साथ होना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं आप सभी सर्वसम्मिति से वित्त मंत्री से पूर्वोत्तर में विकास के लिए आग्रह करें विशेष रुप से पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन और सम्पूर्ण रुप से क्षेत्रीय असमानता को भी उजागर करें।

अंत में, मैं असम के बारे में दो-तीन वाक्य कहना चाहता हूं। असम कभी भी हत्या का मैदान नहीं बनना चाहिए। यदि असम हत्या का मैदान बन जाएगा तो वह बहुत दुखद दिन होगा।...**(व्यवधान)**... एक दूसरे को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। ये राष्ट्रीय मसले हैं। कृपया एक समझदार व्यक्ति की आवाज सुनिये। जब हममें से कोई भी यह नहीं चाहता है कि असम हत्या का मैदान बने तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए कि असम में शांति और प्रगति हो। जब हमारी चिन्ता राष्ट्रीय खुशहाली है और जब राष्ट्रीयता खतरे में हो तो, कोई भी व्यक्ति और राजनीतिक दल महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आप संब से एकजुट होने का आग्रह करता हूं। कृपया असम की युवा पीढ़ी की उठती हुई आवाज को सुनिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि हमारे देश के उस भाग में राष्ट्रीयतावाद की पूरी तरह से विजय हो। हमें इसके बारे में कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब आप सब इन पहलुओं के बारे में बात करते हैं उस समय मैं आप सबसे सहमत होता हूं।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। माननीय सदस्यों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरी गंभीर और कटु आलोचना के बावजूद वे शान्तचित बैठे रहे, मुझ पर चिल्लाए नहीं। यद्यपि श्री भोगेन्द्र झा मेरे भाषण पर बहुत उत्तेजित हुए। मैं आपके सहयोग के लिए अपना धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि राष्ट्र की उन्नति और खुशहाली के लिए यही सर्वसम्मति, सहयोग एवं सकारात्मकता आपके हृदय से आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खनोरिया जी, कृपया बोलिए।

[हिन्दी]

श्री डी०डी० खनोरिया (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है। आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद शुरु कर सकते हैं। अब सभा 2.05 म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.03 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म०प० तक के लिए स्थगित हुई

2.13 म०प०

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2.13 म०प० पर समवेत हुई

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : मेजर डी०डी० खनेरिया अपना भाषण जारी रखें।

मेजर डी०डी० खनेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और सांसदों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल सफलताओं का अभिभाषण था और पूरे देशवासियों के सामने ऐसी ही पिक्चर पेश की गई है। अगर इसके साथ-साथ असफलताओं का जिक्र आता, तो हमारे देशवासी यह समझते कि नरसिंह राव जी की सरकार ने केवल सफलतायें ही हासिल नहीं की हैं, बल्कि त्रुटियां भी रही हैं। लेकिन इसका कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं आया है। ऐसा लगता है कि नरसिंह राव की सरकार पूरे साल सफलता ही प्रापत करती आई है और देशवासी उनके पीछे चले हैं। मैं समझता हूं कि जो त्रुटियां बीच में आई हैं, अगर वे भी इसमें शामिल होतीं, तो देशवासी यह समझते कि कांग्रेस की सरकार ने सच्ची बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

मंहगाई का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया है। कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने कहा था कि सौ दिन के अंदर हम लोग मंहगाई को कम करेंगे। कई सौ दिन बीत गए लेकिन महंगाई कम होने के बजाए बढ़ती गई और आश्चर्य तब हुआ जब संसद का अधिवेशन शुरु होना था उसके 10 दिन पहले जो जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ी उससे देशवासी बिल्कुल हैरान-परेशान हो गए हैं। बजट का सत्र चला हुआ है इस सत्र के अन्दर हमें जो कुछ भी कहना है, वह कहना है। लेकिन बजट के जो आसार हैं, बजट का जो सही निचोड़ है वह हमारे सामने नहीं आया है।

महोदय, जम्मू कश्मीर की हालत को सुधारने के लिए राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे कदम उठाने की बात कही है लेकिन वे बातें तभी होगीं जब हमारे सामने उसके रिजल्ट आएं। मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी जम्मू-कश्मीर के साथ मिली हुई है। जम्मू-कश्मीर में जितने हादसे होते हैं उन हादसों का असर हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा कांस्टीट्यूएंसी के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ते है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आतंकवाद शुरु हो चुका है, इस तरफ भी सरकार को देखना चाहिये। दूसरे देशों से आया हुआ उधार का पैसा, करप्शन, लॉ एंड आर्डर की

सिचुएशन जो हमारे देश के अंदर है वह सबको पता है, इस पर मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे काफी मित्रों ने यहां पर इन बातों को कहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितना भी कम से कम पैसा दूसरे देशों से लिया जा सके वह हमको लेना चाहिए, करप्शन अगर खत्म नहीं हो सके तो इसको कम तो करना ही चाहिए। वैसे तो हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि हरेक लेवल पर करप्शन खत्म की जाए, इस तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत है।

महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है वहां पर केवल दो चीजें पैदा होती हैं। हमारे पास पानी की मात्रा तो बहुत अधिक है। उस पानी से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। दूसरे प्रांतों को हम उस पानी को देते हैं। पंजाब, हरियाणा को देते हैं। राजस्थान को हमारा पानी हिमाचल प्रदेश से जाता है। इससे दूसरे प्रांतों के किसान अपनी जमीनों की सिंचाई करते हैं और मालामाल होते हैं लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के वासी हैं उनकी जमीन सूखी पड़ी हुई है उनको पानी नहीं मिलता है। हमारे उस पानी से बिजली तैयार की जाती है। हम जब रायल्टी की बात करते हैं तो हमें रायल्टी मिलनी चाहिये। दूसरे प्रांतों में जहां कोयला, तेल, पैट्रोल वगैरह पैदा होता है उन प्रांतों को जब रायल्टी दी जाती है तो हिमाचल प्रदेश में जो बिजली तैयार की जाती है तो उस बिजली की रायल्टी हमें क्यों नहीं मिलती। इसके लिए प्रदेश के अंदर काफी एजिटेशन हुआ यहां तक कि दिल्ली तक हम लोग पहुंचे लेकिन सरकार ने उस चीज़ को नहीं माना। मैं मांग करूंगा कि जितनी भी बिजली हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है उसकी हिमाचल की सरकार को रायल्टी मिलनी चाहिये। चाहे वह कोई भी सरकार है। जब तक हमें रायल्टी नहीं मिलेगी तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाएंगे हम केवल दिल्ली की तरफ ही देखते रह जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 20 हजार मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता है लेकिन इतने सालों के अंदर कांग्रेस के राज में केवल ढाई सौ मेगावाट की बिजली तैयार हुई है। 20 हजार मेगावाट से जब हमारी बिजली तैयार होती है, 10 प्रतिशत जो रायल्टी के तौर पर दिल्ली की सरकार ने हमें रायल्टी देनी मंजूर की है उसमें से हमें 16 सौ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रायल्टी के तौर पर मिलना चाहिए था। लेकिन दिल्ली की सरकार इसको सोचती नहीं है।

महोदय, दूसरी चीज़ हमारे हिमाचल प्रदेश में पत्थर है। उस पत्थर से हम लोग सीमेंट तैयार कर सकते हैं। जब बी०जे०पी० की सरकार थी तो हमने सीमेंट के कारखानों की मंजूरी करवाई थी। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि पर्यावरण के नाम पर इनकी संख्या में कुछ कमी की जा रही है। मेरा निवेदन है कि इन कारखानों में कमी न की जाए और शीघ्र स्वीकृत सीमेंट कारखानों को स्थापित करवाया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी और गरीबी कुछ कम हो सके।

सूचना और प्रसारण मंत्री यहां पर बैठे हैं। कांगड़ा, धर्मशाला में रेडिया स्टेशन की इमारत का काम हो चुका है, मशीनरी सारी आ चुकी है, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति न होने की वजह से वहां से प्रसारण शुरु नहीं हो पा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर शीघ्र कदम उठाया जाए, ताकि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को पूरे देश में फैला सकें। इसी तरह से दूरदर्शन के बारे में कहना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा, चंबा में इसका बहुत कमजोर प्रसारण होता है और 25 प्रतिशत भी दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं। मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि हाई, लो और वैरी लो टेलीविजन के डिस्क टावर इस क्षेत्र में शीघ्र लगवाने

की व्यवस्था करें, ताकि यहां के निवासियों को दूरदर्शन प्रसारण सुविधा प्राप्त हो सके।

एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जमीन मुजाहिरों को दी जा रही है। यह अच्छी बात है कि जो जमीन जोतता है, उसको जमीन मिलनी चाहिए। मुजाहिरों को 50 कनाल जमीन दी जा रही है और जो पुश्तों से उस जमीन के मालिक हैं, उनको सिर्फ 5-10 कनाल जमीन ही दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि पुराने मालिकों को भी पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए और जो जमीन उनसे ली जा रही है, उसका कुछ परसेंट मुआवजा भी उनको दिया जाना चाहिए, जो कम से कम मार्केट रेट पर होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रिटायर्ड फौजियों के लिए कुछ दिन पहले पेंशन वन टाईम इन्क्रीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें 22/23 केटेगरीज़ रह गई हैं। मेरा आग्रह है कि उन केटेगरीज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए।

अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य फलों पर सबसिडी दिए जाने की बात कर रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सेब ही नहीं, बल्कि गलगल, नींबू, किन्नू, संतरा, लीची आदि भी पैदा किए जाते हैं, इसलिए सिर्फ सेब पर नहीं, बल्कि अन्य फल उत्पादकों को भी सबसिडी दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें मैंने अपने विचार राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रकट करते हुए कही हैं, मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री महोदय उन बातों का जवाब देंगे, धन्यवाद।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : महोदय, मैं भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने ठीक ही कहा है कि यद्यपि वर्ष 1993 के आरंभ में बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने आयी हैं, परन्तु वर्ष के अंत में आशावाद की किरण दिखाई दी है।

हमारे अनाज के गादामों में अनाज के भण्डार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, इस वर्ष खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, व्यापार अन्तर में कमी आयी है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर सकती है, देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है भले ही यह स्थिति पंजाब, कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों में रही है जिनमें असम भी शामिल है, विशेषकर बाबरी-मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराये जाने की शर्मनाम एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, चाहे वहां पर कोई मंदिर बना हुआ था अथवा नहीं, लेकिन जो ढांचा वहां पर खड़ा था, वह पूजा स्थल था - यह सभी तथ्य सुधार के अच्छे लक्षण हैं। इन परिस्थितियों के अधीन आज इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक उचित सोच वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि लोगों में विश्वास की भावना का पुनः बहाल हुआ है।

महोदय, यह बात वास्तव में मुझे चिंता में डाल देती है। मैं विपक्ष के अपने बहुत से साथियों के भाषणों को सुन रहा था। उस ओर से श्री जसवंत सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी। हालांकि वह इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि, केवल मैं ही नहीं बल्कि हम सभी उनके प्रति काफी आदर का

भाव रखते हैं क्योंकि उनके पास बातों को कहने की असाधारण कला है, तथ्यों को प्रस्तुत करने का उनका असाधारण तरीका है और कमजोर से कमजोर मामले का बचाव करने की उनकी क्षमता है। मैंने उनके भाषण को सावधानी से सुना है। उन्होंने यह बात दोहराते हुए अपना भाषण समाप्त किया है कि, ''राष्ट्रीयता शनैः शनैः समाप्त हो गई है, और भौतिकता अधिक रह गई है तथा आध्यात्मिकता कम रह गई है।'' महोदय, माननीय तथा प्रतिष्ठित साथी श्री जसवंत सिंह ने जो चिंता व्यक्त की है, और जो भावना व्यक्त की है, उससे मैं पूर्णयता सहमत हूं। लेकिन महोदय, क्या आपके माध्यम से मैं उनके जो साथी यहां पर उपस्थित हैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि देश को ऐसी स्थिति में लाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था ? रथयात्रा, एकता यात्रा और अयोध्या ढांचे को गिराये जाने से इस देश के लोगों को कौन सा संदेश दिया गया था ? वे लोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की निरन्तर मांग करते आ रहे हैं जिसके प्रति इस माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य ने शपथ ली थी और वचनबद्ध हुए थे और जिसके प्रति इस देश का प्रत्येक माननीय नागरिक गर्व करता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, विशेषकर कश्मीर के मामले को लेकर इसकी क्या स्थिति है ? क्या आज वे अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते हैं ? क्या वे कश्मीर भू-भाग को चाहते हैं अथवा कश्मीर के लोगों को चाहते हैं ? महोदय हम तो सुखद वातावरण चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि लोगों में विश्वास की भावना पैदा की जाये। वे लोग मुख्यधारा से जुड़े हुए थे। जब दो बार पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय इन नागरिकों ने, इन देशभक्तों ने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद तथा तमाम विपरीत स्थितियों के होते हुए भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की। और यदि हम उन पर यह कह कर आरोप लगाते हैं कि ये लोग राष्ट्र के हितों के विरूद्ध हैं, तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : आप इतिहास को पढ़ियेगा। हमने बिना किसी प्रत्यारोप लगाये श्री जसवंत सिंह के भाषण को सुना है। हम आपका भाषण भी सुनेंगे। आखिरकार यह संसद है और हमारा देश एक लोकतन्त्रात्मक देश है। जब मैं बोल रहा हूं तो कम से कम आपको भी मेरी बात सुनने के लिये धैर्य रखना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह ने उस तरीके के बारे में भी शिकायत की है, जिस तरीके से हज़रत बल स्थिति से निपटा गया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी और उस प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देता हूं जिसने ऐसी स्थिति से निपटने में अपनी-अपनी भूमिका निभाई है और धैर्य, बुद्धिमत्ता तथा विश्वास का परिचय दिया है। यदि हज़रत बल धर्मस्थल अथवा हज़रत बल धर्मस्थल के अवशेषों को कोई क्षति पहुंची होती तो आज इस देश की क्या स्थिति होती ? अतः आप आरोप लगाने की बाजय कम से कम उनहें इस तरीके की सराहना करनी चाहिए थी जिस तरीके से माननीय प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार एक के बाद दूसरी स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है।

महोदय, इनकी याददाश्त बहुत ही कम है। मैं इनकी ऐसी याददाश्त के कारण उन्हें स्मरण करा देता हूं कि जिस समय श्री वी०पी० सिंह प्रधान मंत्री थे और ये लोग उनकी सरकार को समर्थन दे रहे थे तो उस समय क्या हुआ था। हम इस बात को नहीं भूले हैं कि जिस समय तत्कालीन गृहमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री डा० रूबिया का अपहरण किया गया था, तो उस समय क्या हुआ था। उसे मुक्त कराने के लिए क्या मूल्य

चुकाना पड़ा था। मैं एक पिता के दर्द को समझ सकता हूं जो उसे अपनी ही पुत्री की जान बचाने के लिये होता है। लेकिन जिस समय गृहमंत्री ने तमाम राष्ट्र के और अपनी पुत्री के भविष्य को तोल कर देखा, तो यह वास्तव में बड़े दुख की बात है, कि गृहमंत्री जी को अपनी पुत्री का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दिया और इस देश की 85 करोड़ जनता के जीवन का वजन कम दिखाई दिया। मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। यदि वह वाकई ईमानदार व्यक्ति थे तो अपनी पुत्री को मुक्त कराने के बाद उन्हें गृहमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिये था।

मैं अपने भाषण के इस अंश को समाप्त करता हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि विगत चार दशकों से चली आ रही अनेकों समस्याओं तथा सीमाओं के बाद भी वर्तमान सरकार संकट की घड़ी में भी उनका सामना कर रही है और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कर रही है।

आर्थिक सुधारों के बारे में भी उन्होंने पुनः एक बात कही है और वह बात नम्बरों के खेल के बारे में है। उन्होंने यह कह कर अपना भाषण शुरु किया था कि हमारी सरकार नम्बरों का खेल खेल रही है। वह यह तसल्ली दे रहे थे कि आप विपक्ष की परवाह क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि आप की अल्पमत सरकार है। यदि किसी समय आपको कोई समस्या होती है तो हम समर्थन करेंगे और किसी अन्य समय पर वे समर्थन करेंगे। आखिरकार क्या हम आपका समर्थन नहीं कर रहे थे ? अतः अधिक सदस्यों को दल-बदल द्वारा अपने पक्ष में मिलाने का क्या कारण है ?

दसवीं लोकसभा की शुरुआत के समय कोई भी राजनैतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एक उचित समय में चुनाव कराने के लिए लोगों के पास जाने को तैयार नहीं था। इसलिये वे लोग अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि वे लोगों के पास जाने और उन्हें यह बताने का साहस नहीं कर पा रहे थे कि हम आपका जनादेश प्राप्त करने जा रहे हैं क्योंकि चार राज्यों में उन्हें जो जनादेश मिला था उसका परिणाम हमने देखा है कि वहां पर क्या हुआ है। अतः वे लोग अवसर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा है यदि उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो वे सारे इकट्ठे होकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान क्यों करते। यदि इस अविश्वास प्रस्ताव की हार न होती, तो कांग्रेस को कोई क्षति न पहुंचती; कांग्रेस बनी रहती क्योंकि हम यहां पर हमेशा के लिए देश का शासन चलाने के लिये नहीं हैं परन्तु लोग अवश्य बिखर जाते। देश एक और चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। जब देश में संकट व्याप्त है, जब हम अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जब हम पूरे विश्व की समस्याओं का सामना करने में सक्षम नहीं हैं, और उन्होंने स्वयं ही यह कहा है कि हमें अपनी आर्थिक संप्रभुता को बन्धक रखना होगा, तब क्या नये चुनाव करवाने का समय है? उन्हें लोगों को यह जवाब देना है कि वे सभी के सभी, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य सभी दल श्री नरसिंह राव को हराने और सरकार को उखाड़ फैंकने के एकमात्र संदेश के साथ इक्कट्ठे क्यों हो गए थे। आप नम्बरों के खेल की बात क्यों करते हैं ? क्या उनकी जनता पार्टी को विभाजित करने के लिए हम जिम्मेदार हैं ? बड़े ही विनम्र ढंग से मैं जनता दल के अपने माननीय साथियों से पूछता हूं - मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उनका अध्यक्ष कौन है। क्या वी०पी० सिंह जी हैं ? क्या राम विलास पासवान जी हैं ? क्या शरद यादव जी हैं ? क्या एस०आर० बोम्मई जी हैं अथवा कोई भी नहीं है ? मैं केवल एक बात बता सकता हूं। आपके अधिकतर सदस्य ऐसे सदस्य हैं जिन्हें हमने अपनी पार्टी से बाहर निकाल

दिया है। यदि आपको नेता चाहिए, तो हम आपको नेता देंगे। अतः इसके बारे में आप क्यों चिंता करते हैं ? हम आपको नेता दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत से नेता हैं। हम आपको भी नेता दे सकते हैं। अतः आप हमारे भविष्य के बारे में क्यों चिंता करते हैं।

हम आपकी पार्टी को एकजुट रखने में सक्षम हैं। अतः आप नम्बरों के खेल की बात न कीजिये। वे लोग अपने आप बिखरते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। उनके पास कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। उनके पास केवल इस देश का मंडलीकरण करना है। देश को अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांटना है, ग्रामीण और शहरी में बांटना है, अमीर और गरीब में बांटना है। वे तो सिर्फ मौके का फायदा उठाना कहते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनके पूरे शासनकाल में आप उनकी एक बैसाखी बने हुए थे, उनका समर्थन कर रहे थे और ढाई वर्ष तक उनके साथ सत्ता का फल चख लेने के बाद अब आप उनसे एक तरफ हो गये हैं और यह चाहते हैं कि प्रत्येक चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं उनके साथ विनम्रतः दलील करना चाहूंगा कि कृपया यह समझने की कोशिश करें कि लगभग पिछले पैंतालीस वर्षों में क्या होता रहा है ...**(व्यवधान)**... जी हां, हम पिछले पैंतालीस वर्षों से यहां पर मौजूद हैं। और परिणाम क्या रहा है ?

[अनुवाद]

हम यहां चार दशकों से भी पहले थे...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : चार्ल्स जी आपको उनके प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि जब इस देश को स्वतंत्रता मिली तो देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : आप पैंतालीस वर्ष तक क्या करते रहे।

श्री ए० चार्ल्स : अगर आप मेरी बात सुनें तो मैं आपको समझा सकता हूं। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। जब इस देश को स्वतंत्रता मिली तो हमारी जनसंख्या 33 करोड़ थी। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हम 17 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक खाद्यान का आयात कर रहे थे ? जब मैं छोटा था और माध्यमिक स्कूल में पढ़ता था और चावल लेने जाया करता था तो मैं बर्मा के चावल मांगा करता था क्योंकि उस समय हम बर्मा से चावल आयात कर रहे थे। आज हमारी जनसंख्या 90 करोड़ है और एक असाधारण हरित क्रान्ति हुई है। हमारे पास खाद्यान्न भंडार बहुतायत में हैं। श्री जसवंत सिंह इस बात का शोक मना रहे थे कि, अगर अकाल पड़ गया तो क्या होगा। ये 'किन्तु' 'परन्तु' क्या है ? अगर ये दो शब्द 'किन्तु' और 'परन्तु' अंग्रेजी भाषा में नहीं होते तो वह यहां कोई बात न कर पाते। मैं दूसरा प्रश्न रख रहा हूं। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में भयंकर भूचाल आया था। सम्पूर्ण देश, दलगत राजनीति, जाति, धर्म और धार्मिक भेदभावों को भुलाकर एकजुट हो गया। क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं ? मान लीजिए एक और भूकम्प आ जाये तो फिर क्या होगा ? जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था की जानकारी है तो फिर आप ऐसे प्रश्न

क्यों पूछते हैं ? अत: स्थिति को समझे बगैर ही कांग्रेस सरकार को दोष देने के लिए ही सभी निराशावादी विचार रखे जाते हैं।

अब मैं अपनी कुछेक उपलब्धियों के बारे में बात करूंगा। आर्थिक क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धियां हैं? पिछले ढाई वर्षों से आलोचना का मुख्य विषय यही रहा था कि कांग्रेस देश की आर्थिक संप्रभुता को बेच रही है, हम अब स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधीन कर रहे हैं, हम अमरीका तथा क्लिंटन प्रशासन की बात मान रहे हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान क्या हुआ है ? हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है ? हमारे ऋण लेने के बाद ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने उसका भुगतान निश्चित समय से भी पहले करना शुरु कर दिया है। मुझे अपने वित्त मंत्री द्वारा शुरु किये गये सुधारों पर गर्व है। डंकल मसौदे के कारण कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। मैं नहीं जानता कि कितनी... **(व्यवधान)**

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : चार्ल्स जी, इस वर्ष आपको कितना ब्याज देना है।

श्री ए० चार्ल्स : चिन्ता मत करिये अभी ढाई वर्ष और हैं। हम पुर्न भुगतान करेंगे और हो सकता है कि आप अगली बार इस सभा में आये ही ना। आप समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में डंकल प्रस्ताव है क्या।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : हां, हम जानते हैं कि आपके पास सांसद खरीदने के लिए पैसा है।

श्री ए० चार्ल्स : आपको जाकर बजट का अध्ययन करना चाहिये और यह समझने का प्रयास करना चाहिये कि डंकल है क्या। वे डंकल को समझे बगैर ही आरोप लगा रहे थे कि राजसहायता पूरी तरह से हटा दी गई है। अगर आप बजट देखें, तो उसमें उर्वरकों के लिए 2,000 करोड़ रुपये तथा खाद्यान्न के लिए अलग से 2,000 करोड़ रुपये की और राजसहायता का प्रावधान है। अत: हमने खाद्यान्न और उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि खुले बाजार में चावल और गेहूँ के दाम राशन की दुकान से भी कम हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने किसानों के लिए खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, जिसका आप विरोध करते हैं। कृषक वर्ग की मांगों को मानकर हमने खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। हम लाभकारी कीमत दे रहे है और साथ ही साथ हम राजसहायता भी दे रहे हैं ताकि गरीब लोग प्रभावित न हों।

पुन: ग्रामीण विकास के लिए, इस वर्ष में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग रोजगार प्राप्त कर सकें और अन्य लोगों के बराबर आ सकें।

हमारे प्रधान मंत्री महोदय के ढाई वर्ष के शासन काल ने अब यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारा देश अपना अस्तित्व बनाये रखने और आगे बढ़ते रहने में समर्थ है। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे स्नेही श्री राजीव जी की दुखद हत्याकांड की घड़ी सबसे बुरी घड़ी थी जब सारा देश हिल गया, जब हम अंधेरे में भटक रहे थे, जब हमें एक नेता की तलाश थी, जब हम एक पिता की तलाश में थे जब हम देश के भविष्य के बारे में चिंतित थे, तब श्री नरसिंह राव को कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया था। ढाई वर्ष की अवधि में उनके साहसिक कार्यों ने साबित कर दिया है कि हमारा देश विकास की ओर सही दिशा में अग्रसर हो रहा है। हमारा देश भविष्य के बारे में निश्चिंत है। डा० मनमोहन सिंह के साहसिक कार्यों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। उनकी विश्वसनीयता उनका ज्ञान और वह रास्ता जिस पर वह देश को ले जा रहे हैं, एक नागरिक

होते हुए उन्हें टेलीविजन पर देखकर मुझे गर्व होता है जब मैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हुए तथा सारे देश में घूमकर साहसिक कार्य करते हुए देखता हूं।

ये राष्ट्रपति के अभिभाषण की मुख्य बाते हैं। मैं श्री नानी पालकीवाला की एक पुस्तक से उद्धरण के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उनकी पुस्तक 'वी दा नेशन' में अभिव्यक्त उनके सभी विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं पहले अध्याय के अंतिम अनुच्छेद '**आर वी मास्टर्स ऑफ अवर फेट**' से पूर्ण रुप से सहमत हूं।

''जब आप डा० रेनर जॉनसन की '**दि इम्प्रीजन्ड स्पलेंडर**' और पिटजॉफ कापरा की '**दा ताओ ऑफ फिजिक्स**' पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि श्री अरविन्द और श्री रविन्द्र नाथ टैगोर को यह विश्वास था कि यह निश्चित है कि भारत सूपंर्ण विश्व का गुरू होगा। संत पुरूष आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करते तथा रहस्यवादी भी किसी से असहमत नहीं होते। पूर्वी सभ्यता तथा पश्चिमी सभ्यता के आध्यात्मिक अनुभवों की विरासत एक समान ही थी। यह हमारे भा०जा०पा० के मित्रों और उस ओर बैठे सदस्य मित्रों के लिए है।

''अधिक से अधिक लोग यह महसूस करने लगे हैं कि इस अनंत समय के काल खंड में हमारा अस्तित्व नगण्य है।''

हम स्वयं अपने भाग्य-निर्माता हैं। पंडित जी ने कहा है कि आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आज देश के भाग्य का निर्णय कांग्रेस सरकार करती है और भविष्य का निर्णय भी यही करेगी। इसने देश को आत्मविश्वास दिया है। हम 21वीं शताब्दी जोकि संपन्नता और नेतृत्व की एक ऐसी शताब्दी होगी जिसमें एक आम आदमी को भी बेहतर जीवन की उम्मीद होगी। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और श्री शिव चरण माथुर द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने संसद को बड़े ऐतिहासिक अवसर पर और ऐसे अवसर पर संबोधित किया है जिस समय देश गम्भीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ये चुनौती केवल आर्थिक नहीं है, सामाजिक, राजनैतिक और एक तरह से मूल्यों की चुनौती भी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, आज जो देश की परिस्थित है, दुनिया की परिस्थिति है और हमारे देश और दुनिया में नई चुनौतियां सामने उभरकर आई हैं, उन चुनौतियों का कोई एहसास नहीं है। इसीलिए उन चुनौतियों को हल करने के लिए कोई प्रभावकारी बात नहीं कही गई है। आज देश का संकट केवल इस बात का नहीं है कि हमारे देश में बहुत मंहगाई है, हमारे देश की आर्थिक नीतियां परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं, हमारे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा है। आज मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह यह है कि सारी दुनिया एक नए रास्ते की तलाश में है। विज्ञान ने, तकनीकी ने, परिवहन ने, संचार साधनों, अणुशक्तियों ने एक नई दुनिया बना दी है और यदि दार्शनिक रुप से देखा जाए तो उस दुनिया में एक तरफ भौतिकवाद के लिए होड़ है, केवल इस बात की होड़ है कि हम अपनी

धनशक्ति को कैसे बढ़ाएं, दूसरी तरफ एक अविश्वास ने दुनिया को यहां तक पहुंचा दिया था कि अगर अणुशक्ति और उनके बनाए हुए हथियारों का इस्तेमाल हुआ होता तो दुनिया महाप्रलय का शिकार हो गई होती। उस अविश्वास के कारण मनुष्य द्वारा पैदा की हुई अर्जित सम्पत्ति बजाए इसके कि उसे गरीबी, बेरोजगारी दूर करने के लिए लगाई जाती, अणुशक्तियों के हथियार पैदा करने में लगाई गई और दुनिया अणुशक्ति के हथियार की होड़ में प्रवेश कर गई।

मैं समझता हूं कि आज यह सबसे बड़ी चुनौती है। जहां भारत एक नया मार्गदर्शक बन सकता था, जहां भारत की तरफ लोग देखते थे कि भारत पूंजीवादी देशों से अलग है, साम्यवादी देशों से भी अलग है, दुनिया के तीसरे मुल्क जो गरीब थे, कभी गुलाम थे, जिन्होंने नई आजादी अर्जित की थी और जिनकी अपनी समस्याएं ऐतिहासिक थीं, रोटी-रोजी की थी, कपड़े की थीं उनके विकास की थीं, भारत इसमें एक नई ताकत, नया रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत दिनों तक भारत में लोगों का विश्वास था, भारत ने एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की थी जब गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन का संगठन करने में हमने पहल की थी, जब हमने मिक्सड इकोनौमी का रास्ता अपनाया था। क्योंकि हम इस बात को जानते थे कि इस देश में पूंजीवादी देश अपने चरित्र से बाज नहीं आएंगे। भारत का पूंजीवादी सौदागर पूंजीवादी है। वह बिल्कुल व्यापारिक पूंजीवादी है, पैसा कमाने वाला पूंजीवादी है। उसको इस बात में भी गौरव महसूस नहीं होता कि वह इस देश में बुनियादी उद्योग-धंधों को लगाए। इसलिए आजादी के बाद इस देश के पूंजीवादियों ने दवा के कारखाने में अपनी सम्पत्ति लगाना उचित नहीं समझा, इस्पात के कारखाने में उनकी कोई रूचि नहीं थी, गांवों में बिजली पहुँचाने में उनकी कोई रूचि नहीं थी, इस देश में पैट्रोल तेल खोजा जाए, इसमें उनकी कोई रूचि नहीं थी। उन परिस्थितियों में हमने इस देश में सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण किया। दुनिया का कोई देश इस बात के लिए तैयार नहीं था, हमने बुनियादी रुप से यह महसूस किया कि हमको यहां सार्वजनिक क्षेत्र बनाना चाहिए चाहे इस्पात के कारखाने हों, बड़ी मशीनों के कारखाने हों, चाहे तेल खोजने का काम करना हो, चाहे कृषि का काम करना हो, उसके अन्दर रिसर्च का काम और दूसरे काम हो, हमने बुनियादी रुप से किया है। यहां तक हमारे देश की स्थिति पहुंच गई कि कपड़े और होटल के काम को सार्वजनिक क्षेत्र में लेना पड़ा। इस देश के पूंजीपति की सार्वजनिक क्षेत्रों और जन-कल्याण के कामों में कोई रूचि नहीं है। इसलिए इस देश में इस व्यवस्था और रास्ते को मान्यता दी गई और सार्वजनिक क्षेत्रों ने इस देश के विकास में कितना बड़ा योगदान किया, इसको आज हर कोई जानता है। दुनिया का कोई देश यहां तेल धरती से निकालने के लिये तैयार नहीं था। हमें शिक्षा दी जाती थी कि तेल बाहर से ले लें, आप खेती देखें, गांव में सिंचाई की व्यवस्था करें, आपको तेल की आवश्यकता नहीं है, आप उसे बाहर से खरीदते रहिये। हम जानते थे कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकेंगे।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नई आर्थिक नीति के नाम पर इस देश की राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की नीति को कमजोर किया जा रहा है। कमजोर नहीं, मुझे डर है कि कहीं बिल्कुल तबाह न कर दिया जाये। आज ही इस सदन में यह प्रश्न उठा कि 70 मिनी स्टील प्लांट बंद हो गये। हमारी लगभग अस्सी कपड़ा बनाने वाली मिलें बंद हो गई हैं। हजारों की तादाद में छोटे और मझोले कारखाने बंद हो रहे हैं और लाखों मजदूर बेकार हो रहे हैं मुझे इससे चिन्ता हो रही है। मैं वहां से आता हूं जहां के बुनकरों ने इस देश के लोगों

को तन ढकने के लिए कपड़ा दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज बुनकर यह सोचते हैं कि क्या हमारे हथकरघे, क्या हमारा हुनर, क्या हमारी रोटी के साधन सुरक्षित रहेंगे या तबाह हो जायेंगे ? वे आज तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एहसास राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका नहीं है। हमारी आत्मनिर्भरता की नीति अगर खत्म हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।

मैं जाखड़ साहब को बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक पार्लियामेंटरी एसोसिएशन की बैठक में ब्रिटेन के बड़े वरिष्ठ सांसद आये हुए थे। एक सांसद ने यहां से जाने के बाद मुझे एक पत्र लिखा है। मैं उस पत्र को कोट नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। वह लेबर पार्टी की वरिष्ठ महिला वहां की हाउस ऑफ कामन्स की सदस्या थीं। उसने मुझे लिखा कि भारत के लोगों से उन्हें प्यार है, समर्थन है। मैं आशा करती हूं कि आपका देश नई आर्थिक नीति के नाम पर वह गलती नहीं करेगा जो हमारे देश ने आज से 15 साल पहले की थी। आज वहां 12 परसेंट से अधिक बेरोजगारी बढ़ गई है। आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं महज इसलिए कि हमारा सामान खरीदिये, हमारा संकट बढ़ रहा है। हम आज पाश्चत्य देशों की नकल कर रहे हैं। मैं इस बात का आरोप लगाना चाहता हूं कि इस सरकार को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि कितने बड़े खतरे की तरफ हम इस देश को ले जा रहे हैं। अगर सार्वजनिक क्षेत्र बर्बाद हो गया तो क्या हालत होगी, इसका एहसास आपको भी होगा। कुटीर उद्योग आज से नहीं, हजारों सालों से हमारी प्रतिभा, हमारे हुनर, हमारी धरती और हमारी आवश्यकताओं के प्रतीक बन गये थे। आपने उनको तबाह कर दिया और मल्टी नैशनल को लाकर बिठा दिया। हम जाल में फंस रहे हैं। हमने गांधी जी और जवाहर लाल जी का दिखाया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और बिना सूझबूझ के अपने परम्परागत रास्ते को छोड़ते चले जा रहे हैं। हम पाश्चत्य देशों की नकल कर इस देश को खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। माननीय चार्ल्स जब भी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि जनता दल ने जातिवाद किया, जनता दल छोटी और बड़ी जातियों को लड़ा रही है, जनता दल ने इस देश को बांटने की कोशिश की। वास्तव में गलती कांग्रेस पार्टी की है। इस देश के नेतृत्व की यही गलती है कि यह नये जमाने को नहीं समझ रहे हैं। इस देश में संविधान की मान्यताओं को खत्म कर दिया गया, जिस संविधान में कोई जनता दल का नहीं बैठा था। संविधान सभा की अध्यक्षता भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसा व्यक्तित्व कर रहा था, पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभभाई पटेल हमारे गृहमंत्री थे, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए धारा 340 में आरक्षण की व्यवस्था हुई, एक उच्च स्तर का आयोग बनाकर कहा गया, डा० अम्बेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू, दोनों का यह कहना था कि इस देश में दलितों की पहचान हो गई है इसलिए कि वह अनुटचेबुल्स हैं, उनको हम जानते हैं, अछूत मानकर हमने मान लिया है लेकिन उन्हीं की तरह से दूसरा बड़ा वर्ग इस समाज में रह गया है, उसकी पहचान करने के लिए आयोग बनाओ और उनको भी सब सुविधाएं दो।

सन् 1951 में पहला संशोधन भारत के संविधान में हुआ था और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं उस संशोधन को पेश किया था कि सामाजिक और शैक्षिणक रुप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना है मगर 45 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आया।...**(व्यवधान)**... मैं जब कांग्रेस में था, तब भी मैं पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए लड़ता था, मैं आपकी तरह से कमजोर और भीरू नहीं था। कांग्रेस पार्टी में मैं था तो कांग्रेस पार्टी में रहने की मुझे शर्म नहीं थी।

...**(व्यवधान)**... मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसी प्रश्न पर इन्दिरा गांधी से मेरा मतभेद हुआ, इसी प्रश्न पर मेरा राजीव गांधी से मतभेद हुआ, यह सारी दुनिया को मालूम है। आप मुझे मत सिखाइये। इसीलिए मैं कहता हूं कि 45 साल तक पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होता रहा और जब जनता दल ने उसको लागू कर दिया और जनता दल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है ... **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : क्या मैं एक बात का स्पष्टीकरण पूछ सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं अभी नहीं, बाद में स्पष्टीकरण दूंगा।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहता हूं।

मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि आज मैं खाली चाहता हूं कि हमारा देश समझे, राजनैतिक पार्टियां समझें कि यह देश नये युग में प्रवेश कर गया है, दुनिया नये युग में प्रवेश कर गई है। आज साउथ अफ्रीका के गोरे नस्लवादियों के देश में नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्तित्व 28 साल जेल में रहने के बाद वहां का नेतृत्व करने जा रहा है, वह वहां आज निकलकर आया है। यह एक नई दुनिया बनी है, जहां हमारे अड़ोस-पड़ोस दोनों तरफ दो फौजी शासन समाप्त होकर दो महिलाएं आज सत्ता पर पाकिस्तान और बंगलादेश में आसीन हैं। यह नई दुनिया है जहां बर्मा के अन्दर एक महिला ने वहां के फौजी शासन को चुनौती दी है। आज नहीं तो कल वह अपने देश को फौज से आजाद कराएगी। इसलिए इस देश में जो मेहनत करने वाले लोग हैं, 85 फीसदी जिनकी आबादी इस देश के अन्दर आबाद है, संविधान की सारी व्यवस्था के होते हुए उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ नाइन्साफी नहीं हुई, उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला। वह गरीबी के केवल शिकार ही नहीं रहे, वह असम्मान के भी शिकार बनाये गये, उनको असम्मानित किया गया, इसलिए नए जमाने को पहचानिये और उनके साथ न्याय कीजिए।

मुझे खुशी है कि आज सबने उनको पहचान किया है। मण्डल कमीशन लागू होने के बाद इस देश में एक महापरिवर्तन आया है, मामूली परिवर्तन नहीं आया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन आया है, आज एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव इस देश के अन्दर हो रहा है। परन्तु इस अभिभाषण में उसका कोई एहसास नहीं है, उसको कोई मान्यता नहीं दी गई है।

गरीबी, बेरोजगारी, विषमता इस देश की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज एक नई पीढ़ी निकलकर आई है, यह खाली 1-1 लाख रुपये कर्ज देने से इस देश की गरीबी दूर नहीं होगी, इसके लिए पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा, मैं मांग कर रहा हूं कि मण्डल कमीशन ने दूसरी जो सिफारिश की थी कि केवल आरक्षण नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए, सरकारी मशीनरी में हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा था कि क्रान्तिकारी भूमि सुधार कीजिए लेकिन उसकी तरफ कदम बढ़ाने का क्या कोई संकेत इस अभिभाषण के अन्दर है ? कहीं संकेत नहीं है।

[अनुवाद]

3.00 म०प०

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

उसमें कहा गया है कि जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके उद्योगों के लिए कदम उठाइये, उनको सस्ता कर्जा दीजिए और उनके कारोबार की रक्षा कीजिए तथा उद्योग धन्धे में हिस्सेदारी दीजिए। मैं पूछता हूं, इसमें कहां कोई प्रभावकारी कदम उठाया गया है। इस वजह से भी लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और असंतोष बढ़ता जाएगा। क्या यह सच नहीं है कि इस देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको आप कैसे ऊपर लायेंगे ? क्या धीरे-धीरे कर के आप उनको ऊपर लायेंगे। ऐसी स्थिति में तो आप सौ साल में भी नहीं ला सकते हैं। अगर इसी रास्ते पर, इसी कदम पर, इन्हीं नीतियों के चोखटे में रहेंगे तो आप इस देश से सौ साल में भी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन ने एक योजना बनायी है कि सात साल के अन्दर, उनके इतने बड़े देश में जहां उनकी आबादी एक सौ करोड़ से ज्यादा हो गई है, कोई भी आदमी गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। यह बात आइडेंटिफाई करके उन्होंने कही हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार को भी एक योजना बनानी चाहिए कि सन् 2005 तक, यानी 12 वर्षों के अन्दर, हमारी पूरी आर्थिक नीति, कृषि नीति, और औद्योगिक नीति में परिवर्तन इस तरीके से किया जाएगा कि हम अगले 12 वर्षों के अन्दर इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को ऊपर ला सकेंगे और इस देश के नौजवानों को कारोबार दे सकें। मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। हमारे देश के नौजवानों के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि वार-फूटिंग पर गरीब और बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रशिक्षण का काम, कैसे रोजगार दिया जा सकता है, जो अवसर उनको इतिहास ने प्रदान नहीं की है और न वे किसी व्यापारी परिवार के वंशज हैं, जहां उनके बाप-दादा ने उनको सिखाया हो, हमें उनको सिखाना पड़ेगा। उनको शिक्षित करना होगा और उनके लिए सुविधायें मुहैया करानी होंगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूरी आर्थिक नीति की रणनीति को इस प्रकार बदला जाना चाहिए कि प्राथमिकता हमारे देश के उन लोगों को मिले, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उनके लिए समयबद्ध सीमा के अन्दर कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। उन नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

आपने मंहगाई की बात कही है। क्या यह सही नहीं है कि ढाई साल पहले जब हम लोक सभा के चुनाव में गए थे, उस समय दाल की कीमत 10-12 रुपये किलो थी और आज उसकी कीमत 20-22 रुपये किलो है। क्या यह सच नहीं है, ढाई साल पहले जब हम लोग लोकसभा के चुनाव में गए थे, उस समय आटे की कीमत साढ़े तीन रुपये किलो थी और आज आटा 6 रुपये किलो में बिक रहा है। क्या यह सच नहीं है उस समय चीनी 8-9 रुपये किलो थी और आज 13-14 रुपये किलो है ? मैं आपसे कहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी आंकड़े दे सकते हैं और यह बता सकते हैं कि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन जिन्दगी की वास्तवकिता में और आंकड़ों में जमीन-आसमान का फर्क है।

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : समर्थन मूल्य तथा मजदूरी भी बढ़ा दी गई है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन दोहरी नीति नहीं बनाई जा सकती।

[हिन्दी]

अगर हमको किसानों के उत्पादन की कीमत बढ़ानी पड़ी है, जो हमने बढ़ाई है, मैं समझता हूं कि यह ठीक किया गया है। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसको दूर करने के लिए जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, उससे निश्चित रुप से दूसरी तरफ कीमतें बढ़ेंगी। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि क्या लोगों का जो जीवन स्तर है, उनकी आमदनी का जो स्रोत है, वह बढ़ रहा है या नहीं ? हम दुनिया में ऐसे घेरे में आ गए हैं कि कीमतें तो बढ़ेंगी ही। दुनिया में किसी एक देश में पैट्रोल या डीज़ल मंहगा होता है तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु दुनिया के दूसरे देश अपने लोगों की जिन्दगी को सुधारने के लिए उनकी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां इस दिशा में कदम नहीं के बराबर हैं। यदि हैं भी तो बहुत कम हैं और वह बिल्कुल नल्लीफाइड हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।

सभापति जी, मैं समझता हूं हमारे देश में आज एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे यहां गरीबी बढ़ेगी, विषमताएं बढ़ेंगे तो स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है। हमें ठंडे दिल से इस पर सोचना है। मैं कोई पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं। मगर क्यों 47 साल के बाद भी लाखों लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। क्या हमारे दिल में कहीं दर्द की कमी नहीं है। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सिर पर आज भी मेला उठाते हैं और उससे अपनी रोटी-रोजी कमाते हैं। आप क्यों नहीं इसको खत्म करते ? आप क्यों नहीं कहते कि इस देश में इंसान का मेला इंसान नहीं उठेएगा, इसके लिए हम दूसरी व्यवस्था करेंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता था। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।

महोदय, आज 70 फीसदी गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, स्कूल और अस्पताल वहां नहीं हैं। क्या उनको हम सड़कों से नहीं जोड़ सकते हैं। आप उन गांवों को सड़कों से जोड़ दीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था कर दीजिये और उन गांवों को बिजली दे दीजिए। हम इस देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि पाश्चात्य देशों की तरह से आज इस देश में बड़ी टैक्नोलॉजी के नाम पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। सरकार द्वारा अब जमीनें बेची जा रही हैं। पब्लिक सैक्टर को कह रहे हैं जमीन बेचो, और कहा जा रहा है जमीन बेच करके साधन इकट्ठे करो। आज रेलवे की जमीन बेचने की कोशिश हो रही है, पब्लिक सैक्टर की जमीन बेची जा रही है। अगर इसको भी आपने बेच दिया तो आप भयंकर भूल करने वाले हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि यह भूल यहां नहीं करनी चाहिए। हम इस भूल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं।

सभापति जी, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि एक बड़ा खतरा हमारे देश में साम्प्रदायिकता से पैदा हो रहा है। चार्ल्स साहब अभी हमारे बी०जे०पी० के मित्रों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने बड़ी भूल की थी जो आपने जनता दल का समर्थन किया। वे कह रहे हैं कि आपने बड़ी भूल की जो आपने जनता दल का समर्थन किया आपको हमारा समर्थन करना चाहिये। मैं यही कहता हूं कि सांप्रदायिकता के साथ समझौता करने की यही नीति हमको बर्बादी के रास्ते पर ले गई है। आप कह सकते हैं विरोधी दलों ने भी गलतियां की हैं, मुझे आज स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि सत्ता की होड़ में विरोधी दल के लोगों ने भी साम्प्रदायिक ताकतों का सहयोग लिया है। उनके साथ शासन में भी बैठे हैं। एक बड़ी भूल थी जिसको स्वीकार करना चाहिए था और मैं कहना चाहता हूं अब यह भूल हमारा देश न करे। यह पार्टी का सवाल नहीं है, मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता की दुश्मन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने कहा था, मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं उस धर्म को मानने वाला हूं और इस धर्म को इस बात पर गौरव है कि दुनिया में जहां भी दूसरे धर्मावलम्बियों के साथ अत्याचार हुए, देश से निकाले गए तो हमारे देश ने उनका आवभगत किया, हमने उनको शरण दी। हमने उनको सम्मान दिया और हमने उनको बराबरी दी। यह है भारतीय संस्कृति का मूल, कि हम इस देश में साम्प्रदायिकता को आधार बना करके नहीं, समन्वयवाद, सभी धर्मों का सम्मान करके, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सब धर्म उसी तरह से हैं जैसे सभी नदियों का उद्गम तभी हो सकता है सब महासागर में जा करके विलीन हो करके एक हो जाती हैं सब धर्म अलग-अलग भगवान के पास, खुदा के पास पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हैं, यह हमारी परम्परा है। तो मैं समझता हूं कि जितनी मुस्तैदी के साथ साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ लड़ना चाहिये उतना हमने लड़ने का मन इस देश के अंदर नहीं बनाया है, मैं समझता हूं कि यह इस देश के अंदर एक भूल हुई है।

महोदय, मैं 1-2 बातें कह कर अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं समझता हूं कि आज हमारी दूसरी कमजोरी है कि एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारे दिल को ठेस पहुंचती है कि कहीं इस अभिभाषण में क्या नम्रतापूर्वक नहीं कहा जा सकता था, आप यह कहते कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका हमारा मित्र है, हम उसकी मैत्री करने की कोशिश कर रहे हैं, पर संयुक्त राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति ने जो कुछ कश्मीर और पंजाब के बारे में हमारे देश में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के बारे में जो कुछ कहा है, उससे हमें खेद है। ऐसी बात क्यों नहीं कही जा सकती थी ? क्यों आप राष्ट्रीय धारा से अलग होकर जाना चाहते हैं। क्या उनकी आर्थिक सहायता ने हमारा मनोबल इतना तोड़ दिया है, हमारे मन में इतना भय पैदा कर दिया है, हमें गुलाम बनने के लिए इतना मजबूर कर दिया है कि हम अपने राष्ट्रीय हित पर मित्रवत् ढंग से अभिभाषण के अंदर नहीं कह सकते थे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहा हूं। चार्ल्स जी मैं यहां गृहमंत्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि उन्होंने क्या कहा है।

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा हूं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने इसी आसन से जिस आसन पर इस समय सभापति

महोदय विराजमान हैं, यहां से सवेरे कहा था कि पूरे सालभर प्रयास करने के बाद सरकार की प्रमुख नीतियों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा देश के सामने रखा जाता है, इसलिए मैं यह कह रहा हूं। जब हमारी नीतियां रखी गई हैं, ऐसे समय पर जब हमारे स्वाभिमान, राष्ट्रीय एकता और आजादी पर हमला हो रहा है, हमारे मूल्यों पर हमला हो रहा है, लेकिन एक शब्द भी इसके बारे में नहीं कहा गया है। इस सदन की गरिमा और इस देश के सभी लोगों की महानता की आपको तारीफ करनी चाहिए। यह पार्टियों पर आक्षेप लगाने की बात नहीं है, हमने एक स्वर से, जब राष्ट्रीय एकता का सवाल आया, कश्मीर का, पंजाब का सवाल आया, इस बारे में जब प्रस्ताव पेश किया गया तो हमने सर्वसम्मति से वह प्रस्ताव यहां पास किया। मैं समझता हूं कि अभिभाषण में इस भावना का आदर परिलक्षित होना चाहिए था। जो हमने किया, इस सदन ने किया, वह सरकार ने नहीं किया, मेरा यह आरोप है। सरकार को करना चाहिए था, राष्ट्रपति के अभिभाषण से उसकी परिलक्षणा नहीं हुई, मगर सदन ने इस काम को किया। यह सदन का बड़प्पन है और सदन ने बड़ा भारी काम किया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियों के संबंध में होता है और मैं समझता हूं कि सरकार भी इस तथ्य को स्वीकार करेगी कि इस देश में मेहनत करने वाले गरीब लोग, जिनको ऐतिहासिक कारणों से हमारी गलत सामाजिक व्यवस्था के कारणों से इस देश में हर चीज से वंचित किया गया, उनका सम्मान, उनकी हिस्सेदारी, उनका हक उनको मिले, तभी यह देश मजबूत हो सकता है। इसके लिए मौलिक रुप से हमारे दृष्टिकोण में, हमारी नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए, मैं इस बात की मांग करता हूं। मैं इस बात की मांग करता हूं कि सरकार इस बात का संकल्प करे कि देश की नीतियां अब इस तरह की बनाई जाएंगी, जिनमें हमारे देश के 50-60 करोड़ गरीब लोगों की प्राथमिकताओं को हमारे बजट में, नियोजन में, आर्थिक कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाएगी। जब तक यह नहीं होगा, तब तक लोगों में बेचैनी रहेगी, टकराव की स्थिति रहेगी, अपने हक के लिए लोग लड़ेंगे जिसके लिए आप कहेंगे कि जातिवाद और सांप्रदायिकता बढ़ रही है, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। दीवार की लिखावट को पहचानिए और देखिए कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और आज एक नया इन्सान पैदा हो रहा है, यह कोई नई टैक्नालॉजी या नया कम्प्यूटर नहीं है, खाली इस्पात का काम करने वाला मनुष्य नहीं है, बल्कि एक नया इन्सान पैदा हुआ है, जिसके लिए नई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की जरूरत है। इस देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और राजनीतिक न्याय देने के संकल्प के साथ हमने जो संविधान बनाया था, आने वाले समय में इसी संकल्प के साथ सरकार को काम करना चाहिए। पुरानी नीतियों में परिवर्तन करना होगा और इस संबंध में सदन में जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के सामने आई हुई चुनौतियों को स्वीकार करना होगा।

[अनुवाद]

श्री बी०एन० रेड्डी (मिरथालगुडा) : (मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर) : सभापति महोदय, इस वर्ष के राष्ट्रपति के अभिभाषण में मूलभूत वास्तविकताओं की झलक नहीं है। अभिभाषण में इस सरकार द्वारा अपनाई गई विनाशकारी नीतियों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है जिनके कारण देश आर्थिक संकट की स्थिति तक पहुंचा है तथा एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र को अमरीकी धमकियों का सामना

करना पड़ रहा है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार की अयोध्या नीति की प्रशंसा करता है, जो वास्तव में ऐतिहासिक बाबरी-मस्जिद के विनाश का कारण बनी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 47 वर्षों के बाद भी मौजूदा स्थिति क्या है, आज जो स्थिति है, वह हमारे स्वतंत्र और संप्रभु दर्जे के लिए खतरा बनी हुई है। आज कश्मीर में हालात कैसे हैं ? सत्तारूढ़ दल के अनेक माननीय सदस्य कहते हैं कि उस समस्याग्रस्त राज्य में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन राज्य में स्थिति बिगाड़ने के लिए आतंकवादियों को जो गुप्त रुप से तथा खुला समर्थन दिया गया तथा पाकिस्तान को अमरीका वासियों का समर्थन अब कोई गुप्त बात नहीं रह गई है। अमरीकी नीतियां जो राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को प्रोत्साहित करती है जो वास्तव में उग्रवादियों को और अधिक उग्रवादी ओर टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, किसी से छिपी नहीं है। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेन्ट की एक उच्च अधिकारी सुश्री राबिन राफेल अब खुले रुप से कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण पर प्रश्नचिन्ह् लगा रही हैं। इतने वर्षों के बाद, हम पहली बार एक उच्च अधिकारी और वह भी एकमात्र महाशक्ति के महत्वपूर्ण अधिकारी से यह सुन रहे हैं कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। उनकी भारत और पाकिस्तान के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा में परिवर्तन करने की सलाह से विवाद उत्पन्न हो गया है। ये अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य किसी और ने नहीं बल्कि एकमात्र महाशक्ति अमरीका ने ही दिये हैं। अमरीका, जो आज पृथ्वी पर एकमात्र महाशक्ति है, के अनुत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्यों से हमारे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस अद्यतन विस्फोटक स्थिति का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया गया है। उस दिन माननीय गृह मंत्री ने सभा में कश्मीर मसले में अमरीकी हस्तक्षेप का प्रश्न उठाया। लेकिन माननीय गृह मंत्री ने जो कठोर रवैया अपनाया, उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों ? इस मसले पर लोकसभा में चर्चा करने तथा अमरीकी हस्तक्षेप की जोरदार निंदा करने के पश्चात् विपक्षी दलों ने यह जानना चाहा कि सरकार अमरीकियों को इससे अवगत क्यों नहीं करा रही है, इस संबंध में गृह मंत्री महोदय ने स्पष्ट उद्घोषणा की।

इस समय जबकि महाशक्तिशाली देश की नीतियां हमारी प्रभुसत्ता के लिए खतरा बनी हुई हैं, यह बहुत खेदजनक है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, स्वतंत्रता के 47 वर्षों के बाद भी हम आर्थिक क्षेत्र में धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को गिरवी रख रहे हैं। आज हम ऋण के नीचे दबे हुए हैं। भारत पर दूसरे देशों का 2,66,000 करोड़ रुपये का ऋण है। हमारे वित्त मंत्री, डा० मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि ऋण की राशि के कुछ हिस्से का निर्धारित समय से पहले भुगतान किया जा रहा है। इस वक्तव्य पर गर्व महसूस करना केवल अपने आपको धोखा देना है। जब देश ऋण के जाल में फंस जाता है, तो क्या होता है? वर्तमान आर्थिक संकट का क्या हल है और सरकार देश को ऋण जाल से निकालने के लिए क्या नीतियां अपनाना चाहती हैं ? इस गंभीर आर्थिक संकट के बारे में कोई नहीं सोचता। जो कुछ कहा जा रहा है वह एक विशेष ऋण के एक हिस्से की पूर्व अदायगी के बारे में है। यह हमारे आत्मसम्मान के विरूद्ध है। यह और कुछ नहीं अपने आपको धोखा देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हर चीज़ के लिए श्री मनमोहन सिंह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर ऋण लेने के लिए भागते हैं। उनका पूरा बजट और कुछ नहीं बल्कि केवल

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों का प्रतिबिम्ब है। हमारी आर्थिक नीतियों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों के अनुसार बनाया जा रहा है। कृषि नीति को भी उनके निर्देशों के अनुसार बदल दिया गया है जिसे हम इतने वर्षों से अपनाते आ रहे थे। केवल उनके परामर्श पर ही सरकार ने डंकल प्रस्तावों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उनकी सलाह पर ही सरकार ने राज सहायता में कमी कर दी है और गरीबों का जीवन दूभर कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह डंकल प्रस्ताव हमारी प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरुप है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्ताव ऐसे हैं कि जिनका भारत जैसे स्वतंत्र देश द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। यहां तक कि कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेता श्री वसंत साठे जैसे लोगों की भी यह राय है कि यह प्रस्ताव हमारी प्रभुसत्ता की जड़ों को हिला देने वाले हैं, यह देश को खतरनाक ऋण जाल में फंसा देंगे और देश को पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर बना देंगे। महोदय, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं डंकल प्रस्तावों का विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा। डंकल प्रारुप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा साम्राज्यवादी देशों खास तौर से संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा औद्योगीकरण, उदारीकरण और स्वतंत्र व्यापार करने तथा भारतीय कृषि बाजार में विदेशी कृषि उत्पादों को उपलब्ध कराने के नाम पर नव उपनिवेशवाद का साम्राज्य स्थापित करने का ही प्रयास है। यह प्रस्ताव है। भारतीय कृषक वर्षों से आत्मनिर्भर रहा है। वह बीजों के लिए दूसरों की दया पर निर्भर नहीं था। लेकिन, अब उसे अन्य देशों में उत्पादित बीजों पर पूर्णत: निर्भर बना दिया गया है। उसे पूर्णत: बर्बाद कर दिया गया है और अब उसे अन्य देशों में उत्पादित बीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब हमें बीजों के विकास के लिए विदेशी तकनीक और उद्योगों पर निर्भर करना होगा। यह हमारी प्रभुसत्ता पर तीखा प्रहार है। मैं जानना चाहता हूं कि कृषि नीति के बारे में इतना बड़ा बुनियादी परिवर्तन किये जाने और प्रभुसत्ता को खतरा होने के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। इससे भी अधिक, इस वक्तव्य में उन्होंने इन बातों को छिपाने की कोशिश की है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता पर बोलते हुए यह कहा गया है कि "अयोध्या मुद्दा हाल ही के समय में सांप्रदायिकता को राजनीति से मिलाने से उत्पन्न खतरों को दर्शाने वाली एक अत्यन्त गंभीर घटना है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि यह अयोध्या मुद्दा बाबरी मस्जिद को ढहाने में सरकार की अपमानजनक असफलता की अत्यन्त गंभीर घटना है ? मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता बहुत बुरी असफलता है। मस्जिद का ढहाना भी सरकार की असफलता है। तो इस अभिभाषण में इस असफलता का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है और इसके बजाए सरकार की कोशिशों की यह कहकर सराहना की गई है कि हाल ही में सांप्रदायिकता को राजनीति के साथ मिलाने से उत्पन्न खतरों को दर्शाने वाली एक अत्यंत गंभीर घटना है। यह इस घटना का एक पहलू है। लेकिन, दूसरा पहलू यह है कि यह सरकार की असफलता है कि सरकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने से नहीं बचा सकी जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसलिए, महोदय, यह बहुत खेदजनक है कि इसका उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।

कृषि के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति यह कहते हैं कि इस ओर बहुत धीमी प्रगति हो रही है। यह उल्लेख किया गया कि सरकार सही नीति अपना रही है। तेलगु के एक महान् कवि गुराजदा अप्पा राय ने अपनी कविता में कहा है कि देश का अर्थ है आदमी और महिलाएं न कि धूल। इसलिए यह आदमियों तथा महिलाओं के रहन-सहन के स्तर पर निर्भर करता है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने 10 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री बी०एन० रेड्डी (मूलतः तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर) : जी हां, महोदय। बहुत से पुरूष तथा महिलाओं के पास भूमि नहीं है खाना नहीं है। मैंने आरम्भ से लेकर अंत तक तेलंगाना संघर्ष में हिस्सा लिया है। अब तेलंगाना संघर्ष में जोकि 48 वर्ष पूर्व हुआ था, हमने भूमिहीनों को 10 लाख एकड़ भूमि वितरित की थी। अब मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में वर्तमान सरकार यह दावा करती है कि उन्होंने 5 लाख एकड़ भूमि वितरित की है। इस वितरित भूमि का काफी हिस्सा एक बार फिर भूस्वामियों को वापस कर दिया गया है। भूमि का वास्तविक स्वामित्व भूस्वामियों के पास ही है, नाममात्र के लिए पट्टा गरीबों के नाम कर दिया गया है। कितना तुच्छ उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में भूमिहीनों को 12 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है। यह एक रिकार्ड है। शासक निर्धन कृषकों के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं जोकि अन्य राज्यों में उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बंगाल में भूमिहीनों को भूमि वितरित करने से उत्पादन बढ़ा है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में उत्पादन नहीं बढ़ा है। यदि राष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र में 18 करोड़ टन उत्पादन को संतोषजनक बताया है तो यह केवल स्वयं को धोखा देने वाली बात है। स्वतंत्रता के 47 वर्ष बाद भी, खाद्य उत्पादन से हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। देश में खाद्यान के साधारण उत्पादन पर संतोष व्यक्त करना उचित नहीं है। अब हमारी कृषि नीति भी निर्यातोन्मुखी हो गई है इसीलिए खाद्यान उत्पादन में कमी करने तथा निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण नकदी फसलों को उपजाने पर बल दिया गया है। यह अत्यंत खतरनाक नीति है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें खाद्यान के लिए अन्य देशों से भीख मांगनी पड़ेगी। यह दशांता है कि हम किस हद तक अमरीकी परामर्श और निर्देशों का पालन करते हैं। आज तक भी कृषि के लिए लगभग 67 से 70 प्रतिशत कृष्य भूमि वर्षा पर निर्भर हैं इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए हमारे पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। यहां कोई स्थायी जल संसाधन नहीं हैं। कृषक को एक भूमि के टुकड़े की तथा उस भूमि के टुकड़े को उपजाऊ बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यहां न तो भूमि है और न ही पानी है। देश में लगभग 500 अपूर्ण परियोजनाएं हैं। वास्तविकता यह है कि केवल 33 प्रतिशत कृष्य भूमि को ही पानी की सुविधा प्राप्त है। मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कुल 25 परियोजनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि हमारे राज्य में कृष्णा और गोदावरी जैसी वर्षभर बहने वाली नदियां हैं फिर भी पानी की कमी है और फसलें सूख जाती हैं क्योंकि वे परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। पानी की कमी के कारण यह राज्य सूखाग्रस्त हो गया है। यदि भूमिगत जल उपलब्ध है तो भूमि पर भी जल उपलब्ध होगा। लेकिन यदि भूमिगत जल ही नहीं है तो यह कैसे सोचा जा सकता है कि भूमि पर पानी होगा। भूमिगत पानी का स्तर 200 से 300 फुट गहरे तक उतर गया है। अतः पीने के पानी की भी विकट समस्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस समस्या की उपेक्षा क्यों की है।

माननीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ ने भी इस सत्य की उपेक्षा की है। मेरे राज्य में 400 मंडलों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन क्षेत्रों के लोगों ने अपनी रोजी-रोटी के लिए पहले ही अन्य क्षेत्रों में जाना आरम्भ कर दिया है। चारे की कमी के कारण पशुओं को मारा जा रहा है। महबूबनगर, नलगोंडा और रायलसीमा क्षेत्र के कुछ जिलों में स्थिति काफी खराब है। मेरे राज्य की यह वास्तविक स्थिति है। यदि हम चाहते

हैं कि हमारी कृषि विकसित हो तो बड़े पैमाने पर भूमि सुधार होने चाहिए। सभी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। केवल तभी कृषि विकास सम्भव है। केवल तभी हमारे लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होगा। वर्तमान स्थिति में, गरीबी बढ़ती जा रही है। अधिक से अधिक कृषक गरीबी के जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ से यह पूछना चाहूंगा कि वास्तव में कितने कृषक समृद्ध हुए हैं ? सत्य यह है कि बड़े कृषक सीमान्त कृषक बन गए हैं और सीमान्त कृषक छोटे कृषक बन गए हैं और अंत में छोटे कृषक श्रमिकों में बदल रहे हैं। दिन-प्रतिदिन कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। क्या यह सत्य नहीं है ? क्या आप कभी इस बारे में सोचते हैं ? सभापति महोदय, इस वर्ष का बजट अमीरों के हक में है और गरीबों के विरोध में है। निगमित करों को कम किया गया है। सौंदर्य-प्रसाधनों पर करों में कमी की गयी है। किन्तु आम आदमी पर करों का बोझ कई गुना बढ़ गया है। इस बजट में डा० मनमोहन सिंह ने अमीरों का काफी पक्ष लिया है जो कि विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति पर उनका गुणगान किया जा रहा है। अति आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है। विलासितापूर्ण वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं जबकि अति आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। मेरे राज्य में मूल्य वृद्धि के विरूद्ध अनेक आन्दोलन हुए। श्री एन०टी० रामाराव के समय में जो चावल 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता था वही चावल 3 रुपये से 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। खाद्य तेल 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर भी उपलब्ध नहीं है। अति आवश्यक वस्तुएं, कपड़ा, खाद्य तेल जैसी वस्तुएं निर्धन की पहुंच से बाहर हैं। यही कारण है कि गरीबी बढ़ रही है। इसीलिए सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वे अपनी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन करें ताकि गरीबी दूर की जा सके और अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा की जा सके, साम्राज्यवादी ताकतों का मुकाबला करने के लिए देशवासियों को एकजुट करके तैयर किया जा सके, कश्मीरियों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान की जा सके, जनता के विकास के लिये और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए अधिकाधिक योजनाओं को लागू किया जा सके, भूमिसुधार किये जा सकें, तथा निर्धन भूमिहीनों को भूमि प्रदान की जा सके। मैं पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० आर० मल्लू (नगर कुरनूल) : आदरणीय सभापति महोदय, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 21 फरवरी, 1994 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिये गये अभिभाषण पर माननीय श्री शिवचरण माथुर द्वारा प्रस्तुत किए गए और प्रो० थामस द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इस सरकार की गत वर्ष की नीतियों तथा कार्यक्रमों में प्राप्त की गई सफलता तथा आगामी वर्ष के लिए बनाई गई योजनाओं की संक्षिप्त समीक्षा का सही प्रतिबिम्ब है। कुछ माननीय सदस्यों ने, इन मुद्दों पर बोलते हुए यह कहा है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं इस कथन से पूर्णतया असहमत हूं क्योंकि सत्ता प्राप्त किसी भी लोकतान्त्रिक सरकार के लिये यह बहुत ही आवश्यक होता है कि पिछले वर्ष में अपने कार्यों की समीक्षा करें तथा चालू वर्ष में आगे बढ़ने के लिये योजनाएं बनाये जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा कमजोर वर्गों के विकास के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

हमारे राष्ट्रपति ने अति स्पष्ट रुप से बताया है कि देश के तमाम क्षेत्रों में, विशेषकर कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर उत्पादन, खाद्यानों की खरीद और भण्डारण को लेकर, विदेशी मुद्रा के भण्डार तथा मुद्रा स्फीति की दर के मामले में, जोकि दो संख्या से घटकर एक संख्या पर आ गयी है, सुस्थिर प्रगति हुई है। यह सभी बातें इस बात का प्रमाण हैं कि यह सरकार भारत के लोगों में तथा विदेशों में विश्वास पैदा करने में सफल रही है।

किसी भी लोकतान्त्रिक सरकार के लिये लोगों का सरकार में विश्वास होना और सरकार का लोगों में विश्वास होना सरकार के सुचारू रुप से कार्य करने तथा इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की बेहतर प्राप्ति के संबंध में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। यह सरकार इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने, यानि भारत के लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा करने में सफल हुई है।

लोगों के लिये अच्छे परिणाम लाने के लिये किसी भी सरकार के लिए राजनैतिक स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। श्री पी०वी० नरसिंह राव की सरकार, जिसे अल्पमत सरकार कहा जाता था, ने इसमें सफलता प्राप्त की है। अधिकतर विपक्षी सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित क्यों न हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, जनता दल, सी०पी०आई० अथवा सी०पी०आई० (एम) से हों, हमेशा यही मजाक करते रहे हैं कि यह सरकार एक अल्पमत सरकार है और यह सरकार पांच वर्ष पूरे नहीं कर पायेगी। अति दुर्भाग्यवश उनकी अपनी ही उपेक्षा के कारण अधिकतर दलों को - मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा - नकारात्मक परिणाम मिले हैं और उनकी सदस्य संख्या में भी कमी आयी है क्योंकि उनके सदस्य इधर आ गये हैं और जिससे अब यह सरकार बहुमत वाली सरकार बन गई है। श्री पी०वी० नरसिंहा राव अथवा इस सरकार के कारण यह सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं बनी है; यह केवल अपने सतत् परिणामों के कारण ही ऐसी बन सकी है। विपक्षी दलों ने बहुत से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक अविश्वास प्रस्ताव के बाद इन दलों में से लोग बाहर आ गये और कांग्रेस पार्टी में आ मिले। ऐसा आन्ध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी से शुरु हुआ, और जनता दल में भी ऐसा हुआ और प्रत्येक अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्षी दल को ही नुकसान हुआ और सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचा। ऐसा श्री पी०वी० नरसिंह राव के प्रभावशाली नेतृत्व के अन्तर्गत बनी सरकार द्वारा लोगों में विश्वास पैदा करने के कारण हुआ है। यही कारण है कि अधिकतर संसद सदस्य यह जानने लगे हैं कि यदि वे लोगों के पास अपने पक्ष में मत मांगने के लिये जाते हैं, तो उन्हें उस राजनैतिक दल से, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नहीं चुना जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये। यह वास्तविकता है जोकि इस सभा में घटित हुई है। अतः मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करता हूं कि बार-बार अविश्वास प्रस्ताव की बात न करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपने दलों के सदस्यों को न खोयें।

महोदय, लोकतान्त्रिक प्रणाली में किसी भी सरकार के लिए केवल सरकार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करने से और सरकार की विश्वसनीयता से ही अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव की विश्वसनीयता काफी अधिक है। उस दिन विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने बोलते हुए उस महान व्यक्ति, श्री हर्षद मेहता के सूटकेस के मामले का हवाला दिया था जिसके

बारे में इस देश में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि बैंकिंग प्रणाली में सबसे बड़े घोटाले के लिये वह व्यक्ति जिम्मेदार है। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने उसे महान व्यक्ति बनाया है।

डा० आर० मल्लू : बी०जे०पी० के मेरे साथियों ने यह सोचा कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में चुनाव जीतने का यह सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन दुर्भाग्यवश चुनावों के मध्य उन्होंने यह महसूस किया कि यह एक ऐसा विषय है जोकि उनके लिए नकारात्मक परिणाम लायेगा, इसलिए उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया और इसे बीच में ही छोड़ दिया। अधिकतर लोगों ने यह महसूस किया कि यह सूटकेस का मुद्दा हर्षद मेहता के माध्यम से केवल इसलिए पैदा किया गया था कि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और इस सरकार को इस बात को स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि क्या घटित हुआ है। प्रैस तथा अन्य माध्यमों के जरिए यह स्पष्ट किया गया था कि यह घटना घटी ही नहीं है। इसके बाद भी, अतिदुर्भाग्यवश कुछ विपक्षी सदस्य सूटकेस की घटना का जिक्र कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री के पद का और बल्कि किसी व्यक्ति का निरादर है। पांच राज्यों की विधानसभाओं के हाल ही के चुनाव परिणामों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब विपक्ष के लिए किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने की गुंजाइश ही नहीं रही। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणामों ने उनकी दुर्दशा का परिचय दिया है। अब अधिकतर लोग कांग्रेस दल की ओर आ रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर और अधिक विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहता। अत: वर्तमान सरकार की अब इतनी अधिक विश्वसनीयता बन गई है कि अब हम अल्पमत औपचारिकताओं को पूरा किये बिना भी, जोकि किसी देश को पूरी करनी होती हैं, आई०एम०एफ० अथवा विश्व बैंक से तथाकथित ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

एक साधारण उदाहरण यह है कि हमारे आने से पूर्व जो सरकार शासन कर रही थी, उसने विदेशों में ऋण लेने के लिये 27 टन सोना गिरवी रख दिया था। वर्तमान सरकार की इतनी विश्वसनीयता हो गई है कि उसने न केवल विदेशों से गिरवी रखे गए सोने को वापिस छुड़ाया है बल्कि बिना किसी प्रतिभूति के ऋण प्राप्त किया है। अब बहुत से लोग ऋण देने के मामले में आगे आ रहे हैं जोकि हमें अपने देश के विकास के लिए चाहिए। यह सरकार इस तरह की विश्वसनीयता प्राप्त किये हुए है। यदि आप विदेशी मामलों के क्षेत्र को देखें, आज भारत को पहले की बजाए अधिक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। और चाहे हम कहीं भी जायें, हम सभी देशों को, विशेषकर विकासशील देशों की बेहतरी के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। अत: हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव ने इस सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता प्रदान की है। हमारी सरकार की विश्वसनीयता इतनी अधिक है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति में सूक्ष्म से स्थूल स्तर तक सुधार हुआ है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब समस्या का बड़े नाटकीय ढंग से समाधान ढूंढा गया है जिसके लिये केन्द्र सरकार को किसी बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा बल्कि पंजाब की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के द्वारा इसका समाधान ढूंढा गया है। अब महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब राज्य की हालत किसी अन्य राज्य जैसी है। पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया सामान्य हो गयी है और कृषि क्षेत्र में भी पंजाब में अच्छा कार्य होने लगा है और राज्य में अब औद्योगिक विकास भी हो रहा है। बहुत से विपक्षी सदस्यों ने पंजाब में चुनाव प्रक्रिया का विरोध

किया था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पंजाब में चुनाव आयोजित कराने का निर्णय लिया था जबकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि वहां पर कांग्रेस अथवा कोई अन्य सरकार सत्ता में आयेगी। भाग्यवश पंजाब में कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी है और कानून और व्यवस्था की स्थिति हल हो गई है। अब खालिस्तान समस्या भी पूरी तरह से हल हो गई है।

पहले, जब हम असम राज्य में गये थे, हमने वहां पर उल्फा उग्रवादियों तथा अन्य उग्रवादियों द्वारा अपहरण की कई घटनाओं को देखा। आज यह समस्या पूरी तरह से हल हो गयी है और उन्हीं लोगों की सरकार ने इस समस्या का हल ढूंढा है जिसके लिये केन्द्र सरकार की ओर से किसी बल का प्रयोग नहीं किया गया।

मैं केवल इन्हीं दो उदाहरणों को रखना चाहता था जिनके द्वारा मैं दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्यों को बताना चाहता था कि वे इस बात को महसूस करें कि इस ओर बैठी सरकार की अवधारणा क्या है। यह सरकार अलोकतान्त्रिक ढंग से, लोगों की भावनाओं की परवाह किये बिना, शक्ति का प्रयोग करने में रूचि नहीं रखती। सरकार आवश्यकता तथा लोगों की भावनाओं के अनुरुप ही कार्य कर रही है। यही कारण है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो पायी है।

[अनुवाद]

महोदय, आप जानते हैं कि पहले जम्मू और कश्मीर में विधि और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी। अभी भी यह इतनी अच्छी नहीं है परन्तु निश्चित तौर पर वहां विधि और वयवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। जब भी लोग जम्मू-कश्मीर की चर्चा करते हैं, वे केवल विधि और व्यवस्था की स्थिति की बात करते हैं, जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को नहीं देखते। जब आप जम्मू-कश्मीर की चर्चा करते हैं तो आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जम्मू-कश्मीर तथा अन्य दूसरे देशों के आपस में क्या सम्बन्ध हैं, जम्मू-कश्मीर तथा भारत सरकार का आपस में क्या संबंध है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक महान ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। विशेषकर हमारे भा०जा०पा० के मित्र इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की परवाह किए बगैर, जम्मू कश्मीर तथा भारत सरकार के बीच क्या संबंध है, जम्मू-कश्मीर तथा पाकिस्तान के बीच क्या सम्बन्ध है, जम्मू-कश्मीर तथा दूसरे देशों के बीच क्या संबंध है, इस जाने बगैर बार-बार स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू-कश्मीर एक अति महत्वपूर्ण स्थान है तथा अमरीका जैसे अनेक देश इस क्षेत्र में आकर कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए वे पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं, जहां से वह हमारे लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सौभाग्यवश, जम्मू-कश्मीर संबंधी प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय गृह मंत्री महोदय ने यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी कि इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में हमारी सरकार का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। मुझे आशा है कि अगर जम्मू और कश्मीर की स्थिति और भी खराब हो जाती है, तो भी भविष्य में जम्मू और कश्मीर की समस्या को सुलझाने का साहस और निष्ठा हममें है। हम यह देख रहे हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोई भी देश पाकिस्तान की सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है तथा इस प्रक्रिया में हमारी सरकारी भी जम्मू और कश्मीर

तथा देश के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च स्तर पर प्रयास कर रही है।

हज़रत बल मुद्दे के सम्बन्ध में स्थिति यह थी कि उस समय यू०पी० में चुनाव थे, बहुत से लोगों ने अन्दर तथा बाहर से तथा अनेक मुस्लिम देशों ने सरकार पर दबाव डाला। परन्तु सरकार चट्टान की तरह अडिग रही तथा इस सरकार का धर्मनिरपेक्ष स्वरुप बनाये रखा और बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए, हज़रत बल समस्या को सौहार्दपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया। यह महान उदाहरणों में से एक है जिसे हम अपने देश के लोगों के सामने ही नहीं अपितु अन्य देशों के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इलैक्ट्रानिकी संचार माध्यमों विशेषतया टेलीविजन तथा रेडियो ने यही मत प्रकट किया।

इस प्रकार जहां तक हज़रत बल मुद्दे का प्रश्न है, हमने देखा है कि इसे शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। परन्तु अयोध्या मुद्दे के बारे में क्या हुआ ? लगा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1993 के दौरान यह एक बहुत ही संवेदनशील तथा उद्वेलित करने वाला मुद्दा रहा। इसके कारण 1993 के दौरान सरकार काफी दबाव में रही। इसीलिए वर्ष 1993 के दौरान हमारी शुरुआत काफी खराब रही परन्तु अन्ततः हमें आशापूर्ण अहसास हुआ कि हम अयोध्या मुद्दे पर ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर लोगों ने, विशेषतया भा०जा०पा० के लोगों ने यह सोचा कि वे यू०पी० तथा अन्य राज्यों में अयोध्या के नाम पर पुनः सत्ता में आ जायेंगे।

भारत के लोग यद्यपि बहुत अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं और धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी इतनी आसक्ति नहीं है, फिर भी इस राष्ट्र को उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट रुप से दिखा दिया है कि यह देश आज ही नहीं भविष्य में भी केवल धर्मनिरपेक्षता तथा केवल धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है और रहेगा। इस देश के अधिकतर लोगों को यह अहसास हो गया है कि निःसन्देह इस देश में राजनीति के क्षेत्र में स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

हाल ही में सम्पन्न विधान सभा चुनावों के पश्चात् जाति पर आधारित राजनीति के प्रति झुकाव का नया चलन उभरकर सामने आया है। कुछ लोग जाति के आधार पर सत्ता में आ सकते हैं। वे समझ रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी वे ऐसा कर सकते हैं और वे इसी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के लोग ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोक कर, जोकि सत्ता पाने के लिए धर्म के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को बचाने के लिए ही महान नहीं हैं बल्कि वे उन लोगों को भी सत्ता में आने से रोकेंगे जो जाति के नाम पर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे देश में आने वाले समय में न तो धर्म और न ही जाति राजनीति के क्षेत्र में कोई उपलब्धि दिला पायेगी तथा राजनीति में केवल सिद्धांत ही विजय दिला सकते हैं। महोदय, केवल सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इस देश को स्वतंत्रता दिलवायी वे केवल इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर देश के नेता बने जोकि कुल मिलाकर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ वे पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से देश पर शासन कर रहे हैं। कभी-कभी थोड़े-थोड़े समय के लिए कुछ लोग जनता को गुमराह करके तथा लोगों की भावनाओं को भड़का कर सत्ता में आये हैं, परन्तु वे पहली बार दो वर्ष से अधिक शासन नहीं कर पाये, दूसरी बार केवल 11 महीने शासन कर पाये तथा तीसरी बार केवल चार महीने। इसलिए, मुझे सदन

के समक्ष यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री पी०वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में एक बार फिर भारत के लोगों के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि यह बिना किसी स्वार्थ से लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं विशेषकर उन लोगों को जो भारत के लिए ही नहीं, भारत के बाहर भी इन मुद्दों का गलत फायदा उठा रहे हैं।

महोदय, जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, 1991 के चुनावों के पश्चात् जब यह सरकार सत्ता में आई थी, उस समय मुद्रा स्फीति की दर 17 प्रतिशत थी और आज यह घट कर एक अंक तक पहुंच गई है। श्री पी०वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में जब यह सरकार वर्ष 1991 में नेतृत्व में आई उस समय विदेशी मुद्रा भण्डार बहुत कम था तथा देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही के बजट में दिए आंकड़ों में वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट रुप से कहा है कि विदेशी मुद्रा भण्डार में काफी वृद्धि हुई है।

महोदय, देश में नई आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों के आरम्भ होने के समय, विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्यों ने इनकी सराहना करनी शुरु कर दी थी।

सूटकेस के मामले के सम्बन्ध में मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट की है। यह नारा अब खत्म हो चुका है जिसमें अब कोई दम नहीं है तथा अगर वे इस मामले को पुनः उठायेंगे तो उन्हें इसके नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार, इन नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के कारण ही देश के तथा अन्य देशों के अनेक निवेशकों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में विद्युत तथा संचार क्षेत्र में कई परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। मैं यह कह सकता हूं कि विभिनन क्षेत्रों में कई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, परंतु समय सीमित है। हमारे मित्रों को निःसंदेह अब यह अहसास हो गया है कि यह जीवन की वास्तविकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कुछ लोगों ने यह कहा है कि श्री पी०वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में यह सरकार नेहरू-इन्दिरा गांधी राजीवजी की विचारधारा के अनुसार कार्य करने से हट रही है। विपक्ष के सदस्यों के इस वक्तव्य से मैं पूरी तरह असहमत हूं। केवल भारत के लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तन करती है। कांग्रेस पार्टी ने ही देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और इसे प्राप्त किया। बाद में पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाएं आरम्भ कीं और विकास कार्य करवाये। बाद में इन्दिरा जी ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये। यद्यपि सी०पी०आई० तथा सी०पी०आई० (एम) का यह नारा है - कृषक के लिए भूमि तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण - जिसका वह एक लम्बे समय से प्रचार करते आ रहे हैं, इन्दिरा गांधी जी के सत्ता में आने के पश्चात् उन्होंने यह महसूस किया कि लोग ऐसी स्थिति में हैं कि वे उस भूमि की मांग कर सकते हैं जिसे वे वर्षों से जोत रहे हैं क्योंकि उस भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं था। इसलिए कृषक संबंधी कानून के लिए उन्होंने भूमि खरीदी। इसी प्रकार वे भूमि हदबंदी अधिनियम ले कर आईं। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने रजवाड़ों की जागीरें बंद कर दीं। ऐसा नहीं था कि वे उस समय नेहरू विचारधारा से हट गईं थीं। उन्होंने ये सब लोगों की तात्कालिक भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार किया। कांग्रेस पार्टी सदैव लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करेगी। विशेष रुप से भूतपूर्व सोवियत रूस और अन्य साम्यवादी देशों में हो रहे भारी परिवर्तनों को मद्दे नज़र रखते हुए ही, हमारे

प्रधान मंत्री महोदय ने भी नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियां शुरु की हैं। इस देश ने औद्योगिक उन्नति के लिए नई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति की प्रणाली की शुरुआत की है और निश्चित रुप से इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। यह देश जिस किसी भी व्यवस्था को अपना ले, हमारे योग्य नौकरशाह उसे बखूबी निभाते हैं। वे इस बात का निश्चित रुप से ध्यान रखेंगे कि यह विशेष प्रणाली देश के संपूर्ण हित और विकास के लिए फायदेमंद हो। भारत की राजनीति और कार्यकारी व्यवस्था में अच्छा समन्वय है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी देश के लिए इस प्रणाली के अच्छे परिणाम होंगे।

हालांकि नई आर्थिक प्रणाली लाई गई है, फिर भी प्रधानमंत्री महोदय और सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता दी है। उन्होंने देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1700 ऐसे केन्द्रों का पता लगाया है, जहां निर्धन लोगों की क्रय क्षमता काफी कम है। यह उन राज्यों में पहले से विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रों के अलावा हैं। इससे निर्धन लोगों विशेष रुप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ मिलेगा। यह निर्धन लोगों के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने उर्वरकों के लिए भी लगभग 400 से 500 करोड़ रुपये की राजसहायता की व्यवस्था की है क्योंकि सरकार का यह मानना है कि यह कृषकों के फायदे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अब हम समाज के दलित वर्गों पर आते हैं। उनमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े हुए वर्ग, अल्पसंख्यक तथा बच्चे आते हैं। उनके अधिकतम कल्याण के लिए यह सरकार ईमानदारी से उनका ध्यान रख रही है। उनका सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी विचार था। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहली बार प्रधानमंत्री महोदय ने 200 करोड़ रुपये से पिछड़ा वर्ग वित्त निगम तथा 500 करोड़ रुपये से अल्पसंख्यक निगम की भी शुरुआत की है।

हमारा देश गांवों का देश है। हमारे 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इसी वजह से, हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए 7,500 करोड़ रुपये के मुकाबले आठवीं पंचवर्षीय योजना में 30,000 करोड़ रुपये आबंटित किय हैं। यह ग्रामीण वासियों के कल्याण के लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय पंचायती राज अधिनियम है जो श्री राजीव गांधी का विचार था और जब वह प्रधानमंत्री थे तो इस विधेयक को लाने की सोचा करते थे। दुर्भाग्य से विपक्ष के कुछ सदस्य इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सके। इसी कारण से यह विधेयक पारित नहीं किया जा सका। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव उसी भावना से इस विधेयक को संसद में लाये और इसे पारित कराया। मेरे विचार में, ग्रामवासियों के लिए यह दूसरी बात स्वतंत्रता मिली है क्योंकि पंचायती राज प्रणाली की स्थापना से निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना होगी। मैं उन सभी विपक्षी दलों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अब इस विधेयक का समर्थन किया है। **(व्यवधान)**

4.00 म०प०

मैं उन विपक्षी सदस्यों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने श्री राजीव गांधी को सहयोग नहीं दिया था। अब मैं उन विपक्षी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सहयोग दिया है और मेरे विचार में यह मदतान के योग्य

विधेयकों में सबसे अच्छा विधेयक हैं। मुझे किसी अन्य विधेयक पर मतदान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे वास्तव में ग्राम स्तर पर लोगों के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था होती है। (व्यवधान)

जहां तक पंचायती राज विधेयक का सम्बन्ध है, हर पांच वर्षों के पश्चात् चुनाव करवाने की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इससे जनसंख्या के उस 50 प्रतिशत भाग को काफी महत्व मिल जाता है जिनकी हमेशा से उपेक्षा होती रही है।

अब मैं अपने राज्य की बात करूंगा। आंध्र प्रदेश में मुख्य मंत्री श्री विजय भास्कर रेड्डी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में अच्छी उन्नति हो रही है। वह पुलिस द्वारा ही नहीं बल्कि वहां सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम लागू करवाकर नक्सलवादियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सके। श्री भास्कर रेड्डी ने ही आंध्र प्रदेश में नशाबंदी को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मेरे विचार में यह प्रत्येक राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वह नशाबंदी को लागू करे और मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नशाबन्दी के कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों, कामगार वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में अच्छे परिणाम आने शुरु हो गये हैं। इस नशाबंदी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री विजय भास्कर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बनाये गये सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को तेजी से लागू करने के लिए भी सचिवालय स्तर पर एक अलग विभाग की स्थापना की है। **(व्यवधान)**

उस दिन तेलुगु देशम की ओर से बोलते हुए डा० वेंकटेश्वर राव ने प्रधानमंत्री महोदय के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश को कोई परियोजना नहीं दी है तथा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अपने छः दौरों पर 6 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह गलत वक्तव्य है। प्रधान मंत्री बनने के पश्चात् प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव ने नंदयाल, जो उनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, के छह दौरे किए हैं। मूल रुप से श्री पी०वी० नरसिंह राव नंदयाल से संसद सदस्य हैं उसके बाद प्रधानमंत्री। इसी वजह से वह नंदयाल की यात्रा करते हैं। जब कभी भी वे नंदयाल का दौरा करते हैं तो सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। इसकी लागत छह करोड़ रुपये है। उसे इस सभा में अनावश्यक रुप से किसी और रुप में बताया जाता है।

मैं आपको सिर्फ इस बारे में बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय की पहल और उनके प्रयास से कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सिंचाई, ऊर्जा, संचार और शिक्षा क्षेत्रों की हजारों करोड़ रुपये की लागत की अनेक परियोजनाएं हैं। 913 करोड़ रुपये की हैदराबाद महानगर परियोजना स्वीकृत की गई है और जब हम परिवहन की बात करते हैं तो उसमें हैदराबाद लाइट रेल पारगमन परियोजना की लागत 717 करोड़ रुपये है।

सभापति महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

डा० आर० मल्लू : विदेशी सहायता से आंध्र प्रदेश की 88 करोड़ रुपये की लागत की झींगा मछली परियोजना स्वीकृत की गई है। तकनीकी विभाग की 80 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। काकीनाडा बन्दरगाह के लिए 151 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। सिंचाई के अन्तर्गत विभिन्न

स्थानों पर 669 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अन्य अनेक सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप काफी समय ले चुके हैं।

डा० आर० मल्लू : मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नगर कुरनूल है जो अत्यधिक पिछड़ा तथा दूर-दराज का क्षेत्र है तथा यहां नक्सलवादी गतिविधियां काफी सक्रिय हैं। अनेक लोग जीविका की तलाश में कुरनूल से विभिन्न जिलों और राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। आम तौर पर उन्हें पालागुर श्रमिक के रुप में जाना पड़ता है और उन्हें बहुत अधिक मेहनती मजदूर माना जाता है। मैं, केन्द्रीय सरकार से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्रमिकों के प्रवास पर रोक लगाने के लिए एक प्रमुख परियोजना स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

मैं रायचूर से मचेरला तक एक नई रेल लाइन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री महोदय तथा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। मैंने यह अनुरोध पहले भी किया था। मुझे आशा है कि कम से कम रेल बजट पर अपने उत्तर के दौरान मंत्री महोदय इस अनुरोध को अवश्य शामिल करेंगे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी संभव कार्यवाही कर रहे हैं। मैं बागवानी, जल संसाधन इत्यादि के विकास के लिए प्रधानमंत्री महोदय से प्रमुख परियोजनाओं पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं संसद में उनकी समस्याएं रखूं।

मैं केन्द्रीय सरकार से रायपुर से मरचेरला तक एक रेल लाइन की मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत वाली मोलाचिन्तालापल्ली अथवा फलाणकर्ति लिफ्ट इरिगेशन योजना को कृपया केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले।

एक बार पुन: मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : सभापति महोदय, 21 फरवरी को जो राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया, वह दिशा हीन तथा परिस्थितियों के प्रतिकूल है, इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

4.06 म०प०

(प्रो० रीटा वर्मा पीठासीन हुई)

राष्ट्रपति महोदय ने कश्मीर समस्या के बारे में चिंता व्यक्त की है और कहा है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हैं। यह बात सही है लेकिन देश की जनता कुछ सवालों का हमसे जवाब मांगती है। जनता जानना चाहती है कि हजरत बल दरगाह में आतंकवादियों और घुसपैठियों को किन परिस्थितियों में छोड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जनता जानना चाहती है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, भारत की छवि को विश्व में खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसके

खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात अभिभाषण में की जानी चाहिए थी, वह क्यों नहीं की गई। इसलिए देश की जनता निराश है। लाखों की संख्या में कश्मीर से लोग आ रहे हैं, जो अपने ही देश में विस्थापितों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कब तक कश्मीर की परिस्थितियां अनुकूल होंगी और इन लोगों को इनके घरों को वापिस भेजा जा सकेगा, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ? सरकार का कोई भी मंत्री और कांग्रेस का कोई सांसद इन लोगों की स्थिति को देखने के लिए इनके पास नहीं गया है और ये लोग कष्ट की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं।

सभापति महोदय, कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है। धारा 370 जब लागू की गई थी उस वक्त तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यह एक अस्थायी धारा है और जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस धारा को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, इसकी वजह से भी वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी तरह से डोडा जिले में भदरवार में सेना की छावनी बनाई जानी चाहिए। इन चीजों को करने से कश्मीर समस्या हल करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में डंकल प्रस्तावों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए भी देश की जनता चिंतित है, भयभीत है। डंकल प्रस्तावों को जनता गुलामी का दस्तावेज मानती है। देश के सभी वर्गों, संगठनों, पार्टियों और पत्रकारों ने इन प्रस्तावों का विरोध किया है। हमारी पार्टी डंकल प्रस्तावों के विरोध में अप्रैल में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें लाखों किसान और मजदूर भाग लेंगे। इन प्रस्तावों से देश का किसान चिंतित है। कृषि भारत का प्राचीनतम उद्योग है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन अभी तक कृषि का व्यावसायीकरण नहीं किया गया है। किसान अन्न पैदा करके देशवासियों का भरण-पोषण करता है, अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करता है, लेकिन डंकल प्रस्तावों द्वारा स्वतंत्र कृषि पर अंकुश लगाया जा रहा है और विकसित देशों ओर अपने हितों के अनुरुप कृषि में बदलाव लाकर देश को परावलंबी बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। इन प्रस्तावों के लागू होने से देश का किसान तबाह हो जाएगा। खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं के लिए हमको विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा, परंपरागत बीज समाप्त हो जाएंगे, किसान श्रमिक में तबदील हो जाएगा, उत्तम पशुधन पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा और हमको अनाज महंगे दामों पर दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। पेंड़ों पर भी हमारा हक समाप्त हो जाएगा और कृषि का समर्थन मूल्य विदेशों पर निर्भर होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव के लागू होने पर खाद, बीज ओर कीटनाशक दवाएं मंहगी हो जाएंगी और समर्थन मूल्य कम मिलेगा। इससे देश के लघु सीमान्त किसानों पर असर पड़ेगा और देश के करोड़ों किसान बेकार हो जाएंगे। देश के हित में डंकल प्रस्तावों को तुरन्त वापिस कर देना चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार देश के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों से पूरी तरह सजग है और कानून के अंदर अनुसूचित जातियों की रक्षा तथा उनके लिए बने सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, अनुसूचित जातियों के विकास की नयी-नयी योजनाएं बनती हैं लेकिन उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है। अनुसूचित जातियों पर घटनाएं कम होने की बजाए बढ़ी हैं। 1990 में 18575 और 1992 में 18925 हरिजन महिलाओं के साथ तथा अन्य अनुसूचित जातियों के

साथ घटनाएं हुई हैं। इसको रोकने के लिए तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे ये घटनाएं न हों। हरिजन उत्पीड़न के लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। उनको निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए जिससे उनका तुरंत निपटारा हो जाए। उत्तर प्रदेश में जबसे मुलायम सिंह जी की सरकार आई है तो तब से हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और उनमें से कुछ सत्ताधारी दल के विधायकों का शामिल होना पाया गया है। यह बड़ी शर्म की बात है। हमीरपुर के चरखारी इलाके के असतौन गांव की 18 वर्षीय भानुमती के साथ अत्याचार हुआ है और इसी तरह दोनाकांड की महिला शिवपतिया को निर्वस्त्र रुप से घुमाया गया तो ऐसी तमाम घटनाएं दिल को दहलाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें हरिजन महिला के साथ अत्याचार न हुआ हो। इन घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को कदम उठाने चाहिए अन्यथा मुलायम सिंह जी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रदेश में पुलिस निर्दोष लोगों को सता रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में हरिजन और अन्य बिरादरी के लोगों को नाजायज तंग करके जेल में ठूंस दिया गया है। इन घटनाओं को रोका जाना चाहिए क्योंकि ये सरकार के इशारे पर हो रही हैं। जो सरकारी अधिकारी अभी मुलायम सिंह जी के शासन में आए हैं तो वे जात-पात को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को दबाने की कोशिश हो रही है। देश के विकास में औद्योगिक इकाइयों का बहुत योगदान है और जिस तरह की मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हैं उससे तो औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इन आर्थिक नीतियों की वजह से लाखों लोग बेकार हो जाएंगे। अब तक 2 लाख 47 हजार औद्योगिक इकाइयां सिक हो गई हैं। 456 इकाइयां बी०आई०एफ०आर० के अंतर्गत हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 34 हजार से ज्यादा इकाइयां रूग्ण पड़ी हैं। यदि यही आर्थिक नीति चलती रही तो उद्योग ठप्प हो जायेगा और देश का विकास रूक जायेगा। आपको इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए कि जो इकाइयां बन्द पड़ी हैं उनको पुनः चालू किया जा सके। मालिक लोग भी इकाइयां बन्द कर देते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में मोदी की कई इकाइयां बन्द पड़ी हुई हैं, जैसे मोदी स्टील है। मोदी नगर में हजारों की संख्या में मजदूर बेकार हो गये हैं। सरकार को इन इकाइयों को चलवाने के लिए मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बुनकरों की समस्या के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। उनकी समस्या गम्भीर है। लाखों बुनकर आजकल बेरोजगार पड़े हुए हैं। सरकार की उदासीनता के कारण 90 प्रतिशत हथकरघा बन्द पड़े हुए हैं। अभी फरवरी माह में अखिल भारतीय बुनकर महासंघ ने एक प्रदर्शन भी किया था। आज से छः महीने पहले उनका जो करोड़ों रुपये का माल खरीदा गया था उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। चार महीने से उनका बनाया हुआ माल पड़ा हुआ है, उसको खरीदा नहीं गया है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जहां जूट और सूत की कीमतें बढ़ गई हैं, उनको कम किया जाए और उनका जो करोड़ों रुपया 'यूपिका' और हथकरघा निगम पर बकाया है वह दिलाया जाये। एक ऐसे बाजार की व्यवस्था की जाए जहां उनका माल आसानी से बिक सके।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है यह परम्परागत

और तदर्थ भाषण है। इस अभिभाषण पर हमारे देश की जो भीतरी चुनौतियां हैं और देश की एकता और अखण्डता तथा दुनिया में हमारी क्या जगह होगी, इन बातों पर थोड़ा-थोड़ा बोलने का काम किया गया है। जैसे हर साल होता है, हर चीज पर कुछ न कुछ कहा जाये और कहने का नतीजा निकले या नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इस बार भी कहा गया है। आज देश और दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो आम आदमी के सामने चुनौतियां हैं उनकी बाबत हर राष्ट्र को अपने दिमाग को बहुत साफ रखना चाहिए। तात्कालिक तौर पर और दीर्घकालिक तौर पर उसी के संदर्भ में नीतियां बनानी चाहिएं। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, मैं इस अभिभाषण को पूरे तौर पर, जिस दिन यह पढ़ा जा रहा था, सुन रहा था। सारे अभिभाषण में हिन्दुस्तान की जनता के सामने आजादी के पहले ही नहीं, बाद में भी जो संकट और चुनौतियां हैं उनकी बाबत विचार करने का काम किया है या नहीं, मैं देखना चाहता था कि अभिभाषण के लिखने से और हिन्दुस्तान के आम आदमी की शक्ल देखने से, उनकी समस्या को देखने मे ही सार्थक बहस बनती है। वह तो तब बनती है हम जब इस सदन में बोल रहे हैं, इस सदन में जो सरकार बनी हुई है, उस सरकार के काम के नतीजों का हिन्दुस्तान के लोगों पर क्या असर पड़ेगा ? महात्मा गांधी कहा करते थे कि आजादी के बाद सरकारें आयेंगी, वह चाहे दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, या पटना में हो बड़े जोरदार शब्दों में कहेगी कि गरीबी हट गयी, समता आ गयी, समाजवाद आ गया और किसान-मजदूर की सारी समस्याओं का समाधान हो गया लेकिन आने वाली सरकारों की परख के लिए उन्होंने एक पैमाना दिया कि इसको लगाने से अच्छे और बुरे की पहचान हो जायेगी और वह है हिन्दुस्तान का मजदूर। आजादी के समय उसकी आबादी 37 प्रतिशत थी और वह हमें हर एक मील के बाद मिल जायेगा और जिसको देखकर सोच लेना कि यदि उसकी जिन्दगी, उसके कपड़े, और उसके खाने-पीने में फर्क नहीं आया तो समझ लेना कि दिल्ली या भोपाल या लखनऊ में बैठी सरकार असत्य बोल रही है और तब कसम खा लेना कि सरकार के विरूद्ध एक संकल्प करके संग्राम करना है। वही बात हम लोगों को दिखाई दे रही है।

सभापति महोदय, मैं मोटे तौर पर कुछ बातें यहां रखना चाहता हूं। दुनिया में आज जितने भी निरक्षर हैं, उनमें से अकेले हिन्दुस्तान में 43 प्रतिशत हैं। दुनिया में जितने बेरोजगार हैं, उनमें से हमारे देश में 41 प्रतिशत हैं। अन्धे बच्चों का जहां तक प्रश्न है, वह भी भारत पहले नम्बर पर है। गरीबी रेखा से नीचे, आधा पेट या एक वक्त का जिनको खाना मिलता है, उनमें भी हिन्दुस्तान पहले नम्बर पर है और यहां विश्व के कुल लोगों में से 27 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार विकलांग बच्चे, कोढ़ी बच्चों की संख्या भी दुनिया के कुल बच्चों में से 53 प्रतिशत है। जो सरकार की तरफ से अभिभाषण दिया गया और राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, इससे सरकार की नीतियों की झलक मिलती है लेकिन आज हिन्दुस्तान की स्थिति क्या है, यह इस बात से जाहिर हो जाती है जिसका मैंने जिक्र किया है। भीख मांगने का तो जैसे हिन्दुस्तान को ट्रेड मार्क मिला हुआ है। भीख का कटोरा लेकर तो आप दुनिया में भी कहीं चले जाईये। हालांकि आप दिल से नहीं मांगते हैं फिर भी आज हमारी यह स्थिति है और जिसकी जिम्मेदार यह बनी हुई सरकार है जिसके आने पर 2 लाख लोग, जो कामों में लगे हुए थे, आपने बाहर निकाल दिये हैं। खाद के कारखानों में तालाबंदी हो रही है, कागज़ के कारखाने बंद हो रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खतरे में हैं। इस अभिभाषण के बाद आपका बजट भी आ गया और उसको मिला कर आप देखें तो चारों तरफ तालाबंदी है। एन०टी०सी० में एक लाख सैंतीस हजार मजदूर हैं, उनके ऊपर आपने एक करोड़ रुपया रखा। ऐग्रो

बेस्ड इंडस्ट्रीज पर, पैस्टिसाइडज़ पर आपने ड्यूटी लगा दी। आपने इनडिजिनस ऐग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीज़ में कागज़ पर 10 प्रतिशत एक्साइज़ लगा दी। आपने उन उत्पादों से कारखानों में जो चीज़ें बनती हैं, जो डिब्बे बनते हैं उन पर भी 10 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी। बाहर के लोगों को आपने पूरी तरह छूट दे दी। हमारे यहां भूख की, गरीबी की और बेरोज़गारी की हालत यह है कि दुनिया में हमारा सिर सबसे अधिक शर्म से झुकता है।

गरीबी की समस्या के बारे में आपने जो तदर्थ इंतजाम किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। आप कितने गांवों में टेलीफोन ले जाएंगे ? इस देश को सुधारना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो 70 प्रतिशत किसान खेत पर आश्रित हैं उनको पानी उपलब्ध कराया जाए। उनको न सड़क की आवश्यकता है और न बिजली की आवश्यकता है, उनकी मूल आवश्यकता पानी है। हमारे देश के कवियों ने सबसे अधिक कविताएं बादल पर लिखी हैं, मौसम पर लिखी हैं। हमारे देश में पानी के सिंचित इलाकों को बढ़ाने के बारे में आपके अभिभाषण में क्या संकल्प किया गया है ? इस अभिभाषण में हिन्दुस्तान की जो बेकारी है, गरीबी है, भूख है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में करीब 45 जज हैं और उनमें हिन्दुस्तान की 43 प्रतिशत आबादी के सिर्फ तीन जज हैं। पूरे हाई कोर्ट में कितने जज हैं ? नौकरियों में कितने लोग हैं? मंडल कमीशन लागू होने से पहले पिछड़ी जातियों के लोगों की आबादी कितनी थी ? सामाजिक संदर्भ में भी आपने बोलने का काम किया है। आपने हिन्दुस्तान की आधी आबादी 52 प्रतिशत लोगों के लिए क्या रखा ? आपने पिछड़ी जातियों के विकास के लिए एक बोर्ड बनाया। उसमें 80 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं और उसको थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया है। हिन्दुस्तान में जो गरीबी है, भूख है, इसके बारे में आपने कोई इलाज उसमें नहीं किया है, कोई संकल्प नहीं किया है।

हिन्दुस्तान के भीतर जो दूसरी बड़ी समस्या है उसके बारे में कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे कि जात-पात नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अरे मंत्री जी तो सो रहे है।

श्री शरद यादव : अरे पूरी सरकार ही सो रही है, वह सो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। उनको सोने ही दीजिए।...**(व्यवधान)**... मंत्री जी, लोग कह रहे हैं कि आप सो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सोने दीजिए। वह सोते हुए भी सब सुन रहे हैं।

एक ज्वलंत समस्या यह है कि जात-पात बहुत बढ़ गया है। यह जाति व्यवस्था इस सदन में आने वाले लोगों ने नहीं बनायी है। यह कितने वर्ष पुरानी है इसका अंदाजा हममें से कोई भी नहीं लगा पाएगा। कोई दो हजार साल पुरानी बताता है और कई तीन हजार साल पुरानी बताता है। मैं सदन में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि जाति व्यवस्था एक हकीकत है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस देश का ढोंगपन यह है कि वह यह मानने को तैयार नहीं है कि जाति व्यवस्था एक हकीकत है और इसे पहचान कर कोई न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज गरीब लोग जाग रहे हैं। आप कहते हैं कि मंडल कमीशन हमने बैठाया। हम कह रहे हैं कि अच्छा बैठाया, आप कह रहे हैं कि गलत बैठाया। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। जाति व्यवस्था के बारे में आपने मंडल कमीशन के 27 प्रतिशत आरक्षण का जिक्र किया कि हमने उसे लागू कर दिया। आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान के अंतर्गत है वह हमारी मजबूरी है। उस विचार के बाहर

हम जा नहीं सकते हैं। जाति व्यवस्था लोक तंत्र है। बगैर लोकतंत्र के यह टूट नहीं सकती है। जाति व्यवस्था एक रोग है। यह पूरा सदन मानता है, तो जाति-नीति के बारे में, सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई इशारा है ? जाति व्यवस्था के चलते हम दुनियां में सबसे गरीब, सबसे भूखे, दुनियां में लम्बे समय तक गुलामी भुगती, हमलावरों की मार खाई, चीन से पिटे। हिन्दुस्तान की गरीबी और भूख पर यदि बहस की जाए, तो यह बात स्पष्ट होगी कि यह सब इस जाति व्यवस्था से निकलती है।

जाति व्यवस्था की एक ही परिभाषा है - जो जबान चलाएगा और जो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वह ऊंचा कहलाएगा और जो पूरी उम्र काम करेगा, वह शुद्र कहलाएगा। यदि इसे तोड़ना है, तो एक नयी जाति-नीति बनानी पड़ेगी। यह आरक्षण कब तक चलेगा। जब देश में एक कंसेशस बन जाती है, जब सभी कह रहे हैं कि जाति-पाति नहीं होनी चाहिए, तो इसको तोड़ने के लिए कोई नीति बननी चाहिए। हिन्दुस्तान में जो 10 फीसदी लोग हैं उनके पास 90 फीसदी दौलत कैद है।

महोदया, आप यहां माइक के सामने बैठी हुई हैं, यह भी दूसरे की प्रतिभा से है, जो चश्मा आपने पहन रखा है, जो यह बिजली जल रही है, जो कैमरे पर हमारी फोटो ली जा रही है और टी०वी० पर दिखाई जा रही है, यह सब खोज हमारी नहीं है, दूसरों की प्रतिभा का परिणाम है। हमारी प्रतिभा का तो किस्से-कहानियों में पढ़ने को मिलता है कि एक धृतराष्ट्र था जिसको अपनी आंखों से काफी दूर बैठे-बैठे कुरूक्षेत्र के युद्ध का हाल उस समय के एक व्यक्ति ने सुनाया। हमने न्यूमेरीकल की और कोई खोज नहीं की।

महोदया, हिन्दुस्तान की यह संसद कभी कोई बहस करेगी या नहीं करेगी, पता नहीं, लेकिन यह मैं कहता हूं कि जब जनता दल को इस जाति व्यवस्था के खात्मे का कोई ठीक रास्ता निकलता दिखाई दे जाएगा, तो हम अपने आप इसको छोड़कर चले जाएंगे। तब मुल्क इस तबाही और गैर-इंसानियत के दौर से गुजर जाएगा। आज जब गरीबी का, भूख का सवाल आएगा, तो हमें जलील होना पड़ता है क्योंकि भारत में दुनियां के सबसे गरीब और भूखे बसते हैं और आप 80 करोड़ रुपए देकर सोचते हैं कि हम उनको ऊपर उठा लेंगे। जो रिजर्वेशन की नीति है, उसको काम्प्रिहेंसिव रुप नहीं दिया है। हम कह रहे हैं कि आपको संविधान ने हक दिया है आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल दो कि ये-ये जातियां इसमें आती हैं, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। संविधान में जितना हक दिया गया है उतना किसी और चीज के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन जाति-नीति के बारे में इस अभिभाषण में कुछ नहीं है। 27 फीसदी आरक्षण कोई नहीं चाहता है। जो नीति है उसके अनुसार आपके 2 लाख कर्मचारी थे, 27 नहीं, तो 22 प्रतिशत थे, लेकिन वे सब निकाल दिए गए, जिससे लाखों लोग बेघरबार हो गए और न जाने इतने ऐसे कितने काम आपने किए हैं जिनसे इन लोगों को कष्ट पहुंचा है। आपके इस उपभोक्तावाद के चलते न जाने कितने उद्योग बन्द होंगे और उनमें देश के करोड़ों गरीबों की रोजी-रोटी जाएगी और प्राइवेट उद्योग चलेंगे तथा उनमें हम इस आरक्षण नीति को पता नहीं कितनी हद तक लागू करवा पाएंगे। हिन्दुस्तान में कहीं 70 प्रतिशत, कहीं 60 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ था। इसके लिए 52 वर्ष तक युद्ध करके जो हक हासिल किया था, आपने उसको तोड़ने का काम किया। आरक्षण का फैसला सरकार के हाथ में है। वह जो फैसला करेगी वही संविधान का अंग बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें ज्यादा दखल नहीं कर सकता। आपने उनको 27 वर्षों से कोई हक नहीं दिया। इस अभिभाषण में भी उस पर कोई बात नहीं कही गई है।

दूसरे विश्व युद्ध में जो लोग मरे थे, वे अपने देश की आजादी के लिए लड़कर मरे थे लेकिन हमारे देश में आपस की लड़ाई में ही छः गुना ज्यादा लोग मर गए।

अभिभाषण में अयोध्या कांड का जिक्र किया गया है। ठीक है जब देश में बीमारी होगी तो जातिवाद के झगड़े खड़े होंगे। लोग हजारों वर्षों की गुलामी के दौर से गुजरे हुए हैं इसलिए बीमारियां तो आएंगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी आजाद सरकार का उसे दूर करने का संकल्प होगा या नहीं ? आज पांच सूबों के चुनाव से हिन्दुस्तान की जनता ने हमको मुक्त कर दिया। पार्टी में कई लोगों की हार हुई, कई लोगों की जीत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जनता दल की भी हार हुई। हम मानते हैं, लेकिन मुल्क की जीत हुई है। जनता ने आपके हाथ में एक बड़ा मौका दिया है। सिर्फ जातिवाद की ही समस्या नहीं है, समस्याएं सब मिलाकर बनती हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में रैफर कर दिया कि हमें सलाह दो। आप संकल्प के साथ धारा 138 में उसे क्यों नहीं देते हैं। अदालत जो फैसला करेगी, उसे हम मजबूती से लागू करेंगे, भले ही हम पार्टी में न रहें। सलाह में आप संकट में पड़ जाएंगे। जब अखबारों में छपेगा तो समाज में तनाव बढ़ेगा। हम कहेंगे कि ये राजनीति से ऊपर के मुद्दे हैं। राजनीति से ऊपर के मुद्दे संकल्प से भी बनते हैं। इसलिए आप छेड़खानी क्यों कर रहे हैं।

बाबरी मस्जिद में दो समुदायों की जीत और प्रतिष्ठा आमने-सामने खड़ी थी। उसका आपने लोगों द्वारा निपटारा होने दिया। इतना बुरा होने के बाद भी पांच सूबों की जनता ने आपके हाथ मजबूत किए, आपको एक मौका दिया, उसे आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करना चाहते।

अधिकांश अभिभाषण में विदेश नीति का जिक्र है। जब डंकल प्रस्ताव पर बहस होगी तो मैं डंकल और नई आर्थिक नीतियों पर बोलूंगा।

समय का अभाव है और आप दो बार घंटी भी बजा चुकी हैं। इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। अगर आप मुझे थोड़ा और बोलने का समय देंगी तो मैं इस सरकार की महान उपलब्धियों को बताना चाहूंगा। दिल्ली के लैवल पर कभी इतने बड़े पैमाने पर नीतियों को तोड़ने का काम नहीं हुआ था। आप दल-बदल कानून लेकर आये। उसका किस प्रकार से हिसाब कर दिया, वह हर कोई जानता है। आप इस पर मौज मस्ती उड़ा रहे हैं ...**(व्यवधान)** समय का अभाव है, इसलिये मैं अपनी इस बात को यहीं खत्म करता हूं। यह सरकार कहां-कहां पधारी, कहां-कहां इसकी मेहमानगिरी हुई और कौन-कौन मेहमानगिरी करने आया, उसके बारे में 6-7 पन्ने भरे हुए हैं। विदेश नीति क्या होगी, हम कहां-कहां गए थे, कहां-कहां भोजन किया, कहां-कहां कोल्ड ड्रिंक पिया, कहां-कहां कोका-कोला, पेप्सी कोला पिया...**(व्यवधान)**... मैं यह महसूस करता हूं कि इनके यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो पीने के मामले में इनके मेहमान होते हैं, लेकिन यह लिखा रहता है कि कहना वर्जित है...**(व्यवधान)**... मैं तो कभी जिन्दगी में विदेश गया नहीं हूं। अगर जाऊंगा भी तो सिर तो ऊंचा उठा नहीं पाऊंगा। इनकी नीतियों की वजह से आज हम सिर ऊंचा करके नहीं चल पाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और साम्प्रदायिकता की वजह से आज हमारा सिर शर्म से झुका रहता है। आज कश्मीर का सवाल सबके सामने खड़ा हुआ है। अभी तोमर जी हरिजनों के कत्ल के बारे में जिक्र कर रहे थे। हजारों सालों से इस देश में हरिजनों का कत्ल हो रहा है। डेढ़ लाख हरिजनों का कत्ल होता है और साढ़े तीन लाख महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। थानों में इनकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस पर ज्यादा बहस करने

की जरूरत नहीं है। हमने भी कश्मीर के मामले में कुछ गलतियां कीं। हमने जगमोहन को वहां भेजकर गलती की, लेकिन हमने तो लगभग दो साल ही शासन किया। आपने तो इतने साल शासन करने के बाद एक के बाद दूसरी गलती कश्मीर के मामले में की। आज कश्मीर और पंजाब के सवाल पर अमरीका आपको धमकियां दे रहा है। वह देख रहा है कि आपने कमजोर देश बना कर रखा हुआ है। इसलिए वह आपको धमकियां दे रहा है। आज हम इसलिये भी कमजोर हैं कि पहले रूस ने हमें बचा कर रखा था।

अगर हम मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाते हैं तो आप आत्मदाह करवाते हैं। कभी न कभी तो पूरा रिजर्वेशन लागू होगा ही। गरीबों और पिछड़ों को विशेष आरक्षण मिलना ही चाहिए।

रूस के रहते हुए ही हम कश्मीर बचाये हुए थे। हमारे मित्र कहते हैं कि हमारी तटस्थता की नीति बड़ी महान थी। सिर्फ रूस के रहते हुए आप उस नीति से बचे हुए थे, रूस की ताकत से आप कश्मीर में थोड़ा बहुत इन्तजाम किये हुए थे, लेकिन अब दुनिया अकेली हो गई। अब अमेरिका एक आदमी हो गया। अमेरिका तीन बार बोल चुका है, लेकिन हम बगलें झांकते हैं। महोदया जी, यदि हम भी वहां बैठे होते तो क्या करते ? पहलवान चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन यदि डीज़ल इंजन आ रहा हो और उसके सामने वह ताल ठोकेगा तो मर ही जायेगा। असल में आंख दिखाने की हमारी कूवत ही नहीं है इसलिए पहले आंख दिखाने की कूवत तो बनाओ, पहले मुल्क को तो मजबूत बनाओ। आज कश्मीर के सवाल पर हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती।

आज चीन के बारे में वह देश कभी बोलता नहीं, उसे मालूम है और ठीक ही नहीं बोलता है। अगर बोलेगा तो एक बार हमने आजमाया हुआ है, फौज भाग गई, जनरल भाग गया, हमारा प्रधान मंत्री बोला, धोखा हो गया तो लता मंगेश्कर को बुलाकर हमने कहा, ''ऐ मेरे वतन के लोगो, तुम आंख में भर लो पानी। '' हमारी बहुत ठुकाई हुई इसलिए रोओ। याद रखना, वह कौम हारने पर, जुल्म होने पर रोती है, जो कमजोर होती है। जुल्म होने पर बहादुर कौम गुस्सा करती है और लड़ती है। लेकिन वह स्थिति हमारी नहीं है। इस देश की गरीबी, इस देश की बेकारी, इस देश की महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती, गरीब लोगों के साथ व्यवहार के कारण यह मुल्क भीतर से कमजोर है। याद रखना, जब तक देश भीतर से मजबूत नहीं होता, कभी भी आप अमेरिका के सामने ताल ठोककर खड़े नहीं हो पाओगे।

लेकिन आज चीन ताल ठोककर खड़ा है। हमारा उसके विचारों से मतभेद हो सकता है लेकिन चीन से अमेरिका वैसी आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, तकरार करके बात नहीं कर सकता। चीन की सरकार तीन-चार महीने इन्तजार नहीं करेगी, अमेरिका की सरकार यदि उसके भीतर के मामले में दखल देगी। वह उसी क्षण, उसी बात पर, उसी वक्त जवाब देने का काम करेगी लेकिन आपको तीन महीने इसमें लगते हैं। हमारे मराठा गृहमंत्री हैं...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप 28 मिनट बोल चुके हैं। आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री शरद यादव : मैं आपकी बात मानता हूं। मेरा इतना ही कहना है...

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपको सुनने से इतनी परेशानी हो गई क्या ? सच सुनना इतना कठोर लग रहा है?...**(व्यवधान)**...

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : नीतीश बाबू, हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है। बात सही है कि ऐसे व्यक्ति को आपने अपना लीडर चुना, जबकि जार्ज जैसे इतने संयमित आदमी आपके पास मौजूद हैं।

सभापति महोदय : आप लोग कृपया सदन की मर्यादा का ख्याल रखिए।

श्री नीतीश कुमार : जार्ज साहब खड़े होते तो भी आप ही सबसे ज्यादा इण्टरप्ट करते। आप आदत से मजबूर हैं।

श्री शरद यादव : सभापति जी, मणि शंकर जी ने ठीक ही कहा कि जार्ज साहब बहुत संतुलित आदमी हैं, मुझसे ज्यादा संतुलित हैं। मैं एक बहुत छोटे गांव में पैदा हुआ हूं। अगर मैं भी किसी शहरी इलाके में और आपके जैसे बाप का बेटा होता तो वह संतुलन उनसे हजार जगह ज्यादा हो सकता था। जो बात आपने कही है, वह वाजिब बात है।

मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कश्मीर के मामले में आपको राष्ट्रीय एकता के साथ जितना तत्काल और सक्रिय तौर पर जवाब देना चाहिए, वह नहीं दे पाते हो इसलिए कि आप अन्दर से कमजोर हैं। आप कर्ज पर देश चलाते हैं और हिन्दुस्तान में खुला बाजार लाने को मजबूर हैं इसलिए कि आप कर्ज की इकोनॉमी पर अपना देश चलाना चाहते हो।

विदेश नीति के मामले में यह देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, जब तक यह देश भीतर से मजबूत होने का काम नहीं करेगा।

मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे अभिभाषण में हिन्दुस्तान की गरीब जनता के साथ, मुल्क के कल आने वाले संकल्प के साथ, आने वाली गरीबी और आने वाली बेकारी के सवाल पर, आने वाले मुल्क के सामने राष्ट्रीय एकता की आने वाली चुनौती के सवाल पर कोई संकल्प नहीं है। यह संकल्प इतना कमजोर और इतना ज्यादा नपुंसक है कि इस मामले में सिवा विरोध करने के और चेताने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। सरकार को सद्बुद्धि आये, इसकी आशा करता हूं।

सभापति महोदय : श्री हाराधन राय।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि कृपया समय का ध्यान रखें, क्योंकि अभी बहुत सारे मैम्बर्स बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

(मूलतः बंगला में दिये गए भाषण के अंगेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतर)

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करता हूं। यह सर्वविदित है कि राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है उससे सरकार द्वारा अपनायी गई विभिन्न नीतियों का पता चलता है और राष्ट्रपति महोदय को यह भाषण पढ़ने के लिए कहा जाता है। हम यह भी जानते हैं कि अभिभाषण में, निःसंदेह, राष्ट्रपति महोदय ने अपने निजी विचारों को व्यक्त नहीं किया है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे देश के लोगों ने यह महसूस किया है यह अभिभाषण बिल्कुल असत्य है जो घिसी-पिटी तथा अनर्गल बातों से भरा हुआ है। सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किये हैं, उनके बारे में एक भी बात सच्ची नहीं है।

अत: महोदया, मेरा यह अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रपति को एक ऐसे अभिभाषण से जोड़ना उचित नहीं है जो सत्ताधारी दल की राजनैतिक नीतियों को स्पष्ट करता हो। वे लोग प्रत्यक्ष रुप से सभा में अपनी बात को क्यों नहीं रखते। अत: इन असत्य बातों से राष्ट्रपति महोदय को जोड़ने की बजाय उन्हें स्वयं सभा का सामना करना चाहिये और अपनी नीतियों को प्रस्तुत करना चाहिए। अभिभाषण में बतायी गयी नीतियां उदार नीतियां हैं क्योंकि रातों रात में नीतियां उदार नीतियां बन गई हैं। विश्व में पायी जाने वाली आर्थिक नीति, आयात-निर्यात नीति औद्योगिक नीति तथा विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण नीतियां उदार नीति पर आधारित हैं अथवा जिसे वे उदारीकरण की नीति कहते हैं। लेकिन इस उदारीकरण का परिणाम क्या निकला है? हमें उदारीकरण के परिणाम के बारे में विचार करना चाहिए। हमें इस बात का मूल्यांकन करना चाहिये कि उदारीकरण की नीति का अनुकरण करने के बाद हम कहां पहुंच पाये हैं।

अभिभाषण में यह दावा किया गया है कि सभी तरफ सतत प्रगति हो रही है जैसे कि कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन आदि आदि बातों से स्पष्ट है। यदि सतत प्रगति का अभिप्राय देश की प्रगति से है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

यदि हम औद्योगिक क्षेत्र पर नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि लाखों उद्योग, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों, निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों, हर रोज बंद किये जा रहे हैं। ये उद्योग या तो रूग्ण होते जा रहे हैं अथवा बंद हो रहे हैं।

मेरा अनुमान यह है कि साढ़े चार लाख से भी अधिक उद्योग रूग्ण हो रहे हैं अथवा बंद किये जा रहे हैं। इसमें यह भी सत्य है कि हजारों करोड़ रुपये की निवेश की गई पूंजी बेकार हो गई है। नि:संदेह, यदि यह महसूस किया जाता है कि जितने अधिक उद्योग रूग्ण होते हैं अथवा जितने अधिक उद्योग बंद होते हैं, देश की उतनी ही सतत प्रगति होती है, तो यह सरकार श्रेय की पात्र है।

यह वास्तव में उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने उद्योगों का विकास नहीं होने दिया है जिससे देश की प्रगति पर आघात पहुंचा है। उनकी नीतियां इस संबंध में सफल हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा कुछ दिन पूर्व प्रस्तुत किये गये बजट संबंधी प्रस्तावों का अध्ययन करने के पश्चात् मैं यह महसूस करता हूं कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब हम यह देखेंगे कि भारत दूसरा हांगकांग अथवा सिंगापुर हो गया है। उनका अपना कोई उद्योग नहीं है लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अखाड़ा बन कर रह जाएगा क्योंकि लोग इस देश में अधिकाधिक वस्तुओं का ढेर लगा देंगे। हमारे पास अपने स्वदेशी उद्योग नहीं रहेंगे। हमारा देश लूटपाट करने के लिये एक आदर्श स्थान बन जाएगा और वे लोग इस संबंध में काफी सफल हैं। उन्होंने हमारे औद्योगिक क्षेत्र को हर तरह से नष्ट कर दिया है। इस बजट में हमें क्या देखने को मिला है ? वास्तव में यह आश्चर्यजनक

बात है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक पैसे का भी आबंटन नहीं किया गया है। एम०ए०एम०सी०, साइकिल निगम बर्न स्टैण्डर्ड, भारत भारी उद्योग निगम तथा अन्य अनेक उद्योगों के लिये कोई अलग से धनराशि आबंटित नहीं की गई है। अतः, बड़ी लापरवाही से कदम उठाये गये हैं ताकि ये उद्योग स्वतः बंद हो जायें। मैं नहीं जानता कि क्या देश में साईकिल, अथवा स्टील की मांग कम हो गई है। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय इस्पात मंत्री संतोष बाबू जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने वर्ष 1989 में सभी कम्पनियों, 'सेल' तथा 'इस्को' के मजदूर संघों के साथ समझौता किया था। क्या आपके अधिकारियों ने अथवा आपके मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिये स्वप्न में भी कोई धनराशि निर्धारित की है ? क्या उन्होंने उस संबंधित विभाग का कभी उल्लेख किया है जहां से पैसा प्राप्त होगा ? आप पर कौन इस बात का दबाव दे रहा है कि 'इस्को' को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाये ? क्या आप यह महसूस नहीं करते कि ऐसा करने से आप अपना स्वाभिमान, अपनी आत्मनिर्भरता को खोने जा रहे हैं ? आप इस्पात उद्योगों को बंद करने की भी धमकी दे रहे हैं। क्या यह न्यायोचित अथवा उचित है ? क्या इससे देश की प्रगति का पता चलता है ? इन उद्योगों में काम करने वाले हजारों मजदूरों के भाग्य का क्या होगा ? देश बेरोजगार लोगों से भरा पड़ा है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। लाखों लोगों के पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, बेरोजगार हैं और उनके पास भोजन तथा आवास नहीं है। बहुत से लोगों को रोजाना दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यदि आप संख्या की बात करें, तब भारत अनपढ़ों, बेघरों और गरीबी के मारे अंधे लोगों की अधिकतम संख्या की शेखी मार सकता है। और यदि आपके अभिभाषण लिखने वाले लोगों की संख्या की शेष लोगों की संख्या से तुलना की जाए तो भारत निश्चित रूप से देश की सतत प्रगति के बारे में शेखी मार सकता है।

आप देश की प्रगति के लिये शेखी मार रहे हैं। आप ठीक कहते हैं। क्या इस सरकार के पास कोई नैतिकता है ? अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि से इनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे बायीं ओर सत्ताधारी दल विराजमान है और मेरे दायीं ओर विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी विराजमान है। मैं यह महसूस करता हूं कि इन लोगों को बाजार से कोई चीज नहीं खरीदनी पड़ती। वे लोग कपड़े से लेकर सभी अनिवार्य वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त करते हैं। यदि उन्हें बाजार से कोई चीज खरीदनी पड़ती, तो उन्हें सही स्थिति का पता चल जाता। चूंकि वे हर चीज निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं, वे सभी क्षेत्रों में सतत प्रगति की शेखी मार रहे हैं। यह वास्तव में एक अजीब मामला है। उद्योगों को बंद किया जा रहा है। हमारे युवक काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। आप पीने का पानी तक नहीं उपलब्ध करा सकते। अतः वे पीने के पानी के अधिकार की मांग कर रहे हैं। मजदूरों की मांग है – सरकारी क्षेत्र को बचाओ, उद्योगों को बचाओ। हमें उद्योगों को बचाना है।

हम अपने देश की आत्मनिर्भरता का बलिदान नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं ? आप देश की आत्मनिर्भरता का बलिदान करने के पश्चात इसे बेच रहे हैं। देश को अमरीका के पास बंधक बना रहे हैं। आप विदेशों पर निर्भर हो रहे हैं। आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकों के निर्देशों को सुन रहे हैं। आप उनके निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक काम करते हैं। हमारे युवकों का भविष्य क्या होगा ? वे कहां जाएंगे? उनका क्या

हाल होगा ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 36 कोयले की खानें बंद कर दी गई हैं। आपने जो सुरक्षा अधिनियम पारित किया है उसका कभी भी पालन नहीं किया गया। बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में पुरानी खानें हैं। इस सुरक्षा अधिनियम का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरुप दुर्घटनाओं के कारण हर रोज बहुत बड़ी संख्या में कामगार मारे जाते हैं। आप जानते हैं कि केन्डा में क्या हुआ। दूसरी दुर्घटना कोरडील, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र है, उस में हुई। मध्य प्रदेश में शहडोल क्षेत्र में दुर्घटना के कारण सात लोग मारे गए हैं। हर रोज खानें धंसती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अल्डीह में एक गांव में एक मदरसा, एक स्कूल और लगभग 25-30 परिवारों के घर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। लगभग 67 मौजा, 67 गांव नहीं वरन् 67 मौजा जिनमें लगभग 100 गांव और कस्बे आते हैं और जिसकी जनसंख्या कई लाख हैं, उस क्षेत्र के लोगों का वहां रहना असुरक्षित घोषित किया गया है। उन्हें किसी और स्थान पर चले जाने के लिए कहा गया है। वे लोग कहां जाएंगे ?

खान मजदूर खान मालिक सी०आइ०एल० के लिए कोयला निकालते रहे हैं। खान मालिक कोयला बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। वे प्रभावित लोगों का पुर्नवास नहीं कर सकते हैं, आर्थिक पुनर्वास की भी उपेक्षा की गई है। लोगों को वैकल्पिक आश्रय या तत्कालीन सहायता उपलब्ध न करवा पाने के कारण सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने में विफल होती रही है। उन्हें प्रभावित जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। केन्डा गांव में पिट संख्या की दरारों से गैस रिसाव हुआ है, आप केन्डा में हुई दुर्घटनाओं से अवगत हैं। अब गैस रिसाव होने के कारण लगभग 30-35 परिवारों को वह जगह खाली करने के लिए कहा गया है।

हमने आजादी 1947 में प्राप्त की। देश दो मुल्कों हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में बंट गया था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी शरणार्थियों की समस्या नहीं निपटाई जा सकी है। लोग आज भी आश्रय के बिना पशुओं का जीवन जी रहे हैं।

आप कोयला निकालने के नाम पर लाखों लोगों को शरणार्थी बना रहे हैं। मैं यह बात अवश्य स्वीकार करता हूं कि यह आपकी एक शानदार उपलब्धि है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपकी कोई नैतिकता या आदर्श नहीं है। नामांकन पत्र पर उनके हस्ताक्षर करके और जिस दल से वे संबद्ध हैं उस दल विशेष के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करके इस माननीय सभा के लिए सदस्यों का चयन होता है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है वे उनके लिए काम करें। लेकिन आप इन लोगों को पशुओं की भांति खरीद लेते हैं और अपनी उपलब्धि दर्शाते हैं। आपने वास्तव में प्रगति की है। आप अपने पैसे की ताकत से उन्हें खरीदते हैं और उन्हें वरिष्ठ मंत्री बना देते हैं। कोई भी मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं है। मेरे मित्र श्री शरद यादव ने कहा है कि मंत्रीगण सो रहे हैं। क्या वे शर्म से सो रहे हैं या वास्तव में सो रहे हैं ? सत्ताधारी दल के सदस्यों के पास यहां पर जो कुछ हो रहा है उसे सुनने का समय नहीं है। उनके पास देश की समस्याओं पर सोचने का फालतू समय नहीं है। शिष्टाचार के लिए भी उनके पास सुनने का समय नहीं है। वे यहां पर सोने के लिए आए हैं। यह सोने के लिए अच्छी जगह है और वे सोने के लिए ही यहां आए हैं।

5.00 म०प०

महोदय, देश के सामने घोर संकट है। इस संकट को दूर या इसको कम कौन करेगा ? वे देश को बेच

रहे हैं। मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाखों लोग जेल गए, लाखों लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, और लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया और शहीद हो गए। मुझे मालूम नहीं है कि यहां पर मौजूद लोगों में से कितने लोगों ने उस स्थिति का सामना किया। उनमें से अधिकांश लोग धनाढ्य लोग हैं। एक मजदूर और किसान के बेटे के लिए नौकरी नहीं हैं। मंत्री के बेटे के लिए नौकरी सुनिश्चित की जाती है। वे या तो विधायक बनेंगे या सांसद। यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में उनके लिए एक अच्छी नौकरी सुनिश्चित की जाती है। लाइसेंस या परमिट लेना उनके लिए बहुत आसान काम है।

परन्तु गरीबों का क्या होगा ? मैं नैतिक रुप से राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर रहा हूं। मैं केवल विरोध के लिए इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि हमारे देश के लोगों को जिन्दा रहना है तो उन्हें अपनी नीतियों को छोड़ना होगा और एक नई सरकार बनानी होगी जो लोगों की सरकार होगी, आम लोगों की सरकार होगी। सत्ताधारी दल किसी भी नैतिकता को नहीं मानता, उनकी नीति अनैतिक है। उन्होंने आयाराम गयाराम की नीति सीख ली है। मैं अपने मित्रों से सर्तक रहने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इन लोगों के पास पैसे की ताकत है। परदे के पीछे षडयंत्र रचा जा रहा है और कुछ सदस्य उनकी योजनाओं के पहले ही शिकार हो चुके हैं। वे विपक्षी दलों को समाप्त करना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध केवल विरोध के लिए नहीं कर रहा हूं। जो उद्योगों को नहीं बचा सकते हैं, कामगारों को नहीं बचा सकते हैं, किसानों को जमीन उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं उन्हें शासक करने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों को उर्वरक कैसे मिलेगें ? ये उद्योगों को बंद करने जा रहे हैं और उर्वरक विदेशों से आयात करने जा रहे हैं। क्योंकि देश में उर्वरकों की कमी है। किसानों को कालेबाजार से उर्वरक खरीदने होंगे और उनका जीवन और अधिक दयनीय होगा। हमें सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है। यदि हम सब कुछ अपने देश में उत्पन्न कर सकते हैं तो बेरोजगार युवाओं को काम मिल सकता है।

महोदया, इसीलिए मैं यह दलील दे रहा हूं कि किसानों को उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, और भूमि मिलनी चाहिए ताकि हम देश के लिए खाद्यान्न इत्यादि उत्पन्न कर सकें। यदि हम कृषि का विकास करते हैं तो हमारे कारखानों की संख्या में वृद्धि होगी, युवकों के लिए नौकरियों के अवसर रहेंगे। इस तरह से बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है। हमारा देश खुशहाल बन सकता है। मैं विदेश नीति पर नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझ से पहले बहुत से माननीय सदस्य उस मुद्दे पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

मुझे चिन्ता इस बात की है कि वे अपनी गलत नीति के कारण देश को तबाह करने वाले हैं। वे देश को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। यदि हम उनका समर्थन करते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि हम उनकी गलत नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यद्यपि मुख्य विपक्षी दल हैं, फिर भी वह उनकी औद्योगिक और आर्थिक नीति का समर्थन करती है। वह वास्तव में एक शानदार विपक्ष है। आपस में इनकी गुट सहमति है। यदि दोनों दल सहमत हो जाते हैं तो दूसरे क्या कर सकते हैं ? वे लोग धोखेबाज हैं। महोदया, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे देश के लोग उनकी धोखेबाजी को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे जागरूक हो गए हैं। आप जाति, वर्ग, धर्म और भाषा के नाम पर देश को बांट रहे हैं। आप इस तरह से साम्प्रदायिक दंगे भड़काकर देश को बांट नहीं

सकते हैं। लोग आपको सत्ता से हटाने के लिए निश्चित रुप से एकजुट हो जाएंगे। मुझे अपने देश के लोगों पर बहुत विश्वास है। मुझे मालूम है कि वे खुद को और देश को आपके कुचक्र से बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढ लेंगे। अत: पूरे मन से राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है तो उस पर दो-चार बातें कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... जो सदस्य बोल चुके हैं तो मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा। यह देश कृषि प्रधान देश है और कृषि ही हमारे देश की रीढ़ है। कृषि में काम करने वाले बहुत बड़ी तादाद में खेतिहर मजदूर होते हैं। खेतिहर मजदूरों से हमारा भंडार भरा है और हरित क्रांति आई है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच सकी है ? प्रकृति प्रकोप के समय खेतीहर मजदूरों पर जब बुढ़ापे का समय आ जाता है और खेत में काम करने लायक नहीं रहते हैं और जीवन बोझ बन जाता है, और जो किसी तरह जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो अभी तक सरकार ने उनके निर्वाह के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं बनाया है कि वे कैसे प्रकृति प्रकोप से बचें और कैसे उनकी दवा दारू हो ? इस बारे में संसद में कई बार सवाल उठाया जा चुका है कि इनके लिए केन्द्रीय कानून होना चाहिए जैसे मजदूरों की श्रेणी में कारखानों में और अन्य स्थानों पर उन लोगों को पेंशन की रुप में बुढ़ापे के समय सहायता मिलती है जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सकता है और कैसे उनका बचाव होता है। यह बहुत बड़ी असमानता है, सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा है। यह भी नहीं सोचा गया कि वह कितना बड़ा काम इस देश हित में कर रहा है। आज सरकार गर्व से कहती है कि अगर अकाल आयेगा तब भी हम देशवासियों को खिला सकते हैं, लेकिन यह जो गर्व है इसका वास्तविक हकदार तो किसान ही हैं। उसके बारे में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। न ही सरकार की ओर से उसके बारे में कुछ कहा गया है।

हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ही होते हैं। जिसके जरिए हम लोग यहां चुनकर आते हैं और अपने देश, राज्य तथा क्षेत्र की बात सदन के सामने रखते हैं। लेकिन आज यह प्रणाली एक मखौल बनकर रह गई है। आज लाखों लोग चुनाव से वंचित रह जाते हैं, उन्होंने आज तक बैलेट ही नहीं देखा है। मैं सदन में शेषन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए और उसकी हिलती हुई नींव को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है, यह एक प्रशंसनीय कदम है। आज यहां पर गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लोग भी हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग गरीबों और दलितों की बहुत बात करते हैं, लेकिन परिचय पत्र बनाये जाने का विरोध करते हैं। यह बहुत ही खेद और दु:ख की बात है। यह कैसे लोग हैं जो दलित और गरीब वर्ग से आते हैं और उनकी भी यही इच्छा है। सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जब गुलाम था तो हमने बड़ी लड़ाई और संघर्ष के बाद जो अधिकार लिया था, वह जिला परिषद का अधिकार था। उसमें वोट देने का अधिकार उन लोगों को था जिनके मकान पर एक रुपये से अधिक टैक्स लगता था। वही लोग वोटर होते थे। वे लोग बड़े धनी-मानी किसान थे, जमींदार थे। वे आज भी यही चाहते हैं कि उसी तरह से वोट का अधिकार उन्हीं के पास रहे। हमारे विधान में कहा गया है कि हमने लोगों को राजनैतिक अधिकार दिया। लेकिन 44 वर्षों के बाद भी करोड़ों लोग इसमें भागीदार नहीं हो पाये हैं। इसी के

चलते राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है और लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव हो रहे हैं। आगे आने वाला भविष्य ही इस बात का जवाब देगा कि यह सत्य है या नहीं है। हमें चुनाव प्रणाली में जल्दी से जल्दी सुधार करके लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। आपने बहुत समय तक राज किया, लेकिन यह देश 82 करोड़ लोगों का है, अगर आप इस देश पर राज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन देश में सुधार भी करें। टी०एन० शेषन की आप भी प्रशंसा करें जो एक रास्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें दिखा रहा है।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर उग्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहां इसकी समानांतर सरकार भी कायम हो रही है। अब सवाल यह है कि वे गांव के लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आतंकवादियों का आधिपत्य मान रहे हैं। इनमें दलितों और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। कारण यह है कि विकास के नाम पर उनको कुछ नहीं मिल रहा है और वे उग्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और हथियारबंद होकर उग्रवाद के सिद्धांत को मान रहे हैं। बिहार में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। यह बात बार-बार सुनते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो कोयला वहां से आता है उसपर रोक लगायें क्योंकि आप बिहार सरकार को उसमें पैसा नहीं देते हैं और उन समस्याओं का हल निकल नहीं पाता है। इसलिये कहता हूं कि यदि यह चरमसीमा पर पहुंच गया तो बहुत हालत खराब हो सकती है। आपको इस बात की चिन्ता ही नहीं है कि वहां खर्चा चाहिये और उनको हिस्सा देना है। आपको न तो देश की चिन्ता है और न दलितों और गरीबों की चिन्ता है। आज बिहार में ऐसी स्थिति हो गयी है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं।

बिहार में जिन गांवों की आबादी 500-1000 है, वहां पर 2-3 कि०मी० की दूरी तक बच्चों के पढ़ने के लिये कोई स्कूल नहीं है। यहां पर मानवाधिकार आयोग का बिल पास किया गया। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। आप केन्द्रीय विद्यालय इतने सारे गांवों में खोल सकते हैं जिससे आज का नौजवान राष्ट्रीय धारा से न भटके ? मैंने इस संबंध में कई बार मांग की है कि राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए आप कुछ सहयोग करें लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने इससे पूर्व सभी प्रधानमंत्रियों को लिखा लेकिन कुछ नहीं किया गया। तो क्या पढ़ने-पढ़ाने की कोई व्यवस्था की जायेगी या नहीं ? क्या इसी तरह बंदूक लेकर काम करते रहेंगे ?

सभापति महोदया, अभी तक वहां पर गांवों में दलितों और गरीबों के पीने के लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। एम०पीज़ और एम०एल०एज़० किस तरह के विकास के काम करते हैं ? यदि उन्होंने चारों तरफ का ध्यान रखा होता तो आज यह समस्या उग्र रुप धारण नहीं करती। गांवों में अक्सर देखा गया है कि जो बड़े लोग हैं, उनके लिये नाली बनती है, चापाकल लगाया जाता है लेकिन जो गरीब, दलित हैं उनके लिये कोई विकास का काम नहीं किया जाता है। यह बात ठीक नहीं है कि एक तरफ तो विकास का काम हो और दूसरी तरफ कोई इंतजाम न हो। इस तरह गरीब लोग विकास के काम से वंचित हैं। इसको खत्म करना होगा। आप अपने उत्तर में यह भी बतायें कि खेतिहर मजदूरों के लिये कोई केन्द्रीय कानून बनेगा या नहीं ? आप नौजवानों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे या नहीं ? मैं यह बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदया, मैं पिछले महीने की 22 तारीख को संसद के

संयुक्त सत्र के प्रथम दिन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं जनता दल के माननीय नेता, श्री शरद यादव और सी०पी०आई० सदस्य माननीय हाराधन राय जी के भाषणों को सावधानीपूर्वक सुन रहा था। काश कि श्री शरद यादव यहां होते।

जब वे बोल रहे थे तो मुझे यह हैरानी हो रही थी कि क्या वे संसद में जनता दल के नेता के रुप में बोल रहे हैं अथवा क्या वे अपने दल की नीतियों के बारे में बता रहे हैं अथवा क्या वे अपने दल की खोखली नीतियों और अपने दल की परस्पर विरोधी नीतियों के बारे में बयान कर रहे हैं।

दो राज्यों में उनकी सरकार है - बिहार तथा उड़ीसा में। यह सबको मालूम है कि दोनों राज्यों में किस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है। वह यहां बैठकर विलाप कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जाति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। इस बात का उल्लेख न करके भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या पाप कर दिया?

आप जानते हैं कि यह सरकार के द्वारा, श्री नरसिंह राव की सरकार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया है। इसीलिए ऐसा क्या पाप हुआ है ? सरकार ने इस अभिभाषण में जाति संबंधी उल्लेख न करके ऐसा क्या पाप कर दिया है ? हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी प्रकार की असमानताओं से लड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान गरीबी, भूख और बीमारियों से संघर्ष करने में लगा हुआ है। मैं यह मानता हूं कि समाज में अनेकों तरह की असमानताएं हैं। क्या ये सब आज की स्थिति का ही परिणाम हैं ? जब ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने हों, तो जातिवाद, धर्म और साम्प्रदायिकता की बात करना और उसे प्रोत्साहित करना राष्ट्र का अपमान है। यहां तक कि साधन सम्पन्न लोग भी जातिवाद की बात कर रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। क्या हम साधनहीन लोगों को तथा ऐसे लोगों को तरक्की के विभिन्न अवसरों से वंचित नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में उसके हकदार हैं, जो पहले से ही अत्यन्त ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जो पर्याप्त रुप से समृद्ध, धनवान हैं वे भी जाति के आधार पर लाभ उठायेंगे। अत्यंत सम्पन्न लोग, समृद्ध लोग तथा शिक्षित लोग भी जातिवाद की फसल काट रहे हैं और भविष्य में भी काटते रहेंगे। यह अत्यन्त अवसरवादी दृष्टिकोण है। वह इसी जातिवाद की बात कर रहे थे। चाहे जो कुछ भी है, उड़ीसा में उनकी सरकार है। लेकिन उस सरकार को अभी भी अन्य पिछड़े हुए वर्गों से संबंधित लोगों की सूची तैयार करनी है और जारी करनी है। वे किस मुंह से ऐसी बात कर रहे थे और इस सरकार तथा इस रिपोर्ट की भर्त्सना कर रहे थे ? यह दोमुंही बात है, दोहरा मानदण्ड है तथा एक ढकोसला है।

श्री हाराधन राय ने भी हमारी नीतियों की हर तरह से आलोचना की है, बिना इस बात को ध्यान में रखे कि उनके अपने मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं और कैसे दोनों मुख्यमंत्री अपने-अपने फायदे के लिए विश्व भर में घूमकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे यहां आयें और उद्योग स्थापित करें। लेकिन यहां सभा में वे बड़ी सरलता से इस सरकार को बुरा-भला कहना चाहते हैं। एक बार फिर यह दोमुंही बात है। मैं नहीं जानता कि हममें से बहुतों का क्या होता यदि श्री नरसिंह राव जी ने जून, 1991 में भारत का शासन उस समय अपने हाथ में न लिया होता, जिस समय सब ओर कुव्यवस्था फैली हुई थी। तीन वर्ष में तीन चुनाव हुए। स्थिरता का कितना बढ़िया उदाहरण है यह कि तीन वर्षों में तीन चुनाव हुए - एक ग्यारह महीने के बाद हुआ,

दूसरा फिर ग्यारह महीने के बाद हुआ और फिर तीसरे चुनाव की तैयारी थी। हम श्री नरसिंह राव जी के अत्यन्त आभारी हैं कि उन्होंने अपने परिपक्व नेतृत्व के अधीन देश में स्थिरता कायम की तथा देश को समृद्ध बनाया और प्रगति के रास्ते पर बढ़ाया। क्या इस बारे में कोई कुछ कह सकता है ?

हमारी अपनी संवैधानिक पुस्तकें हैं, हमारे अपने कानून हैं, हमारा अपना दल–बदल विरोधी कानून है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुछ लोग अयोग्य होते हैं जो कि अपने घर को भी व्यवस्थित नहीं रख सकते - यदि कुछ लोग कानून के प्रावधानों का सम्मान करते हुए, अपने उस दल को छोड़कर स्थिरता का हाथ मजबूत करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसे दल–बदल कैसे कहते हैं। यदि कुछ लोग कुछ समय पहले उनके दल में शामिल हो जाते हैं तो वह उसे दल–बदल नहीं मानते। उन्होंने उसका स्वागत किया था। लेकिन अब यदि कुछ लोग उनका दल छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो वह इसे दल–बदल कहते हैं। क्या यही पाप है ? क्या मुझे कोई इस बारे में बता सकता है ? जब वे चुनाव से पहले आप के दल में शामिल हुए तो उनका स्वागत किया गया। उस समय सब कुछ ठीक था, सब कुछ लोकतांत्रिक था, सब कुछ अच्छा था। अब जब वे आपका दल छोड़ देते हैं तो यह दल–बदल है। यह क्या ढोंग है।...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बोलें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : पहले पृष्ठ पर, पहला और दूसरा पैराग्राफ अयोध्या मुद्दे से संबंधित है। **(व्यवधान)**

मेरे अच्छे मित्रों थोड़ा धैर्य तो रखिए। मैं समस्याओं के विषय पर भी आ रहा हूं। महोदया, मैं जानता हूं कि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है।

महोदया, अभिभाषण के पहले पैराग्राफ में अयोध्या का हवाला दिया गया है। अब स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है।

जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। यह एकमात्र परम्परा ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आचरण से इसका मजाक बना दिया है। इस बार कुछ लोगों द्वारा बजट का बहिष्कार किया गया और फिर राज्य विधान सभाओं में भी यही बात दोहराई गई। विभिन्न सम्मेलनों यथा अध्यक्षों के सम्मेलन नेताओं के सम्मेलन तथा अन्य अनेक बैठकों में सर्वसम्मित से निर्णय लेने के बावजूद कि सभी सदस्य चाहे वे किसी भी दल के हों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय उपस्थित रहेंगे और उसे सुनेंगे भी; फिर भी हमारे कुछ मित्रों ने इससे अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया। जहां–कहीं भी उनकी सरकार है वहां भी यही कुछ हो रहा है।

जैसा कि मैंने पिछले वर्ष कहा था अयोध्या की घटना से इस देश की शांति और अखण्डता को खतरा पैदा हो गया था। पूरे राष्ट्र पर इसका परिणाम अच्छा नहीं पड़ा और इस कारण सकल घरेलू उत्पाद के रुप में इस वर्ष की विकास की दर भी प्रभावित हुई। यह 4.5 प्रतिशत के आस–पास ही थी। **(व्यवधान)** वह आपका

योगदान है, देश के विकास कार्यक्रम में भा०जा०पा० का योगदान यह था। अंतिम पृष्ठ के पैरा 62 में यह कहा गया था :-

> "वर्ष 1993, आर्थिक सुधारों एवं सरकार द्वारा की गई राजनैतिक पहल की उपलब्धियों को समेकित करने वाला वर्ष था। हमने आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने की उम्मीद के साथ वर्ष 1994 में पदार्पण किया, जिसमें कि जनता ने आर्थिक सुधारों के पक्ष में तथा साम्प्रदायिक ताकतों के विरूद्ध अपना फैसला दिया था।"

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदया, सदन में असमानता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सभी जगह समानता का व्यवहार किया जाता है। मैं तो अपना भाषण अभी शुरु कर ही रहा हूं। अपने दल की तरफ से, मैं तीसरा वक्ता हूं तथा मुझे बताया गया है कि हमारे पास बोलने का काफी समय है।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए पहले ही 15 मिनट हो चुके हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मेरे पास बोलने के लिए काफी समय है; कांग्रेस दल को बोलने के लिए काफी समय आबंटित किया गया है। मुझे दस मिनट का समय और चाहिए। मैं तो अभी बोलना शुरु ही कर रहा हूं।

अतः, वर्ष 1993 में सभी मोर्चों पर, चाहे वह कानून एवं व्यवस्था हो, कृषि उत्पादन या औद्योगिक उत्पादन हो अथवा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सिवाय विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंधों की स्थिति हो, सभी में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। दो दिन पूर्व, कोई व्यक्ति अमरीका के प्रति हमारी नीति के बारे में बात कर रहा था। आर्थिक एवं औद्योगिक दिशा में इसमें सुधार हुआ है। जिस दिन हमारे गृहमंत्री जी ने अमरीका के प्रति हमारी नीति को स्पष्ट किया था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया था। अपने वक्तव्य में उन्होंने अमरीका के आचरण, पाकिस्तान को भड़काने में उसके हस्तक्षेप तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने एवं उसमें सहयोग देने में पाकिस्तान की भूमिका का अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन करने की भी निन्दा की थी। अभी हाल ही में गृहमंत्री ने सभा में इस बात को स्पष्ट किया था। यह अत्यंत गम्भीर विषय है। आज सात तारीख है तथा आज सम्भवतः संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर पर प्रस्तुत किए गए संकल्प के बारे में एक अत्यंत अर्थपूर्ण सत्र आयोजित कर रहा है। यह महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक इस विषय का संबंध है, इस वर्ष इस बारे में सारी स्थिति सुस्पष्ट है । हमने मानवाधिकार आयोग की स्थापना का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी छह सदस्यीय विदेशी राजनयिकों के एक सशक्त दल के जम्मू-कश्मीर के दौरे के लिए सभी सम्भव प्रबन्ध कर दिये हैं। क्या यह स्थिति में सुधार नहीं है ? भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए राजनैतिक प्रक्रिया भी शुरु कर रही है। लेकिन जम्मू-कश्मीर के बारे में भारत के बाहर एक दुष्प्रचार अभियान जारी है। इस अवसर पर मैं विरोधी दलों के अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि जम्मू-कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में हमने यहां एक संकल्प संयुक्त रुप से सर्वसम्मित से अंगीकृत किया था। अतः इस बारे में एक मत होने की काफी सम्भावना है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी इसमें विश्वास

करते हैं तथा प्रारम्भ से ही वे इसके लिए आग्रह करते चले आ रहे हैं। यह उनके लिए समझने की घड़ी है, उन्हें इस वातावरण में सरकार को अपना सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए। आखिरकार, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन यह खेद की बात है कि हमारे विपक्षी दल न तो अच्छे एवं बुरे समय को देखते हैं तथा न ही लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। वे रचनात्मक आलोचना के लिए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार नहीं हैं। मात्र विरोध करने के लिए वे हर बात का खण्डन करना चाहते हैं।

डंकल प्रस्ताव के बारे में क्या स्थिति है ? श्री आर्थर डंकल अब संगठन के अध्यक्ष नहीं हैं। 'गेट' समझौते पर चीन सहित 118 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : चीन 'गेट' समझौते में शामिल नहीं हुआ है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : लेकिन उन्होंने डंकल प्रस्ताव का स्वागत किया है ...**(व्यवधान)**। उनकी इस बारे में एक अनोखी अवधारणा है। उन्हें विभिन्न प्रकार के राजनैतिक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। उनकी प्रभुसत्ता की अलग अवधारणा है। इतने देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। क्या वे अपनी प्रभुसत्ता को खो रहे हैं ? क्या भारत की आज भी वही दशा है, जो तीन सौ वर्ष पूर्व थी जबकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी यहां आई थी ? क्या इस स्थिति की उससे तुलना करना उचित है ? जिस तरीके का राजनैतिक खेल जनता को गुमराह करके और दुष्प्रचार अभियान करके वे खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों में जहां-तहां इस समझौते की कुछ हानियां भी होंगी। जैसे कि औषधियों के मामले में तथा कुछ सीमित क्षेत्रों में हम स्वीकार करते हैं कि पेटेंट आदि जोकि विद्यमान हैं, के प्रावधानों के कारण मूल्यवृद्धि होगी। लेकिन किसानों को मिलने वाले बीजों के बारे में मुझे समझ नहीं आता कि उनके दिमाग में ईस्ट इण्डिया कम्पनी वाली बात कैसे आई। वे जनता को मात्र गुमराह ही कर रहे हैं।

5.39 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं जम्मू-कश्मीर के बारे में बात कर रहा था। कुछ सदस्यगण हजरतबल मुद्दे से निपटने में हुई देरी के कारण आलोचनात्मक रवैया अपनाए हुए थे। उनमें से कुछ सदस्य स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के भी विरूद्ध थे। यदि हजरतबल मुद्दे का इससे पहले ही हल कर लिया जाता एवं बाद में अगर कुछ और घटित हो जाता, तो उन्होंने यही कहना था कि कितनी अपरिपक्वता एवं अकुशलता से इस स्थिति से निपटा गया है तथा इसीलिए ऐसा बखेड़ा खड़ा किया गया है। यद्यपि, इस बारे में थोड़ी देर हुई है, लेकिन बिना रक्त बहाये, सभी संबंधित व्यक्तियों की संतुष्टि के अनुसार इस संवेदनशील मुद्दे को निपटाया गया है। अब वे कहते हैं कि इसमें विलम्ब हुआ है। लेकिन, जब यह कार्य सफलतापूर्वक निबटा लिया गया है, तो उन्होंने शीघ्रतापूर्वक यह कहा कि हम ऐसा जल्दबाजी से कर रहे थे, हम ऐसा सही समय पर नहीं कर रहे थे तथा यह कि हममें निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, आदि।

यदि हम कृषि क्षेत्र की ओर देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है; कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तथा भारत का अस्तित्व गांवों

में बसता है। इसी वजह से हमने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा इसके लिए सर्वाधिक धनराशि आबंटित की है। कृषि के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

सरकार की यही एक अच्छी बात है कि वह हर बात पर गर्व अनुभव नहीं करती। जहां-कहीं भी सरकार से अनजाने में कोई गलती हो जाती है अथवा नीति को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता अथवा वे किसी कारणवश अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये, तो सरकार उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट एवं धोखाधड़ी नहीं करती तथा वे उसमें आवश्यक संशोधन किये जाने की अकांक्षा से सभा के समक्ष पेश हो जाते हैं।

जहां तक उर्वरक नीति का संबंध है, नाइट्रोजन, पोटाश एवं फास्फेट के असंतुलित प्रयोग के कारण, इनका अनुपात आदर्श अनुपात 4:2:1 की बजाय 5:2:1 तक पहुंच गया है। पिछले सप्ताह एक दिन प्रश्न काल के दौरान प्रधान मंत्री महोदय ने स्वयं संसद में स्पष्ट रुप से यह कहा है कि वे इस बारे में विचार कर रहे हैं तथा इनका सही अनुपात सुनिश्चित करने के लिए वे स्थिति में सुधार लाने के लिए निश्चित रुप से कदम उठायेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बोलने का समय जब से आप पीठासीन हुए, तभी से शुरु होगा। जब भी आप पीठासीन होते हैं, मुझे विदित है कि आप हमेशा उदारता बरतते हैं। चूंकि मैं उदार आर्थिक नीति के बारे में ही बोल रहा हूं, अतः स्वाभाविक ही है कि मैं पीठासीन अधिकारी से उदार रवैया अपनाए जाने की उम्मीद करता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही जी, हम उदार रवैये तथा उदार दिनों के बारे में आप द्वारा दिये गये वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हैं। इसके साथ ही हमें भावी वक्ताओं के साथ भी न्याय करना चाहिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : 1991 में जो आर्थिक सुधार लागू किये गये थे, उनमें गत वर्ष गतिशीलता आ गई थी तथा उनका लगातार पालन किया जा रहा था। वे सुधार अपरिवर्तनीय हैं तथा उन्हें लगातार लागू किया जाता रहेगा।

अब मैं सार्वजनिक क्षेत्र एवं गैर सरकार क्षेत्र विषय पर आता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र पण्डित नेहरू के दिमाग की उपज है। इसे आगे बढ़ाया गया था तथा एक समय इसने हमारी अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। इसमें अकुशलता आदि जैसी अनेक चीजें शामिल हैं। श्रम उद्योग संबंध भी एक अन्य घटक है। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र का स्वर्णिम काल अब समाप्त हो चुका है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर सम्भव कार्य करना होगा। जहां-कहीं भी इसकी कोई सम्भावना है, अब यह उचित समय है कि - चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र - इसे एक राष्ट्रीय क्षेत्र अथवा निपुण क्षेत्र का दर्जा देना होगा। इस पृष्ठभूमि में, जहां-कहीं भी इसकी काई सम्भावनाएं हैं, हमें इस क्षेत्र को मजबूत करना है। मैं पुनः दोहराता हूं कि जहां-कहीं भी इसकी कोई सम्भावनाएं हैं, हमें इस क्षेत्र को मजबूत करना होगा। बी०आई०एफ०आर० को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

एक और आलोचना भी की जाती थी कि हम अपनी निर्धारित नीति से अलग हट रहे हैं तथा हम

उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण पर आर्थिक जोर दे रहे हैं और वह भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करके। यह सच नहीं है; यह सही नहीं है क्योंकि कुल प्रस्तावित निवेश का सात प्रतिशत अर्थात् 16,000 करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से केवल 165 करोड़ रुपये उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण पर निवेश किये जायेंगे। अत:, विपक्षी दलों के साथियों द्वारा की गई आलोचना सही नहीं है।

महोदय, चूंकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, अब मैं बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं के बारे में बोलूंगा कि यह दोनों साथ-साथ कैसे चलते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ावा होगा। इन सभी बातों की ओर ध्यान देना होगा।

स्वतंत्रता के बाद से इस देश में अनेक चमत्कार हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में हम 1951 में केवल 55 मि०ट० खाद्यान्न पैदा करते थे अब यह लगभग 1,900 मि०ट० है। यह 300 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है। उस समय 2000 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती थी और अब इसका उत्पादन 72,000 मेगावाट है। अभी भी हम अपनी आवश्यकता से कम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं।

जब तक हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकते तब तक हम कृषि क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते हैं और इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो अच्छी नहीं होगी। अत: हमारी प्रमुख समस्या अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात पर जोर दिया गया है। अब समय आ गया है कि सभी दलों के नेता एक साथ बैठें, न केवल राजनीतिक दलों के नेता बल्कि सभी धार्मिक नेता भी इकट्ठे होने चाहिएं। हमें इस परियोजना को वरीयता देनी चाहिए। इस्लामी राष्ट्रों जैसे मध्य-पूर्व में भी जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसी भी पक्ष द्वारा इसका विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमारा लोकतंत्र बहुत विशाल है जिसमें अनेक भाषाएं, धर्म और जातियां हैं। हमारी प्रमुख समस्या अखंडता की है और असमानता को दूर कर इसका समाधान किया जा सकता है। जहां भी दो समाजों, व्यक्तियों, राज्यों, एक राज्य के दो क्षेत्रों के बीच शोषण है हमें उसे समाप्त करना होगा। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना होगा। जहां तक संभव हो हमारा उद्देश्य सभी धर्मों का विकास करना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यही होना चाहिए कि सामाजिक न्याय के साथ-साथ सभी का विकास भी हो।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

---

*(कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं सरकार द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यक्रमों के लिए उनका समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा मात्र एक औपचारिकता रह गई है और इसे पढ़ने से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें मुझे आजकल हो रहे सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक उतार-चढ़ाव और संभावित राजनैतिक परिवर्तनों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल एक नौकरशाही टिप्पण है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने क्या किया है और क्या करने की आशा करती है। लेकिन इसमें राष्ट्र के लिए चिंताजनक मुद्दों, जिस दिशा में देश जा रहा है और समाज में जिस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं और अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, चाहे हम उन्हें चाहते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। महोदय, हम तनावपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। ये तनाव भी लाभदायक और रचनात्मक हो सकते हैं क्योंकि समय के साथ-साथ अभी एक नए भारत को जन्म लेना है, एक ऐसा भारत जिसमें समानता और भातृत्व होगा। संविधान में हमने अपने लोगों को न केवल न्याय और समानता प्रदान करने का वायदा किया है बल्कि भातृत्वता का भी वायदा किया है और हमें देखना है कि यह हमारे लोगों को मिले। महोदय, औपचारिक समानता में जनता सामाजिक भातृत्व की ओर जाना चाहती है। जनता विधिक न्याय से आर्थिक और सामाजिक न्याय की ओर जाना चाहती है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस प्रकार के मुद्दों, ऐसी आशाओं और संकल्प का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति महोदय इस बात से प्रसन्न हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इसमें उस खतरे का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत शहरी लोगों को रहना पड़ता है, उन्हें शहरी आतंकवाद के खतरे का सामना करना पड़ता है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि 1993 में पूरे देश में हुए बम विस्फोटों, हरिजनों, महिलाओं या जनजातीय व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों का इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें बम्बई, मणिपुर और असम में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें हमारे राष्ट्र के विभिन्न भागों को प्रभावित कर रहे विद्रोह की कोई चर्चा नहीं की गई और वे बड़े आशावादी हैं। उन्हें यह बहुत संतोषजनक लगता है।

हमारे देश में एक अतिराष्ट्रीयता वादी लहर चल रही है। साम्प्रदायिकता पहले से थी परन्तु अब यह अतिराष्ट्रीयतावादी आयाम ग्रहण करती जा रही है तथा हमने बाबरी मस्जिद के टूटने के पश्चात् एक चर्चा आरम्भ की थी कि हमारी धर्मनिर्पेक्षता की अवधारणा का क्या अर्थ है। मुझे खेद है कि चर्चा धीरे-धीरे खत्म हो गई तथा हम एक पूरी तरह गलत दिशा की ओर बढ़ा दिए गए। यह चर्चा धर्म और धर्मनिर्पेक्षता के बीच एक भ्रांतिपूर्ण चर्चा में बदल गई। धार्मिक रूढ़िवादी तथा धर्मनिर्पेक्षता के बीच कोई टकराव या वाद-विवाद नहीं है। हम मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। हम एक धार्मिक समाज में एक धर्मनिर्पेक्ष राज्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम धर्म को समाप्त नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम साम्प्रदायिकता के विरूद्ध हैं, धर्म के विरूद्ध नहीं, फिर भी इस चर्चा को दूसरा रंग दे दिया गया और यह अतिराष्ट्रीयता की दिशा में चली गई। उन्होंने यह कहना आरम्भ कर दिया कि अगर आप राम का नाम भी लेंगे, तो आपको राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। उन्हें लोगों को भड़काने का अवसर मिल गया तथा चर्चा वहीं की वहीं रह गई। लोग मिथ्या-धर्मनिर्पेक्षता

की बातें करते हैं। लोग सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की बातें करते हैं। ये सब उपदेश देने की बातें हैं जिसके लिए वे हिन्दुत्व की भी दुहाई देते हैं; तथा सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नहीं किया अथवा राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्होंने अतिराष्ट्रवाद तथा साम्प्रदायिकता से निपटने के लिए एक पुख्ता कार्ययोजना बनाई है। इसमें इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है और इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जम्मू-कश्मीर की चर्चा करते हैं इस सम्बन्ध में, मैं अपना यह विचार दर्ज करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान जेनेवा, वाशिंगटन अथवा इस्लामाबाद में नहीं निकलेगा। इसका समाधान केवल दिल्ली तथा श्रीनगर में निकल सकता है। कहीं और नहीं। जैसा कि मैंने एक दिन पहले कहा था, यह प्रशासनिक पैकेज अथवा आर्थिक पैकेज दे कर नहीं सुलझाया जा सकता। यह केवल राजनैतिक पैकेज दे कर सुलझाया जा सकता है तथा मैं यह बात संक्षेप में दोहराना चाहूंगा कि इस राजनैतिक पैकेज में 'कश्मीरियत', संघीय ढांचे के भीतर, इस राज्य के विशेष दर्जे को स्वीकार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 में पुनः विश्वास व्यक्त किया जाना चाहिए तथा भारतीय प्रभुसत्ता के अन्तर्गत स्वायत्ता का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए तथा फिर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें कोई सकारात्मक बातचीत की जा सके। जिसमें बिना किसी शर्त स्वायत्ता के प्रश्न पर चर्चा हो सके। महोदय, यहां पर एक शब्द भी नहीं कहा गया जिससे यह पता चले कि सरकार की कश्मीर के प्रति कोई राजनैतिक नीति अथवा राजनैतिक दृष्टिकोण है। एक तरफ युद्धबंदी के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है; शहरी क्षेत्रों से सुरक्षा बलों को हटाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है; राजनैतिक बंदियों को छोड़ने, काले कानूनों को समाप्त करने के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है और हमारे भाईयों, हमारे नागरिकों को बातचीत के लिए आमन्त्रण देने के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है जिससे कि वे हमारे साथ बैठकर यह बता सकें कि वे क्या चाहते हैं ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकल सके। इस अभिभाषण में कश्मीर संबंधी दृष्टिकोण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

महोदय, अयोध्या के बारे में उल्लेख किया गया है। 1992 तथा 1993 में सरकार ने हमें यह बताया था कि वे अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत इसे विचारार्थ भेज रहे हैं क्योंकि वैकल्पिक रुप में अनुच्छेद 138 के अन्तर्गत इन मामलों के हस्तांतरण में काफी समय लग जायेगा। आज 15 माह पश्चात् स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि क्या इसे स्वीकार किया जाये अथवा नहीं। और आज हम कहां हैं ? हमने बहुमूल्य समय गंवा दिया है। हमने एक इंच भी प्रगति नहीं की है। स्थिति आज भी उसी तरह तनावपूर्ण, निराशाजनक, नाउम्मीदी तथा गंवाये गए अवसरों से भरी हुई है।

महोदय, मेरा सरकार से यह आग्रह है कि सरकार को अयोध्या अधिनियम निरस्त कर देना चाहिए केवल बाबरी मस्जिद के लिए ही नहीं बल्कि जिसका एक साधारण सा कारण है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस कानून को निरस्त नहीं करते हैं तथा अगर आप एक पूजा स्थल का अधिग्रहण कर लेते हैं, तो कल को आप स्वर्ण मंदिर का अधिग्रहण कर सकते हैं, पुरी मंदिर का अधिग्रहण कर सकते हैं तथा जामा मस्जिद का अधिग्रहण कर सकते हैं तथा इससे एक धर्मनिर्पेक्ष राज्य के धार्मिक समाज में एक बहुत ही खराब उदाहरण स्थापित हो जायेगा। इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाये।

मामलों को बहाल करके उन्हें अन्तिम अधिनियम के लिए उच्चतम न्यायालय को हस्तांतरित किया जाये तथा जैसा कि मेरे सहयोगी श्री यादव ने कहा है, सरकार को पुरजोर ढंग से यह घोषणा करनी चाहिए कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, इसे पूरी राजकीय शक्ति के साथ लागू किया जाएगा, चाहे इससे कोई भी प्रभावित हो अथवा यह किसी को पसंद या नापसंद हो।

महोदय, संसद की स्थायी समितियों का उल्लेख किया गया है। हम स्थायी समितियों का स्वागत करते हैं। परन्तु क्या यह शून्यकाल को कम करने का आधार है ? क्या यह प्रश्नकाल को समाप्त करने का आधार है ? मेरा सरकार से आग्रह है कि वह हमारी बात मान कर शून्यकाल की परम्परा को पुनः शुरु करें, चाहे स्थायी समितियों की बैठक चल रही हो, आप समय बढ़ा सकते हैं। परन्तु बजट पर चर्चा के लिए समय में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। संसद लोकतंत्र के हृदय की धड़कन है। कृपया इसका विपुंसीकरण मत कीजिए। इसका समय कम मत कीजिए, इसका महत्व कम मत कीजिए तथा सरकार के समक्ष लोगों की इच्छा को प्रस्तुत करने की शक्ति को कम मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा कहते हुए अत्यंत खेद है कि चुनाव सुधारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। अनेक समितियां गठित की गई थीं। एक विधेयक राज्य सभा में लंबित पड़ा है। निर्वाचन आयोग ने कुछ प्रस्ताव संप्रेषित किए हैं। परन्तु सरकार चुप है। सरकार ने कोई पहल नहीं की है तथा इसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि क्या यह इस सम्बन्ध में कोई पहल करना चाहती है। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक आपराधिक अथवा घातक बात भी लोकतंत्र के लिए हो सकती है; जिसमें हमारा विश्वास है।

पंचायत राज के बारे में भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। आप को याद होगा कि जब पंचायत राज विधेयक पास किया गया था, तो कैसी आशा की रोशनी देश में छा गई थी और अभी तक क्या किया गया है ? दो वर्ष पश्चात् अभी भी पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करना है।

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है; जिसके ऊपर संघ का भविष्य टिका हुआ है। इसके बारे में इसमें एक शब्द भी नहीं है। क्या ये सब रद्दी की टोकरी में डालने के लिए हैं ? क्या इन सब को भुला दिया गया है ? क्या केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर राष्ट्रपति महोदय कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते?

महोदय, मेरा छोटे राज्यों में विश्वास रहा है। मेरे विचार में भारत का भविष्य छोटे राज्यों पर निर्भर करता है। परन्तु इस संबंध में कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। यद्यपि छोटे राज्यों की मांग के समर्थन में देश में अनेक आन्दोलन चल रहे हैं।

6.00 म०प०

महोदय, आज देश के अल्पसंख्यक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनमें भय और निराशा व्याप्त है। एक ओर तो आप यह कह रहे हैं कि आप वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए वक्फ विधेयक ला रहे हैं और दूसरी ओर आपने एक मस्जिद, एक वक्फ सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। आप कैसा मजाक कर रहे हैं ?

महोदय, दंगे हुए थे। आप जानते हैं कि बम्बई में एक जांच आयोग कार्य कर रहा है। अयोध्या मामले

का परिणाम आप जानते ही हैं जिस संगठन पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, वह प्रतिदिन प्रैस कांफ्रैंस का आयोजन कर रहा है और वक्तव्य दे रहा है। जिन लोगों को अदालत में पेश किया गया था; उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। मुकदमों में कोई प्रगति नहीं हुई है। जांच आयोग ने प्रथम नोटिस देने के आगे और कुछ नहीं किया है। एक साल तीन महीने में यही उपलब्धि रही है। इस अच्छे काम और कुशलता के लिए इस महान सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। यह देख कर मैं हैरान हूं। इससे अल्पसंख्यकों को क्या मिला ? उन्हें यह संकेत मिला कि अगर आप को मसल दिया जाता है तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, अगर आपसे हिंसा होती है तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसे सहने के अतिरिक्त आप के पास और कोई विकल्प नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जायेगा।

महोदय देखिए कि अल्पसंख्यकों के राजनैतिक अधिकारों के साथ क्या किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। दिल्ली में ऐसा हुआ, असम में ऐसा हुआ। असम में 25 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। सारे देश से हमें ऐसी सूचनायें मिली हैं, आप विभिन्न विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को देखिए। यह शून्य रह गया है। इसका क्या अर्थ है ? आप क्या समझते हैं कि लोग ये जब चुपचाप सह लेंगे ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया, लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्थापित नहीं किया, तो कल को फिर अलग मताधिकार तथा अलग निर्वाचन मण्डल की मांग फिर उठेगी। कृपया इसे धमकी मत समझिए, परन्तु इसे एक संकेत तथा एक सावधानी बरतने का परामर्श समझिए। मैं अलग मताधिकार के विरूद्ध हूं। मैं अलग निर्वाचन मंडल के विरूद्ध हूं, परन्तु जब आप लोगों को मताधिकार से वंचित करेंगे तो ऐसा अवश्य होगा। ऐसा संकट किसी भी राजनैतिक तंत्र में आ सकता है।

महोदय, हमने अल्पसंख्यक आयोग गठित कर रखा है। पिछले 15 वर्षों के दौरान इस आयोग की एक भी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा नहीं हुई है। राष्ट्रपति महोदय ने इसकी वार्षिक रिपोर्टों का भी उल्लेख नहीं किया है। हमारे पास 15 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। मंत्री महोदय हमें यही बताते आ रहे हैं कि उसमें संशोधन किया जा रहा है। यह संशोधन कहां किया जा रहा है ? कौन सी सरकार ने रिपोर्टें भेजी हैं ? कितनी बार मंत्रिमंडल की समिति की बैठक हुई है ? सरकार उन्हें कितना महत्व देती है ? सरकार इन्हें कोई महत्व नहीं देती। यह सब नारेबाजी है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। लेकिन भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का पद वर्षों से खाली पड़ा था और एक दिन एक व्यक्ति की नियुक्ति उस पद पर कर दी गई। बाद में उसे भी कश्मीर भेज दिया गया। अब फिर से वह पद एक वर्ष से रिक्त पड़ा है। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं उर्दू के बारे में नहीं कह रहा हूं। भारत की 18 प्रतिशत जनता विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यक है। उनके अधिकारों का संरक्षक केवल एक संवैधानिक प्राधिकारी है जिसे भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त कहा जाता है और उसका पद भी जानबूझकर खाली रखा हुआ है तथा 20 वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जा चुके हैं, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं की गई है। भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या को भी वे ऐसा ही महत्व देते हैं।

उर्दू के बारे में गुजरात समिति का प्रतिवेदन है। गुजरात समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए अल-ए-सुरूर समिति गठित की गई थी। अल-ए-सुरूर समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए जाफरी समिति गठित की गई थी, लेकिन अंततः कोई परिणाम नहीं निकला। कोई निर्णय नहीं लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों को निपटाने का क्या यही तरीका है ?

अब मैं त्रि-भाषा फार्मूले पर आता हूं। भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चे अपनी मातृभाषा सीख नहीं सकते, अपनी मातृभाषा में अपनी बात नहीं कह सकते और अपनी मातृभाषा में अपने माता-पिता को लिख नहीं सकते। मैंने सरकार से अनेक बार अनुरोध किया कि त्रि-भाषा फार्मूले की समीक्षा करें और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

महोदय, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम बनाने का वायदा किया था। दुबारा भी यह वायदा किया गया था और सभा में भी इस संबंध में आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिहार सहित अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक विकास निगम गठित किए गए हैं। सरकार अभी भी समस्या की संवैधानिक जटिलताओं को सुलझा रही है।

तथ्य यह है कि अल्पसंख्यक यह अनुभव करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण किया जा रहा है, उन्हें विकास का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है, सांस्कृतिक रुप से वे दलित हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उनके धार्मिक अधिकारों को भी खतरा पैदा हो रहा है।

क्या आप सोचते हैं कि देश इस प्रकार बच सकता है ? क्या इस प्रकार देश में उपयुक्त भावनात्मक एकता आ सकती है ?

राष्ट्रपति ने सकल घरेलू उत्पादन का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए आबंटित करने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस शताब्दी के अंत तक इसे बढ़ा दिया जाएगा। क्या हमें सात और वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी ? हमारे देश में पहले ही सबसे अधिक अशिक्षित व्यक्ति हैं। आज हमारे देश में सन् 1947 की कुल जनसंख्या से भी अधिक अशिक्षित व्यक्ति हैं और हर वर्ष यह संख्या बढ़ती जाएगी, इस वर्ष यह संख्या गत वर्ष की तुलना में अधिक है और फिर भी राष्ट्रपति कहते हैं कि ''सकल घरेलू उत्पाद का आबंटन इस शताब्दी के अंत तक बढ़ाया जाएगा न कि अभी बढ़ाया जाएगा।'' अभी आप अशिक्षा के अंधेरे में ही रहें। इस बात में तो कोई हैरानी है ही नहीं कि हमारे यहां सबसे अधिक व्यक्ति बेरोज़गार हैं।

आज हमें बताया गया कि पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। क्या आप इसका तरीका जानते हैं ? वह एक एक माह के आधार पर आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं। मैं सरकार को यह चुनौती देता हूं कि 1991, 1992 और 1993 में आए पर्यटकों की संख्या बताएं और बताएं कि क्या यह पूरे विश्व में पर्यटन में हुई वृद्धि के अनुरुप है।

हम नागरिक अव्यवस्था के समय सशस्त्र बलों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। अनेक व्यक्तियों, न्यायविदों और भूतपूर्व जनरलों ने यह चेतावनी दी है कि ऐसा करना उपयुक्त और सही नहीं है। लम्बे समय तक नागरिक परिस्थितियों में कार्य करने से सेना अपना आचार और नैतिकता खो देगी। अत: हमें सेना को अधिक नागरिक कार्य नहीं सौंपने चाहिएं, हमें इसे उसी कार्य के लिए रखना चाहिए जिसके लिए यह है। मुझे अपने राज्य और अन्य अनेक राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी राज्यों की जनता को सशस्त्र बलों की सेवा में जाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, हम सभी को अपने देश की रक्षा का अवसर मिलना चाहिए, किसी को भी यह सोचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वह गैर-मार्शल जाति या गैर-मार्शल राज्य का है।

इसमें आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां और सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र बढ़ रहा है। इस तरह से भविष्य में आरक्षण अर्थहीन हो जाएगा। यदि आरक्षण का कोई अर्थ है तो इसे निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए और तत्काल इसे उच्च शिक्षा में भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च शिक्षा के बिना केवल आरक्षण से ही पिछड़ी जातियों का विकास नहीं हो सकता है।

मैं किन्हीं आर्थिक मुद्दों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास नहीं हो रहा है, ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति निवेश कम हो रहा है और इसका एक समान लाभ नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण ऋणों में कमी आई है, जवाहर रोज़गार योजना और आई०जे०आर०वाई० के अंतर्गत उपलब्ध श्रम घंटे कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शहरी कार्यक्रम का वायदा किया था लेकिन प्रधानमंत्री रोज़गार योजना अभी भी कागज़ों पर ही है। वर्ष 1992-93 की तुलना में 1993-94 में बेरोज़गारी बढ़ी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तथ्य को छुपाया गया है। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है।

मैं विदेशी मामलों में पाकिस्तान या संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे संबंधों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस बारे में यहां काफी कुछ कहा जा चुका है। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन समाप्त होने का मुझे बहुत दुख है। हम इसके सृजनकर्त्ताओं में थे। हमने इसकी शुरुआत की थी। नेहरू इसके निर्माता थे। आज जब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैंने सुझाव दिया कि ओ०आई०सी० के स्थान पर गुट निरपेक्ष आंदोलन को भूमिका निभाने दें तो अन्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि मेरे पास आए और मुझसे कहा "आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है कहां ?" आप इसे भूल गए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने फिलीस्तीन में क्या भूमिका निभाई है ? बोस्निया की घटना में इसने क्या भूमिका निभाई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण किया गया, उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया, वहां विदेशों द्वारा प्रेरित आतंकवाद, अलगाववाद चल रहा है। क्या आपको कश्मीर और बोस्निया में कोई समानता दिखाई देती है ? फिर भी हम चुप हैं। हम इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। बोस्निया एक सदस्य राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और हमारी आंखों के सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और इस संबंध में हमारे कूटनीतिक प्रयास बिल्कुल नगण्य हैं। क्या हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है? क्या हम संयुक्त राज्य अमरीका के इतने दबाव में हैं कि हम नेरूल हत्याकांड की निंदा भी नहीं कर सकते हैं? क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि फिलीस्तीन में शांति तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि अधिकृत अरब क्षेत्र को पूरी तरह खाली नहीं कर दिया जाता और सभी विवादों को निपटा नहीं दिया जाता ? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं ? हमारी विदेश नीति के यही सिद्धांत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम विश्व में अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हैं, विश्व समुदाय में अपना स्थान खो रहे हैं। इसीलिए क्लिंटन हमें कुछ भी कह सकता है। इसीलिए अनेक राष्ट्र हमें अंगूठा दिखा सकते हैं। हमारा दुनिया में कोई स्थान नहीं रह गया है क्योंकि हमने अपने सिद्धांतों को भुला दिया है।

हमारी कभी भी बड़ी सेना नहीं रही है। आज हमारी सेना पंडित नेहरू के समय से काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा उससे कम है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय थी। अतः मैं सरकार

से अनुरोध करता हूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को पुनः शुरु किया जाए ताकि विश्व में हमारी खोई प्रतिष्ठा वापिस आ सके। अन्यथा ये व्यक्ति उदारीकरण, सार्वभौमिकीकरण, सुलभता और गेट के नाम में दूसरों तथा अनेकों दूसरे कामों में ही लगे रहेंगे।

मैं विद्युत और एयरलाइन्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निवेश के अप्रतिबंधित प्रवेश के प्रति चिंतित हूं। लेकिन आज हम असहाय की स्थिति में हैं क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को भुला दिया है, हमने राजनीतिक या आर्थिक स्तर पर विदेशी हस्तक्षेप का कोई विरोध नहीं किया है।

अतः महोदय मेरा अंतिम आग्रह है कि हमें न केवल अपनी जनता के भाग्य की रक्षा के लिए बल्कि गांधी और नेहरू के स्वप्नों को साकार करने के लिए एक भूमिका निभानी है और एशियाई एकता के महान लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमें दक्षिण एशिया में एक ऐसी भूमिका निभानी है जिससे वहां स्वतंत्रता, शांति और सहयोग का वातावरण बन सके। हमें विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए भी भूमिका निभानी है जिससे कि एक दिन ऐसा आ सके जहां मानवता का एकाकार हो सके, वह गुलामी के चंगुल से मुक्त हो सके, युद्ध से परे रह सके और अभावों से मुक्त हो सके। हमें यह दायित्व निभाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है जिससे यह पता लगे कि सरकार इस महान ऐतिहासिक दायित्व को समझती भी है या नहीं ?

अंत में, महोदय मेरा यह कहना है कि हम ऐसे सामाजिक वातावरण में रह रहे हैं जिसमें सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। यह सामाजिक न्याय अवश्य आएगा चाहे कोई इसे चाहे या न चाहे। इसका अर्थ होगा समानता, न केवल औपचारिक अर्थों में विधि के समक्ष समानता बल्कि इसका अर्थ है सब व्यक्तियों और वर्गों को हमारे देश की सम्पत्ति, संसाधनों और सेवाओं में समान हिस्से की आर्थिक समानता। इससे हमारे सभी व्यक्तियों को भागीदारी की भावना का अहसास होगा। तभी सच्चा लोकतंत्र आएगा।

मैं फैज़ की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

यह दाग़ दाग़ उजाला, यह शब गुज़ीदा सेहर,
वो इंतजार था जिसका, पर वो सहर तो नहीं,
कहां से आई, किधर को गई बहारें सब,
अभी चिरागे सरेरह को तो ख़बर ही नहीं
बढ़े चलो कि वोह मंजिल अभी नहीं आई,
निशाते हुस्न औ ग़मे इश्क की घड़ी नहीं आई।

[अनुवाद]

हम उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति के अभिभाषण ने हमें वह रास्ता नहीं दिखाया, वह आशा नहीं जगाई कि हम जल्द ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। इसी कारण मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह मात्र औपचारिकता है और मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि यदि सभी 10 या 12 मिनट ही बोलें तो अच्छा होगा। कल श्री सुव्रत मुखर्जी घंटी बजने के बाद तक बोलते रहे और अन्य भी ऐसा ही करते रहे। तब उन्हें बुरा लगा कि पीठासीन अधिकारी उनके भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं। अतः इस चीज को ध्यान में रखते हुए कृपया संक्षेप में बोलिए ताकि अन्य माननीय सदस्य भी बोल सकें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : क्या आप कृपया इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम बता सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आठ बजे तक बैठना है और यदि मैं नाम पढ़कर सुना दूंगा तो जिन सदस्यों के नाम नहीं हैं वे चले जाएंगे।

|हिन्दी|

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, बी०जे०पी० के लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिला है। अभी काफी लोग हैं। जनता दल के लोग काफी बोल चुके हैं लेकिन हमें भी तो समय मिलना चाहिए। अगर इसी तरह से बैठे रहे तो कैसे चलेगा ? श्री डी०एन० दास बैठे हुए हैं।

|अनुवाद|

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। आपको भी समय मिलेगा।

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों की चर्चा की जाती है। अभी शहाबुदीन साहब बोल रहे थे छोटे राज्यों के बारे में। इसी सदन में 30 जुलाई को प्रधान मंत्री जी ने झारखंड के सवाल पर कहा था कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे और फिर 15 अगस्त को लाल किले से, जहां देश की नीतियों की घोषणा की जाती है वहां भी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द झारखंड की समस्या का समाधान हम करेंगे। इतना ही नहीं, बड़ी आम सभा में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाकर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही झारखंड की समस्या का समाधान करेंगे और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था तो मैं शुरु से लेकर अंत तक सुनता रहा कि कहीं एक शब्द इस विषय पर जो नीतिगत फैसला होने वाला है इस पर राष्ट्रपति की ओर से कोई जिक्र है या नहीं। बड़ी निराशा हुई कि प्रधान मंत्री जी की बात का महत्व इतना गिर गया है और देश की जनता को मुख्य मंत्री की बातों पर तो यकीन नहीं रहा लेकिन प्रधान मंत्री ने इस सदन के अंदर कहा और लाल किले से कहा और आज तक उस पर किसी तरह का अमल करने का काम नहीं हुआ। इससे झारखंड की जनता और देश का विश्वास सरकार की नीतियों में तो उठा ही है, मैं समझता हूं कि देश के लोग अब यह सोचने लगे हैं कि प्रधान मंत्री की बातों का महत्व बहुत कम हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर असमानता, सामाजिक न्याय और आतंकवाद क्यों पनप रहा है ? इन नीतियों की चर्चा भी ठीक से नहीं की गई है और उनके ऊपर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आज सारे हिन्दुस्तान के गांव, जंगल, पहाड़, नदियां, कोयले की खान और जहां स्टील बनता है वह स्थान भी आदिवासियों, दलित लोगों की जमीन पर है। स्टील प्लांट वहां है और वहां से उसका रॉ मेटीरियल आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब जब गरीबों, आदिवासियों को नौकरी में अवसर मिलते हैं वैसे-वैसे कानून बनाए जाते हैं

और इस देश में जो जमीन अक्वायर की जाती है उसकी कोई नीति नहीं है। आज जो लोग विस्थापित किये जाते हैं 40–47 साल में आज तक सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति विस्थापितों के लिए नहीं बनी कि गरीब लोगों को किस तरह से ठगा जाए। आज कोल इंडिया राजमहल प्रोजेक्ट बनता है तो वहां एक एकड़ में आदमी को नौकरी दी जाती है और वही अगर बी०सी०सी०एल० में बनता है तो दो एकड़ में नौकरी दी जाती है और आश्चर्य की बात यह है कि सी०सी०एफ०, पीपरवार प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया से साढ़े पांच करोड़ रुपया मिला है उसको बनाने के लिए, वहां पर 15 हजार आदमी विस्थापित हो रहे हैं। उनके लिए क्या कानून बनाया है और भारत के संविधान का किस प्रकार उल्लंघन हो रहा है कि जो पढ़े-लिखे लोग है उनको दो एकड़ में नौकरी मिलेगी और अनपढ़ लोगों की जमीन जाएगी तो उनको तीन एकड़ में नौकरी दी जाएगी।

क्या यह सामाजिक न्याय हो रहा है ? इस देश में क्या आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है ? जो लोग पढ़े-लिखे हैं उनके लिए अलग कानून और जो अनपढ़ हैं उनके लिए अलग। पढ़े-लिखे कौन थे, उस समय जो पढ़े-लिखे थे वे सब आज सत्ता व शासन में जमकर बैठ गए हैं। शरद यादव जी ने ठीक ही कहा कि जगन्नाथ प्रसाद को वहां लेनिन के नाम से जाना जाता था। उनका भाषण होता था कि 100 में 90 हमारे हैं, इसलिए शासन 10 का नहीं चलेगा, लेकिन आज 10 का शासन 47 साल से चल रहा है। ज्यों-ज्यों पढ़ता जाता है त्यों-त्यों कानून बदलता जाता है।

आज इस देश में 3 करोड़ संथाली लोग हैं लेकिन आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में उस भाषा का नाम नहीं जुड़ सका है, यह दुख की बात है और ये आदिवासियों का नाम लेते हैं। अगर एक ब्राहमण कशमीर मे कन्या कुमारी तक जाता है, तो वह ब्राहमण ही रहता है, लेकिन आदिवासी अगर हमारे झारखंड इलाके का आसाम जाता है, चायबागान में काम करता है, तो उसे आदिवासी नहीं माना जाता है। हमारे संतोष मोहन देव, मंत्री जी यहां बैठे हैं, इन्हें मालूम है, वहां चायबागान में काम करने वाले संथाली लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी दिया जाता है। वहां पर 47 लाख लोग संथाली हैं। वे वहां अपनी रोजी के लिए गए हैं, अपने पेट के लिए गए हैं। आज झारखंड इलाका जो है वहां देश की 41 प्रतिशत खनिज सम्पदा पैदा होती है, लेकिन आज बिहार सरकार और भारत सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। वे लोग रोजी के लिए, अपना घरबार छोड़कर आसाम, पंजाब, नगालैंड, मिजोरम और अंडमान निकोबार, अमीनीदीवी द्वीप समूह तक जाने को मजबूर हैं। क्या आपकी आदिवासियों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है ? आदिवासियों को आपने म्यूजियम में चिड़िया की तरह कैद कर रखा है नहीं तो क्या कारण है कि आप भारत सरकार के मंत्रिमंडल में आदिवासी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दे सके हैं। अभी थुंगन साहब यहां बैठे थे चले गए, पी०ए० संगमा साहब यहां नहीं है, दोनों को ही राज्य मंत्री से कभी ऊपर का दर्जा नहीं दिया है। आपने 47 साल की आजादी के बाद भी कोई आदिवासी कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं बनाया है। संगमा साहब चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, थुंगन साहब अरूणाचल के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन यहां कैबिनेट मंत्री नहीं हो सकते हैं। जो पी०ए० संगमा की मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर थे और उनके अंडर में डिप्टी मिनिस्टर थे, वे आज इस हाउस में कैबीनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन संगमा साहब आज यहां स्टेट मिनिस्टर हैं, तो आप इस प्रकार से आदिवासियों को सम्मान दे रहे हैं। आपने आदिवासियों को चिड़ियाघर में कैद करने के समान यहां रखा हुआ है।

अभी रामाश्रय प्रसाद जी बोल रहे थे और नक्सलाइट की बात कह रहे थे। नक्सलाइट कहां से पैदा होते हैं, हमारे यहां से ही पैदा होते हैं। वह जहानाबाद नहीं, धीरे-धीरे पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे हैं और सब लोग नक्सलाइट के चक्कर में आएंगे। आप कहते हैं कि जंगल नहीं उजड़ने चाहिए, उसकी कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए, कोयला निकाला जा रहा है और कोयला निकालने के लिए जंगल उजाड़े जा रहे हैं। 600 एकड़ का एक जंगल सी०सी०एल० ने कोल फील्ड बनाने के लिए जिसमें साल, सागवान, महुआ आदि के बड़े घने वन थे, उजाड़ दिया।

15 हजार की आबादी जिसमें सब आदिवासी और गरीब लोग हैं, को पीपरवार प्रोजैक्ट के जरिए पर्यावरण में फंसाकर रखा हुआ है। सी०सी०एल० ने बिहार सरकार को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ लगाने के लिए 29 करोड़ रुपये दिए लेकिन 29 लाख के भी पेड़ वहां पर नहीं लगे हैं। इसके लिए भी कोई नीति होनी चाहिए।

श्री सनत कुमार मंडल यहां पर बैठे हैं। ये रिजर्व्ड कौनस्ट्रीटूऐंसी से चुनकर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शैडयूल कास्ट, शैडयूल ट्राइब्स के लिए भी पूरे देश में एक तरह का मापदंड बनाना चाहिए तभी सब लोगों में समानता लाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी का वोट के समय जो कुहेंगे वह करेगी। वैसे आपकी यही उपलब्धि है कि आप हाऊस में मैजौरिटी में आ गए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय चीनी, गेहूं, गैस आदि के दाम बढ़ गए। सदन की मर्यादा दिनोदिन गिरती जा रही है। लोगों में रिसैन्टमैंट क्यों नहीं होगा।

ऑस्ट्रेलिया से आपको पांच साल के लिए दो प्रोजैक्ट, जिसमें से एक पीपरवार प्रोजैक्ट है, लगाने के लिए इनटरस्ट फ्री लोन मिला। लेकिन उसका कोई मापदंड नहीं है, सिर्फ यह चिन्ता है कि उन रुपयों को कैसे खर्च करना है। पीपरवार प्रोजैक्ट इसलिए बना था कि वहां पर नार्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन सैट-अप करने की बात थी। उससे उस इलाके के लोगों को नौकरी मिलती, बिजली मिलती। आज बिहार की 7,268 इंडस्ट्रीज पावर की वजह से बंद हो चुकी है। जो आप ऑस्ट्रेलिया की मदद से करते हैं वह हिन्दुस्तान कर सकता है। हमारे हिन्दुस्तान में पहले से ही गिद्दी वाशरी है। बोकारो स्टील प्लांट में वहां से कोयला वॉश होकर जाता है। आज विदेशी लोग यहां पर व्यापार के नाम से घुस रहे हैं, कल उनकी नजर आपकी कुर्सी पर भी हो सकती है। इसलिए हमारे देश के पूर्वज इस बात के लिए लड़े थे कि स्वदेशी वस्त्र पहनो। आप आज छोटे-छोटे व्यापार के लिए भी विदेशियों को बुला रहे हैं।

श्री शरद पवार ने कलकत्ता में जाकर भाषण दिया कि विदेशियों का 1400 करोड़ रुपया हमारे यहां इनवैस्ट हो गया। इनवैस्ट तो हो गया लेकिन उसकी नीति क्या है, यह देखना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि देश में विस्थापितों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिये। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है और वहां सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। एच०ई०सी० ने 10-20 रुपये एकड़ में किसानों से जमीन ली। उसकी मैनजमेंट ने 400 रुपये एकड़ में वही जमीन मठाधीशों को बांट दी। आज भी जो 1200 एकड़ जमीन फालतू पड़ी हुई है, वहां पर किसानों को खेती नहीं करने दी जाती है। 500 लोग जो विस्थापित हुए हैं, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। अभी जिन 32 लोगों को नौकरी दी गई है, वे ज्यादातर एच०ई०सी० में काम करने वाले आफिसर्स के रिश्तेदार हैं। क्या आप इस संबंध में कोई नीति बना रहे हैं ?

इंग्लैंड और अमरीका के साथ चलने के लिये आप नीति बना रहे हैं। जैसी आपको जरूरत महसूस होती है, वैसी आप नीति बना देते हैं। राष्ट्रीयकरण करने से पहले आपने लोगों को मानसिक तौर पर तैयार नहीं किया था और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आप मजदूरों और गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा कहर ढाहने वाले हैं।

आज आप विदेशियों को बुला रहे हैं। कारखानों से मजदूरों की छंटनी कर रहे हैं। बी०आई०एफ०आर० स्कीम चला रहे हैं। जब देश की आबादी 90 करोड़ से 100 करोड़ और सवा सौ करोड़ हो जायेगी तो इतनी बड़ी आबादी को संभालना मुश्किल हो जायेगा। इंग्लैंड की आबादी 100 करोड़ है लेकिन वहां आदमी कम हैं। इसलिये वे लोग मशीनों से काम करते हैं। हमारे यहां आदमी ज्यादा हैं और पापुलेशन ज्यादा है। आपको इसका ख्याल रखना चाहिये। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि फॉरेन इनवैस्टर्स यहां आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी मंत्री कहते हैं कि यहां अच्छा इनवैस्टमैंट हो रहा है।

हमारे यहां आधी से भी अधिक जमीन परती पड़ी हुई है। हम किसानों के लिये अच्छी सिंचाई का इंतजाम नहीं कर सके हैं। 47 साल की आजादी के बाद भी गांवों में रहने वाले आदमियों को बिजली और पानी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। आप पैस्टीसाइड्स पर 10 परसेंट टैक्स लगा रहे है।

डी०वी०सी० के हैड क्वार्टर को हटाने के लिये हमने आपसे मांग की थी। एग्रीमैंट था कि इसको कलकत्ता से हटा कर माइथौन में रखेंगे। कलकत्ता में रहने से सिटी एलाउन्स और ट्रैवलिंग एलाउन्स देना पड़ता है। अगर आप डी०वी०सी० के हैड क्वार्टर की जमीन को बेच दें तो अच्छा पैसा मिलेगा। इससे डी०वी०सी० की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकेगा।

केन्द्र सरकार का काम बिहार सरकार को पैसे देने का होता है। विश्व बैंक से 394 करोड़ रुपये पहाड़ी योजना यानी कि झारखंड योजना के डैवलपमैंट के लिये दिये गये थे। 308 करोड़ रुपया ट्राइबल सब-प्लान के बजट में प्रावधान किया गया था।

जब यह पहाड़ी योजना का 396 करोड़ रुपया मिला तो वह पैसा धीरे से बिहार सरकार ने खिसका दिया। वह कहां ले गई, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार पैसा देती है लेकिन वहां के लोग भूखे मरते हैं, वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है और आज वहां 72 इण्डस्ट्रीज बंद हो गई हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि अपनी नीतियां स्पष्ट बनानी चाहिए।

आज जो लोग देश में कश्मीर की बात बोलते हैं, बोडोलैण्ड की बात बोलते हैं, सब लोगों ने बोला। शरद यादव बोल रहे थे तो कश्मीर की और पंजाब की बात बोल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट की बात बोल रहे थे लेकिन पोलिटिकल कारणों से झारखण्ड की बात भूल जाते हैं, वह नहीं कहते हैं। हर आदमी के बीच में कुछ न कुछ पोलिटिकल ड्रा बैक है इसलिए यह झारखण्ड का नहीं बोलना चाहते हैं, दूसरी बात बोलना चाहते हैं। वह कश्मीर से लेकर पंजाब ले गये और फिर सीधे नॉर्थ ईस्ट ले गये। उन्होंने झारखण्ड के झगड़े को नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी इसके बारे में कल जब जवाब देंगे तो झारखण्ड के बारे में उनकी नीति क्या है, उसका जवाब दें और स्पष्ट कह दें, नहीं तो हम लोग भी आतंकवादी बनेंगे। आपने देखा होगा, जो जी०टी०वी० में दिखाते हैं, "इनसाइड आफ दि कश्मीर", आप उसको देखिये तब आपको पता चलेगा कि क्या है, कैसे वह लोग तैयार हो रहे हैं।

हमारा झारखण्ड बीच में है, बॉर्डर पर नहीं है, अगर बॉर्डर पर होता या किनारे पर होता तो उसी तरह की हालत हमारे यहां भी हो जाती। लोगों के दिल में यह भावना है, एक-एक नौजवान के दिल में यह भावना है लेकिन बीच में होने के कारण मजबूरन नहीं हो पा रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने कह दिया कि बोड़ोलैण्ड का हमने फैसला किया। बोड़ोलैण्ड का कोई फैसला नहीं हुआ है। असम में हमारा आदमी गया था, उसने बोड़ोलैण्ड के लोगों से बात की है, वहां कोई फैसला नहीं हुआ है। वह लोग फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। जो लोग समस्या को टेक अप करते हैं, उनको समस्या का समाधान करना चाहिए और लोगों की आत्मा को संतोष पहुंचाना चाहिए। इस इलाके में आज जो जलन है, लोगों के बीच में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, राष्ट्रीय नीति बनाकर उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि कल प्रधान मंत्री जी झारखण्ड के सवाल पर निश्चित रुप से जवाब देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं।

|अनुवाद|

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आपको निवेदन है कि आपको जो समय दिया गया है, आप अपनी आत उसी समय तक सीमित रखिये ताकि अधिक से अधिक लोग चर्चा में भाग ले सकें। कुछ सदस्य घण्टी बजने के आधे घंटे अथवा 45 मिनट बाद तक भी बोलते रहते हैं।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ पहलुओं पर, जिन्हें 21 फरवरी को दिये गये माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित नहीं किया गया है, चर्चा करना चाहता हूं। इसमें आमतौर पर किसी भी विषय की गहराई से अध्ययन किए बगैर ही उसका उल्लेख हुआ है। इसमें भारत सरकार की उपलब्धियों और माननीय प्रधान मंत्री के विभिन्न देशों के दौरे की और उनकी शानदार और श्रेष्ठ उपलब्धियों का उल्लेख है।

मैं अपना भाषण मुख्यत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामलों तक ही सीमित रखूंगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 22.5 प्रतिशत ही है जिसमें 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है।

लेकिन अगर हम सारे भारत के आंकड़े लें तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या की 25 प्रतिशत तक है। अत: मेरे विचार में, यह आरक्षण कुल मिलाकर 25 प्रतिशत होना चाहिये जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए साढ़े सोलह प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े आठ प्रतिशत।

इस संबंध में, मैंने कल्याण मंत्रालय को अनेक पत्र लिखे लेकिन मुझे जो जवाब मिला वह इस प्रकार है : "मैं मामले की जाँच-पड़ताल करा रहा हूं।"

यह उक्ति अब इतनी प्रिय अथवा प्रसिद्ध हो गई है कि आज तक मुझे भारत सरकार के माननीय केन्द्रीय मंत्रियों से कम से कम 150 ऐसे पत्र मिले हैं जिनमें यही कहा गया है "मैं मामले की छानबीन करा रहा हूं।"

ऐसे क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक है, विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना संबंधी विकास योजना का बढ़ावा दिया जाना है, लेकिन मुझे

आश्चर्य है कि असम में मेरे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरे विचार में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र को इस योजना से होने वाले फायदे से अलग करने के पीछे कोई राजनीतिक चाल है।

यह भी देखा गया है कि अत्याधिक पिछड़े और दूर-दराज स्थित ब्लाकों में से 1,752 स्थानों पर रोजगार गारंटी योजना शुरु की गई है और उसमें भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

यह दावा किया गया है कि वर्ष 1992-93 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लगभग 21 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों तथा अनुसूचित जनजाति के लगभग 8 लाख परिवारों को सहायता देकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है और इसीलिए यह कहने कि उड़ीसा और बिहार में भूखमरी से मौतें हुई हैं, कुछ विरोधाभासी सा लगता है और इसीलिए यह तथाकथित 20 सूत्री कार्यक्रम का महज एक प्रोपोगण्डा ही है।

मुझे असम की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन लोगों के प्रतिशत से संबंधित दिनांक 28.4.1993 के अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 6963 का भी उत्तर अभी नहीं मिला है। मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा लेकिन आज तक इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के राज में हर जगह विलंबकारी प्रक्रिया चल रही है ताकि अंततः मुद्दे स्वयं ही समाप्त हो जायें।

मेरा सुझाव यह है कि देश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का विशेष सर्वेक्षण एवं जनगणना होनी चाहिये ताकि सरकार ऐसे लोगों की स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की स्थिति में हो। सेवा तथा प्रोन्नति तथा अन्य मामलों में भी केन्द्र के साथ-साथ राज्यों में भी आरक्षण संबंधी मानदंडों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये।

हम यह नहीं चाहते कि आरक्षण की व्यवस्था आगे आने वाले दशकों तक कायम रहे, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के समान लाने में सरकार को ईमानदारी से प्रयास करने चाहिये।

मैं दृढ़ता से यह कह सकता हूँ कि जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की उन्नति नहीं होगी तब तक भारत फल-फूल नहीं सकता।

मैं आपका ध्यान सीमान्त किसानों की ओर दिलाना चाहता हूँ। सरकार अच्छे-अच्छे भाषण देने में लगी हुई है कि कृषि-उत्पाद के लिए समर्थन-मूल्य तथा उर्वरकों इत्यादि पर पर्याप्त राज सहायता की व्यवस्था है। लेकिन ये सब सीमान्त किसानों अर्थात् निर्धन किसानों तक पहुंच नहीं पाती, जिनके पास बहुत कम भूमि है और उनकी आय बहुत कम है।

6.46 म०प०

(श्री तारा सिंह-पीठासीन हुए)

श्री द्वारका नाथ दास : दूसरी ओर, असंख्य भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। लेकिन आप उन्हें उद्योग में नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे उद्योग क्षेत्र में बहुराष्ट्रिकों के आगमन के परिणामस्वरुप हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है। मेरे विचार में, उद्योग और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन मौजूदा भारतीय संदर्भ में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारी सरकार उदारीकरण की खोखली नीति अपना रही है।

जहां तक बेरोजगारी का संबंध है, तीन करोड़ से भी अधिक युवाओं ने रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण कराया हुआ है और अगर यही स्थिति रही तो मुझे डर है कि सन् 2000 ई० तक यह आंकड़ा दस करोड़ तक पहुंच जायेगा। ऐसा हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के कारण है जो हजारों युवाओं को केवल सफेदपोश कार्यो के लिए ही तैयार कर रही है। श्रम की महत्ता से वे अनभिज्ञ हैं। मेरा सुझाव यह है कि माध्यमिक स्तर से ही विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का बोझ डाले बगैर शिक्षा को व्यवसायिक बनाया जाना चाहिये अर्थात् दस्तकारी की शिक्षा शुरु की जानी चाहिये ताकि वे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकें और आगे चलकर समाज के लिए वास्तव में मददगार साबित हो सकें।

अतः, मैं महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में ऐसी अव्यवहारिक अत्युक्ति का विरोध करता हूँ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे कांग्रेस दल के अंतिम वक्ता के रुप में बुलाया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मैं सभा में रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

मैं विपक्ष की आलोचना पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं इस सभा में कुछ वास्तविक तर्क-वितर्क रखना चाहता हूँ। किसी चीज की आलोचना करना बड़ा आसान है लेकिन कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है। इस देश में हजार बार कहने से एक बार इसे व्यावहारिक तौर पर करना ज्यादा बेहतर है। अब देश को व्यवहार्यता की जरूरत है। यह हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने बताया है जिसके बारे में महान दार्शनिक और वैज्ञानिक आइन्सटीन ने कहा है :

"आने वाली पीढ़ियों को यह मुश्किल से ही विश्वास होगा कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति वाकई में इस धरती पर पैदा हुआ था।"

आइन्सटीन जैसे महान महात्मा ने एक बार कहा था कि विश्व ने हमें अनेक महात्मा दिए हैं। गांधीजी जैसे महात्मा भी इसी विश्व में पैदा हुए थे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है :

*"केवल स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना ही अपने आप में काफी नहीं है, यह लोगों को अपनी स्थिति बेहतर करने का अवसर प्रदान करने का भी साधन है।"

महोदय, आलोचना करना बहुत आसान है। लेकिन स्वतंत्रता से कुछ समय पहले देश में कैसी स्थिति थी? मैं उड़िया कवि का कथन उद्धत करूँगा। मैं उड़िसा साहित्य के पिता व्यास कवि फकीर मोहन की प्रसिद्ध कविता से एक पैरा उद्धत करना चाहूँगा। यह इस प्रकार है :-

**हालांकि हमारे गाँव के पास समुन्द्र में साठों मन नमक उपलब्ध है, फिर भी वह हमें नहीं मिल रहा है। यद्यपि यहाँ पर नमक बहुतायत में उपलब्ध है फिर भी हम नमक बाहर से ला रहे हैं और वह भी ऊँची कीमत पर। हमें अपने उपभोग की वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। हमारे बुनकरों की दुर्दशा देखो। उन्हें संकट का सामना करना पड़ सकता है और उनके परिवार भोजन और कपड़े के अभाव में दम तोड़ सकते हैं लेकिन हमें मिल के बने कपड़े ही खरीदने पड़ेगें।"

---

*(मूलतः बंगाली में दिए गए उद्धरण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।)

**(मूलतः उड़िया में दिए गए उद्धरण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।)

इस कविता का अर्थ यह है कि अंग्रेजों द्वारा घोषित एकाधिकार के परिणामस्वरुप, देश में नमक का एक चुटकी का भी उत्पादन नहीं किया जा सका। जरा कल्पना कीजिये कि देश में क्या स्थिति थी। और हम लीवर पूल से वस्त्र ला रहे थे। आप जरा कल्पना कीजिये कि उस समय हमारी क्या स्थिति थी और आज हमारी क्या स्थिति है।

*हमारे एक साम्यवादी मित्र श्री हाराच्पन राय, माननीय सदस्य सरकार की बड़े जोर-शोर से निन्दा कर रहे थे। मैं यह कहूंगा कि वह निन्दा ही करते चले जा रहे थे। मैं इनकी बात को सुन रहा था। मैं यह जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? वहां पर कैसी स्थिति है? वहां पर आप क्या कर रहे हैं ? क्या आप यह दावा कर सकते हैं कि श्रमिक वर्ग की, किसानों की, मजदूर-वर्ग की सभी परेशानियाँ दूर हो गई हैं ? एक दशक से भी अधिक समय हो गया है, दस वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, नहीं 16 अथवा 17 वर्ष हो गये हैं। लेकिन आपने क्या समानता प्राप्त की है ? हमें क्या देखने को मिल रहा है ? हम यह देख रहे हैं कि निरन्तर दमन, अत्याचार हो रहा है। जो लोग यहां पर इतने जोरदार शब्दों में साम्यवाद की बात करते हैं, वे ही वास्तव में लखपति अथवा करोड़पति हैं। क्या उनकी आय का आंकलन किया गया है ? जी नहीं, ऐसा नहीं किया गया है।

नौ मंजिले भवन बने हुए हैं, भव्य पर्व और उत्सव आयोजित किये जाते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ झोपड़ियों में भी लोग रह रहे हैं। घासफूस की झोपड़ियां बनी हुई हैं और लोगों के पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। इस प्रकार इस राज्य में स्थिति बहुत ही नाजुक है।

श्री तवीत वरण तोपदार (बैरकपुर) : पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में ऐसी स्थिति है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : वह पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिये ऐसा कदम उठा रहे है।

****डा० कार्तिकेश्वर पात्र** (बालासौर) : इस देश में विलासिता और निर्धनता दोनों बातों का समावेश है। यहां पर अमीर लोग भी हैं जोकि तमाम किस्म की विलासिता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे अपने नौ मंजिले भवनों में अति मुलायम बिस्तरों पर सोते हैं जबकि ऐसे भी स्थान यहां पर हैं जहां पर आप लोगों को अति गरीबी में जीवन बिताते हुए बिना भोजन और वस्त्र के देख सकते हैं और यहां तक कि रहने के लिए उनके पास कोई झुग्गी अथवा झोंपड़ी भी नहीं है।

[हिन्दी]

तुलसीदास ने कहा है -

हाथी चले बाजार में, कुत्ते भौंके हजार,
साधुन को दुर्भाव नहीं, जो निन्दे संसार।

---

*(मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तरण)

**(मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर)

इसलिए जो भी क्रिटी साइज करता है, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो काम करता है, जिसके पास सिंसयेरिटी है, जो ऑनेस्ट हैं, उसके लिए राष्ट्रीयता महात्मा गांधी ने कहा है :-

[अनुवाद]

यदि हम स्वार्थ को त्याग दें, स्वार्थहीनता अपनायें, भय को त्याग दें, छल-छद्म को छोड़ दें, ईमानदार, सही, नैतिक तथा सच्चे व्यकि बनें तो बातों को बदलने में कोई समय नहीं लगता।

अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हमारा उद्देश्य ईमानदारी से तथा निष्ठा से काम करने का होना चाहिये। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव पूरी तरह से गांधी-वादी हैं और यहां पर मैं उद्धृत कर सकता हूं। 12 जुलाई, 1991 को विपक्ष के तत्कालीन नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लाये गये विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए हमारे प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा था कि

''मैं प्रधान मंत्री के प्रति काफी आदर रखता हूं। वे विद्वान हैं और एक बहुत ही सज्जन पुरूष हैं। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे स्वतंत्रता पूर्व समय के मूल्य बनाये रखने वाले स्वतंत्रतापूर्व समय के कांग्रेसजन हैं।''

हमारे प्रधानमंत्री जी निर्णय लेने से पूर्व किसी मामले की अच्छाई और बुराई पर विचार करते हैं कि देश को किस तरह से चलाया जाना है। व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव होना चाहिये। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की आलोचना करने के बावजूद भी यहां पर उन्हीं में से कुछ सदस्य कई बार यह मानते हैं कि वास्तव में सुधार हुआ है। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इस सरकार का कार्यभार संभाला था, इस देश में किस तरह का माहौल बना हुआ था, और देश किस तरह से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था ? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय देश की आन्तरिक और बाह्य स्थिति क्या थी। लेकिन विपक्ष ने क्या किया था ? उन्होंने केवल इस सरकार को गिराने की कोशिश की। चुनावों के बीस महीनों के बाद ही इसके लिये प्रयास किये गये थे। आप जानते हैं कि भारत में यह पांचवी अल्पमत सरकार थी। भले ही इस सभा में यह सरकार अल्पमत सरकार के रुप में आयी थी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने विश्वास प्रस्ताव रखा। लेकिन पहले दिन, 12 जुलाई, 1991 को विपक्ष एकजुट हो गया और इन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया। भाग्यवश देशवासियों के आशीर्वाद से, सरकार को विश्वास प्राप्त हुआ। इसके बाद तीन बार अविश्वास प्रस्ताव इस सभा में प्रस्तुत किये गये। एक वर्ष के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव इस सभा के माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह द्वारा 15 जुलाई, 1992 को प्रस्तुत किया गया था। इसके पांच महीने बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा 18 दिसम्बर, 1992 को प्रस्तुत किया गया था। अंतिम अविश्वास प्रस्ताव सी०पी०एम० के हमारे साथी श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा 26 जुलाई, 1993 को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये सभी अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। ऐसा किसलिए? ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश के लोगों का श्री पी०वी० नरसिंह राव में अगाध विश्वास है। श्री पी०वी० नरसिंह राव बिल्लौर की तरह स्वच्छ हैं। देश को उनके ऊपर भरोसा है, देश उनके हाथों में सुरक्षित हैं। एक बार राष्ट्रपिता ने नेहरू के बारे में कहा था कि नेहरू बिल्लौर की तरह स्वच्छ हैं। देश उन पर भरोसा कर सकता है और देश उनके हाथों में सुरक्षित हैं। इसी तरह से देश आज श्री पी०वी० नरसिंह राव के हाथों में सुरक्षित है। आप जानते हैं कि स्वर्ण गिरवी रख दिया गया

था और अब उसे वापिस लाया गया है। आप यह भी जानते हैं कि पंजाब में अशान्ति फैली हुई थी और आर्ज पंजाब में लोकतन्त्र को वापिस लाया गया है।

7.00 म०प०

हमें यह देखना है कि किस तरह असम और तमिलनाडु जल रहे थे। जम्मू और कश्मीर में हर जगह आतंकवाद व्याप्त था। स्थिति इस तरह से बनी हुई थी। **(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : इसके लिये कौन जिम्मेदार था। **(व्यवधान)**

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : पिछली दो सरकारें इसके लिये जिम्मेदार थी। **(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार : पिछली सरकारों में कौन लोग शामिल थे ?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : आप कृपया मेरी बात को सुनें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली सरकारों में कौन लोग शामिल थे। उस समय में दो प्रधानमंत्री बदल गये हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्थिति किस तरह से गंभीर बनी हुई थी। उस स्थिति को नियत्रिंत किया गया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : आरदणीय सभापति महोदय, कांग्रेस दल की ओर से मैं अंतिम वक्ता हूं और मैं विपक्ष की आलोचना का उत्तर देना चाहता हूं। दो मंत्री - रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इस सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं थी लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव ने सरकार को चलाने के लिये कदम उठाने का साहस क़िया। बाद में वे भी इस सभा के लिये निर्वाचित हो गये।

श्री लाल-कृष्ण आडवाणी ने स्थिति के बारे में चर्चा की थी। यहां तक कि उन्हें भी भय थी। उनका भय क्या था ? मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा :

''वे दो बातों की ओर पूर्णतया झुक रहे हैं जोकि निःसंदेह आज मान्य हैं। एक बात यह है कि इस देश को विगत 20 महीनों में दो बार आम चुनाव कराने पड़े हैं; इस देश में कोई भी व्यक्ति तीसरा चुनाव नहीं चाहता है।''

यह उनका भय था कि लोगों ने विगत 20 महीनों में दो आम चुनाव देखें हैं और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट उठाने पड़ेंगे। इस देश में किसी व्यक्ति ने भी तीसरा आम चुनाव नहीं कराना चाहा और यह बात बिल्कुल सही थी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया कि यह केवल श्री पी०वी० नरसिंह राव की सरकार के मामले में ही संभव हो रहा है कि आज तक किसी व्यक्ति को भी पता नहीं है कि वह बहुमत क्या है जिसके आधार पर यह सरकार इस सभा का सामना कर रही है। इस सरकार ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से इस सभा का सामना किया और इसके बारे में तनिक भी संदेह नहीं था।

माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज़, जोकि इस समय इस सभा में उपस्थित नहीं हैं, ने उस समय स्पष्ट रुप से यह बताया था :

'' हमें यह पता नहीं चल रहा है कि हम किसको यह देश सौंप रहे हैं।''

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह देश आई०एम०एफ० को सौंप दिया गया है। ढाई वर्ष बीत जाने के बाद मैं यह प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश आई०एम०एफ० को सौंप गया है। जी नहीं, यह देश आई०एम०एफ० को नहीं सौंपा गया; यह देश स्वतंत्र रुप से चल रहा है और यह देश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चल रहा है। हमारे वित्त मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय की सलाह पर आर्थिक सुधार करते हैं। इस देश को किसी विदेशी अथवा आई०एम०एफ० को नहीं सौंपा गया है। यह स्पष्ट स्थिति है और माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि वह अनावश्यक रुप से सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

सभापति महादेय : कृपया अपनी बात को समाप्त करें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तो उस समय इस सरकार को क्या देखने को मिला था ? **(व्यवधान)** विपक्ष सहयोग नहीं दे रहा था। इसलिये यह देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है।

जिस समय इस सभा में धर्मनिरपेक्षवाद का प्रश्न उठाया गया था, कुछ सदस्यों ने सन्दिग्ध भूमिका निभाई। इस सभा में वह यह बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की एक मुख्य विशेषता है।

लेकिन बाहर वे धर्मनिरपेक्षता का खंडन करते हैं। जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो इस सभा में किसने उसकी जिम्मेदारी ली थी ? मैं इस बारे में स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं। वैसे तो सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समय सभी सदस्य उनके समर्थन में खामोश थे। यदि कोई दोषी को पकड़ना चाहता है तो उन्हें सहयोग देना चाहिए। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के अनुसार गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है। अन्याय का साथ देना सबसे बड़ा पाप है।

वे उनका साथ दे रहे हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। यह गलत है। यदि यही प्रथा जारी रहती है, तो वे कुछ नहीं कर सकते। इस सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार करोड़ों लोगों की समस्याओं को जानती है जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। उन्हें ऊपर कैसे उठाया जाएगा? जब सरकार अनेक तरह से आर्थिक सुधार कर रही है, जब सरकार की उदारतापूर्ण औद्योगिक नीति है, जब सरकार लाखों लोगों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और धन निवेश कर रही है तो उस समय बोफोर्स जैसे अनेक मुद्दे उठाए गए हैं बोफोर्स मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी।

सभापति महोदय : आपने 20 मिनट का समय ले लिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय :- अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : हमारे प्रधानमंत्री जिस नीति का पालन कर रहे हैं उसकी यहां आलोचना की जा रही है। श्री जसवन्त सिंह ने कहा :

" मैं अपना समर्थन देने में असमर्थ हूं।"

तीसरा, इस सभा के माननीय सदस्य नेता ने भी कुछ कहा है। मेरे विचार से वे अक्सर यही कहते हैं कि हम नेहरू जी की सामाजिक-आर्थिक नीति को जारी रखेंगे।"

इस संबंध में, प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में 15 जुलाई, 1991 को स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया है :

" जहां तक कांग्रेस के घोषणा पत्र का संबंध है और कांग्रेस के इतिहास का संबंध है, वहां यह कहना कि कांग्रेस दल की ही सरकार चलती आई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सरकार श्री मनमोहन सिंह तथा महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी या राजीव गांधी की है, बल्कि हम मामूली लोग हैं जिनपर इस सरकार को चलाने का भार है। यह संयुक्त प्रयास है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइये।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं एक बात और कहना चाहूंगा **(व्यवधान)** ठीक है, महोदय।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : सभापति महोदय, वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई थी तो वह एक अल्पमत सरकार थी और हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि अब उनकी सरकार बहुमत में है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह कैसी उपलब्धि है महोदय ? कोई चुनाव कराये बिना तथा अन्य पार्टियों में दल बदल कराए बिना यह सरकार बहुत ही संदिग्ध तरीके से बहुमत में आई है। जिससे कि हमारे देश की संसदीय प्रजातंत्र की जड़ें कमज़ोर हुई हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई है क्योंकि आतंकवादियों द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है और पाकिस्तान ने आतंकवादियों के माध्यम से भारत के खिलाफ प्रत्यक्ष रुप से युद्ध छेड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरूद्ध दुष्प्रचार कर रहा है तथा अमरीका द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना हमारे लिए चिन्ता का विषय है। यह सरकार कश्मीर के संबंध में एक उपयुक्त नीति बनाने में असफल रही है।

यहां आर्थिक सुधार का भी उल्लेख किया गया है। सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद कि उनके आर्थिक सुधारों के कारण देश विकास कर रहा है अथवा स्थिति में सुधार हो रहा है, आर्थिक स्थिति तेजी से गिर रही है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सरकार की पोल खोल देते हैं कि पिछले तीन वर्षों से औद्योगिक विकास की दर वर्ष 1980 के 8-9 प्रतिशत के विपरीत लगभग 2 प्रतिशत थी। पूंजी क्षेत्र भी नकारात्मक विकास दर दर्शाता है। यह सत्य है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम में कठिनाई नहीं हुई, इसका यह अर्थ नहीं है कि इस कार्यक्रम को हमारे देश को अधिकतर जनता ने स्वीकार कर लिया है। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले तीन वर्षों से बराबर मानसून की अच्छी वर्षा हो रही है जिससे अच्छी फसल हुई है। यदि मानसून ठीक न हो तो देश पिछले वर्षों की तरह विपत्ति में फंस सकता है। 1967 में, जब मानसून की वर्षा नहीं हुई थी, सरकार को मजबूरन रुपये का अवमूल्यन स्वीकार करना पड़ा था। 1991 में आरम्भ की गई आर्थिक नीति भारत में गरीबी को तो कम नहीं कर सकी लेकिन इससे काफी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जरूर आ गए। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए मूल्यांकन के अनुसार भारत विश्व का 57 वां गरीब देश है। सन् 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 320 डालर थी और 1992 में यह घटकर 310 डालर हो गई और यह भी आशंका व्यक्त की गयी थी कि सन् 1993 में यह और भी कम हो गई होगी। हमारे वित्त मंत्री ने यह देखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और

विश्व बैंक के दबाव में अपनाए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और बेरोज़गारी कम हुई है। लेकिन लोक वित्त तथा नीति संस्थान का यह कहना है कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम से रोज़गार में 80 लाख की दर से कमी हुई है।

रोज़गार की वार्षिक दर 8 से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, दस वर्षों में बेरोज़गारों की संख्या बढ़कर 5.9 करोड़ हो जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी बताया है कि उदारतापूर्ण आर्थिक नीति से गैर-सरकारी क्षेत्र में रोज़गार में कमी आई है। ऐसा लगता है कि नई आर्थिक नीति का वास्तविक अर्थ और विशेषताएं हैं (1) निजीकरण (2) अपनिवेश (3) रोजगार के अवसरों में कमी तथा (4) राज सहायता को वापस लेना। नई आर्थिक नीति का वास्तविक अर्थ यह है।

महोदय, यह ध्यान देने की बात है। कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि जोकि वास्तव में 'नेशनल रिट्रेन्चमेंट फंड' तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्नगठन ब्यूरो का दूसरा नाम है, को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह या तो यूनिटों को एकदम बंद कर दें अथवा वहां के कर्मचारी कुछ कुर्बानी करें।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में डंकल प्रस्तावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यदि भारत डंकल प्रस्तावों को स्वीकार कर लेता है तो उसकी आर्थिक सार्वभौमिकता खतरे में पड़ जायेगी। इससे भुगतान संतुलन की स्थिति और बिगड़ेगी। इससे हमारे संविधान का उल्लंघन होता है। इससे कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होगी। अन्ततः इससे भारतीय कृषि विदेशियों पर निर्भर हो जाएगी।

महोदय, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि यह संसद में 30 माननीय सदस्यों की मेहनत का परिणाम था और जबकि अनेक सिफारिशें के साथ यह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट थी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अयोध्या मुद्दे का भी उल्लेख किया गया है। अयोध्या मुद्दे को अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को भेज दिया गया है और सरकार उनके परामर्श का इन्तजार कर रही है लेकिन अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्देश किसी पर बाध्य नहीं हैं। इसे अनुच्छेद 138 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन कारणों से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री सनत कुमार मण्डल** (जयनगर) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। राष्ट्रपति के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से व्यक्त की गई सरकार की नीति का विरोध करना चाहता हूं।

महोदय, आज देश औद्योगिक संकट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की आश्चर्यचकित कर देने वाली समस्या, कारखानों में तालाबन्दी, मजदूरों की छंटनी, महिलाओं पर अत्याचार, साम्प्रदायिक दंगों, जाति संघर्ष और अपराधों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण एक कठिन दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन समस्याओं का या किसी समाधान का जिक्र नहीं किया गया है। सभापति महोदय, हमें मालूम है कि भ्रष्टाचार

(मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर)

पहले भी था और आज भी है। खेद की बात है कि भ्रष्टाचार ने हमारे प्रशासन में अपनी जड़ें गहरी जमा ली हैं। वास्तव में भ्रष्टाचार भयंकर बीमारी कैंसर की तरह हमारी पूरी प्रणाली को संदूषित कर रहा है। हमें मालूम है कि हमारे देश में हुए सबसे बड़े प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी और उस संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। किंतु सरकार अभी तक चुप है। रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनके विरूद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार या कांग्रेस दल लोकतंत्र की बात करता है। लेकिन उसने आम बजट प्रस्तुत होने से कुछ ही पहले चीनी, चावल और गेहूं, रसोई गैस, पैट्रोल और डीज़ल इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर संसद का घोर अपमान किया है। सत्ताधारी दल जिस तरह से लोकतांत्रिक मानदण्डों का उल्लंघन कर रहा है उससे इस देश में लोकतंत्र के भाग्य का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यद्यपि अभिभाषण में यह दावा किया गया है कि कृषि नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है ताकि गरीबी कम हो सके फिर भी हम देखते हैं कि देश में बहुत अधिक गरीबी है। अधिकाशं लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुर्नव्यवस्थित करके इसे प्राथमिकता देने के बजाए सरकार इसे बहुत हल्के ढंग से ले रही है। आज उचित दर की दुकान और खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कोई अन्तर नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वस्तुस्थिति की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है।

उनका दावा है कि देश में अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है। वास्तविकता यह है कि देश में बहुत गरीबी है, आवश्यक वस्तुओं की कमी है। हमें ठाणे, कालाहाण्डी, त्रिपुरा और अमरावती में भुखमरी से मौतें होने की खबरें मिली हैं। उनका दावा है कि सभी मोर्चों पर निरन्तर प्रगति हुई है, खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, और अभूतपूर्व खरीद हुई है। वास्तव में स्थिति कुछ भिन्न है।

हमारा हथकरघा उद्योग उत्कृष्ट उद्योग था। हम अपने हथकरघे के उत्पादों का विश्व के विभिन्न भागों को निर्यात करते थे। यही बात इंजीनियरी उद्योग के बारे में भी सत्य है। हम अपने इंजीनियरिंग उत्पादों का भी निर्यात करते थे। अब औद्योगिक संकट के कारण बहुत से उद्योग बंद होने को हैं या बीमार पड़ गए हैं जिसके फलस्वरुप निर्यात में कमी आ गई है। हमें मालूम है कि रक्षा के लिए धन का आबंटन बढ़ा दिया गया है। रक्षा के लिए आबंटन में वृद्धि करने से हमें कोई शिकायत नहीं है। अपने शिक्षा क्षेत्र की दशा को देखकर हमें दुःख होता है। अन्य देशों की तुलना में, शिक्षा के संबंध में हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। यह वास्तव में शर्म की बात है कि स्वतंत्रता के 47 वर्ष बाद भी हमारे देश में निरक्षरता की दर इतनी अधिक है। यद्यपि, सरकार साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने का दावा करती है फिर भी गरीबों या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। जिन कार्यक्रमों पर भी विचार किया जाता है उन्हें उचित रुप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण लोगों की दशा शोचनीय है। उनहें पीने के पानी, शिक्षा अच्छी परिवहन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी दो लाख से अधिक गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

हमारे कृषि मंत्री ने नई कृषि नीति आरंभ की है। नई कृषि नीति किसके फायदे के लिये कार्यान्वित की जा रही है ? हमने देखा है कि नई कृषि नीति से छोटे किसानों, सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को लाभ

नहीं हुआ है। इस नीति से बहुराष्ट्रीय कृषि क्षेत्र को लाभ हुआ है।

सभापति महोदय, हमारा देश एक बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। बाबरी मस्जिद ढहा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सरकार इस संपूर्ण प्रकरण की मूक दृष्टा बन कर रह गई। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस अकर्मण्यता से अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। केन्द्र इस ज्वलंत सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई समुचित कदम नहीं उठाए हैं जिसके फलस्वरुप यह मुद्दा एक चिरस्थाई मुद्दा बन गया है। केन्द्र ने इस मुद्दे को अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। इस मुद्दे पर अनुच्छेद 138 के तहत विचार करना बेहतर होता क्योंकि संबंधित पक्ष उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानने के लिए बाध्य होते। इससे केवल यही पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे को अपने स्वार्थ के लिए जीवित रखना चाहती है।

हमें मालूम है कि कश्मीर समस्या हम सबके लिए चिंता का विषय रही है। आतंकवादियों ने घाटी में हिंसा फैला रखी है। वहां पर युवक लम्बे समय से आन्दोलन करते रहे हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर समस्या का संबंध अकेले कानून और व्यवस्था की स्थिति से ही नहीं है। इसकी गंभीर उलझने हैं। हम जानते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। फिर भी वहां की स्थिति बहुत गंभीर है। यह समस्या राजनीतिक है और इसका समाधान भी राजनीतिक तरीके से होना चाहिए। हमें आशंका है कि सरकार इस गंभीर समस्या की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही है।

हमने यह भी देखा है कि हमारे देश में भूमि सुधारों को लागू किया गया है। मुझे यह कहते हुए दुख है कि भूमि सुधारों को लागू करना जमींदारों और बड़े किसानों के लिए लाभप्रद हुआ है। भूमि सुधार अधिनियम से छोटे किसानों को फायदा नहीं हुआ है। अतः कमजोर वर्ग, खेतिहर मजदूरों और सीमान्त किसानों में रोष है।

हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारी बहुत सी जटिल समस्याएं हैं। मैं सरकार का ध्यान सुन्दरवन की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सुन्दरवन एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुन्दरवन की छटा अद्वितीय और उत्कृष्ट है। यह वास्तव में दर्शनीय है। यह नदियों, खूबसूरत समुद्र और वृक्षों का द्वीप है। इसकी अनेक गंभीर समस्याएं हैं। वहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। किसी समय सुन्दरवन को पश्चिम बंगाल का अन्न भण्डार कहा जाता था। आज यह द्वीप कठिन दौर से गुजर रहा है। नदियां सूख गई हैं जिसके परिणामस्वरुप इनमें गाद जमा हो गई है और शुष्क नदी तल ऊंचे हो गए हैं। जब वर्षा अधिक होती है, तो किसान फालतू पानी को अपने खेतों से बाहर नहीं निकाल सकते। इससे खेती करने में परेशानी पैदा होती है।

हमारी मांग है कि यद्यपि सुन्दरवन क्षेत्र की सुंदरता लाजवाब है, फिर भी सरकार ने इस द्वीप को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रुप में परिवर्तित करने हेतु कोई कदम क्यों नहीं उठाये ? विदेशी पर्यटकों को इस सुंदर द्वीप की यात्रा करने के लिए आसानी से आकर्षित किया जा सकता था। कलकत्ता महानगर में भ्रमण हेतु अनेक

विदेशी पर्यटक वहां आते हैं। यदि सड़क और जल दोनों मार्गों से अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध होती, तो वे इस द्वीप का भी भ्रमण कर सकते थे। सरकार को सुंदरवन क्षेत्र को रेल एवं जल-मार्ग दोनों ही माध्यमों से परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यदि इस मनोरम डेल्टा को एक पर्यटक स्थल के रुप में विकसित किया जाता है, तो सरकार इससे और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है। सरकार से मेरा आग्रह है कि वह सुंदरवन हेतु राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा करें। इससे इस द्वीप के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में वृद्धि होगी। चूंकि यह एक द्वीप है, अतः मत्स्य पालन यहां का एक प्रमुख व्यवसाय है। मछुआरों की समुद्री डाकुओं से रक्षा की जानी चाहिए।

सुंदरवन की समस्या अत्यंत विकट है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नदियों में बाढ़ आती रहती है, जिसके परिणामस्वरुप फसलों को हानि होती है। इस आपदा की वजह से किसान सब कुछ गवां बैठते हैं। अतः, पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी के साथ साथ बांध बनाने के लिए एक मास्टर प्लान भेजा है। इस बांध का निर्माण करने के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम नहीं उठाये हैं।

सुदंरवन के बारे में बात करते समय मुझे याद आता है कि केंद्र सरकार ने लगभग सात वर्ष पहले समुद्र के पानी के तरंगों से विद्युत उत्पादन की सम्भावना का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति सुदंरवन भेजी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस परियोजना की वकालत की थी। लेकिन, सरकार ने इस द्वीप में विद्युत-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये हैं।

केन्द्र सरकार ने सुंदरवन को राष्ट्रीय उद्यान के रुप में घोषित किया है। अतः, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान सुंदरवन के समग्र विकास हेतु समुचित कदम उठाये जाने की ओर आकृष्ट करता हूं। मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि वह सुंदरवन के लोगों के आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु कुछ उपाय करे।

चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः आपका धन्यवाद करने के पश्चात् मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : सभापति महोदय, सरकार की नीतियों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में बखान होता है लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, उसमें वास्तविकता का आधार कम लिया गया है और कलपना का आधार ज्यादा लिया गया है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। इस संबंध में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं रह गई है। आये दिन वहां पर हत्याऐं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। हमारे हरदोई जनपद में अभी तीन तारीख को एक गांव में एक साथ 12 लोगों की हत्याएं की गई हैं।

कश्मीर में भी स्थिति बहुत अधिक खराब है। वहां भी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि क्या यही कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है ? देश में आज जो हो रहा है, क्या यह

कानून व्यवस्था में सुधार का द्योतक है ?

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार कृषि के विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि कृषि को बिल्कुल अनदेखा किया गया है। कृषि के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस देश में जो किसान है, वह पहले से ही ट्रैक्टरों के दाम अधिक होने के कारण ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं। अभी जो यह बजट आया है, इसमें 1800 सी०सी० से कम के ट्रैक्टरों पर मिलने वाली छूट वापस ले लेने से ट्रैक्टर के दाम बढ़ेंगे और वह ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ रहेंगे। किसान जो खेतीबाड़ी में कृषि यन्त्री को इस्तेमाल करते हैं, उनके उचित प्रयोग की शिक्षा का इन्तजाम करने का भी अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में पंजाब से जो सरदार भाई आकर बस गये हैं, उनसे हमारे यहां के गांव के लोगों ने कृषि यन्त्रों को चलाना सीखा है लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे किसान खेती-बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले कृषि यन्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उनको चलाने के बारे में जानकारी दी जा सकें।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे खाद्यान्नों को राज्यों में लाने-ले जाने के संबंध में सभी प्रतिबंध हटा दें। हमारे हिसाब से उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन ऐसा हो सके, तो अच्छा रहेगा। वैसे तो होता यह है कि खाद्यान्नों को राज्यों में लाने-ले जाने में प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हम तो चाहते हैं कि खाद्यान्नों का राज्य में ही इधर से उधर ले जाने में प्रतिबंध हटाया गया है, उसके बजाय पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्नों को लाने-ले जाने के ऊपर प्रतिबंध न लगाया जाए, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके और खाद्यान्नों की कीमत भी पूरे देश में एक जैसी रह सके।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं किया है। मैंने गांवों में देखा है कि प्रत्येक गांव में छोटी-छोटी प्राइमरी पाठशालाएं नहीं खोली गई हैं। जूनियर हाई-स्कूल सात-आठ किलोमीटर दूरी पर है। गांवों में छोटी-छोटी लड़कियां प्राइमरी शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस तरह से 6-7-8 किलोमीटर की दूरी पर जा सकती हैं। इसकी हम सब लोगों को कल्पना करने की जरूरत है। आज लड़के पढ़-लिख रहे हैं, लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर उचित प्रबन्ध न होने से लड़कियां पढ़-लिख नहीं पा रही हैं। गैर पढ़ी-लिखी लड़कियों से पढ़े-लिखे लड़के, शादी करने से कतराते हैं। उसके साथ शादी-ब्याह की समस्या पैदा हो रही हैं। सरकार ने गैर पढ़ी-लिखी लड़कियों की शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध का जिक्र किया होता, तो अच्छा रहता, लेकिन सरकार ने शिक्षा के ऊपर कोई उचित व्यवस्था का जिक्र नहीं किया है।

हमारे यहां की शिक्षा रोजगार परक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ डिग्री कालेज रोज खोल दिए जाते हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बेकारी बढ़ाने के कारखाने खोलते जा रहे हैं। अगर रोजगार परक शिक्षा से संबंधित डिग्री कालेज खोले जाते तो उससे देश का भला हो सकता है। आप जो आये दिन इस तरह से डिग्री कालेज खोलते जा रहे हैं इससे कोई भला होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है। सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्री उत्तम भाई पटेल जी उपस्थित हैं और

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण विकास के लिये बजट को बढ़ाने का जिक्र किया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में गांव बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी भी अधिकांश गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। हम चाहेंगे कि हमारे यहां के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा जाए ताकि गांवों का विकास हो सकें। अभी गांवों में न पुलिया है, न सड़कें और न ही नदियों पर पुल बनाये गये हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये सैकड़ों किलो मीटर सड़क से गुजरना पड़ता है। यदि आप वास्तव में गांवों का विकास करना चाहते हैं तो आपको पुलिया, सड़कें आदि बनाने पर बल देना पड़ेगा। होता यह भी है कि जब पुल बनाया जाता है तो उसकी कीमत टोल टैक्स के रुप में वसूल कर ली जाती है। जब ऐसी बात है तो सरकार द्वारा विभिन्न पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्यों नहीं सड़कें बनाई जाती हैं। जब इन सब चीजों का विकास होगा, तो गांवों का अपने आप विकास हो जाएगा। गांवों के विकास के लिए उल्टी-सीधी योजनायें बनाने से ठोस योजनायें बना कर उनको लागू कीजिए, जिससे गांवों का विकास हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार की भी बता की गई है। हमने देखा है गांव में जो टेलीफोन लगे हुए हैं वे काम नहीं करते हैं, अगर इसी तरह के टेलीफोन और लगाए जाने हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में गांव वालों को टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जानी है तो जो रेडियो टेलीफोन चले हैं उनको अगर लगाया जाए तो गांव वालों को टेलीफोन की सुविधा मिल सकेगी, अन्यथा जैसे पहले से गांव में टेलीफोन लगे हुए हैं उसी तरह से टेलीफोन लगाए जाते हैं तो उससे गांव वालों को कोई संचार सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापट्टनम) : सभापति महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि अन्य सदस्यगण भी इस अभिभाषण पर अपने विचार रखना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ ही, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो विसंगतियां मुझे नज़र आईं हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं।

यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वे कुछ कमियां सम्मिलित होतीं, जिनका हम इस वक्त इस देश में सामना कर रहे हैं, तो यह अभिभाषण और अधिक अर्थपूर्ण हो सकता था। राष्ट्रपति का अभिभाषण अंतर्विरोधों से परिपूर्ण है तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिकूल हैं क्योंकि इसमें सरकार के अनेक कार्यों का उल्लेख बहुत चढ़ा कर किया गया है अथवा अभिभाषण में इन कार्यों की अत्यंत लुभावनी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए इनका अनावश्यक रुप से बढ़ा-चढ़ाकर जिक्र किया गया है। महोदय, हमारे देश की 72 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अभिभाषण में न तो कृषि हेतु आवश्यक आदानों और न ही कृषकों की दुर्दशा को ही ध्यान में रखा गया है। महोदय, आपको विदित ही है कि गत तीन वर्षों से खाद्यान्नों के उत्पादन में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। खाद्यान्नों के खरीद मूल्य भी लाभकारी नहीं हैं, जबकि आदानों की लागत धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए उर्वरकों को ही लीजिये। अब क्या हो रहा है। नाईट्रोजनयुक्त उर्वरक की खपत में वृद्धि हो रही है, जबकि पोटाश एवं फॉस्फेट की खपत कम हो रही है। ऐसा मुख्यतः उर्वरक-नीति में असंतुलन होने के कारण हो रहा है। केवल यूरिया खाद पर राज सहायता दी जा रही है। अन्य

उर्वरकों पर कोई राजसहायता नहीं दी गई है। 4:2 के अनुपात से संतुलित-उर्वरक के प्रयोग की बजाय, वे सस्ती कीमतों पर जो उर्वरक उपलब्ध हैं, केवल उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की पैदावार में कमी आने का यही प्रमुख कारण है।

हमारा देश किसानों को संरक्षण प्रदान करने के बजाए, हाल ही में देश में कपास आयात करने के बारे में सोच रहा है, जो इस देश के कपास-उत्पादकों के लिए अहितकर है क्योंकि कपास की कीमतों में पहले ही गिरावट आ गई है। इस देश में, हम तम्बाकू उत्पादकों को संरक्षण देने में समर्थ नहीं हैं। हमें तम्बाकू का निर्यात करना चाहिये, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। जहां संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है, वहां संरक्षण नहीं दिया जाता तथा इस देश में कपास का आयात किया जा रहा है। यह एक भारी विसंगति है, जिसकी वजह से किसानों को हानि पहुंच रही है।

आजकल ग्रामीण क्षेत्र अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। वहां पीने के पानी एवं समुचित संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तथा न ही गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ा गया है। हमारी जनसंख्या का 72 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है तथा इसी वजह से हम वहां न तो पूर्ण साक्षरता ला पाये हैं और न ही इन वर्गों के लोगों की निर्धनता समाप्त कर पाये हैं क्योंकि गांवों को संचार-सुविधाओं के साथ नहीं जोड़ा गया है। हम ग्रामीण क्षेत्र को समाज की मुख्यधारा से अलग कर रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास हो रहा है।

कुछ राज्यों में सूखे की जो स्थिति चल रही है, उसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में कुछ जिलों में सूखे की स्थिति विद्यमान है। लेकिन इस अभिभाषण में सूखे की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीबी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रही है। वे लोग निरक्षरता एवं बीमारियों से ग्रस्त है। लेकिन इस अभिभाषण में इस वर्ष के दौरान उनकी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाएगा, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है।

जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का संबंध है, अनके वक्ता यह कहते चले आ रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, हमारी जनसंख्या केवल 33 करोड़ थी, इस समय बढ़कर लगभग 90 करोड़ हो गई है। हम मात्र जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन हम उसके रहन-सहन के स्तर को नहीं सुधार रहे हैं। देश के विकास में यह एक प्रमुख बाधा है। जब तक जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम नहीं उठाये जाते, तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास की दशा नहीं सुधार सकते।

जहां तक कानून और व्यवस्था का संबंध है, देश में अत्यंत असामान्य परिस्थितियां विद्यमान हैं। इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कश्मीर में विद्यमान स्थिति का कैसे समाधान किया जायेगा।

'सेव दी अर्थ' (पृथ्वी को बचाओ) प्रस्ताव सामने आया है। पृथ्वी को बचाने के बारे में हम जो अनेक बातें कह रहे हैं, वह मात्र नारे बाजी है। शहर प्रदूषण से घिरते जा रहे हैं। लेकिन प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आकाश को छू रही हैं, लेकिन कीमतों में कमी लाने के लिए कोई ठोस उपाय करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

आज औद्योगिक नीति भी डांवाडोल हुई पड़ी है। भारतीय उद्योग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसके बावजूद हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे देश में आ कर यहां के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा जमा लें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में त्रुटियों का उल्लेख अधिक किया जाना चाहिये था ताकि वर्ष के दौरान उपचारात्मक कदम उठाये जा सकें। ऐसा करने की बजाए, अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करने पर जोर दिया गया है, जिनका इस सभा की बजाय जनता द्वारा ही मूल्यांकन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि उच्चतम न्यायालय की राय को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के बारे में सरकार समुचित उपाय करेगी। मुझे सरकार से एक ही सवाल करना है कि शहबानो के केस के बारे में भी कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, लेकिन दबाव पड़ने पर आपने उस वर्डिक्ट को चेंज कर दिया। बाबरी मस्जिद के बारे में भी जो वर्डिक्ट आएगा, तो क्या सरकार उसको चेंज नहीं करेगी ? इस बारे में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार की नीति साफ होनी चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार की नीति मजदूरों के खिलाफ है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि शिक्षित बेरोजगारों को लघु उद्योग में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष योजना शुरु की जाएगी और दूसरी तरफ मुम्बई शहर में आज एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है। आज मुम्बई शहर में पावर-कट होने की वजह से 11 मिलें बंद हो गई हैं।

उन्होंने नोटिस दिया और टाटा पावर ने नहीं दिया इसलिए बिजली काटी और एन०टी०सी० ने उनके चार करोड़ रुपए नहीं दिए। जाम मिल, सीताराम, कोहीनूर, जूपीटर, भारत, दिग्विजय, पोद्दार, मधुसूदन, एपोले, जूपीटर, न्यू हिंद और मुम्बई मिल घाटे में चलती थी चूंकि एन०टी०सी० के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र लालबाग में एक फिनले मिल है जिसमें अगस्त 1992 में एक करोड़ बत्तीस लाख का घाटा था। उसमें श्री रे नाम का जनरल मैनेजर लाया गया जिसने दस महीनों में वह घाटा पूरा किया फिर उसका ट्रान्सफर किया गया। मुझे मालूम है कि कपास नहीं देने की वजह से मिलें बंद होती हैं। जो पावरलूम चलते हैं तो उन मशीनों में सैकण्ड क्वालिटी का माल लगाया जाता है। लेकिन एन०टी०सी० के अधिकारी भ्रष्ट होते हैं इसलिए उत्पादन नहीं होता है। कामगारों का खून चूसने वाली सरकार की नीति है। एन०टी०सी० की बजाय प्राइवेट मिलों से खरीदा जाता है, जैसे-रेलवे, हास्पिटल्स या अन्य जगहों के लिए खरीदा जाता है क्योंकि प्राइवेट मिलों से कमीशन मिलता है। एन०टी०सी० से खरीदा जाए तो वे मिलें चल सकती हैं। सरकार को बीमार मिलों के चलाने के लिए मजदूरों की छंटनी करनी पड़ी क्योंकि सरकार मिलों को कपास नहीं देती, इस तरह से व्यवहार करती है। जे०पी०सी० से पता चला है कि पांच हजार करोड़ का घपला हुआ है। रिपोर्ट में उसने कई लोगों के विरूद्ध टिप्पणी की है लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की

है, सिर्फ यह कह दिया है कि वे देश के शत्रु हैं इसलिए उनसे पैसा वसूला नहीं जाता है। सरकार मजदूरों को चार करोड़ रुपया नहीं दे सकती है जिसकी वजह से 15 हजार लोग भूखे मर जाएंगे। सरकार की नीति के कारण 1982 से 70 हजार लोग बाहर हैं। सरकार रोटी, कपड़ा मकान देने के लिए कहां गई ? जैसे हाथी चलता है तो कुत्ता भोंकता है। लेकिन कुत्ता ईमानदार होता है। हाथी जब जनता को रोंदता है तो कुत्ते को भोंकना पड़ता है। राजीव जी की घोषणा थी कि 90 दिनों में मंहगाई कम कर देंगे। लेकिन उस घोषणा के बाद भी मंहगाई बढ़ गई। आज गरीब बेचारा जी नहीं सकता है। बंबई में लोग झोंपड़-पट्टी में रहते हैं ... **(व्यवधान)** ...17,944 करोड़ रुपया बंबई शहर से केन्द्र सरकार को आता है लेकिन केन्द्र सरकार किसी तरह की सहायता नहीं करना चाहती है। जैसे बंबई शहर की झोपड़-पट्टी को पानी, स्वास्थ्य की रक्षा और सफाई जैसी चीजें देनी चाहिए। यहां पर शहरी विकास मंत्री बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि श्री बालासाहब ठाकरे जी ने एक योजना दी थी। उसमें ऐसा था कि 70 प्रतिशत प्लाट झोंपड़-पट्टी वालों को दिये जायें और बाकी 30 प्रतिशत बिल्डर्स को दे दिये जाएं। उन लोगों को घर मुफ्त दिये जायें। लेकिन सरकार देने को राजी नहीं होती है। मुम्बई के एक करोड़ से अधिक नागरिक मांग कर रहे हैं कि बम्बई शहर का नाम मुम्बई रखा जाए। लेकिन वह भी नहीं किया जा रहा है। जब बनारस का नाम बदलकर वाराणसी कर सकते हैं, तंजौर का थंजाबूर, त्रिचारपल्ली का तिरूचिरापल्ली, बड़ौदा का बड़ोदरा, कोचीन का कोच्चि और त्रिवेन्द्रम का तिरुपन्नतपुरम किया जा सकता है तो बम्बई का मुम्बई क्यों नहीं किया जा सकता। पिछले 150 वर्ष से मुम्बई समाचार पत्र निकल रहा है। पेइचिंग का बीजिंग और सिलोन का श्रीलंका हो गया तो पता नहीं हमारी सरकार बम्बई का नाम मुम्बई क्यों नहीं करती।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पिछले 35 सालों से लटका हुआ है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नही है।

जवाहर रोज़गार योजना अब सिर्फ सरकार की ही योजना बनकर रह गई है। हमारे शहर की एक करोड़ आबादी में से मुश्किल से एक हजार लोग ही इससे जुड़ पाये हैं। हमारे बैंकों के पास कई लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार उन गरीबों के लोन पास नहीं करती है। जबकि बैंकों के जिन्होंने लाखों-करोड़ों रुपये डुबो दिये उनको लोन मिल जाता है। वार्षिक आय कर सीमा की छूट और बढ़ाई जानी चाहिए। जो लोग छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं और कार्पोरेशन, महानगरपालिका के स्थान पर व्यवसाय करते हैं, राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि उनको स्टाल लगाने के लिए अुमति दी जाये। जहां यातायात में दिक्कत न हो वहां उनको ये स्थान सेक्शन करने चाहिए।

आज देश में समान नागरिकता की बात की जाती है। सभी लोगों के साथ एक समान बर्ताव नहीं होता है। 1984 में जिन लोगों को मारा गया था अभी तक उनके आश्रितों को मुआवजा नहीं दिया गया। उससे पहले जो दंगा हुआ था तब सरकार ने दो-दो लाख रुपये दिये थे। 1984 के दंगों में जो लोग दोषी थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछली 12 मार्च को जो मुम्बई में बम विस्फोट हुए थे उसके जो मुख्य अपराधी थे उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मैंने पिछली बार भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं:-

[अनुवाद]

"राजनीति एक गन्दा खेल है, घटिया लोगों द्वारा खेला जाता है बदमाशों की यह अन्तिम शरणस्थली है।"

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : चूंकि समय बहुत कम है, अतः मैं अपनी बात अत्यंत संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगी।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करती हूं। हमारे दल ने इस अभिभाषण में भाग नहीं लिया। ऐसा राष्ट्रपति महोदय के प्रति किसी प्रकार के निरादर की भावना से प्रेरित होकर नहीं किया गया था क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया था कि सरकार ने बजट-सत्र के मौके पर जो कतिपय जन-विरोधी कदम उठाये थे, हमें उनके विरूद्ध विरोध प्रकट करना था।

जब मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दृष्टि डाली, तो मैंने पाया कि हमारा इसमें भाग न लेने का फैसला वास्तव में गलत नहीं था क्योंकि इस अभिभाषण में सरकार द्वारा उठाये गये इन जन-विरोधी कदमों को कई प्रकार से जनता की नजरों से बचाते हुए इनका उल्लेख कर के महत्वपूर्ण बताया गया है।

मैं मात्र एक अथवा दो बातों का उल्लेख करूंगी क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के समूचे अभिभाषण में इन बातों का व्यर्थ ही घूमा-फिरा कर उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये दो गंभीर कमियां हैं। अभिभाषण में बाल-श्रमिक समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जो समुचित कदम उठाये जायेंगे, उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आज हमारे देश में श्रमिकों की समस्या का प्रश्न अत्यंत मौलिक प्रश्न है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के दबाव में आकर जो ढांचागत फेरबदल कार्यक्रम शुरु किया है, उससे संकट बढ़ेगा, जिसके परिणामस्वरुप बाल-श्रमिक समस्या हमारी आर्थिक-स्थिति के लिए एक महामारी बन जायेगी।

8.00 म०प०

: इस ढांचागत फेरबदल कार्यक्रम के परिणामस्वरुप, हम देखते हैं कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही में नियमित रोजगार में कटौती की जा रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य का बोझ उन लोगों के कंधों पर डाला जा रहा है, जिनकी सौदेबाजी की क्षमता कम है। उन्हें असंगठित क्षेत्र में डाल दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरी एवं काम का बोझ महिलाओं एवं बच्चों पर डाला जा रहा है क्योंकि वे संगठित रुप में सामने आने तथा अपने कार्य से कोई फायदा हासिल करने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कितना समय बढ़ाया जाए ?

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आठ बजे तक सभा चलेगी। मेरे विचार से वह अपना भाषण जारी रखें तथा उसके बाद हम आज की सभा स्थगित कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, सदन में आज अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो नाम देंगे, उन सबको बोलने दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : श्री चन्द्र शेखर जी ने कहा है कि बोलने के लिए पर्याप्त संख्या में वक्ता नहीं हैं। यदि कोई एक सदस्य बोलना चाहता है, तो हम उसे बोलने का अवसर दे सकते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि कितने और वक्ता बोलना चाहते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : जो वक्ता बोलना चाहते हैं, उन्हें अपनी बात आज ही कह लेने दीजिए। कल, प्रधान मंत्री उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : आठ सदस्य बोलना चाहते हैं। ये सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं।

श्री संतोष मोहन देव : अगर प्रत्येक वक्ता को बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाये, तो कुल 40 मिनट का समय लगेगा। अतः सभा का समय 08.30 म०प० तक के लिए बढ़ायें।

सभापति महोदय : ठीक है। सभा का समय 08.30 म०प० तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : सरकारी अनुमान के अनुसार भी हमारे देश में बाल श्रमिकों की संख्या दो करोड़ है। इस संख्या में कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले बाल-श्रमिकों की संख्या को नही जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर दो पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है। लेकिन श्रमिक के रुप में जो बच्चे उस वक्त काम कर रहे हैं तथा जिन बच्चों का संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के अनेक निजी क्षेत्र के उद्योगों में भयंकर शोषण किया जा रहा है, जब तक उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, तब तक प्राथमिक शिक्षा संबंधी यह कार्यक्रम मात्र दिखावा ही होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि इस अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, अतः हमें संदेह है कि क्या इसका आशय बाल मजदूरों को उनकी बंधुआ स्थिति से मुक्त कराना है और उन्हें मुक्त कराना है भी या नहीं।

दूसरी बात मैं भोपाल गैस पीड़ितों के बारे में कहना चाहती हूं। एक बार फिर हम यह देखते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भोपाल गैस पीड़ितों की वर्तमान-स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह तो सरकार की सभी नीतियों का प्रतिबिम्ब है। आज हम देखते हैं कि सरकार की आयात-नीति ऐसी हैं एवं आयात का उदारीकरण इस कदर किया जा रहा है और क्योंकि हमने कर्ज इतना ले लिया है कि हम पर उन वस्तुओं का आयात करने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। श्री संतोष मोहन देव जी यहाँ विराजमान हैं। इस्पात के क्षेत्र में उन्हें विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा, कोयले के क्षेत्र में उन्हें भयंकर समस्या का सामना करना पड़ेगा। माल डिब्बों का आयात किया जा रहा है, जबकि हमारा घरेलू उद्योग नुकसान में चल रहा है। विदेशी ऋणों के जाल में पूरी तरह फंस जाने के परिणामस्वरुप हम इन विदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निर्बाध गति से प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं।

इन विदेशी कंपनियों को हमारे देश में उसी तरह काम करने की अनुमति दी जा रही है जिस तरह हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियों को। वास्तव में, भोपाल गैस त्रासदी वाला मामला ऐसा ही एक मामला है। क्योंकि इस मामले से हमे यह पता चल जाता है कि जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य करती है,

तो उसका असर क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि यद्यपि यह घटना आज से नौ वर्ष पहले घटी थी, फिर भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अभी तक भी मुआवजे की अंतिम राशि नहीं मिली है, जबकि सरकार के पास लंबे समय से धनराशि पड़ी हुई है तथा इस पर सरकार को ब्याज का लाभ मिल रहा है। यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इसी तरीके से निर्बाध गति से प्रवेश होने दिया जाएगा तथा अगर दूसरी ओर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ यह देखती हैं कि नौ वर्षों की समयावधि बीत जाने के बाद भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के इस मामले में उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किस प्रकार की प्रेरणा मिलेगी ? वे यही समझेंगी कि वे भारत की जनता के साथ कुछ भी कर सकती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह एक भारी त्रुटि है मैं समझती हूं कि इसी से समूचे अभिभाषण की कमियाँ एवं अंतर्विरोध प्रदर्शित होता है। अतः मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूरी तरह से विरोध करती हूँ। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे अभी मालिनी जी ने कहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम किनारे रहे थे इसलिए कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रतीक हैं, हम सामने जाकर विरोध नहीं करना चाहते थे। मगर अभी एक बात का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि जो आज समाचार आया है कि तेहरान में भारत, चीन और ईरान का एक तरह का विचार आया है कश्मीर के शिमला समझौते के मामले पर वह एक स्वागत योग्य बात है और मैं समझता हूं कि इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि चीन के साथ जो सीमा–विवाद का मामला है उसको भी हम सुलझा लें चूंकि भूगोल ने हमें एक साथ रखा है और हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसके लिए दृढ़ कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस मामले पर जो गला दबोचने की कोशिश की जाती है, चाहे वह अमेरिका के जरिये हो या पाकिस्तान के जरिये से, उससे कहीं बेहतर हालत में हम आएंगे।

सभापति जी, मेरा आग्रह है कि यह सरकार निकम्मी साबित हुई है। पहले 6 दिसंबर को साबित हुई थी और दूसरा शाह बानो के मामले पर। इसलिए सरकार ऐसा भार अपने माथे पर क्यों लेती है जिस को संभालने की उसमें ताकत नहीं है। इसलिए अभी तक जितने अयोध्या के विवाद के संबंध में मामले हैं, सबको धारा 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाए और इस ऐलान के साथ सदन की एकमत राय से जो निर्णय हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सबको वह मानना होगा।

सभापति जी, भूमि सुधार की बड़ी उपेक्षा हुई है। हमारे देश में आर्थिक शोषण होता है और सामाजिक शोषण यानी जात–पात के नाम पर उत्पीड़न भी होता है। हमारा देश कोई दो–तीन जातियों में नहीं बंटा है, यहां छह हजार से ऊपर जातियां हैं और पिरामिड की तरह एक के नीचे दूसरी है। हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर कौन अत्याचार कर रहे हैं। बिहार में बेलची से आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ है ऐसा स्थिति में आर्थिक शोषण और मामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ एक साथ कदम उठाने की जरूरत है जिससे देश में समानता का वातावरण बने और बाद में असली समानता लाने की ओर शांतिपूर्वक हम प्रयास करे बिना किसी खूनी संघर्ष और विवाद के। मैं समझता हूं कि इसकी ओर सरकार कदम उठाए और हम सभी लोग इस पर सहयोग दे सकते हैं और ऐसी

स्थिति पैदा हो सकती है।

सभापति जी, इसी में एक पंचायतीराज विधेयक था, लेकिन उस पर अमल में बहुत ढील बरती जा रही है। प्रवर समिति में हमने उसे बनाने पर बहुत मेहनत की और उसे दोनों सदनों ने पास किया है उस पर अमल होना चाहिए क्योंकि बिहार राज्य में इनके चुनाव हुए 15 वर्ष हो गए हैं और 16 वां वर्ष चालू हो गया है। इसी प्रकार की स्थिति अन्य कई राज्यों में भी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो हमने संविधान में ऐलान किया है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। एक-तिहाई महिलाओं के लिए स्थान रहे और पंचायतीराज व्यवस्था सारे देश में चले जिसमें आदिवासी और हरिजनों के लिए भी स्थान हो।

कश्मीर में पूरी आजादी दीजिए। उनको वहां का इंतजाम करने दीजिए। यदि वे बेइमानी करेंगे तो जनता उन्हें देखेगी और ईमानदारी से काम करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। पंचायतीराज के माध्यम से चुनाव करवाकर वहां पूरी आजादी देने में कोई नुकसान नहीं है, अन्यथा वहां कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ झुक जाएंगे और कुछ दूसरी तरफ। उससे भी काम चलेगा नहीं।

महोदय, देश की उद्योग की स्थिति जो उल्टी दिशा में चल रही है, यह भी ठीक नहीं है। हमारे शासक दल के लोग पता नहीं कहां से साहस बटोर कर कह रहे हैं कि हम कोई कारखाना बंद नहीं होने देंगे। मेरा कहना तो यह है कि जो कारखाने मुनाफे में चल रहे थे, वे सरकार ने पूंजीपतियों को दे दिए हैं और जो बीमार थे उनको तो श्मशान पहुंचा दिया है। एक जमाना था जब यह कहते थे कि मजदूर वर्ग को इस देश के कारखानों को चलाने के लिए प्रबंध में हिस्सेदारी दें, लेकिन अब मजदूर स्वयं कह रहे हैं कि कारखानों को चलाने के लिए हमें दे दिया जाए, हम मुनाफे में चलाकर बताएंगे लेकिन उनकी बात पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम भी नहीं चाहते कि सरकार नोट छाप कर देती चली जाए और कारखाने घाटे में चलते जाएं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डा० मनमोहन सिंह के सफल नेतृत्व में देश के औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है और वह घटकर दो-ढाई परसेंट पर आ गया है जबकि महंगाई 7-8 परसेंट बढ़ गई है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है जबकि वास्तविकता यह है कि महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में देश की जो नई वित्तीय नीति है वह निश्चितरूप से हमें आर्थिक पिछड़ेपन की ओर ले जाएगी। आज हम विदेशियों के दबाव में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में राजकीय क्षेत्र में भी कारखाने रहें। जिनको निजी लोग नहीं लगाना चाहें, वैसे कारखाने राजकीय क्षेत्र में रहें और लघु उद्योग भी रहे लेकिन जो मूल कारखाने हैं वे सरकारी क्षेत्र में रहने चाहिए। हमारे देश में भी स्विटजरलैंड की तरह से विकास हो सकता है, लेकिन उसके लिए दूरदर्शी औद्योगिक नीति की आवश्यकता है।

सभापति जी, बहुत से राज्यों की यह शिकायत है कि जो खनिज पैदावार करने वाले हैं उनको तौल के आधार पर रायल्टी देते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी कीमत के आधार पर रायल्टी तय कर दी जाए क्योंकि यह एक या दो राज्यों का मामला नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहां उत्तराखंड और झारखंड का मामला है। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा राज्य नहीं बने, लेकिन हम यह जानते हैं कि बिना झारखंड को अलग राज्य बनाए वहां का विकास नहीं हो सकता है।

अंत में, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। 29 जनवरी के स्टेट्समैन में जो समाचार

छपा है, इतने लोगों ने कहा है, क्या आप लोग इसको उठाने वाले नहीं हैं ? बार–बार इस बात को कहा गया है और 42 बड़े–बड़े राजनेताओं के नाम लिए गए हैं जिनमें से आधे से ज्यादा तो शासक दल के लोग हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ विरोध पक्ष के नेता हैं, एक करोड़, दो करोड़ दिए हैं। किन्होंने किए हैं, जैन बंधुओं ने दिए है।

जो पाकिस्तान के आई०ए०एस० का पैसा बटोरने का रास्ता थे और सी०बी०आई० की डायरी का हवाला है। इसमें भ्रष्टाचार का मामला है, जनतंत्र के खतरे का मामला है और इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मामला है। मैं समझता हूं कि जिनके नाम हैं, उनको सरकार खुलेआम देश के सामने लाए।

यही कहकर, यदि आप अनुमति दें, मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ये कागज औथेनटीकेट करता है, इसे टेबल पर रखने दीजिए। यह 29 जनवरी के स्टेटसमैन में छपा है और सी०बी०आई० की डायरी में लिखी हुई बात है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

श्रीमती सुमिता महाजन (इन्दौर) : सभापति, महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और अभिभाषण सरकारी नीति का एक आईना होता है, सरकार की सफलता या असफलता का लेखा–जोखा माना जाता है। जैसे आज सुबह चर्चा की गई, यह एक आत्मचिन्तन भी है। लेकिन उसके साथ–साथ आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक है जिसका इस अभिभाषण में अभाव दिखता है। इसमें बात तो कानून व्यवस्था की की गई है लेकिन क्या आज इस देश में कानून और व्यवस्था है ? क्या आज हम राष्ट्र की सुरक्षा कर पा रहे हैं ? गत वर्ष या उससे पहले से भी यदि निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बदले हुए परिप्रेक्ष्य का वाक्य है । मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सा परिप्रेक्ष्य बदला है? क्या जम्मू–कश्मीर की स्थिति बदल गई है, क्या ढाई लाख हिन्दुओं, जो वहां से निर्वासित होकर आज अपने ही देश में शरणार्थी बनकर आए हैं, में से 5 परिवार भी वापिस अपने गांव या घर जाकर बसे हैं ? क्या पाकिस्तान के रवैये में कुछ फर्क आया है ? क्या हमने दृढ़तापूर्वक अमरीका या पाकिस्तान की स्टेटमैंट का कहीं सामना किया है ?

इतना ही नहीं, इस अभिभाषण में यह बात हुई कि जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद के विरोध में ठोस कार्यवाही की जा रही है, की गई है। हंसी की बात तो यह है कि यह कहा गया, हजरत बल का हल सराहनीय तरीके से किया गया। मैं पूछना चाहूंगी, क्या आतंकवादियों को छोड़ना ही ठोस कार्यवाही है ? एक सामान्य महिला मुझसे प्रश्न कर रही थी, सुमित्रा जी, यह क्या हो रहा है। यह तो ऐसी स्थिति है कि मेरे ही घर में चोर घुस आए। मेरे चार जवान बेटे हैं। मैं उनको कहती हूं कि दरवाजे के बाहर बैठ जाओ और चोरों को निवेदन करो कि चोर बाबा, चाहो तो बिरयानी खा लो लेकिन मेरा घर छोड़ दो। ....**(व्यवधान)**.... जिस ढंग से हमने हजरत बल का सामना किया, जरा जाकर देखिए, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा है। विदेश मंत्रालय को लुंज–पुंज बनाकर रखा है। आप स्थिति को क्या समझेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ–साथ आज इस देश में व्यक्तिगत सुरक्षा भी खतरे से भरी हुई है। अब तो आप वस्तु स्थिति बता दीजिये। 1 साल, दो साल ऐसे ही चलता रहा और हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। क्या अपराध था उन लोगों का जो भाईदूज के दिन कल्याण में बम विस्फोट में मारे गये ? क्या अपराध था उन छोटे–छोटे बच्चो का जो 12 मार्च के दिन बम्बई में बम विस्फोट के समय छत पर जाकर लटक गये। उन नवजात शिशुओं

का क्या अपराध था ? जो बस में मारे गये, उनका क्या अपराध था ? जो नाश्ता करते हुए टुकड़े-टुकड़े हो गये और रास्ते में लहुलुहान हो गये, उनका क्या अपराध था ? ये सब क्यों हो रहा है ? सरकार की लुंज-पुंज नीतियों और आर्थिक घोटालों के चलने न विदेश में इस राष्ट्र का सम्मान रहा है और न इस देश में सामान्य मनुष्य अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पा रहा है। जिस देश की स्त्री सुरक्षित नहीं है, मातृत्व चौराहे पर लूट रहा हो, उस देश के कर्णधारों का भगवान भी मालिक नहीं हो सकता है।

आज देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात हो रही है लेकिन स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति या समूह की बात नहीं कर रही हूं लेकिन जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं, उनको देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। 12वीं और 13वीं सदी में हाथ में तलवार लेकर कुतुबशाही जिस प्रकार से आपस में लड़ते थे और अत्याचार करते थे, सामान्य मनुष्य का खेत काटते थे और उनकी स्त्रियों को लुटते थे, अत्याचार करते थे, वही बात अब हो रही है। जाति-जाति में झगड़ा हो जाता है। साम्प्रदायिक दंगों में स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं। जिस देश की स्त्री सुरक्षित नहीं हो, वहां अभिभाषण में लड़कियों की शिक्षा की बात की जाती है। सब को शिक्षा देने जैसे शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इन्दौर में जब नौवीं और दसवीं कक्षा की छोटी-छोटी लड़कियों पर भवन की छत गिर जाती है जिससे एक लड़की की टांग टूट जाती है तो जब नये भवन की मांग करने मुख्यमंत्री के पास जाती है तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनकी चोटियां खींच-खींच कर अलग की जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी सम्मान के कार्यक्रम में जाना था।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह लिखा है कि "सरकार यह जानती है कि सुधार कभी भी पीछे मुड़ने वाली और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है"। सही बात है। आर्थिक सुधार हो रहे हैं और हम पीछे मुड़ कर देख नहीं रहे है कि गलत आर्थिक नीतियों के कारण बेचारा सामान्य मनुष्य, महंगाई में दबा हुआ सामान्य मनुष्य जिस का रोजगार छिन रहा है वह भूखों मर रहा है। आपकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण कई मिलें बंद हो रही हैं। इन्दौर में 6 हजार से ज्यादा मजदूर जिन का रोजगार छिनता जा रहा है, वे कराह रहे हैं, लेकिन आप पीछे नहीं मुड़ने वाले लोग हैं।

सरकार के नुमाईन्दों ने यहां बहुत सी बातें कहीं। उनको सुनकर दुख होता है। आप थोड़ा इस पर आत्मनिरीक्षण करिये। आज किसी माननीय सदस्य ने कहा कि हमने बहुमत प्राप्त कर लिया, हम अल्पमत में थे, कुछ ही दिन में जनता के विश्वास के आधार पर बहुमत प्राप्त कर लिया। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सत्ता के बल पर और आर्थिक आधार पर आपने यह बहुमत हासिल किया है। सरकार और सरकार के नुमाईन्दे लेन-देन का रास्ता अपनाये हुए हैं। यह धन्यवाद प्रस्ताव सामने रखते हुए कहा गया कि प्रस्ताव पास कीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, हमारी तारीफ कीजिएगा।

मैं कहना चाहूंगी कि देश की जनता कराहते हुए, सिसकते हुए यही कह रही है कि "तारीफ करूं क्या इसकी, जिसने हमें डुबाया।"

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में व्याप्त स्थिति को उजागर नहीं किया गया है और न ही इसमें इस बात का उल्लेख किया

गया है कि विदेशों में रह रहे लोग हमारे बारे में तथा हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपनी नीति के प्रभाव को महसूस नहीं करती। संसद-सत्र शुरु होने से ठीक पहले नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि कर दी गई थी। जनता मूल्य-वृद्धि के कारण कराह रही है। लेकिन सरकार ने इस बात की उपेक्षा कर दी है। अभिभाषण में सरकार ने यह दावा किया है कि उत्पादन एवं खरीद में इतनी-इतनी मात्रा में वृद्धि हुई है।

व्यावहारिक रुप में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसका अस्तित्व नहीं के बराबर हो गया है। मैं मूल्य-वृद्धि, कराधान एवं नियंत्रित मूल्यों जैसी बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता। इसके बाद, रेल बजट में 170 करोड़ का कोई प्रावधान है। रेल-प्रभारों में पुनः वृद्धि कर दी गई है। लेकिन वायदे यह किये गये हैं कि वे कीमतों को वापिस उसी स्तर पर ले आयेंगे, जो वर्ष 1989 में थीं।

सरकार ने गैट समझौते पर हस्ताक्षर करके, संसद की अनदेखी करके, संसद की स्थाई समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों की उपेक्षा करके तथा जनमत का विरोध करके अपने अधिकार से बाहर कार्य किया है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इसके अतिरिक्त दूसरा विकल्प कौन-सा है ?

श्री शिवाजी पटनायक : उन विकल्पों के बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मैं इन सब विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उपयुक्त कार्यों के लिये जनता ने अपना मत नहीं दिया था। जनता ने देश को गिरवी रखने के लिए जनमत नहीं दिया है। सरकार जनता द्वारा दिये गये जनमत के दायरे से बाहर होकर कार्य कर रही है। मैं कुछ उदाहरण पेश करूंगा कि सरकार ने डंकल समझौते पर हस्ताक्षर करके कैसे नुकसान पहुँचाया है। नहीं- आपकी राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। उड़ीसा में ईब रिवर थर्मल परियोजना को, जिसके लिए उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम ने 500 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार किया है, अब ए०ई०एस० नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह कार्य बी०एच०ई०एल० द्वारा भी किया जा सकता था। इससे राष्ट्र को 2000 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। मुझे मालूम नहीं कि इस सौदे में कितनी कमीशन ली गई है। बहुराष्ट्रीय निगम ने भुगतान डालरों में किये जाने की मांग की है। आपकी आर्थिक नीति यही है जिसने हमारे देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।

चार लाख औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हैं। इनमें से अधिकतर इकाइयाँ निजी क्षेत्र में हैं। दावे यह किये गये हैं कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। बाबरी मस्जिद के गिराये जाने के बाद भी जनता के मन में एक आशंका विद्यमान रही है। ऐसा कहा गया है कि वह सभी आकांक्षायें आदि निर्मूल सिद्ध हुई हैं। लेकिन यदि हम विगत 6 दिसम्बर के बाद हुये दंगों का हिसाब लगायें, तो यह कथन एकदम निराधार लगता है। इसके पश्चात् मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति का एक और उदाहरण देता हूं। 6 फरवरी को उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में सी०आर०पी०एफ० के जवानों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया तथा लोगों ने इसका विरोध किया और उन जवानों को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद 10 फरवरी को सी०आर०पी०एफ० के जवान सैकड़ों की संख्या में हथियारों से लैस होकर आये और प्रियदर्शनी मार्किट क्षेत्र पर हमला किया एवं संपति को लूटा और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की तथा लोगों को पीटा। इस प्रकार की यह चौथी घटना थी। लेकिन सी०आर०पी०एफ० का कैंप अभी भी उस क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। सशस्त्र बलों एवं सी०आर०पी०एफ० को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरे विचार से उनमें मानव मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं है तथा न ही उनके मन में मानव-जाति के प्रति कोई सम्मान की भावना ही है। इसके अतिरिक्त, केरल में सी०पी०आई० (एम०)

के कार्यकर्ताओं एवं देश में लोकतांत्रिक आंदोलन के विरूद्ध टाडा का प्रयोग किया जाता है। समाचार-पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि अब सरकार का कारखाना बंदी को वैद्य करार करने तथा ऐसे बंदीकरण के विरूद्ध हड़ताल किये जाने जैसे सभी प्रकार के प्रतिरोधों को अवैध करार करने के लिए एक काला विधेयक पेश किए जाने का प्रस्ताव हैं। यदि ऐसा विधेयक पेश किया जाता है, तो मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि भारत की जनता ऐसी बातों को सिर झुका कर नहीं मानेगी। वह उसका विरोध करेगी। जनता इसकी योजना बना रही है। वे पाँच अप्रैल को लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। लोग इस विषय को हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेंगे। यदि डा० मनमोहन सिंह जी यह समझते हैं कि वह विश्व बैंक के आदेशानुसार यहाँ कुछ भी जारी रख सकते हैं, तो यह उनका मात्र एक दिवा-स्वप्न ही साबित होगा तथा निस्संदेह वे भारत के लिए बड़ी मुश्किल के दिन होंगे। चेतावनी भरे इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा की क्या राय है ? क्या हमें समय बढ़ाना चाहिए ?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : आप द्वारा दिए समय में जो पूरा करें, उनको बोलने दीजिए, तब तो थोड़ा हम भी बैठेंगे ...**(व्यवधान)**.

[अनुवाद]

प्रो० प्रेम धूमल : महोदय, माननीय मंत्री जी अपने स्थान पर ही बैठकर पीठासीन अधिकारी को निदेश दे रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि सभा में कैसे व्यवहार करना चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं, मुझे सभा की सहमति लेनी है।

प्रो० प्रेम धूमल : ठीक हैं, आप सभा की सहमति अवश्य लें। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि सभा में कैसे व्यवहार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : मैं यह कह रहा हूं कि समय तब बढ़ाएंगे, यदि माननीय सदस्य समय में अपनी बात पूरी करें ...**(व्यवधान)**... थोड़ी मानवता तो रखिए।

[अनुवाद]

प्रो० प्रेम धूमल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय : यदि मैं इसे आपत्तिजनक समझूंगा तो इस ओर ध्यान दूंगा।

श्री वी० धनजंय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण मात्र एक औपचारिकता रह गया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन ने भी यही बात कही है। अतः हम सबको संसदीय लोकतंत्र के 45 वर्ष के अनुभव के साथ यह सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्या औचित्य है।

मैं इस खोखले दस्तावेज के प्रत्येक पैराग्राम के बारे में नहीं बोलना चाहता। राष्ट्रपति जी का आदर करते हुए और किसी व्यक्ति पर आक्षेप न करते हुए, मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि यह एक खोखला दस्तावेज है। यह अभिभाषण जनता में विश्वास जगाने और देश को नई दिशा दिखाने में असफल रहा है। इस दस्तावेज में जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा पूर्वोत्तर राज्यों की बिगड़ती स्थिति के संबंध में वही पुरानी भावनाएं व्यक्त की

गई हैं और झूठी हमदर्दी जताने के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने विकास संबंधी कुछ आंकड़ों और गरीबी दूर करने के प्रयासों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बताया है। वास्तव में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं। जबकि डा० मनमोहन सिंह बड़े-बड़े दावे क... नहीं थकते कि हमने अविस्मरणीय प्रगति की है, लेकिन स्थिति बिलकुल उल्ट है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े स्वयं सरकार की कथित उपलब्धियों के बारे में बताते हैं।

1993-94 के वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय घाटा 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे बड़े पैमाने पर छंटनी हुई और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन आदि में कमी आई।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : कृषि उत्पादन में कमी ! वह क्या कह रहे हैं ? महोदय, उन्हें इस प्रकार के गलत बयान देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री वी० धनजंय कुमार : आप कृपया पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करें। तभी आपको वास्तविकता का पता चलेगा।

देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विश्व वित्तीय संस्थानों द्वारा बिछाए गए ऋण जाल में फंस गया है। 1994-95 का बजट भी शून्य वृद्धि दर का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसमें मुद्रास्फीति बढ़ रही है जिससे आम आदमी का जीवन कठिन होता जा रहा है।

महोदय, मैं कर्नाटक से हूं। मैं कर्नाटक के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि सत्ता पक्ष के मेरे मित्र श्री आस्कर फर्नान्डीज मुझसे सहमत होंगे। पिछले कुछ सालों से केन्द्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

सभापति महोदय : आप पहले ही आठ मिनट ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वी० धनजंय कुमार : विद्युत का उत्पादन करने, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने और यहां तक कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के संबंध में कर्नाटक की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। लेकिन भारत सरकार और प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रुप में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता अवश्य पैदा कर ली है। मैं इस संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नितता कब से अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह सरकार कुछ महान कार्य करेगी। लेकिन मुझे सरकार से कोई आशा नहीं है। मैं इस सरकार की स्थिति अच्छी तरह से समझता हूं।

महोदय, इस सरकार को देखिए। आज सरकार पुरानी और रूग्ण प्रतीत होती है। सक्षम, युवा और ओजस्वी मंत्रियों के स्थान पर बूढ़े और बीमार व्यक्ति आ गए हैं।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

***(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : पुराने अच्छे होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री वी० धनजंय कुमार : अंत में मैं यह अपील करना चाहता हूं कि कम से कम अब तो वे कार्य करें।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

***(व्यवधान)**

---

*(कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।)

*(कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जिन बातों की चर्चा होनी चाहिए, खासकर देश की जो वर्तमान दशा है, उस दशा को देखते हुए एक दिशा निर्देश होता है कि देश को किधर ले जाना है, ये सारी बातें इसमें हुई हैं, मैं इन सारी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता । सभापति महोदय, मैं मात्र एक बिंदु की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, देश में जो कुछ हो रहा है, उससे देश की कानून-व्यवस्था का पता चलता है । एक राज्य सरकार के होते हुए बाबरी मस्जिद का ढह जाना, इसके बावजूद कहा जाता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, यह बात समझ में नहीं आती है । आज जितनी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका चारित्रिक स्तर क्या है । आज ऐसे लोग जिनके खिलाफ देश-विदेश में आपराधिक मुकद्दमे चल रहे हैं, आज वे राजनीतिक दल बना रहे हैं । आज मंत्री और राजनीतिज्ञ आपराधिक गिरोहों का संगठन कर रहे हैं, सरकार भी इस चीज को मानती है। आज देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, कानून तोड़ने में किसी न किसी राजनीतिक नेता या किसी राजनीतिक दल का उसमें हाथ होता है, जब कि लोग इसको कानून-व्यवस्था का मामला समझते हैं ।

सभापति महोदय, मेरी समझ में यही आता है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में सरकार और राजनीतिक दलों के चारित्रिक स्तर की भी चर्चा होनी चाहिए थी । आज राजनीतिक दलों में सिर्फ आर्थिक नीतियों की वजह से ही बदलाव नहीं आ रहा है। आर्थिक नीति की, नई आर्थिक नीति की बात की जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो सुधार होने चाहिए थे, उनको भी पीछे हटाया जा रहा है और इस वजह से हमारे देश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि क्राइम नियंत्रण में आ रहा है, यह कैसे नियंत्रण में आ रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं यू.पी. असेंबली में हुई मार-पीट की घटना की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां पार्टियों के बीच मार-पीट हुई और खून के धब्बे लग गए ।

क्या यह क्राइम नहीं है ? क्या यह असेम्बली सरकार का अंग नहीं है ? उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस श्री रामास्वामी पर महाभियोग चलता है और उसे बचाने की कोशिश की जाती है तो हमारे देश में कौन से आदर्श उपस्थित किए जा रहे हैं । क्या यह सरकार का अपराधिक चरित्र नहीं हो रहा है ? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत तक जहां भी ये घटनाएं हो रही हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका जिक्र आना चाहिए था । प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों की ओर से या सरकार की ओर से इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम सरकार में रहें । कानून को तोड़ना है तो क्या सरकार का चरित्र नहीं बदल रहा है ? अगर सरकार का चरित्र बदलता है तो गृहयुद्ध की ओर ले जाया जाता है। गृहयुद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी । हमें आजादी मिले हुए 47-48 साल हो गए हैं लेकिन कानून बनाकर कानून को तोड़ते हैं तो इस वजह से इस सरकार के चरित्र में परिवर्तन हो रहे हैं और देश को गृहयुद्ध की ओर धकेल रहे हैं, जो खतरनाक है । इसको किसी तरह से रोका जाना चाहिए था । इस बात की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में होनी चाहिए थी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : सभापति महोदय, मैं सराकर को केवल एक या दो सुझाव देना चाहता हूं । कृषि हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है । अतः हमारी सरकार को सिंचाई को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । हस्तशिल्प और लघु पैमाने के उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए । दूसरे, ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं दे रही है । माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि कृषि और इसके सहायक कार्यों के लिए अनुसंधान के उद्देय के लिए अधिक धन दें । निजी और सरकारी क्षेत्र अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन व्यय करें ।

बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ रही है । उन्हें नौकरी प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं । अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्राथमिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। स्कूल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त धन निर्धारित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त खेल और अन्य गतिविधियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए ।

मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि युवकों को प्रशिक्षण देने संबंधी मुद्दे को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसके लिए वित्तीय सहायता भी दी जाए । महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी],

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ऐसा लगता है केवल औपचारिकता ही रह गई हो । सत्ता दल राष्ट्रपति के पद की गरिमा को कितना गिरा रहा है, यह अभिभाषण से पता चलता है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर राष्ट्रपति जी ने अपने मन से भाषण लिखा होता तो शायद इस भाषण के किसी भी लाइन से वह सहमत नहीं होते । इस पद की गरिमा कितनी गिरा दी गई है, इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें और राजनैतिक दल उसका बहिष्कार करें। राष्ट्रपति जी ने अगर भाषण स्वयं लिखा होता तो जरूर इस बात की चर्चा करते कि 1993 का वर्ष असफलताओं भरा रहा । जहां कहीं भी सत्ता दल को लगा कि हमें बचाव करना है तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि अयोध्या की घटना के कारण ऐसा हुआ । जिसके कारण उसकी बुराई छिप जाए ।

1993 का वर्ष कैसा रहा यह मैं बताना चाहता हूं । हमने जस्टिस रामास्वामी का इस लोक सभा में बचाव किया । 1993 का वर्ष इस घटना के लिए भी रहा कि बोफोर्स के नामों की अधिकृत घोषणा आने लगी। इस वर्ष में स्कैम के तहत इतना बड़ा घोटाला हुआ कि कौन-कौन लोग उसमें हैं वे चेहरे सामने आने लगे । मंत्री परिषद में जो लग बैठे हैं उनके चेहरे इससे बेनकाब हुए । उनके विदेशी खातों की चर्चा हुई, मगर देश का दुर्भाग्य है कि अगर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क होता तो वहां के प्रधान मंत्री को सजा हो जाती, जेल में जाना पड़ता, लेकिन अपने यहां उनके ऊपर अंगुली तक नहीं उठी । हम कौन सी दिशा में देश को ले जा रहे हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए । हमें चाहिए था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात को तय करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

---

* (मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर) :

यह सरकार जब आई थी तो इसने कहा था कि 100 दिन में मंहगाई कम कर देंगे, लेकिन उन 100 दिनों की विवेचना करें तो पता चलेगा कि हम कहां हैं । दिल्ली में एक उपचुनाव हुआ । उसमें जो हमारे कांग्रेस के साथी जीतकर आये, उन्होंने जनता से कहा था कि मैं अगर इनकम टैक्स की सीमा इतनी रेंज तक नहीं कर सका तो इस्तीफा दे दूंगा । अभी हमारे सामने बजट आया और उसमें केवल पांच हजार रूपये की सीमा बढ़ाई गई । हमने जब उनके चेहरे को देखा कि कैसा है तो हमने पाया कि वह चेहरा और प्रसन्न है । कहां तो वे इस्तीफा देने की बात करते थे । हमने 1993 में सूटकेस की संस्कृति देश को दी । हमने लोगों को बताया कि हम किस प्रकार से काम करने जा रहे हैं । आज कोई आदमी पांच रूपये की भी रिश्वत लेता है और पकड़े जाने पर कहता है कि शिकायत करने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो करोड़ों का वारा-न्यारा होता है। इससे आज हमारे सर्वोच्च स्थान पर भी अंगुली उठने लगी है ।

काफी समय से पिछड़ी जाति के आरक्षण की बात यहां पर कही जाती है । लेकिन नीयत साफ नहीं है । हम इस वर्ग को ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं । कहीं न कहीं अड़चन लगा देना चाहते हैं जिससे मामला विवाद में फंस जाये । सेवाओं में देख लीजिए, देश में 52 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन किस स्थान पर हम हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है । यहां पर तो केवल वे ही लोग आयेंगे जो दून स्कूल की संस्कृति के हैं ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह होना चाहिए था कि हम प्राथमिकता के स्तर पर गांव में पानी, स्कूल, औषाधालय की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज भी वहां पीने के पानी की व्यवस्था या अन्य सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी कौन सी डायनेमिक लीडरशिप है जिसका आप इतना बखान करते हैं । हमारे एक मित्र ने कुछ बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या रहा है । मैं उसको कोट करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"राजनीतिक दलों को तोड़ना, चुने हुए प्रतिनिधियों का थोक में दल-बदल करवाना और लोक सभा में कामचलाऊ बहुमत प्राप्त करना ही श्री पी!0वी!0 नरसिंह राव की उपलब्धियां हैं । कुछ युवा और ओजस्वी सदस्यों के स्थान पर बूढ़े और अपंग व्यक्तियों को मंत्री बनाकर सरकार बूढ़ी और अपंग हो गई है । मैं सत्ता पक्ष में अपने युवा मित्रों की परेशानी समझ सकता हूँ। मैं उनकी अंतरात्मा से अपील करता हूं कि वह अपनी आत्मा को खोजें । मित्रो, यदि आप सुदृढ़, युवा और प्रगतिशील भारत बनाना चाहते हैं तो कृपया युवा और ओजस्वी नेता खोजें । इस बात की चिंता नहीं करें कि देर हो गई है क्योंकि कभी न होने से देर होना अच्छा है । आप अभी भी कार्य कर सकते हैं अन्यथा आप समय खो देंगे ।"

[हिन्दी]

सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार चर्चा चल रही है कि हमें इस प्रकार से चलना चाहिए । जब यह सरकार सत्ता में आई तो कहा गया कि हम भंगियों को मुक्त करायेंगे और सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर देंगे । स्थिति कहां तक है, इसकी भी हमें विवेचना करनी चाहिए । हम कहते हैं कि वेश्यावृत्ति समाप्त कर देंगे, लेकिन हम एड्स का परीक्षण कर रहे हैं और उनको

प्रमाण पत्र दे रहे हैं । यह कहां की नीति है । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इन विषयों पर अपनी राय दें कि हम संचार सुविधा, गांव में स्कूल, अस्पताल सम्पर्क मार्ग और पीने का पानी देंगे ।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, श्री शिव चरण माथुर द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं कुछ बिन्दुओं पर ही अपनी बात कहना चाहूंगा ।

सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा 45-46 में सुरक्षा सेनाओं की बात की है और जैसा मेरे साथी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर यह भाषण उन्होंने स्वयं लिखा होता या जो सरकार ने लिखकर दिया है उसको पढ़ा होता तो उनको पढ़कर बहुत ही दुख होता । इन सेनाओं के लिये एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सामान्य कर्तव्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनायें आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना, विद्रोही गतिविधियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों को सहयोग देती रही हैं । सचमुच में सशस्त्र सेनाओं ने देश की एकता और अखंडता बनाये रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है । परन्तु, जब माननीय राष्ट्रपति जी ने यह पढ़ा होगा कि सरकार सेवारत और सेवा निवृत्त सशस्त्र सैनिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रही है तो इसमें मेरा मतभेद है ।

सभापति महोदय, आप सुनकर हैरान होंगे कि इस बार मंहगाई भत्ते में सशस्त्र सेनाओं के लिये जो वृद्धि की गई है, वह 7 प्रतिशत है जबकि सेवा निवृत्त सैनिकों के लिये मात्र आधा यानि साढ़े तीन प्रतिशत ही है। मैं अभी हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था तो भूतपूर्व सैनिक मुझ से मिले और कहा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली बार ही हुआ है कि उन्हें आधा मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है । हम इस माध्यम से सशस्त्र सेनाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी इस बहस का उत्तर दें तो स्पष्ट करें कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिये और धन का प्रावधान करेंगे । पिछली बार हमने सशस्त्र सेनाओं के लिये 18500 करोड़ रूपये रखे जबकि विदेशी ऋण की अदायगी के लिए ब्याज हेतु 38 हजार करोड़ रूपया रखा और इस बार के रक्षा बजट के लिये मात्र 23 हजार करोड़ रूपए रखा है तो विदेशी ऋण के ब्याज की अदायगी के लिये 46 हजार करोड़ रूपये रखा है । मेरे ख्याल में राष्ट्रपति महोदय को यह पढ़ते हुए जरूर कष्ट हुआ होगा कि इस प्रकार का फिजूल भाषण उन्हें पढ़ना पड़ा ।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां पर कृषि को महत्व दिया जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैरा 17 से 20 तक कृषि नीति की चर्चा की है । मैं मानता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी धर्म-परायण व्यक्ति हैं और उन्हें यह पढ़कर बहुत ही दुख हुआ होगा कि इस देश में बूचड़खाने खुल रहे हैं । आपके क्षेत्र के पास ही पटियाला में हजारों पशुओं को रोज ही कत्ल किया जाएगा और उसका मांस एक्सपोर्ट होगा और आप हिन्दुस्तान की तरक्की देखिए कि हमें हालैंड से गोबर आयात करना पड़ रहा है । क्या यही हमारी कृषि नीति है ? इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश ने इस समय ऐसी सरकार पायी है जिसे भारतवर्ष के साथ कोई लगाव नहीं है और उसकी रूचि केवल विदेशों से आयात करने में है ।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने एक्नामिक्स रिफार्म्स के बारे में पैरा 16 में कहा है कि आर्थिक सुधारों के लाभों में सरकार द्वारा पहल, सुदृढ़ करने का वर्ष रहा और इन सुधारों के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा । मैं तो भारतीय संसदीय इतिहास के पिछले वर्ष की जे.पी.सी. के मैम्बरों को बधाई देना चाहता हूं कि उनहोंने एकमत से शानदार रिपोर्ट दी जिसके अध्यक्ष सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य थे । इन लोगों ने काफी मेहनत की और तथ्यों तक गये ।

9.00 म०प०

सरकार ने इसकी अभिभाषण में चर्चा की आवश्यकता महसूस नहीं की क्योंकि उसमें कुछ टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी थी और उनके बेटे और गोल्डस्टार कंपनी के बारे में भी थी । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी सर्वसम्मत रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करेंगी इसको कहने की क्या आवश्यकता नहीं थी ?

सभापति महोदय, मैं संचार की बात करना चाहूंगा । आज जब मैं आ रहा था और जब हाऊस में मेरा नाम बुलाया गया तो उस समय रांची एक्सप्रेस अखबार के प्रतिनिधि मुझे मिलने आए थे । आपको सुनकर हैरानी होगी कि वहां जो दूरसंचार जिलाधिकारी हैं वह कोई मकान बना रहे हैं । उस अखबार का प्रतिनिधि उसकी फोटो लेने गया तो उसको पकड़कर मारा गया । जब एफ.आई.आर. दर्ज हुई तो उस अखबार की टेलिप्रिंटर और टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं । एक दूरसंचार जिलाधिकारी अपने को इतना महत्वपूर्ण समझता है कि अगर किसी समाचार पत्र में उसके खिलाफ कुछ छपे तो वह अखबार की सारी लाइनें काट दे । अगर इस तरह से आप संचार व्यवस्था को चलाना चाहते हैं और ऐसी घटनाएं छोटे छोटे अधिकारी करेंगे तो फिर संचार कैसे आगे बढ़ पाएगा ?...**(व्यवधान)**...जीरो अवर में उठा देंगे लेकिन जीरो अवर में कम प्रधानमंत्री इसका जवाब देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि आर्थिक नीति के मामले पर डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, वह वास्तव में हमारा आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ने का एक कदम है और जब देश आर्थिक तौर पर गुलाम होता है तो इतिहास बहुत पुराना नहीं है, कुछ सदियों पहले हम ईस्ट इंण्डिया कंपनी के आर्थिक दबाव में आए थे तो राजनीतिक गुलामी भी दूर नहीं रहती । मैं अपने मित्रों से जो सत्तारूढ़ दल में भी हैं, कहना चाहता हूं कि हमारे नीतियों पर मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन तब लड़ेंगे जब देश राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र रहेगा । अगर देश गुलाम हुआ तो न आप चुनाव लड़ सकते हैं, न कोई और लड़ सकता है । इसलिए इस मुद्दें पर आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार को मजबूर करें कि डंकल प्रस्ताव स्वीकार न किये जाएं। भारतवर्ष स्वदेशी आधार पर स्वावलंबी बन सकता है और माननीय मनमोहन सिंह जी का तो क्या कहना, उनसे हम यह प्रार्थना करना चाहेंगे कि आज देश भर के छोटे उद्योग बंद पड़े हैं । साबुन पर आपने एक्साइज़ लगा दी है, हेयर फिक्सर पर आपने एक्साइज़ लगा दी है, आयुर्वेदिक दवाइयों पर, स्टील पर और जो छोटे-छोटे उद्योग लगे हैं उन पर भी लग रही है । केवल विदेशियों के ऊपर से सीमा-शुल्क को कम करने और उत्पादन शुल्क बढ़ाकर भारत के लघु उद्योग को बंद करने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने सत्तारूढ़ दल के मित्रों से कि वह हमारा साथ दें और मनमोहन सिंह जी अपने प्रस्तावों को वापस लें ।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मान्यवर सभापति जी, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के पिछले और अगले साल का ब्यौरा होता है। इसमें पिछले साल में क्या हुआ और आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे इसका ब्यौरा होता है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कहा और सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह से कहा कि हम सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, हम आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, हम रोज़गार का सृजन कर रहे हैं, यह केवल थोथी बाते हैं। हमारा कुछ भी आर्थिक सुधार नहीं हुआ है। हमारे यहां पुराने उद्योग दो लाख के करीब हैं और पचास हजार के करीब बीमार उद्योग हैं तो फिर रोजगार सृजन कैसे होगा। उन पुराने उद्योगों को बढ़ाने के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं कुछ नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप मल्टी नैशनल कंपनियों को न बुलाएं। आपके यहां के छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, जो गांधी जी का सपना था कि आजादी के बाद देश में राम-राज्य होगा और गांव खुशहाल होंगे। लेकिन गांव खुशहाल नहीं हुए। गांव कारागाह व चरागाह बन गए। न वहां बिजली है न वहां पानी है और न रहने के लिए अच्छ जगह है।

महोदय, हमारी इंडस्ट्रीज चौपट हो रही है। अगर हमने उनमें समय और उत्पादन बांध दिया होता और उसके अनुसार वेतन दिया होता तो हम सफल हो सकते थे क्योंकि यदि उत्पादन कम होता तो हम मजदूर को वेतन कम देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां इस बारे में बराबर बहस होती रही, लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। आज हमारे उद्योग बन्द हैं। उनको ही चलाने का काम हो जाए, तो यह देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा।

सभापति, महोदय, इसी सदन में हम चर्चा करते हैं कि देश में तनाव बढ़ रहा है, उन्माद बढ़ रहा है, लेकिन हम उसको समाप्त करने की दिशा में काम नहीं करते हैं। हमारे एक नेता ने कहा था कि जब तक हम अपने देश से इस जाति व्यवस्था को एबालिश नहीं कर देते हैं तब तक हमारे देश में आर्थिक रूप से उन्नति नहीं होगी। जब जाति व्यवस्था के बारे में सभ महसूस करते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए घातक है और गृहयुद्ध की ओर ले जाने वाला एक कदम है तो भी सरकार इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने की ओर कोई कदम नहीं उठा रही है और न राष्ट्रपति महोदय ने इस बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में कहा है। क्या सरकार जाति व्यवस्था को ताड़ने के लिए कोई ठोस कानून बनाएगी या कोई ऐसा काम करेगी जिससे जाति व्यवस्था टूटे। जो इसे तोड़े उसे नौकरी इत्यादि देने की व्यवस्था की जाए, तो टूट सकती है।

सभापति महोदय, बढ़ती हुई आबादी हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रूकावट है। आज हम हर साल एक आस्ट्रेलिया के बराबर अपने देश में आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं और लगभग हर 15-16 साल में एक अमेरिका के बराबर आबादी बढ़ा रहे हैं। इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

सभापति महोदय, हमारा कृषि प्रधान देश है लेकिन हम 47 वर्षों में केवल 30 प्रतिशत खेतों को ही पानी दे पाए हैं। एक भानु प्रताप कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई थी और सभी ने इस बात को महसूस किया, लेकिन इस सरकार ने आज तक वह काम नहीं किया। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए।

सभापति महोदय, आज हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। एक तरफ अमीरों के लिए पब्लिक

स्कूल हैं और दूसरी तरफ गीरबो के लिए सरकारी स्कूल हैं । हम कहते हैं कि शिक्षा लोकतंत्र की रीढ़ हैं, लेकिन हम अपने देश में अभी तक एक शिक्षा नीति नहीं चला पाए । आज इस दोहरी शिक्षा नीति के कारण गांवों के गरीबों के बच्चे शिक्षा में पिछड़ते चले जा रहे हैं और शिक्षा के लाभ अमीरों तक ही सीमित रहते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्मो चौधरी (कोकराझार) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में इसलिए भाग लेना चाहता था कि बोड़ो लैण्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में संसद में अनेक सही और गलत जानकारियां दी गई हैं । राष्ट्रपति जी ने बोड़ोलैण्ड के बारे में कुछ ही शब्द कहे हैं और मैं इन शब्दों के लिये उनकी प्रशंसा करता हू । राष्ट्रपति जी ने सही टिप्पणी की है कि :

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोड़ो समझौते के अनुरूप अंतरिम बोड़ोलैण्ड स्वायत्त परिषद की स्थापना जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम है । जब कोकराझार और बोंगाईगांव जिलो में गैर-जनजातीय लोगों के खिलाफ हिंसा भड़की, तो असम सरकार ने त्वरित कारवाई की ।"

यह टिप्पणी सही है और यह भी सही है कि अंतरिम बाड़ोलैण्ड स्वायत्त परिषद् गठित करने से स्थिति में सुधार हुआ है । अब बांड़ोलैण्ड की जनता अपने कार्यो, विकासात्मक कार्यो में व्यस्त हैं । कुछ समस्याएं हैं पर उनका भी समाधान कर लिया जाएगा । अतः यह सही दिशा में सही कदम है ।

पिछले 25 सालो से बोड़ो लोग एक पृथक बोड़ोलैण्ड राज्य की मांग कर रहे थे । लेकिन 20 फरवरी, 93 को बोड़ो समझौता हुआ और उसके अनुसार इसकी सीमाओं तथा क्षेत्र की घोषणा की गई । अब जनता ष्ट है और अपने कार्य में व्यस्त हैं ।प्रारंभ में न केवल बोड़ो लोगों में बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी लोगों में ह भावना घर कर गई थी कि उनकी उपेक्षा की जा रही है । कभी-कभी भौगोलिक दूरी मानसिक दूरी भी पैदा र देती है । इससे असंतोष पैदा हुआ । पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की यह बात भी सही थी कि क्योंकि दूरी होने क कारण दिल्ली में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी । अतः यह आम धारणा या आम विचार था कि उस क्षेत्र की जनता सोचती थी कि केन्द्र सरकार उतनी शक्तिशाली है और अपने कार्यो में इतनी व्यस्त है कि उसे हमारी बात सुनने का समय नहीं है । बंदूक की गोली ही इसका समाधान है और इसकी आवाज केन्द्र सरकार सुन भी सकती है । अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की ओर ध्यान दें ।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है । आर्थिक उदारीकरण की नई नीति में कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी । यह अच्छा है कि गैर सरकारी संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं । यदि सड़क यातायात निगम के स्थान पर अन्य बस सेवाएं जैसे सब स्थानों पर रूकने वाली बस सेवा शुरू हो जाए तो बेहतर सेवाएं दान की जा सकती हैं । डाक सेवाओं के स्थान पर गैर-सरकारी कोरियर सेवाएं शुरू की जा रही हैं और वे अच्छी सेवाएं दे रही हैं । यहां तक कि गैर-सरकारी विद्यालय भी ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं और जनता को अच्छी शिक्षा प्रदान करा रहे हैं । मालगाड़ियों के स्थान पर राजमार्ग पर ट्रक सामान लेकर जाते हैं । इस प्रकार

आतंकवाद के क्षेत्र में गैर-सरकारी विद्यालय भी ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं और जनता को अच्छी शिक्षा प्रदान करा रहे हैं । मालगाड़ियों के स्थान पर राजमार्ग पर ट्रक सामान लेकर जाते हैं । इस प्रकार आतंकवाद के क्षेत्र में गैर-सरकारी सेना आ गई है । अतः उचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । इतनी अधिक बेरोज़गारी है कि लोग रोज़गार पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं । हमने देखा है कि प्रत्येक परिवार में बेरोज़गार व्यक्ति है । वे कहां जाएंगे ? वे गैर-सरकारी सेना बना लेंगे । चाय के क्षेत्र में भी गैर-सरकारी सेना बना ली गई है । गैर-सरकारी संगठन और उद्यमियों द्वारा दिखाई गई कुशलता गैर-सरकारी सेना में भी दिखाई देती है । उल्फा, और बी.सी.एम. और बी.एस.एफ. में यह कुशलता है । यह सभी आतंकवादी संगठन गैर-सरकारी सेनाएं हैं । इस समस्या के समाधान के लिए उचित ध्यान देना चाहिए । केन्द्र सरकार हमारी इन समस्याओं को पूरा समय दें । ये बेरोज़गार युवक कहां जाएंगे ? चूंकि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में है । जो पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं ।

मेरी यह अपील है कि केन्द्र सरकार इस ओर उचित ध्यान दें । वर्तमान स्थिति के कारण अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है । केन्द्र सरकार बोड़ो के प्रति सहानुभूति रखती है और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है । ये प्रयास सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं । इस प्रकार विभिन्न संगठन उनके हितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं । यदि केन्द्र सरकार इस समस्या पर अधिक ध्यान दे तो यह समस्या सुलझ जाएगी । मेरे विचार से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो सकें । बातचीत और चर्चा के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

9.16 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 8 मार्च, 1994/फाल्गुन 17, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।